(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 28 वां दिवस [संख्या 20

बृहस्पतिवार

दिनांक 15 मार्च, 1973।

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, समाज-कल्याण, गृह, आयोजना, जन-स्वास्थ्य, अकाल सहायता, उद्योग, स्वायत्त शासन, श्रम, शिक्षा, पर्यटन, कारागृह एवं खाद्य विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

नर्स के साथ बलात्कार

528. श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुमारी फ्रांसिस्का एन्थोनी, स्टूडेन्ट फर्स्ट इयर, नर्स के साथ तारीख 24 और 25 फरवरी '73 की रात्रि में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल, अजमेर में बलात्कार किया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस समय यह नर्स ड्यूटी पर थी?

(3) क्या यह सही है कि इस बात की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की हुई है।

(4) इस सम्बन्ध मे अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

राज्यमंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक 25-2-73 को पुलिस थाना सिविल लाइन अजमेर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी,

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) मुस्तगीसी श्री भगवानदास द्वारा पुलिस थाना सिविल लाइन पर रिपोर्ट करने पर कि उसकी बहन कुमारी फ्रांसिस्का फर्स्ट इयर, नर्स जवाहर लाल मेडिकल कालेज के साथ बलात्कार किया गया है,

Page No 2

(2)

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

मुकद्दमा नं. 22। 1973 धारा 376, 345 342आइ. पी. सी. दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई । दो डॉक्टर्स, सर्वश्री सुरेश मंगल तथा विश्वराज अग्रवाल व नर्स का डाक्टर मुआयना करवाया गया तथा नर्स के कपड़े एवं बेडशीट केमिकल परीक्षा हेतु जब्त किये जा चुके हैं। मुकद्दमें की तफतीश जारी है जो जल्दी ही तकमील की जाकर नतीजा पेश किया जावेगा ।

श्री माणकचन्द सोगानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मसला है जो अपने आप में बहुत बड़े महत्व का है। यह प्रश्न मैंने इसलिए यहां रखा है कि भविष्य में जो कदम हमारी सरकार की तरफ से उठाया जायगा वह इस बात का प्रमाण होगा कि हम कितनी सख्ती से काम ले रहे हैं। राज्य गृह मन्त्री महोदया के पास अगर एफ. आइ. आर. की कापी आई है तो उसमें बहुत खुलासा लिखा होगा कि वहां पर कितनी बड़ी हड़ताल का आयोजन हुआ और कितनी उस लड़की को तकलीफ हुई इन तमाम के बाबत कुछ करेंगे तो बड़ी महरबानी होगी, वर्ना उसकी जो रिपोर्ट मेरे पास है आप इजाजत दें तो मैं पढ़ने का प्रयत्न करूं ...

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट तो इनके पास भी है जो सप्लिमेन्ट्री आपको पूछना हो वह पूछें ।

श्री माणकचन्द सोगानी : सवाल मेरा यह पूछना है कि उन डॉक्टरों के साथ में क्या कार्यवाही हो रही है ? उन डॉक्टर लोगों के साथ में जिन्होंने यह कार्य किया है अगर कार्यवाही कुछ नहीं अब तक हुई कुछ प्रभाववश तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले जो काम हुआ और तमाम हिन्दुस्तान भर में यह खबरें फैलीं तो इस प्रकार से राजस्थान का नाम बदनाम न हो। यह मैं जानना चाहता हूं कि यहीं जितना अब तक हुआ है उससे अवगत नहीं किया गया है ।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा भी एक प्रश्न है कि क्या उन्हें अरेस्ट किया गया ? उन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं । उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए कि जो एक्जामिनेशन का काम है, तफतीश का काम है वह अभी पूरा नहीं हुआ है । अगर उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार का कार्य हुआ है तो उसके उपरान्त ही कार्यवाही की जायगी । केमिकल एक्जामिनेशन के लिए कपड़े वगैरह जयपुर मंगाये जा चुके हैं और डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी उन डॉक्टर्स के खिलाफ खोली जा चुकी है और तकाजे के साथ में जांच करवाई जा रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य एवं व्यवधान)

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करा लें ।

श्री मोहनराज (बाली) : अगर एफ. आई. आर. में उसका नाम दर्ज कराया गया तो उसका नाम दर्ज होगा ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपको दोनों डॉक्टरों के नाम बताये हैं कि जिन डॉक्टरों को अरेस्ट किया गया है उनके नाम यह हैं ।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (मीम) : उन डॉक्टरों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अगर मुकद्दमा 374 में दर्ज हुआ है तो मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो मेडिकल मुआयना किया गया है तो उस मेडिकल मुआयने के मुताबिक यह केस इस प्रकार का होना नहीं पाया गया है इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह डॉक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं और यह नर्स इनके नीचे काम कर रही है और उसके साथ में बलात्कार किया गया है, और उसके बारे में डॉक्टरों के पास एक्जामिनेशन करने के लिए भेजा गया है तो मैं गृहमंत्री से निवेदन करूंगा कि उन डॉक्टरों को अरेस्ट करना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उन डॉक्टरों के द्वारा नहीं किया गया है जिन्होंने रेप किया है। उसका डॉक्टरी मुआयना मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा किया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : कौन से मेडिकल ज्यूरिस्ट के द्वारा किया गया है, आप यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उसका जो मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ है वह कौन से डॉक्टर द्वारा किया गया है ? अगर वहां के डॉक्टरों से कराया गया है तो वह डॉक्टरी मुआयना नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिस डॉक्टर ने जांच की है वह उनके प्रभाव में नहीं है। वह एक सेपरेट डॉक्टर है और इन डॉक्टरों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और जिस प्रकार की गम्भीरता और चिन्ता आपको है उससे भी गम्भीर चिन्ता इस विषय में हमारे लिए भी है। इसलिए इसको बहुत तत्परता के साथ करायेंगे और सख्ती की कार्यवाही की जायगी और किसी के साथ में रियायत नहीं की जायेगी।

श्री माणकचन्द सोगानी : एक सवाल यह है कि वहां पर उन डॉक्टरों का प्रभाव पड़ा हुआ है तो यह प्रयत्न क्यों नहीं किया गया इसकी निष्पक्ष बाहर के डॉक्टरों से जांच करा ली जाय ताकि सही रिपोर्ट पेश हो सके। उसको कराने में क्या बाधा पड़ती थी, यह मुझे आपसे जानना है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिस वक्त का यह वाकया है उसका डॉक्टर का मेडिकल एक्जामिनेशन हो गया था और जो नर्स थी उसका एक्जामिनेशन लेडी डॉक्टर से कराया गया।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय आपने बताया कि डॉक्टरों से एक्जामिनेशन नहीं कराया तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो डॉक्टर अलग है और जिनसे एक्जामिनेशन कराया गया है उन डॉक्टर का क्या नाम है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास में डॉक्टर का नाम नहीं है लेकिन वह एक लेडी डॉक्टर है।

Page No 4

(4)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करें कि क्या इस मामले में कोई मेडिकल बोर्ड नियुक्त करके उसका एक्जामिनेशन कराने के लिए तैयार हैं ? क्या वे मेडिकल बोर्ड बैठाने को तैयार हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्राइमा फेसी ऐसा नहीं पाया गया है कि इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इसका बाद में सोचेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है छोटा सा।

श्री अध्यक्ष : उस समय पूछ लेते।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश हो गया अब तो ......

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्राइमा फेसी केस कहां एस्टेब्लिश हुआ ? डॉक्टरी मुआयना हुआ है। उससे एस्टेब्लिश नहीं हुआ। केमिकल एक्जामिनेशन पूरा नहीं हुआ, डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी पूरी नहीं हुई इसलिए प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश नहीं हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब 376 और 354 में मामला पेश किया गया और मोलेस्टेशन हुआ है इसमें दो राय नहीं है। आप स्वीकार कर रहे हैं तो इस सारी स्थिति के बारे में डॉक्टरों को सस्पैंड क्यों नहीं किया गया ? मेडिकल एक्जामिनेशन यह एस्टेब्लिश कर दें कि 354 न होकर 376 हुआ है, लेकिन उस स्त्री के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उसके साथ व्यभिचार हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं रहा, केवल एक टेक्निकल मामला रह गया, ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री माणकचन्द सोगानी : इसमें मेडिकल एक्जामिनेशन जो सरकार द्वारा कराया जा रहा है वह एकदम घटना के बाद कराया जाना चाहिए था और उसकी जांच उसी दिन करनी थी।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कितने बाद में करा रहे हैं इसकी इन्फर्मेशन मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन सस्पेंड करने का कार्य डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के तुरन्त उपरान्त कर दिया जायगा यदि आवश्यक हुआ तो।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

आवास-समस्या

529. **श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर)** : (श्री भानुकुमार शास्त्री की अनुपस्थिति में पूछा गया) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपने निजी मकान नहीं है ?

(2) राजस्थान में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए कोई योग्य पड़ाव तक नहीं है ?

(3) राजस्थान में ऐसे लोगों की आवास समस्या के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये है तथा आवास समस्या कब तक समाप्त हो जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : इसका नगर आयोजन मंत्री से सम्बन्ध है इसलिए नगर आयोजन मंत्री जवाब देंगे।

एक माननीय सदस्य: वही दे रहे हैं।

नगर आयोजन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : आपको ऑथोरिटी दी है क्या उन्होंने ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : (1) व (2) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

(3) सरकार ने आवास की समस्या हल करने के लिए कम व मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवंटन द्वारा भूमि खण्ड देने, ऋण देने, कच्ची बस्ती के निवासियों की हाउसिंग सहकारी संस्थाओं को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्शियल सोसाइटी लि० से ऋण की सुविधा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान देना, आवासन मण्डल द्वारा किश्तों पर मकान उपलब्ध कराने, किसानों को अपने खेतों के हिस्से पर मकान आदि बनाने की छूट देने आदि अनेक कदम उठाये हैं।

आवास समस्या कब तक हल हो सकेगी इस बारे में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मकान दिया जायेगा। तो क्या जिनके पास मकान नहीं है, जयपुर में विधायक पुरी है, उसके पीछे लोग तम्बुओं में रह रहे हैं उनको रहने के लिए मकान नहीं है। क्या सरकार उनका सर्वे कराने जा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार इस बात को मानती है और दुनियां इस बात को मानती है कि आज इन्सान को हाउसिंग की आवश्यकता है। हाउसिंग की स्थिति इसी स्टेट में नहीं है। दुनियां भर में पापुलेशन बढ़ रही है। अरबन एरियाज में माइग्रेशन होने की वजह से और हिन्दुस्तान में भारत-पाक का विभाजन होने के कारण पुरुषार्थी यहां आये हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम यहां खड़ी हुई है। अरबन एरियाज के इण्डस्ट्रियलाइजेशन होने से प्राब्लम है। हाउसिंग प्राब्लम, ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों को बचाने का कष्ट कीजिये।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आप दोनों आपस में बात कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर हाउस बोर्ड का गठन, 5 हजार और अलग अलग इनकम-ग्रुप की योजना, सोशल वेलफेयर की योजना, इस प्रकार से हाउसिंग की समस्या का उचित समाधान किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न यह था कि जो किराये के मकानों में रहते हैं। जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं। मकान मालिकों के तीन तीन मकान हैं। मकान मालिकों का सर्वे हुआ है, किरायेदारों का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं हुआ है । कितने ही कच्ची बस्तियों में किरायेदारों की हैसियत से रह रहे हैं । इसके लिए यह जरूरी है कि उनका सर्वे करायें । अधिकांश लोग किरायेदार हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : वड़ौदिया बस्ती में रह रहे हैं । मैं आपको कहना चाहता हूं ।

(श्री भार्गव और श्री गोटेवाला के साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में कितनी हाउसिंग की आवश्यकता है । जो किरायेदार किराये के मकानों में रहते हैं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी ...

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : No, No. I won't allow.

वृद्धावस्था पेंशन

550. **मीठालाल** (लालसोट) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ने असहाय वृद्धावस्था पेंशन, असहाय लंगड़े, लूलों को तथा असहाय विधवाओं की सहायतार्थ कितनी धनराशि 1972-73 में खर्च की तथा पेंशन पाने वालों की अलग अलग संख्या क्या है ?

(2) जयपुर जिले में कुल कितने लोग उक्त तीनों प्रकार की अलग अलग सहायता प्राप्त कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील के कई प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों और इन्हें कब तक पेन्शन स्वीकृत कर दी जायेगी ।

समाज-कल्याण मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) वर्ष 1972-73 में राजस्थान में 11,550 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन तथा 1439 व्यक्तियों को, अपाहिजों को अपाहिज पेंशन स्वीकृत की गई है । इस वर्ष तक अब तक दोनों पेंशन पर 28,49,062 रुपया खर्च हुआ है । समाज-कल्याण विभाग के बजट में असहाय विधवाओं के पेन्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) जयपुर जिले में कुल 2033 व 145 व्यक्तियों को क्रमशः वृद्धावस्था पेंशन एवं अपाहिज पेंशन स्वीकृत की गई है ।

(3) जी हां, जयपुर जिले की लालसोट तहसील के 9 प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होने के कारण विचाराधीन पड़े हैं । प्रार्थियों द्वारा कमियों की पूर्ति करते ही पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी ।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वृद्धावस्था पेंशन, लंगड़े- लूले, अपाहिज लोगों को जो नियम बने हैं, उनके

(श्री मीठालाल)

अन्तर्गत सहायता कर दी जायेगी जिससे कि वह लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। यह सरकार ने निर्णय कर लिया है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी नहीं।

श्री मीठालाल : पूरा पता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रार्थना-पत्र से आते हैं, उन पर निर्णय कर लिया जायगा।

श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या मंत्री महोदय बतायेंगे, आपके पास बहुत से ऐसे प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। उनको इसीलिए पैसा नहीं दिया गया है क्योंकि आपने स्वीकृति नहीं भेजी है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसी कोई बात नहीं है। जिन प्रार्थना-पत्रों में कमियां होती हैं, उन्हीं पर स्वीकृति नहीं दी जाती है। कम्प्लीट होते हैं, उन पर स्वीकृति दी जाती है।

श्री मीठालाल : जिनके प्रार्थना-पत्र अपूर्ण हैं, क्या उन प्रार्थियों को नोटिस देते हैं कि उनके प्रार्थना-पत्र अधूरे हैं? दूसरे क्या विधवाओं के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं आपके विचारों से सहमत हूं। विचार किया जा सकता है।

श्री माणक चन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंट्री के लिए निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि ट्रेजरी में जो लोग हैं वह और काम भी करते हैं। इसलिए इस प्रकार के मामले पड़े रहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आपके विभाग की ओर से कुछ क्लेरिकल स्टाफ वहां रख दिया जाये तो मेरा ख्याल है, इसमें काफी सुविधा हो जायेगी

श्री ओंकारलाल चौहान : आपका सुझाव उत्तम है ?

श्री केशरीमल : अजमेर जिले के ऐसे बहुत प्रार्थना-पत्र पड़े हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या उनके मरने के बाद निर्णय लिया जायेगा ? अगर प्रार्थना-पत्र में कमियां हैं तो क्यों नहीं उनको सूचना दी जाती है ? क्यों रोक रखे हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य बता दें कि कौन कौन से पड़े हैं। अगर वास्तव में पड़े हैं तो उनको मंगा कर जल्दी ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जायेगा।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : प्रार्थना-पत्र बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। प्रार्थना-पत्रों के लिए समय निर्धारित कर लेना चाहिए।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा तक तो देखा गया है कि जब तक आपके आदेश गये है, तब तक आदमी मर चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप यह महसूस नहीं करते है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रोशनलाल शर्मा : प्रार्थना-पत्र के बारे में निश्चित कर लें।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता का कारण समझ रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदस्यों की उत्तेजना से क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि पेंशन देने का तरीका बहुत लम्बा है? उसमें कोई सुधार करके, इस प्रकार का प्रोसेस करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी हो जाय और ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि प्रार्थना-पत्र देने वाले मरने चले जायं।

श्री मीठालाल : पिछले प्रार्थना-पत्र पड़े हैं। यह लोग समझते हैं कि हमारा पास होता रहेगा। अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उनको नोटिस देना चाहिए कि उनके प्रार्थना-पत्र अधूरे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि प्रोसीजर लम्बा है। इसी कारण देरी होती है। नियमों में सरलीकरण कर दिया जायेगा। फिर इस प्रकार की आपत्तियां नहीं आयेगीं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : नियमों में सरलीकरण होना चाहिए।

यू० आइ० टी० की गाड़ी से एक्सीडेन्ट

531. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री टी. एन. चतुर्वेदी की कार का कोई एक्सीडेन्ट यू. आइ. टी. की गाड़ी से हुआ ?

(2) क्या श्री टी. एन. चतुर्वेदी उस समय स्वयं कार चला रहे थे ?

(3) क्या यू. आइ. टी. की गाड़ी जिससे एक्सीडेन्ट हुआ वह राजस्थान सरकार की गाड़ी थी ?

(4) क्या श्री टी. एन. चतुर्वेदी ने एक्सीडेन्ट के हुई मानसिक पीड़ा का राज्य सरकार से 11,000 रुपये लिया ?

(5) क्या यह आदेश किसी न्यायालय का न होकर सम्बन्धित विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं। श्री टी. एन. चतुर्वेदी की कार का एक्सीडेन्ट नगर नियोजन विभाग की जीप से हुआ था।

(2) जी हां।

(3) वह जीप नगर नियोजन विभाग की थी एवं सरकारी गाड़ी थी।

(4) श्री टी. एन. चतुर्वेदी को 12000 रुपये का उनको व उनके परिवार के सदस्यों को लगे आघात और चोटों के कारण क्षति-पूर्ति के रूप में भुगतान किया गया था।

(5) वह आदेश नगर नियोजन विभाग का प्रशासनिक आदेश था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या यह सही है कि 5-11-64 को एक्सीडेन्ट हुआ और 1967 में आपने पेमेंट किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या इस तरह से किसी और आदमी को भी कभी दिया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से प्रश्न है कि और किस-किस को कब-कब क्या-क्या दिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या आपके पास लीगल एडवाइस यह थी कि टार्ट्युअस एक्सीडेन्ट के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है ? सूट टाइम बार्ड हुआ, उसके बाद भी आपने पेमेंट किया, यह क्यों किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : तत्कालीन विधि सचिव की राय थी कि इनको 12000 रुपये दे दिये जायें, और अगर इससे ज्यादा के लिए क्लेम करें तो हम सूट फाइल कर सकते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लिमिटेशन बार्ड था या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : लिमिटेशन से बार्ड था तो पेमेंट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि किसी सरकारी अधिकारी को क्षति पहुंची है और उसके समस्त परिवार वालों को चोटें आई हैं तो उनको राहत देने के लिए यदि यह दिया जाये तो उचित होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सुप्रीम कोर्ट का 1965 का डिसीजन है कि टार्ट्युअस एक्सीडेन्ट के लिये सरकार की लायबिलिटी नहीं है। टाइम-बार्ड को तो आपने कृपा करके टाल दिया, लेकिन टार्ट्युअस एक्ट के अन्दर भी लायबिल नहीं है सरकार। आपको जो नोटिस दिया गया था वह श्री चतुर्वेदी ने ही दिया था या उसकी पत्नी और बच्चों ने भी दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : टी. एन. चतुर्वेदी की तरफ से नोटिस था या उसके परिवार वालों की तरफ से था यह सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर सभी को दिया था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : टार्ट्युअस एक्ट के अन्दर गवर्नमेंट लायबिल नहीं है, इसका क्या जवाब है आपके पास ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मंत्री-मंडल ने तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करके यह उपयुक्त समझा कि दिया जाये, इसलिए दिया गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जन लेखा समिति ने बार-बार चिट्ठी लिखी है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : लीगल एडवाइस पर पुनः विचार किया गया और मंत्री-मंडल की यही राय रही कि देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या यह सही है कि जन लेखा समिति ने यह पैसा वापिस वसूल करने की सिफारिश की है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जन लेखा समिति की वापिस लेने की जो सिफारिश थी उसको मंत्री-मंडल ने अस्वीकार कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री शंकरलाल (पाली) : यह 12 हजार किस आधार पर आंके गये ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या श्री चतुर्वेदी ने अपनी चोटों का इलाज करवाया था ? यदि हां, तो कहां पर ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : चोटें जरूर आई थीं और उनके तमाम परिवार को चोटें आई थीं, फ्रेक्चर भी हुए थे और इलाज भी कराया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या यह सही है कि इलाज पर जो खर्च हुआ उसका रीइम्बर्समेंट करवाया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : रीइम्बर्समेंट की मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इन 12 हजार में इलाज के पैसे शामिल नहीं हैं। उनके गाड़ी के एक्सीडेन्ट के पैसे इन्शोरेन्स कम्पनी ने दिये, और उसके उपरान्त भी आपने 12 हजार रुपये दिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पार्टी ने तो 32 हजार का क्लेम किया था। तो इलाज और मोटर का पैसा इन 12 हजार में नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो केवल उनको जो मेन्टल टेन्शन हुआ उसके 12 हजार हैं। बाकी तो उन्होंने अलग ले लिया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कहीं पर आदमी मर जाये उसको तो आप 100 रुपये देकर सन्तोष कर लेते हैं और यहां केवल मेन्टल टेन्शन के 12 हजार दिये, यह क्या न्याय है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

गंगानगर जिले के वाटर वर्क्स

532. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में कुल कितने वाटर वर्क्स हैं तथा ये कहां-कहां कितनी कितनी आबादी के पीछे हैं ? कृपया नगर और गांववार मय आबादी दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विजयनगर, पीली बंगा, पदमपुर, जैतसर आदि बड़ी-बड़ी मंडियों में कोई वाटर वर्क्स नहीं है जबकि इनसे कहीं कम आबादी वाले गांव और नगरों में वाटर वर्क्स है ? यदि हां, तो इस पक्षपात का क्या कारण है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) गंगानगर जिले में कुल 11 वाटर वर्क्स हैं। नगर और गांववार मय आबादी के सूची मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, केवल पीलीबंगा व पदमपुर योजनाएं निर्माणाधीन हैं, विजयनगर की योजना बनाई जा रही है। जैतसर की योजना बनाई जा चुकी है। योजनाएं बनाने में कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। योजनाएं आवश्यकतानुसार मांग को देखते हुए बनाई जाती हैं।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो योजनाएं बनाई जा चुकी हैं जैसे पदमपुरा और पीली बंगा, क्या वहां पर कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : पीलीबंगा और पदमपुरा निर्माणाधीन हैं, काम आरम्भ हो गया है और विजयगर की बनाई जा रही

(श्री चन्दनमल बैद)

है। जैतसर की बनाई जा चुकी है लेकिन वह मन्जूर इसलिये नहीं हो रही है क्योंकि विजयनगर और जैतसर की तरफ से पब्लिक कान्ट्रीब्युशन नहीं आया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो योजनाएं निर्माणाधीन हैं, वह कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अगले वर्ष के अन्त तक।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

अन्य प्रान्तों में अकाल राहत कार्यों का अध्ययन

533. श्री मोहनराज (बाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में चल रहे अकाल राहत कार्यों का अध्ययन करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल वहां भेजा था ? यदि हां, तो कौन अधिकारी कब भेजे गये थे ?

(2) क्या इस दल ने अध्ययन के पश्चात अपना कोई प्रतिवेदन सरकार को दिया है ?

(3) उक्त प्रतिवेदन अथवा अध्ययन के आधार पर दिये गये सुझावों को मान्यता देकर क्या राज्य सरकार ने उन पर अमल करना शुरू किया है ? कृपया बतायें कि वे क्या सुझाव हैं ?

अकाल सहायता मंत्री : (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, तीन अधिकारियों को वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु भेजा गया था। इनके नाम निम्न हैं :

1. श्री जगन नाथ सिंह मेहता, सहायता आयुक्त।

2. श्री दुर्गाप्रसाद जैन, मुख्य अभियन्ता (पथ)।

3. श्री मनोहरलाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

(2) इन अधिकारियों ने वस्तुस्थिति की जानकारी राज्य सरकार को दी है।

(3) जो कुछ उन्होंने देखा, उसके आधार पर इन अधिकारियों ने एक नोट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था।

श्री मोहन राज : वह कौन कौन से प्रांतों में गये थे ?

श्री परसराम मदेरणा : महाराष्ट्र और गुजरात।

श्री मोहन राज : दो ही जगह ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री रोशनलाल शर्मा : राज्य सरकार ने जो यह दो अधिकारी भेजे, उनकी रिपोर्ट से राज्य के फैमिन कार्य पर क्या अन्तर पड़ा ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र भेजने का कारण यह था कि 16 या 17 दिसम्बर को मेरी मुलाकात भारत सरकार के राज्य

(श्री परसराम मदेरणा)

कृषि मंत्री श्री शिन्दे से हुई थी और 16 दिसम्बर को योजना मंत्री श्री धर साहब से हुई थी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अन्दर बहुत बड़ी सख्या में लेबर को ट्रांस्पोर्ट करके बड़े कामों में लगाया गया है, इस तरह की योजना आप राजस्थान के लिये भी बनायें। दूसरा राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न भी विचाराधीन था कि जो इनकम्प्लीट काम पिछले अकालों में रह गये है या जो नये काम हाथ में लिये जा रहे हैं जो मेटीरियल कम्पोनेन्ट से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में 20 लाख आदमी काम कर रहे हैं वहां मेटीरियल काम्पोनेन्ट कैसे उपलब्ध किया है, यह भी जानकारी लेनी चाहिये। उनको इसलिये भी भेजा गया था कि वहां के काम इ. एस. आर. के साथ रिलेटेड हैं और पेमेंट आफ वेजेज का रेट क्या है। इन सब के ऊपर नोट दिया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केबिनेट में निर्णय ले लिये हैं और वह राजस्थान में लागू हैं।

श्री मोहनराज : महाराष्ट्र में, गुजरात में मिनिमम वेजेज, जो फेमिन में काम करते हैं, क्या हैं ? अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर क्या हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : महाराष्ट्र के अन्दर जो वेजेज मिल रही हैं, फेमिन के वेजेज के सम्बन्ध में वहां मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है, डिगर को ढाई रुपया मिल रहे हैं और केरिअर और चाइल्ड को दो रुपये मिल रहे हैं।

श्री मोहनराज : गुजरात में क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : गुजरात में बी. एस. आर. के साथ टास्क रिलेट कर दी है, टास्क का 25 पर्सेन्ट कम कर दिया है। महाराष्ट्र के अन्दर बी. एस. आर. में कटौती की है 10 पर्सेन्ट लेकिन टास्क में एक पर्सेन्ट भी कमी नहीं की है। राजस्थान ने बी. एस. आर. के साथ टास्क को रिलेट करके 10 पर्सेन्ट कमी की थी और जनवरी के दूसरे सप्ताह में लोगों को प्राबलम ज्यादा होने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि टास्क में कटौती 30 पर्सेन्ट रखी जानी चाहिए जबकि महाराष्ट्र में एक पर्सेन्ट भी नहीं है।

श्री केसरी मल : क्या शिन्दे साहब ने यह नहीं कहा था कि सड़कों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके बजाय ऐसे कार्य कराये जायं जिससे आमद बढ़े ?

श्री परसराम मदेरणा : शिन्दे साहब के राज्य, महाराष्ट्र, के अन्दर पिछले एक साल के अन्दर 32 हजार किलोमीटर सड़क ली गई जो इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, यह देखने के लिये राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को वहां भेजा।

प्रश्न संख्या 534

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

(अनुपस्थिति : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 535

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता !

अलवर शहर में शू मार्केट बनाने की योजना।

536. **श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर के चर्मकारों की दरख्वास्त पर अलवर नगर सुधार न्यास ने दिनांक 30-12-60 को लाल दरवाजा बाहर शू मार्केट बनाने की योजना स्वीकार की और 37 दुकानों के लिये 66 रुपया फी गज के हिसाब से जमीन देने का निर्णय लिया गया ? नगर सुधार न्यास के प्रस्ताव की नकल और 37 चर्मकारों के प्रार्थना-पत्रों की प्रतियों को भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस मार्केट के निर्माण में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है और इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है।

(3) उक्त शू मार्केट के निर्माण के लिये कब तक प्रार्थियों को जमीन दी जा सकेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) यह योजना 30-11-66 की मीटिंग में प्रस्तावित हुई थी, न कि 30-12-60 को। प्रार्थना-पत्र एवं नगर विकास न्यास के प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस स्थान पर एक बुर्ज जो कि हटाई जानी है, उस पर श्री हनुमानजी की प्रतिमा को अन्यत्र स्थापित करने के प्रश्न पर स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट करने एवं योजनाओं के एक भू-भाग के लिए श्री रामलाल गावा द्वारा अदालत में वाद प्रस्तुत कर देने के कारण विलम्ब हो रहा है। प्रतिमा को अन्यत्र स्थापित करने का मामला आपसी बातचीत द्वारा निपटाये जाने के प्रयत्न जारी हैं। विवाद-रहित भू-भाग को समतल करने की कार्यवाही चालू है।

(3) ऊपर कथित विवादों का निपटारा हो जाने व स्कीम के स्वीकृत हो जाने के पश्चात ही प्रार्थियों को भूमि का आबंटन करना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह स्कीम अब भी मंजूर नहीं हुई क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां। नहीं हुई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कब यह स्कीम मंजूर होगी, सात साल तो हो गये ?

श्री परसराम मदेरणा : मंजूरी टाउन प्लानिंग की होगी। यू. आइ. टी. उसके लिए प्रस्ताव भेजेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यू. आइ टी. ने तो प्रस्ताव कर दिया है और टाउन प्लानिंग को भेज दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : स्कीम बनाकर नहीं भेजी है। अपने लेवल पर विचार किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या सरकार हिदायत करेगी कि स्कीम बनाकर काम करने के लिए भेज दी जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार वह कर रही है। आप जानते हैं, बुर्ज की दीवार तोड़ी जाने को दी, वह काम हाथ में लिया गया, सत्तर पर्सेन्ट को समतल कर दिया है। इस बुर्ज पर बजरंग बली विराजमान हैं। उनकी जमीन पर लाना है। इसलिए यह धार्मिक मामला बन गया है। सनातन धर्मियों का मामला बन गया है। कलेक्टर ने सभी लोगों, जो धर्म में आस्था रखते हैं और चर्मकारों को बसाने के सोशल आब्जेक्टिव में रुचि रखते हैं, की 23 मार्च को मीटिंग बुलाई है, उसमें इसका निपटारा हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर ने आपको यह लिखा है, जबकि यह मामला चलते गत सात साल हो गये हैं और सात साल के अन्दर यह हनुमानजी वाले मन्दिर वाली बात है, यह तय हो गई है। वह हरिजनों के वहां रहेंगे। हरिजनों ने कहा है कि हम मन्दिर का पुनर्निर्माण करने को तैयार हैं अपनी कोस्ट पर। वहां की जमीन समतल हो गई है, उसके बावजूद टाउन प्लानिंग की स्कीम नहीं भेजी गई है। जबकि यू. आइ. टी. ने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि यह भेज दी जाय। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए यह यू. आइ. टी. टालमटोल नहीं करे।

एक माननीय सदस्य : बजरंग बली का ट्रान्सफर क्यों नहीं कर दिया जाय।

श्री केदारनाथ : यह केस भीखा भाई को भेज दें।

श्री परसराम मदेरणा : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य को पता है तब फिर क्या इन्फार्मेशन लेना चाहते हैं और सदन का समय फालतू क्यों खराब करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने सवाल इसलिए किया कि आप जल्दी इस काम को करा दें लेकिन आप टालमटोल कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : टालमटोल नहीं कर रहा हूं। राज्य सरकार को यू. आइ. टी. ने सूचना दी है.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूचना दी है, वह.....

श्री परसराम मदेरणा : आपके कहने से नहीं बोलूंगा। आप सुन नहीं रहे हैं। हर शब्द के बाद में आप बोलते हैं...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बोलता हूं। आप भाषण देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी भाषण देने की आदत है तो मैं आपके कहने से अपनी आदत छोड़ने को तैयार नहीं हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा अधिकार है

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य एक समय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था, आप सुनें। अभी तक 70 पर्सेंट जमीन को समतल किया गया है, 30 पर्सेन्ट जमीन को समतल नहीं किया गया है। एक मामला कोर्ट में है उसमें स्टे आॅर्डर मिल गया है। जो इस स्कीम में जमीन है, उसकी दीवार पर हनुमानजी विराजे हुए हैं हनुमानजी वहीं रहेंगे, यह आप कह रहे हैं, तो अब हनुमानजी

Page No 15

(15)

(श्री परसराम मोरदया)

बुर्ज के ऊपर विराजमान हैं, नीचे वाली जमीन समतल कर दी है, ऊपर रहने के अन्दर या तो प्रतिमा गिरेगी नहीं या फिर प्रतिष्ठा के साथ में दूसरी जगह उनको बसा दिया जाय। इसमें अर्ज किया, कलेक्टर ने मीटिंग रखी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जल्दी यह होना चाहिये तो मैं यू. आइ. टी. को आदेश दे रहा हूं कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको हनुमानजी की पूंछ को फटकार कर डराना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री केसरी मल।

फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश

537. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में करीब 3000 पावर लूम लगे हुए हैं जिनकी सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों से 12-12 घंटे लगातार काम लिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में अजमेर जिला बुनकर कर्मचारी यूनियन ने श्रम विभाग से शिकायत की है ? यदि हां, तो श्रम विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) किशनगढ़ में करीब 1900 पावरलूम लगे हुए हैं तथा लगभग 400 कारखाने हैं, इनमें से फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत आने वाले कारखाने केवल 15 हैं।

श्री केसरीमल : माननीय मंत्री, सुनने में नहीं आया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दोनों ही धीरे बोलते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : फिर सुन लीजिये।

(1) किशनगढ़ में करीब 1900 पावर लूम लगे हुए हैं तथा लगभग 400 कारखानें है, इनमें से फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत आने वाले कारखाने केवल 15 हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां जो कारखाने फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता।

(4) जी हां, अजमेर जिला बुनकर कर्मचारी यूनियन की शिकायत के सम्बन्ध में श्रम विभाग तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है, जिस पर राज्य सरकार ने पावरलूम उद्योग को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शिड्यूल में शामिल करने का निर्णय ले लिया है।

श्री केसरीमल : मंत्री महोदय, आपने स्वीकार किया है, बारह बारह घण्टे काम कर रहे हैं, यह भी स्वीकार किया है कि साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा है, आपने यह भी कहा कि फेक्ट्रीज एक्ट लागू नहीं होता है, तो फिर शॉप एण्ड कॉमशियल एक्ट इस पर लागू क्यों नहीं हो सकता जिससे उन्हें अवकाश मिल सके ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया, जो कारखाने वहां लगे हैं उनमें दस से कम मजदूरों की संख्या आती है, दस से कम आती है इसलिए फेक्ट्रीज एक्ट लागू नहीं होता। यदि फेक्ट्रीज एक्ट लागू नहीं होता तो कार्यवाही नहीं की जा सकती। पॉवरलूम फेक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत नहीं लिये हैं, इसलिए मिनिमम वेजेज एक्ट के शेड्यूल के अन्तर्गत लिये गये हैं। ज्योंही कार्यवाही होगी 9 मार्च, 73 को यह प्रकाशित की जा चुकी है कि यह मिनिमम वेजेज एक्ट के शेड्यूल में लिया गया है, इससे मजदूरों को ठीक राशि मिल सकेगी।

श्री केसरीमल : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने निवेदन किया, इन कारखानों पर फेक्ट्रीज एक्ट लागू नहीं होता है तो शॉप एण्ड कामशियल एक्ट के मातहत इन्हें क्या अवकाश नहीं दिलाया जा सकता है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह केवल फेक्ट्रीज एक्ट में आती है, शॉप कामशियल एक्ट नहीं आवेगी क्योंकि इन कारखानों का ताल्लुक है इन पर फेक्ट्री एक्ट लागू होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र।

श्री केसरीमल : गत वर्ष भी यही जवाब दिया था, फिर भी कार्यवाही नहीं की। उन्हें अवकाश नहीं मिलता है तो श्रम विभाग क्या काम कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

क्षेत्रीय ग्रामीण जल-प्रदाय योजना

538. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (श्री वृद्धि चन्द्र की ओर से) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा नीबला नलकूप से सोनड़ी, बैसाला, सुरा, कनोड़ा, करावा, नान्द, दूधावेरी, सीखरा, बसरा एवं जायड़ कत क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजना तैयार कर ली है ? यदि हां, तो उक्त योजना की एक प्रति प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना की स्वीकृति अब तक न होने के क्या कारण हैं और उक्त योजना की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी।

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) जी हां, योजना वृहत् होने के कारण योजना की प्रति सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं।

(2) योजना की तकनीकी जांच की जा रही है तथा धन की उपलब्धि पर योजना की स्वीकृति की जा सकेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें कितना समय लगेगा।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह योजना 24 लाख, 69 हजार रुपये की है। इसमें 12 गांव है। अध्यक्ष महोदय, इसके

(श्री चन्दमल बैद)

सालाना योजना 128 लाख और कुछ रुपये की है जिसमें 11 जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। अब इस साल में इसको स्वीकृत होने की सम्भावना नहीं है अगले साल धनराशि हुई और योजना की महत्ता हुई तो, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सहाय

बैराठ का पुलिस स्टेशन

539. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बैराठ, जिला जयपुर में लाखों रुपयों की लागत का बना हुआ पुलिस स्टेशन का मकान है, और जयपुर राज्य के समय से यह थाना कायम था और बैराठ तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय है? यदि हां तो बैराठ से पुलिस स्टेशन समाप्त किस कारण से किया गया?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बैराठ में पुलिस स्टेशन कायम रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। वर्ष 1962 में प्रशासनिक जांच उप समिति की सिफारिश पर निर्णयोपरान्त बैराठ पुलिस थाने को चौकी में परिवर्तित किया गया है।

(2) राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक समिति गठित की है वह ऐसे सभी मामलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिस पर राज्य सरकार विचार कर उचित निर्णय लेगी।

श्री हनुमान सहाय : यह समिति कब तक रिपोर्ट दे देगी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी मुझे निश्चित जानकारी नहीं है कि कब तक रिपोर्ट दे देगी।

श्री हनुमान सहाय : क्या यह सही है कि पहले वहां पर थाना था और अब वहां के लोगों की जरूरत को देखते हुए जो रिपोर्ट दी जायेगी उसमें बैराठ में थाना होने की व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि पहले वह समिति किसी जगह पर थाना कायम करने के वहां की ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स को ध्यान में रखेगी। इसके साथ साथ में पापुलेशन व और दूसरे मुद्दों को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा।

श्री हनुमान सहाय : इसका फैसला कब तक हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : जल्दी हो जायेगा। नेक्स्ट श्री रामप्रसाद बोहरा।

हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन, झालावाड़

540. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—क्या यह सही है कि ब्लाक हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन, झालावाड़ का कार्य पूरा नहीं हुआ? यदि हां तो इस कार्य के लिये कितनी राशि स्-

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

की गयी थी और उसमें से कितना खर्चा हुआ है और अब उक्त ब्लाक का कार्य कब तक पूरा होगा ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह): यह सही है कि इस कार्य के लिये 1,12,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिनमें से 8 कमरों, एक लेट्रिन एवं एक लेबोरेट्री का निर्माण हुआ है। इस भवन को पूरा करने के लिये 4 लाख रुपये की और आवश्यकता बतलाई जाती है। निर्माण कार्य धन उपलब्ध होने पर पूरा किया जा सकेगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह भवन कितने साल से अधूरा पड़ा है और कब तक इसके पूरा होने की उम्मीद है क्योंकि उस भवन के पूरा नहीं होने के कारण बच्चों को तकलीफ होती है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, 8 कमरे बन चुके हैं और वहां केवल 11 वीं क्लास चल रही है उसके लिये यह 8 कमरे उपयुक्त हैं। जहां तक मकान पूरा बनने का सवाल है, धनराशि राज्य सरकार से उपलब्ध होने से बनेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

जोधपुर से ट्रेक्टर फैक्ट्री

541. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में राज्य सरकार द्वारा ट्रेक्टर फैक्टरी लगाने का निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ? जितनी भूमि उपरोक्त फैक्टरी के निर्माण के लिए वहां सुरक्षित रखी गई है ?

(2) अब तक कितनी धनराशि इस समय में किसके द्वारा किस कार्य के लिये व्यय की गई तथा प्रस्तावित फैक्टरी का क्या भविष्य होगा ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, जोधपुर नगर में ट्रेक्टर फैक्टरी लगाने हेतु 70 एकड़ भूमि पिछले लगभग दो वर्ष, 4 माह से सुरक्षित रखी गई है।

(2) अब तक इस कार्य पर कुल 4888-13 रुपये की धनराशि व्यय की गई है। वह मुख्यतया प्रोजेक्ट अधिकारी, जोधपुर द्वारा उनके कार्यालय के लिए व्यय की गई थी। प्रस्तावित ट्रेक्टर फैक्टरी सम्बन्धित मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री अमृतलाल गहलोत : क्या विचाराधीन है ?

श्री परसराम मदेरणा : मामला।

श्री अमृतलाल गहलोत : कब तक मामला विचाराधीन रहेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जब तक फैसला नहीं हो जाता।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि जोधपुर में ट्रेक्टर फैक्टरी लगने वाली है

(श्री अमृतलाल गहलोत)

और कुछ माह पहले मेरी मुख्य मंत्रीजी से खुद से व्यक्तिगत रूप से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो० टी० 14 रशियन ट्रैक्टर की फैक्टरी लग रही है, वह कब लग रही है?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, 14 जो० टी० रशियन ट्रैक्टर की फैक्टरी के बारे में मामला विचाराधीन है। यह छोटा ट्रैक्टर होगा और फॉरेन कोलोबरेशन के साथ होगा। इसके अलावा एग्रीइन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की एक आस्ट्रियन फर्म के साथ कोलोबरेशन से 18 हार्सपावर के ट्रैक्टर का निर्माण करने की भी बात चल रही है। इसमें से जो भी राज्य सरकार के हित में होगा उसके साथ कोलोबरेशन में ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाई जायगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह कब तक लग जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह मामला विचाराधीन है, ज्योंही फैसला होगा काम होगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए जमीन ले ली गई और वहां पर कार्यालय भी स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा श्री भंडारी वहां पर इसके ऑफिसर बन कर आये। वो कौन थे, क्या थे, कहां गये अब?

श्री परसराम मदेरणा : वे कारपोरेशन के अधिकारी थे, वापिस चले गये।

श्री अमृतलाल गहलोत : उस कार्यालय का क्या होगा?

श्री परसराम मदेरणा : कार्यालय बन्द कर दिया गया। उसका कोलोबरेशन जिसके साथ होना था वह तय नहीं हुआ इसलिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज करीब 8-10 साल से लगातार सुन रहा हूं कि जोधपुर में पहले तो स्कूटर फैक्ट्री लग रही थी वह तो अब लगना बन्द हो गई, और बाद में मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी घोषणा की कि जोधपुर में ट्रैक्टर फैक्ट्री लग रही है तो आखिर कौनसी फैक्ट्री लगेगी और कब तक लगेगी यह तो तय होना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके यहां बुलडोजर की फैक्ट्री लगा दी जाय।

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के बोलने से शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह ट्रैक्टर फैक्ट्री कब तक स्थापित हो सकेगी? यह मामला विचाराधीन कब तक रहेगा? जब आपने जमीन लेली, स्टाफ वहां पर लगा दिया, कार्यालय खोल दिया गया, अधिकारी वहां पर काम करने के लिए आ गये और अभी तक ट्रैक्टर फैक्टरी शुरू नहीं हुई है और राज्य सरकार से अभी तक यही जवाब आ रहा है कि ट्रैक्टर फैक्टरी का प्रश्न अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि आखिर यह कब तक स्थापित हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो मेरे पीछे बैठे हैं, और

(20)

(श्री परसराम मदेरणा)

जो माननीय सदस्य मेरे सामने बैठे हैं इन्होंने प्रश्न नहीं पूछ कर भाषण देने शुरू कर दिये हैं, इसलिये मुझे भी भाषण देना पड़ेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप भाषण नहीं दें तो ठीक रहेगा ताकि हमारे प्रश्न के उत्तर मिल जायं, हुजूर।

(तीन चार माननीय सदस्यों द्वारा बोलने पर अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यहां तो मल्ल युद्ध हो जावेगा। यहां तो गदा से गदा आपस में भिड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सन् 1969 में एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने ट्रैक्टर कारखाने के लिए फ्रान्स की फर्म से बात की और उसमें 40 लाख रुपये लगाकर ट्रैक्टर कारखाने के निर्माण की बात हुई लेकिन उसकी कुछ शर्तें ऐसी थीं कि वह बात ड्रोप कर दी गई। इसके बाद में वेस्ट जर्मनी की एक फर्म से बात हुई उसके लिए टेक्निकल एग्रीमेंट, सेन्ट्रल लेबोरेट्री सविसेज से भी बात की, उसमें यह बात की गई कि जोधपुर में जो ट्रैक्टर का कारखाना खोला जावे वह 50 हॉर्सपावर ट्रैक्टर का खोला जावे या 30 हॉर्स पावर का खोला जावे। इसमें राज्य सरकार ने देखा कि जो सस्ता और अच्छा हो उसको प्रिफरेन्स दिया जाय। इसके अन्दर हमने यह देखना चाहा कि जो ट्रैक्टर हो उसमें प्रिफरेन्स जो दिया जाय वह वाटर कूल्ड ट्रैक्टर को दिया जाय या एयर कूल्ड ट्रैक्टर को दिया जाय। वैसे यहां पर फोर्ड, युनिवर्सल और एस्कोर्ट के ट्रैक्टर्स की मांग है। वैसे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य अगर यह जानते हैं कि उस ट्रैक्टर कारखाने के खुलने से वहां पर लोगों को कोई विशेष काम मिल जायेगा वह बात नहीं है। वह तो यहां पर लाकर पार्ट्स जो बाहर से आयेंगे उसको एसेम्बल किया जायेगा। वैसे राज्य सरकार ने किर्लोसकर जो फर्म है उससे भी बातचीत की। लेकिन अब राज्य सरकार ने यह तय किया कि राजस्थान में छोटे ट्रैक्टर जो कि 18 या 14 हॉर्स पावर के हैं चाहे रशियन या आस्ट्रियन हों उसमें से जो भी अच्छा होगा उसके बारे में राज्य सरकार निर्णय लेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रश्न यह है कि आपने जो अभी एशियन फेअर में राजस्थान के पेवेलियन में एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर केस में रखा है, उसमें आपने यह बताया कि जोधपुर में यह कारखाना खुल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने अपने विज्ञापन के लिये रखा है। उनके साइन बोर्ड पर मैंने तो ध्यान रखा नहीं है। वैसे कोई अगर चाहें तो अपना 14 हार्स पावर्स वाले का भी विज्ञापन बड़ा दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लूणाराम

राजस्थान स्टेट लाटरी के विज्ञापन

542. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह सही है कि साप्ताहिक र

(श्री लूणाराम)

अन्य अखबारों को राजस्थान स्टेट लाटरी का विज्ञापन दिया जाता है ? यदि हां, तो विज्ञापन देने का क्या आधार है ?

(2) स्टेट लाटरी द्वारा विभिन्न जिलों के कितने साप्ताहिक अखबार वालों को विज्ञापन दिया गया है ?

(3) जिन अखबार वालों को स्टेट लाटरी का विज्ञापन दिया गया है उनके सम्पादक व मालिक का नाम जिलेवार बताने का कष्ट करें।

(4) विभिन्न जिलों के जिन साप्ताहिक अखबार वालों को विज्ञापन नहीं दिया जाता है उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) :(1) जी हां, साप्ताहिक तथा अन्य अखबारों को राजस्थान स्टेट लाटरी का विज्ञापन व्यापक प्रचारार्थ दिया जाता है, अतएव अखबार की सरक्यूलेशन संख्या तथा स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर ही विज्ञापन दिए जाते हैं। जो इस आधार से नियमित तौर पर विज्ञापन नहीं पाते हैं उन्हें 26 जनवरी तथा 15 अगस्त के अखबारों पर जो समाचार पर विज्ञापन की मांग करते हैं उन्हें विज्ञापन जारी किया जाता है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) प्रश्न एक के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

इसके साथ साथ मैं, यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि विज्ञापन लाटरी विभाग के द्वारा दिया जाता है और करीब हर साल 6.50 लाख रुपये विज्ञापनों के लिए वितरण किए जाते हैं। और इसके अलावा 80 हजार रुपया साप्ताहिक अखबारों के लिए है जिसमें 70 हजार रुपये तो जो प्रदेश के बाहर के दैनिक पत्र हैं उनको दिया जाता है, और दो तीन हजार रुपये यहां के दैनिक पत्रों को दिये जाते हैं और दस हजार रुपये जैसा कि मैंने आपको सूची में दिया है करीब 101 साप्ताहिक पत्र हैं उनमें बांटा जाता है और जो कि एप्रूव्ड हैं और कुछ अनएप्रूव्ड जो साप्ताहिक पत्र है उनको बांटा जाता है। अनएप्रूव्ड को वह जो साप्ताहिक कई सोविनर्स निकलती हैं उनको भी चार से लेकर पांच हजार के बीच में 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिया जाता है। अभी अनएप्रूव्ड की सूची मेरे पास है नहीं। बाकी सूची मैंने दे दी है। अगर माननीय सदस्य अनएप्रूव्ड साप्ताहिक और सोविनियर की सूची भी चाहते हैं तो मैं उनको सप्लाई कर सकता हूं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लूणाराम : मैंने एप्रूव्ड और अनएप्रूव्ड के लिए नहीं लिया है। मैंने साप्ताहिक और दैनिक अखबारों के लिए लिखा है। क्या यह सही है कि जिन साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन दिए थे वे सारे विज्ञापनों के लिए स्वीकृत हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर चुका हूं। लिस्ट दी है वे सारे के सारे एप्रूव्ड हैं। एक साल में 8-9 ड्रा होते हैं। एक ड्रा का करीब 10 हजार रुपया आता

(श्री चन्दनमल बैद)

है । 5 हजार इन एप्रूव्ड को दिया और 5 या 4½ हजार रुपया अनएप्रूव्ड को दिया है या सोविनियर को दिया गया है। आपने लिस्ट मांगी है। एप्रूव्ड अखबारों की लिस्ट सदन के सामने रखी । इसलिए मैंने कहा था कि अनएप्रूव्ड और सोविनियर की लिस्ट मैंने सदन मे नहीं रखी । यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री जगमोहन सिंह ।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न । इतना सा निवेदन है कि चुरू जिले में सिर्फ एक पाक्षिक अखबार के अलावा और किसी को विज्ञापन नहीं दिया गया जबकि दूसरी जगह दूसरे अखबारों को भी दिया जाता है। क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय चुरू जिले के होने के कारण यहां अधिक न दिये जायं और दूसरों को अधिक दिये जायं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-2-73)

कोटा जिले के अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता

182. **श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति के लोगों पर कोटा जिले में कितने मुकद्दमे दीवानी व फौजदारी एवं राजस्व के विचाराधीन हैं और अब तक इनमें से कितने व्यक्तियों को कानूनी सहायता दिलाई गई है ?

(2) कोटा जिले में सवर्ण जातियों द्वारा अनुसूचित जाति के कितने लोगों की खाते की जमीनों पर कब्जा कर रखा है ? अगर हां, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें अपनी जमीन वापिस दिलाये जाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? अगर हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकार लाल चौहान) (1) कोटा जिले के अनुसूचित जाति के लोगों पर जिलाधीश के नियन्त्रित (प्रशासनिक) न्यायालयों में 1455 फौजदारी व 697 राजस्व मुकद्दमे विचाराधीन हैं । ज्युडिशियल डिपार्टमेन्ट के अधीन न्यायालय में विचाराधीन मामलों की सूचना जिलाधीश कोटा को लिखने पर भी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ।

उपरोक्त विचाराधीन मुकद्दमों के लिये किसी को भी कानूनी सहायता नहीं दिलायी गयी है क्योंकि उसके लिये किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने कोई शिकायत पेश नहीं की है ।

श्री जगमोहन सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे केसेज पेन्डिग हैं, एक को भी कानूनी सहायता नहीं दी गयी है, कारण यह बताया गया कि प्रार्थना-पत्र नहीं दिये, क्या गांवों

(श्री जगमोहन सिंह)

में या जगह जगह पब्लिसिटी करायी है, पंचायतों के माध्यम से कानूनी सहायता देना क्या सरकार ने शुरू किया है और क्या कारण है कि किसी ने एप्लाई नहीं किया ? आगे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि इस हैड में दस हजार रुपये की राशि स्वीकृत है। माननीय सदस्य भी रुचि लें और उस क्षेत्र में प्रार्थना-पत्र भिजवायें जिससे समय पर कानूनी सहायता मिल सके।

प्रश्न संख्या 185

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-2-73)

पाली जिले में सरकारी सहायता से चल रहे उद्योग।

187 श्री मोहन राज (बाली) (श्री शंकर लाल (पाली) की अनुपस्थिति में) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली नगर और तहसील में ऐसे कितने और कौन कौन से उद्योग हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऋण, अनुदान अथवा अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाई गई है। सूची मय ब्यौरे के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार जोधपुर जिले की भांति पाली जिले को भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्धारित आधारों (Economic Indicators) के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भारत सरकार द्वारा ही घोषित किये गये हैं। इन इन्डिकेटर्स (Indicators) के अनुसार पाली औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला नहीं है, अतएव राज्य सरकार पाली को पिछड़ा जिला घोषित करने में असमर्थ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : केवल एक सप्लीमेन्टरी।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करती है लेकिन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन पिछड़े हुए जिले घोषित करने के लिये जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनका सर्वे कराने की दृष्टि से और पूरी जानकारी करने की दृष्टि से क्या राज्य सरकार पाली जिले का इस दृष्टि से सर्वे कराने के लिये तैयार है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके आंकड़े तैयार कराये गये हैं और इसलिये यह पिछड़े जिले में शुमार नहीं होता है।

Page No 24

(24)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या माननीय मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि आपने पिछड़े जिले घोषित किये हैं, उनमें रॉ मेटिरियल उपलब्ध है और जो उद्योग लगाने वाले हैं उनको इन्सेन्टिव्ज दे सकते हैं ? मैं माननीय मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि राजस्थान पूरे को ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कराने का इरादा है और इसके लिए वह भारत सरकार को लिखने जा रही हैं क्या ? पिछड़ा घोषित कर दिया लेकिन न पानी के साधन हैं, न नेशनल हाई वे हैं। धौलपुर के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि बेकवर्ड घोषित करना चाहिये। वहां पर सब चीजें उपलब्ध हैं। उद्योगों के लिए जो भी आवश्यकता है वह सब वहां पर मौजूद है। घोषित करने के बावजूद भी यदि उद्योग न लगे तो क्या भारत सरकार को लिखने के लिये तैयार हैं कि पूरे राजस्थान को ही पिछड़ा हुआ घोषित करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगीकरण किया जाना चाहिये भारत सरकार ने ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किये हैं। 16 जिले इसमें आते हैं। 6 जिले अर्ध औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जो विशेष तौर से पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं उनको सबसिडी दिये जाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जितने भी जिले हैं उनमें इण्डस्ट्रीज की व्यवस्था होनी चाहिये। उसके लिए पूर्ण प्रयत्नशील है। माननीय सदस्य और हम सब जानते हैं कि आर्थिक स्थिति जो राजस्थान की है उसको देखते हुए सब जगह औद्योगीकरण कर सकें यह सम्भव नही है। पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान का औद्योगीकरण हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भारत सरकार से आपको लिखा पढ़ी करनी चाहिये। बैकवर्ड घोषित करने के बाद भी इन्डस्ट्री सेट-अप नहीं हुई है।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : घोषित किया वहां भी कोई काम नहीं किया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : राजस्थान स्वयं एक पिछड़ा हुआ घोषित किया जा चुका है इसलिए लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : घोषित किये जा चुके हैं तो सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि सुविधायें उपलब्ध कराई है ....

श्रीमती कमला बेनीवाल : कुछ जिलों में उपलब्ध कराई है और कुछ में नहीं कराई गयी है।

श्री सांवरमल मोर : कब तक हो जायगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी संभव नहीं है।

श्री सांवरमल मोर : समय बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 188। मेरे पास इसकी अथोरिटी है।

श्री अध्यक्ष : मान लेते हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-2-73)

डेजर्ट एरिया का मास्टर प्लान

188. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) [श्री रावतराम (छापर) की अनुपस्थिति में] : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अकाल का अस्थायी हल करने के लिए सरकार ने डेजर्ट एरिया का मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है ? यदि हां, तो इसकी क्या रूपरेखा सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि मास्टर प्लान बनाने के लिए सरकार ने कोई कमेटी का गठन किया है ? यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं और उन्होंने अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की है ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि दस निरन्तर सूखाग्रस्त जिलों अर्थात् जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, जालौर, पाली, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के लिए सूखा निवारण योजनाएं बनाई जायंगी। इन योजनाओं का प्रथम प्रारूप जून 1973 तक तैयार हो जायेगा। कृषि विभाग के विशेष योजना प्रकोष्ठ ने जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार भी कर ली हैं। इन योजनाओं का प्रयास यह है कि सारे क्षेत्र के विकास की एक योजना बनाई जावे जिससे उस क्षेत्र के विकास की जितनी संभावनाएं हैं उनका उपयोग किया जा सके। इससे उस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी तथा उत्पादक आर्थिक कार्य भी बढ़ेंगे। रेगिस्तानी क्षेत्र काफी विस्तृत हैं एवं एक ही प्रकार का मास्टर प्लान सारे क्षेत्र के लिए नहीं बन सकता। इन योजनाओं को बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि भू-जल की उपलब्धि कितनी है, पशुधन के विकास की कितनी संभावनाएं हैं, चरागाहों का विकास किस रूप में किया जा सकता है तथा उस क्षेत्र में आर्थिक विकास की ओर क्या संभावनाएं हैं। पेयजल की समस्या का निराकरण करने की व्यवस्था भी इस योजना के तहत की जा रही है।

(2) सरकार निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रभावकारी रूप से हल निकालने के लिए दृढ़ संकल्प है। विभिन्न जिलों के लिए एक एक करके मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं। तीन जिलों के मास्टर प्लान बन चुके हैं। शेष के मास्टर प्लान के प्रथम प्रारूप भी जून मास तक बन जावेंगे। निरन्तर सूखाग्रस्त जिलों के विकास की सब योजनाओं का समन्वित प्रोग्राम बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ 3 (125) योजना 72 दिनांक 8 फरवरी, 1973 के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है जिसके 15 सदस्य निम्न प्रकार हैं:—

1.	सहायता आयुक्त	संयोजक
2.	विशिष्ट सचिव कृषि विशेष योजनाएं	सदस्य
3.	विशिष्ट सचिव सहायता	,,
4.	निदेशक उद्योग विभाग	,,
5.	मुख्य अभियन्ता जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग	,,
6.	जिलाधीश, जोधपुर	,,

(श्री परसराम मदेरणा)

7. जिलाधीश बाड़मेर सदस्य
8. निदेशक कृषि विभाग ,,
9. मुख्य वन संरक्षक ,,
10. मुख्य अभियन्ता भू-जल मण्डल ,,
11. निदेशक पशु पालन विभाग ,,
12. निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ,,
13. डेयरी टैक्नोलोजिस्ट विशेष योजना प्रकोष्ठ ,,
14. सचिव, राजस्थान खादी बोर्ड एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ,,
15. योजना विभाग के प्रतिनिधि ,,

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछता हूं। रेगिस्तान के एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये पावर का सर्वे हो चुका है और खासकर जैसलमेर बलूंदा और शेरगढ़ इससे जुड़ जावेंगे इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जो योजना बनाई गई है वह स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास भेजी है और अभी यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। अब वहां से स्वीकृति मिलने के बाद में उसका क्या आर्थिक पेटर्न होगा, बैंकों के जरिये या वर्ल्ड बैंक के जरिये लेकर पांचवी योजना में हम रकम रखने की बात सोच रहे हैं वह कितनी रकम मिलती है इस पर निर्भर है। जो योजना भेजी है उसमें इन इलाकों के इलेक्ट्रिफिकेशन की भी योजना शामिल है क्योंकि अगर यह नहीं पहुंची वहां तो दूसरी जो इकोनोमिकल एक्सप्लोइटेशन की बात उस एरिया के लिये हम सोच रहे हैं वह करने में हम असमर्थ होंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस योजना में जैसा मुझे मालूम हुआ है 2 करोड़ और 56 लाख का शार्ट फाल है। उसको आप कैसे पूरा करेंगे ?

दूसरी बात, जो ट्यूब वैल वहां बने हैं वे क्रूड आइल पर चलने वाले हैं जो आज सारे बेकार पड़े हैं। इनको आप काम लायक कैसे बनाने की सोच रहे हैं ? बिजली की लाइन ले जावेंगे या कैसे सबसीडाइज करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : 2 करोड़ 56 लाख का मामला अभी विचाराधीन है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लाइन का सर्वे हुआ है और यह स्कीम में शामिल है, इतना मुझे मालूम हुआ है। इसके बारे में आपके पास प्रावधान है या इसके लिये भी दिल्ली पर निर्भर करेंगे या क्या है ? यह ट्यूब वेल को कैसे चलावेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह कैसे सबसीडाइज्ड किया जावेगा इसके बारे में अगर आप यह सोचें कि जैसा हरियाणा आदि में है वैसी तेजी से हम कर सकेंगे तो यह तो सोचना ठीक नहीं है, हरियाणा जैसलमेर के एक जिले के बराबर है। अब वे जो अलग अलग ट्यूब वेल पड़े हैं इनको बिजली आने के बाद या पहले तक हम किस तरह से सबसीडाइज कर सकेंगे यह इस समय कहने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भिनाय की पेयजल व्यवस्था

534. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भिनाय की पेयजल व्यवस्था आजकल प्रायः ठप्प हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या हैन्ड पम्प योजना लागू करने से पेयजल की समस्या हल हो सकेगी ? क्या सरकार भिनाय में हैन्ड पम्प योजना चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. भिनाय में पेयजल निरन्तर नियमितरूप से दिया जा रहा है। कुछ समय पूर्व जब कुएं को गहरा करने का कार्य चल रहा था उस समय पेय जल वितरण में कुछ अनियमितता संभावित है।

2 अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

फर्नीचर व आलमारी बनाने वाले उद्योग

535. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 1972 में फर्नीचर व आलमारी बनाने वाले उद्योगों को 500 टन माल दिया गया ? यदि हां, तो इनमें से कितना माल श्री भंवरलाल वैद से सम्बन्धित उद्योगों को मिला ? क्या 170 टन माल इन्हें दिया गया ?

1. उक्त समस्त उद्योगों के स्टील फर्नीचर के उत्पादन 1971-72 व 1972-73 की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

1. माह दिसम्बर, 1972 में 861.510 टन माल जयपुर के फर्नीचर व आलमारी बनाने वाले उद्योगों को आवंटित किया, जिसमें इकाइयों ने 365.412 टन माल उठाया । श्री भंवरलाल वैद से सम्बन्धित उद्योगों को 136 टन माल आवंटित किया गया जिसमें से उन्होंने 53.603 टन उक्त अवधि तक उठाया ।

दिनांक 1-4-71 से 31-12-72 तक दिये गए माल की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-2-73)

राज्य में खोली गई नई स्कूलें

185. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 में कुल कितनी नई स्कूलें कब खोली गई ? कृपया प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री राजेन्द्र सिंह)

(2) उक्त स्कूलें किन किन जिलों में खोली गई हैं और कितने स्कूल कहां खोले जाने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि 26 माध्यमिक स्कूलें बाद में खोली गई थीं ? यदि हां तो कब और क्या 26 ही खोली गई या उससे अधिक ? इनको बाद में खोले जाने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि जहां जहां माध्यमिक स्कूलें खुली हैं वहां सब स्कूलों में कक्षा पांच में छात्रों की संख्या पर्याप्त है ? यदि हां, तो कितनी कितनी संख्या है ? सूची मय आंकड़े दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1. सूची संलग्न है ।

2. 1972-73 में प्रत्येक जिले में प्राथमिक शालाएं खोलने की संख्या निर्धारित करने का आधार संबंधित जिले में 6-11 आयुवर्ग के बालक बालिकाओं की वह संख्या रही है जो शालाओं में नहीं आते । प्रत्येक जिले में प्राथमिक शाला को उच्च-प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की संख्या निश्चित करने का आधार उस जिले में उपलब्ध प्राथमिक शालाओं की संख्या रहा है ।

3. राज्य सरकार ने 26 स्थानों पर प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के लिये राज्य स्तर पर निर्णय लेने हेतु सुरक्षित रखे थे । विभिन्न जिलास्तरीय समितियों द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त जिन जिन स्थानों से शालाएं क्रमोन्नत करने की मांग राज्य सरकार को प्राप्त हुई उन पर गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार ने 57 स्थानों पर प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के आदेश प्रसारित करना उपयुक्त समझा ।

4. जिलास्तरीय समितियों द्वारा प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने हेतु निर्णय लेने के लिये छात्र संख्या, क्षेत्र व पिछड़ापन व भवन की सुविधा आदि का ध्यान रखने हेतु निर्देश दिये गये थे । जो शालाएं उच्च प्राथमिक शालाओं के रूप में क्रमोन्नत हुई हैं उनमें सामान्यतया छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नियोजन कार्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को रोजगार

233. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने आवेदकों ने विगत तीन वर्षों में अपने नाम लिखाये, कितनों को रोजगार मिला और कितने काम की प्रतीक्षा में 31 दिसम्बर, 1972 को उपलब्ध थे ? शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जिलेवार सूचना सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें ।

(2) विगत तीन वर्षों में किस किस वर्ग के नियोजक ने कितनी कितनी आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए

(श्री नाथूराम)
नियोजन कार्यालयों को अधिसूचित की उनमें से कितनी भरी गईं और कितनी रिक्त रही ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षित रिक्त स्थान नियोजन कार्यालय के माध्यम से ही भरे जाते हैं और रिक्त रहने वाले स्थानों की संख्या कम हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा होने की व्यवस्था है, जिससे रिक्तियों की पूर्ति बराबर नहीं हो पाती ? यदि हां, तो एकरूपता के लिए सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी आरक्षण सीमा से कम क्यों है ?

उत्तर

1. परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' पर सूची संलग्न है।

2. परिशिष्ट 'स' पर सूची संलग्न है, परन्तु रिक्त रहने वाले पदों की सूचना नियोजन विभाग में प्राप्त नहीं होती।

3. जी हां, रिक्त रहने वाले स्थानों की संख्या की सूचना नियोजन विभाग में प्राप्त नहीं होती।

यह कहना सही नहीं है कि समाज कल्याण विभाग की व्यवस्था से इन रिक्तियों की पूर्ति बराबर नहीं हो पाती किन्तु वर्तमान परिस्थिति सरकार के विचाराधीन है तथा इस संदर्भ में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है जो स्थिति के सब पहलुओं पर विचार करेगी तथा समुचित कार्यवाही की व्यवस्था करेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांधी सेवा सदन महिला शाला संस्था को अनुदान

234. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री देवेन्द्र कुमार कर्णावट, संचालक, गांधी सेवा सदन, महिला शाला नामक संस्थान का संचालन राजसमन्द में करता है जिसको अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा भी दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो कितना और कब से ?

(2) क्या उक्त संस्था के लिए श्री देवेन्द्र कुमार शिक्षा विभाग से भी अनुदान प्राप्त करते रहे हैं ?

उत्तर

1. राजसमन्द में गांधी सेवा सदन, महिला शाखा नामक संस्था के संचालन हेतु श्री देवेन्द्र कुमार कर्णावट को विभाग द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

2. इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

जिला कोटा के गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण

235. श्री रामचरण (अटरू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा के किस किस गांव की हरिजन बस्तियों में सन् 1969-70, 1970-71 व 71-72 में बिजली दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 30

(30)

(श्री रामचरण)

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों के विद्युत विभाग द्वारा एस्टीमेट बनवाये थे और उसके मुताबिक ही कार्य हुआ और समाज कल्याण विभाग ने किये हुये कार्य को चेक किया है ? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत खेड़लीगंज व गांम पंचायत मांगरोल की हरिजन बस्तियों में बिजली कब गई है व किस समय दी गई है ।

उत्तर

1. कोटा जिले में सन् 1969-70, 70-71 व 71-72 में नगरपालिका क्षेत्रों के अलावा जिन गांवों की हरिजन बस्तियों में समाज कल्याण विभाग द्वारा बिजली लगाने की स्वीकृति दी गई थी उसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

2. यह सही है कि उपरोक्त गांवों के ऐस्टीमेट्स विद्युत विभाग द्वारा बनवाये गये और उसी के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर कार्य कराया गया है । ग्राम खेडली गंज (अटरू) व ग्राम मांगरोल की हरिजन बस्तियों में 7-3-71 व 15-8-72 को बिजली दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राजस्थान में शीत लहर से मृत्यु

236. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक शीत लहर के कारण कितनी मृत्यु हुई हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने शीत से मरने वालों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है ?

उत्तर

1. इस वर्ष शीत लहर के कारण किसी की मृत्यु होने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं हैं ।

ग्राम केलनसर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर के मोटाराम, पुत्र रावतराम, आयु 60 वर्ष की बाबत यह सूचना अवश्य मिली है कि यह व्यक्ति चाइना-चोटीना के पशु मेले में गया था और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ता भूलने से आंधी में घिर गया और उसकी मृत्यु हो गई ।

2. जो एक मामला सामने आया है उसमें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

ब्यावर उप-खण्ड में राहत कार्यों पर लगाये गये मजदूर

237. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर उप-खण्ड की दोनों पंचायत समितियों में 1-6-72 से 15-2-73 के बीच प्रतिदिन कितने कितने आदमी किस किस गांव में राहत कार्यों पर लगाये गये ? कृपया अलग अलग पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा में 145 गांवों में सन् 1972 की रबी की फसल में सीली लगी थी ? क्या अजमेर जिले के और किसी गांवों में भी सीली लगी थी ? यदि हां, तो किस किस पंचायत के किस किस गांव में लगी ?

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

1. ब्यावर उप-खण्ड की दोनों पंचायत समितियों में 1-6-72 से 15-2-73 के बीच 72 राहत कार्य खोले गये जिनकी सूची मय औसत श्रमिक के साथ में संलग्न है। प्रतिदिन कितने कितने आदमी लगाये गये, इसकी सूचना संकलित नहीं की जाती।

2. हां, यह सही है कि जवाजा पंचायत समिति में रबी की फसल में सन् 1972 में सीली लगी थी ब्यावर तहसील के 69 गांवों में सीली लगी थी। जिसमें पंचायत समिति जवाजा के गांव भी सम्मिलित है। इसके अलावा अजमेर जिले में अन्य गांवों में भी सीली लगी थी, जिनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मालपुरा में मिल्क चिलिंग प्लान्ट की योजना

238. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मालपुरा में लग रहे मिल्क चिलिंग प्लान्ट्स के लिए दुग्ध विकास की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त योजना से किस क्षेत्र को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

उत्तर

1. जी हां। योजना की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. उक्त योजना के अन्तर्गत मालपुरा के 20 मील के आस पास के क्षेत्रों से लगभग 60 गांवों से 100,000 लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित करने की योजना है। इससे पशुपालक जो अब तक प्राप्त दूध से घी बनाते थे दूध ही बेच कर अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे व पशुपालन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

भरतपुर जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों में बीज वितरण हेतु राशि

239. श्री नत्थासिंह (नदबई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों के लिये बीज वितरण हेतु कुछ राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि कब स्वीकार की गई और विभाग के अधिकारियों ने बीज का वितरण किस किस तारीख में कौन कौन से ग्रामों को किया ?

(2) उक्त राशि में से अब तक कितनी राशि का बीज बांटा गया है और शेष कितनी राशि बची हुई है ? पूर्ण राशि का बीज वितरण न करने-का क्या कारण है ?

उत्तर

1. जी हां। राज्य सरकार द्वारा बीज वितरण हेतु कृषि विभाग द्वारा

(कृषि मंत्री)

31-10-72 को 3.50 लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई थी। बीज वितरण पंचायत समितियों के माध्यम से किया गया जिसकी ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

1. उक्त राशि में से रु० 1,36,519 का बीज वितरण कर दिया गया था तथा रुपया 1,13,471 की राशि जो शेष रही प्रमाणित बीज के उपलब्ध न होने के कारण उपयोग नहीं की जा सकी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर स्थिति नाहरी के नाके में पानी की टंकी का निर्माण

240. श्री रामसिंह (सादुलपुर) : (138)–क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर स्थित नाहरी का नाके में जलदाय विभाग ने सिमेन्ट के पानी की टंकी व बोरिंग का निर्माण कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या यह सरकारी जमीन है और इसी जमीन में एक शिवजी का मंदिर भी है ? यदि हां, तो उसका कितना क्षेत्रफल था ?

(2) क्या सरकार ने प्रश्न के भाग(1) में वर्णित जमीन में अर्द्ध गोलाकार कम्पाउण्ड वाल का निर्माण किया है ? यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दर्शाते हुये इस जमीन का मानचित्र सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(क) अर्ध गोलाकार कम्पाउण्ड वाल कितने क्षेत्रफल में लगाया गया है ?

(ख) इस अर्ध गोलाकार कम्पाउण्ड वाल में शिवजी के मंदिर का कितना क्षेत्रफल था और उसे अवैधरूप से अब कितना और बढ़ा लिया है ?

(ग) इस अर्ध गोलाकार कम्पाउण्ड वाल में स्थित शिवजी के मंदिर व जलदाय विभाग की दीवार की सीमा के बाहर व आस पास कितनी लकड़ी की थड़ियां व अवैध निर्माण सरकारी जमीन के कितने क्षेत्रफल में किया गया है ?

उत्तर

1. जी हां। शिवजी के मन्दिर का क्षेत्रफल करीब 90 वर्गगज था।

2. जी हां।

(क) अर्द्ध गोलाकार कम्पाउण्ड का क्षेत्रफल करीब 5650 वर्गगज है।

(ख) शिवजी के मन्दिर का क्षेत्रफल पहले जो 90 वर्गगज था, इसे अब करीब 910 वर्गगज और बढ़ा लिया है।

(ग) अर्द्ध गोलाकार कम्पाउण्ड वाल के आस पास करीब 12 लकड़ी की थड़ियां व अवैध निर्माण करीब 400 वर्गगज सरकारी जमीन में है जो शिवजी के मन्दिर के अतिरिक्त है।

मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था

241. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अकाल राहत के अन्तर्गत पानी पीने की व्यवस्था हेतु अजमेर जिले में एक सौ कुओं की स्वीकृति दी गई? यदि हां, तो कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

अकाल राहत व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक अजमेर जिले में 178 कुओं को गहरा कराने की स्वीकृति दी गई है। कुएवार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान में अशिक्षित व ग्रामीण बेरोजगार

242. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में 1972-73 के अन्त तक कुल कितने अशिक्षित व ग्रामीण बेरोजगार थे।

(ख) क्या सरकार ने कभी बेरोजगार किसानों का भी सर्वे किया है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है।

(ग) क्या सरकार ने अशिक्षित ग्रामीण व किसान, बेरोजगारों को धन्धा देने हेतु कोई नयी योजना बनाई है? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(क) आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं अशिक्षित ग्रामीण व किसान बेरोजगारों को धन्धा देने हेतु क्रियाशील कर रखी है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1. ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित कार्यक्रम।

2. सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में क्षेत्रीय योजनाएं।

3. लघु किसान विकास एजेन्सी।

4. सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक।

5. सघन शुष्क भू-कृषि विकास कार्यक्रम।

6. ग्रामीण अभियान्त्रिकी सर्वेक्षण।

7. विविध फसलों की पथ-दर्शक योजना।

8. वन मरु विकास कार्यक्रम।

9. पथ-दर्शक गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना।

10. सघन क्षेत्रीय विकास हेतु ग्रामीण विकास केन्द्र।

11. विशिष्ट नियोजन कार्यक्रम।

(योजना मंत्री)

सरकार कुछ अन्य नई योजनाएं भी बना रही है जिनकी रूपरेखा को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जावेगा।

शिक्षा विभाग में पदोन्नति के नियम

243. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह संभव है कि शिक्षा विभाग के निचले पद से ऊपर के पद के लिये शत प्रतिशत पदोन्नति का नियम हो तो ऊपर के पद की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यतायें नीचे के पद से कम हो सकती हैं ?

(2) यदि नहीं, तो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में शैड्यूल के ग्रुप "ज" के पद संख्या 4 वाइस प्रिंसिपल, फिजीकल कालेज की योग्यता कम रखने का क्या कारण है ?

(3) जिस व्यक्ति में वाइस प्रिंसिपल के पद से नीचे के पद (वरिष्ठ प्राध्यापक, फिजीकल कालेज/उपनिरीक्षक शारीरिक शिक्षा) की योग्यता नहीं हो वह किस प्रकार वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है ?

(4) क्या वाइस प्रिंसिपल के पद पर वर्तमान पदासीन व्यक्ति नीचे के पद (वरिष्ठ-प्राध्यापक, फिजीकल कालेज, उप-निरीक्षक शारीरिक शिक्षा) की योग्यता रखता है ?

(5) क्या राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने इस बिन्दु पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

(6) अगर इस बिन्दु पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, तो कितने समय से तथा सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

(7) क्या अस्थाई पदोन्नत व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ाने से पूर्व यह जांचना आवश्यक नहीं है कि वह उक्त समय में नियम द्वारा निर्धारित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता रखता है ?

(8) अगर यह आवश्यक है, तो क्या वाइस प्रिंसिपल, फिजीकल कालेज के पद पर वर्तमान आसीन व्यक्ति के बारे में जांच करली गई है ?

(9) अगर यह जांच नहीं की गई है तो कितने समय से यह अनियमितता चलती रही है ?

(10) इस अनियमितता को बनाये रखने में कौन दोषी है ?

(11) क्या वाइस प्रिंसिपल, फिजीकल कालेज के पद के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को प्रत्येक सेवाकाल बढ़ाते समय विचार में रखा गया था या नहीं ?

(12) क्या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों ने इस बिन्दु पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

(13) यदि हां, तो कितने समय से तथा सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(14) इस अनियमितता से अनियमित पदोन्नत व्यक्ति को कितना अतिरिक्त लाभ हुआ है तथा नियमित व्यक्तियों को कितना नुकसान ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सही नहीं है। योग्यता क्रम का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के अनुसार योग्यता धारण करने पर ही नियुक्ति/पदोन्नति की जाती है।

(4) जी हां।

(5) इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

(6) प्रार्थना-पत्र सितम्बर, 1971 में प्राप्त हुआ था। मामला विचाराधीन है।

(7) जी हां, आवश्यक है।

(8) जी हां।

(9) प्रश्न ही नहीं उठता।

(10) प्रश्न ही नहीं उठता।

(11) जी हां।

(12) जी हां।

(13) क्रम सं० 6 के अनुसार।

(14) कोई अनियमितता नहीं हुई अतः नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांवों में पीने के पानी का सर्वे

244. श्री सुगाराम, (डूंगरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तोलियासर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू के नाम से कोई रीजनल स्कीम स्वीकृत की गई ?

(2) यदि हां, तो इसमें कौन कौन से ग्राम शामिल किये गये हैं ?

(3) इस स्कीम के लिये जल स्रोत का पता लगाने के लिये कौन कौन से ग्रामों की सर्वे की गई तथा उसका क्या परिणाम रहा ग्रामवार बताने का कष्ट करें।

(4) यदि सर्वे नहीं करवाई गई है, तो क्यों नहीं जबकि ठुकरियासर, लाडड़ियासर आदि में अच्छा पानी मिलने की संभावना है ?

(5) उक्त योजना के ग्रामों को किस जगह से पानी देने का विभाग का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) सूची संलग्न है।

(3) इस योजना में जल स्रोत के लिये तोलियासर ग्राम में नल कूप बनाया गया, किन्तु वह असफल रहा।

(4) दूसरे स्रोत की तलाश करने के लिये राजस्थान भू-जल मण्डल को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है।

Page No 36

(36)

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(5) दूसरे स्रोत की तलाश करने के लिये राजस्थान भूजल मण्डल को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

तहसील टोडाभीम की जल योजना

245. श्री चेतराम (टोडाभीम)–क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नांद तहसील टोडाभीम की जल योजना की वर्तमान स्थिति असन्तोषप्रद है जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में तथा निरन्तर पानी नहीं मिल पाता है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार वर्तमान तेल के इंजिन को बदल कर बिजली की मोटर लगवाने की योजना बना रही है जिससे इस आदिवासी बस्ती में पानी उचित समय पर एवं नियमितरूप से वितरित होता रहे।

उत्तर

(1) जी नहीं, योजना से नियमितरूप से पानी वितरण किया जा रहा है। कभी कभी डीजल इंजन में खराबी आने के कारण जल वितरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

(2) जी नहीं। चूंकि ग्राम में बिजली उपलब्ध नहीं है ऐसा किया जाना संभव नहीं।

झुन्झुनूं जिले में राजकीय कॉलेज

216. श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) झुन्झुनूं जिले में राज्य सरकार के कितने डिग्री तथा पोस्ट डिग्री कालेज हैं तथा वे कहां पर स्थित हैं ?

(2) राजस्थान में कितने जिला हैडक्वार्टर्स ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार का कोई कालेज नहीं है ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित, कोई भी डिग्री एवं पोस्ट डिग्री कालेज नहीं है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालय अवश्य हैं जो कि झुन्झुनूं जिले में है और वहां से हर 15–20 मील के फासले पर है, वे निम्न प्रकार से हैं:–

1– सेठ मोतीलाल कालेज, झुन्झुनूं

2– शारदा सदन कालेज, मुकन्दगढ़

3– इन्द्रा गांधी बालिका निकेतन अड़ावता

4– चिड़ावा कालेज, चिड़ावा

5– सेठ जी० बी० पोद्दार, कालेज नवलगढ़ उक्त कालेजों के अतिरिक्त एक महाविद्यालय बड़ागांव में है जिसको कि राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं मिलता और पूर्णरूप से प्राइवेट है व जी० डी० कालेज के नाम से जाना जाता है।

(2) राजस्थान झुन्झुनूं जिले के अतिरिक्त केवल दो और जिले जयपुर और

(शिक्षा मन्त्री)

जोधपुर भी है जहां पर कि जिला हैड़ क्वार्टर्स पर राज्य सरकार द्वारा संचालित कोई कालेज नहीं है परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालय अवश्य है जैसा कि झुंझुनू में है।

बैंकों द्वारा ऋण

247. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान सरकार द्वारा किस किस जिले के लिये कितना और किस प्रकार ऋण दिये जाने हेतु किस किस बैंक को कितनी कितनी धनराशि हेतु गारन्टी दी है ?

(2) उक्त बैंकों द्वारा अब तक किस किस जिले में कितना कितना ऋण वितरण किया जा चुका है ?

(3) ऋण की वसूली की कहां कहां पर क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) प्रश्न से ऐसा आशय लगता है कि माननीय सदस्य जिलों में कृषि ऋणों से सम्बन्धित गारन्टियों के बारे में सूचना चाहते हैं। कृषि ऋणों के लिये सरकार ने केवल एक गारन्टी पंजाब नेशनल बैंक को 1 करोड़ तक के ऋणों के लिये दी है।

(2) जिलेवार ऋण वितरण व वसूली का काम कृषि विभाग द्वारा किया जाता है अतः यह सूचना कृषि विभाग से ही मिल सकेगी।

(3) शेष गारंटियां जो बैंकों को अन्य उद्देश्य के लिये दी गई है उनका पूर्ण ब्योरा बजट के साथ दिये स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र आय-व्ययक अनुमान 1973-74 के 29 से 39 पृष्ठ पर दिया हुआ है। माननीय सदस्य कृपया उसे अवलोकन करने का कष्ट करें।

राजस्थान में स्वतन्त्रता सैनिकों को पेन्शन

248. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में किन किन स्वतन्त्रता सैनिकों को कितनी पैंशन दी जा रही है ? सूची उनके नाम एवं पते के सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने स्वतन्त्रता सैनिकों की पेंशन के मामले कहां पेंडिंग हैं ? सूची, उनके नाम एवं पते के विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उनके मामले कब तक निर्णय कर उन्हें पेन्शन दिलानी शुरू कर दी जायेगी ?

उत्तर

1. सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अन्तर्गत 32 मामले जिनकी सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है, राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहायता समिति के विचाराधीन हैं। भारत सरकार के पेंशन योजना के अन्तर्गत 855 स्वतन्त्रता

(मुख्य मंत्री)

सेनानियों के मामले राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को शिफारिश के साथ भिजवाये गये हैं।

(3) सम्बन्धित जिलाधीशों से आवश्यक जानकारी प्राप्त होते ही उक्त पेण्डिंग मामले सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर यथा-शीघ्र निपटाने हेतु कार्यवाही की जावेगी। भारत सरकार से भी उनकी योजना के अन्तर्गत शीघ्र निर्णय के लिये बार बार निवेदन किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीमार पुलिस कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

249. श्री मूलचन्द सामरथा (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने पुलिस कर्मचारी बीमारी की वजह से सेवा के अयोग्य हैं ?

(2) क्या सरकार उनका उपचार करवा रही है ?

(3) कितने पुलिस कर्मचारियों को बीमारी के कारण अनिवार्य रिटायरमेन्ट दिया गया ? सन् 1967 से माह फरवरी, 1973 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बीमार पुलिस कर्मचारियों के परिवारजनों की देखरेख किस प्रकार की जा रही है ?

उत्तर

1. राज्य में कोई भी पुलिस कर्मचारी बीमारी के कारण वर्तमान में सेवा के अयोग्य नहीं है।

2. इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

3. सन् 1967 से माह फरवरी 73 तक कुल 239 पुलिस कर्मचारियों को बीमारी के कारण रिटायरमेण्ट दिया गया जिनकी जिलेवार तालिका संलग्न है।

4. बीमार कर्मचारियों के परिवार-जनों की देखरेख के लिये कोई प्रावधान नहीं है लेकिन कुछ अति आवश्यक मामलों में पुलिस कल्याण कार्य फण्ड से सहायता दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

उद्योगों को राजकीय सुविधायें

250. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन-पोल, जयपुर) :

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में स्थापित उद्योगों अथवा स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को राज्य सरकार क्या क्या सुविधायें एवं रियायतें देती ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किस तिथि एवं किस आदेश के अन्तर्गत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) वृहद्, मध्यम एवं लघु उद्योगों को क्या एक प्रकार की सुविधायें एवं रियायतें प्राप्त

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

होती हैं, हो सकती हैं, या कि पृथक पृथक? विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा के कितने दिन बाद उनसे सम्बन्धित नियमों का राज्य सरकार द्वारा प्रकाशन अथवा घोषणा की गई?

(5) क्या यह सही है कि अभी तक कई सुविधाओं एवं रियायतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने नियम नहीं बनाये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. वांछित जानकारी सदन की मेज पर रखी गई सूची के कालम 2 पर अंकित है।

3. वांछित जानकारी सदन को मेज पर रखी गई सूची में कालम 3 पर अंकित है।

4. वांछित जानकारी सदन की मेज पर रखी गई सूची के कालम 4 पर अंकित है।

5. केवल केन्द्रीय बिक्रीकर की राशि को बिना ब्याज के ऋण के रूप में उद्योगपतियों को देने हेतु नियम अभी तक विचाराधीन है। इसमें विलम्ब का कारण, प्रस्तावित स्कीम के क्रियान्वनय में अनेक जटिल कठिनाइयां हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई माधोपुर जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

251. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र होते हुए भी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है?

(2) अब कब तक इस बारे में विचार किया जाकर इसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जावेगा।

उत्तर

1. जी हां।

2. योजना आयोग, भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर को पिछड़ा जिला घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

टोंक जिले का औद्योगिक विकास

252. श्री अजीतसिंह (टोंक): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टोंक जिले में औद्योगिक विकास हेतु जो उपलब्ध साधनों के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

यद्यपि सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है, रिपोर्ट के तैयार करने की कार्यवाही अभी चल रही है। इसके पूर्ण होने में अभी कुछ और समय लगेगा। अतएव अभी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-73)

बिक्री कर से वसूली

27. श्री गुरदयालसिंह सिधु (करणपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कृषि उपज, ट्रेक्टरों, ट्रेक्टरों के हिस्सों-पुर्जों, ट्रेक्टरों के यंत्रों, खाद आदि से सन् 1971-72 व 1972-73 में कितना बिक्री कर वसूल हुआ तथा जिला गंगानगर से कितना ?

उत्तर

कृषि उपज पर बिक्रीकर की वसूली के पृथक से आंकड़े इस विभाग में एकत्रित नहीं किये जाते हैं। जो व्यापारी कृषि उपज का काम करता है वही अन्य पदार्थों का भी धन्धा करता है। कृषि उपज में अनेकों ही पदार्थ आते हैं, इनका ब्यौरा व्यापारी अलग नहीं रखता है। विवरण-पत्र जो व्यापारी पेश करता है उसमें भी कृषि उपज के बिक्री के आंकड़े अलग से नहीं देता है। ट्रेक्टरों, ट्रेक्टरों के हिस्सों पुर्जों तथा ट्रेक्टरों के यंत्रों पर राज्य में वर्ष 1971-72 में 10,33,171.03 तथा 1972-73 में 20,72,853.92 बिक्री कर वसूल हुआ है तथा इस ही प्रकार खाद पर वर्ष 1971-72 में निल व वर्ष 1972-73 में 72,22,873.80 बिक्री कर वसूल हुआ है। जिला गंगानगर (मय हनुमानगढ़ क्षेत्र) में टेक्टरों, ट्रेक्टरों के हिस्सो पुर्जों तथा ट्रेक्टरों के यंत्रों पर वर्ष 1971-72 में 1,92,995.53 तथा वर्ष 1972-73 में 4,16,000.00 बिक्री कर वसूल हुआ है तथा इसही प्रकार खाद पर वर्ष 1971-72 में निल तथा वर्ष 1972-73 में 3,80,418.51 बिक्री कर वसूल हुआ है। 1972-73 की आय में अप्रेल 72 से दिसम्बर 1973 तक की आय दी गई है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-2-73)

अकाल सहायता कार्य हेतु खरीदा गया सामान

32. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1967-68 से लेकर आज तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गये उन अकाल सहायता कार्य-स्थलों पर कितना कितना सामान कितनी राशि का किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है ? प्रत्येक सहायता कार्य स्थल पर पड़े सामान की अलग अलग से सूची देने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान की देखरेख के लिये सहायता विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-2-73)

चूरू में आचार्य तुलसी को लेकर उत्पन्न विवाद तथा सरकार द्वारा उठाये गये प्रभावी कदम

87. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू में आचार्य तुलसी को लेकर उत्पन्न विवाद में राज्य सरकार ने क्या क्या

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

प्रभावी कदम उठाये और सरकार को उसमें कुल कितना व्यय करना पड़ा ?

(2) क्या चूरू में राजस्थान सशस्त्र पुलिस की बटालियन तैनात की गई थी ? यदि हां, तो कितने समय के लिये और कितनी बटालियन नियुक्त की गयी थी ?

(3) चूरू में आचार्य तुलसी के निवास में किस किस मंत्री ने कब कब व कितनी कितनी अवधि के लिये निवास किया ? तालिका सदन में प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) विवाद के सम्बन्ध में समय एवं परिस्थिति अनुसार राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गये। पुलिस विभाग द्वारा कुल 4800/- रुपये व्यय हुए।

(2) जी हां। विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) वित्त मंत्री ने चूरू में 20 जुलाई की संध्या 4 बजे से 23 जुलाई, 1972 प्रात: 8-00 बजे तक प्रवास किया था।

राज्य मंत्री गृह, चूरू दिनांक 10-8-72 को प्रातः पहुंचकर रात्रि में वापस आ गई थीं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-2-73)

राज्य के पुलिस विभाग में अनु-सूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों की संख्या

84. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पुलिस कर्मचारियों की श्रेणीवार कितनी कितनी संख्या है ?

(2) इनमें कितने अनुसूचित जाति के व कितने अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी हैं ? प्रतिशत भी बतलायें।

(3) क्या इससे सरकार संतुष्ट है ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस कर्मचारियों को वर्तमान श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार है :—

उप निरीक्षक	1555
सहायक उप निरीक्षक	740
मुख्य आरक्षक	4310
आरक्षक	26861

(2) उपरोक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की संख्या व प्रतिशत निम्न प्रकार हैं :—

	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उप निरीक्षक	25	1.60%	23	1.48%
सहायक उप निरीक्षक	2	0.27%	9	1.22%
मुख्य आरक्षक	186	4.32%	237	5.5%
आरक्षक	1671	6.22%	2040	7.56%

(3) राज्य सरकार निर्धारित प्रतिशत तक नियुक्ति करने में प्रयत्नशील है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-3-73)

सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स

111. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स राजस्थान में कहां कहां, किस योजना के अन्तर्गत और कब कब बनाये गये ? इनमें कितनी कितनी धनराशि किन किन निर्माण कार्यों में खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन फार्मों के नीचे कितनी कृषि भूमि है ? ब्योरेवार बतलाई जावे ।

(3) आज इनमें से कितने फार्म कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं और कितने फार्म अन्य विभागों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं और क्यों ?

(4) उक्त फार्मों में से कौन कौन से लाभ में और कौन कौन से घाटे में चल रहे हैं ?

(5) उक्त फार्मों में अनुसंधान कर कौन से नये बीजों की उत्पत्ति की है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में बीज गुपन योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कृषि फार्म स्थापित किये गये थे जिनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है । निर्माण कार्यों पर खर्च की गई धनराशि की तालिका भी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत 2·10·59 को इस विभाग द्वारा बताये जा रहे सभी बीजगुपन फार्म पंचायत समितियों को स्थानान्तरण कर दिये गये हैं जिनमें से यह केवल 13 फार्म पंचायत समितियों द्वारा चलाये जा रहे हैं और 37 फार्म वापिस विभाग में आने के कारण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

(4) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) बीजगुपन फार्मों पर केवल उन्नत अनुमोदित जाति के बीजों के बीजगुपन का कार्य होता है । अनुसंधान फार्मों पर नये नये बीजों की उत्पति का कार्य होता है और जो नये बीज evolve हुए हैं उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-9-73)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

112. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 1 जनवरी 31 जनवरी, और 15 फरवरी, 1973 एवं अब तक

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कितना कितना व्यय हुआ ? कितने मजदूर अकाल राहत कार्यों में लगे हुए थे ? प्रत्येक जिले का अलग से विवरण देते हुए आंकड़े सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि :

(1) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव और मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री शिंदे द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अकाल व सूखे के प्रतिकार में असफल रहने की घोषणा के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने उदयपुर जिले के झडोल में दिनांक 11-3-73 को पानी न देने के विरोध में किये गये प्रदर्शन में कुछ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने सरदारशहर तहसील की जैतसीसर पंचायत के सरपंच द्वारा दो बच्चों की भूख से मृत्यु होने के सम्बन्ध में दी गई सूचना के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जावेगा।

(4) श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पुनः हथियार देने की घोषणा के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अत: मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने हिन्दुस्तान समाचार समिति के एक सम्वाददाता श्री हरिप्रसाद गुप्ता पर सपोटरा पंचायत समिति के लेखा लिपिक द्वारा हमला करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रस्ताव में सम्बन्धित घटना की तिथि नहीं है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है। अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य विधान सभा ने जिला सीकर की नगरपालिका फतेहपुर के चेयरमेन द्वारा एक महीने से अधिक बाहर रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसमें घटना की तिथि स्पष्ट नहीं है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है। अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने राज्य के लेखा लिपिकों द्वारा गत चार वर्षों से की जा रही मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 9 मार्च, 1973 को नागौर जिले की तहसील जायल में बीमारी से होने वाली मृत्युओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(9) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 12-3-73 को अनाज के थोक व्यापार की राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा हड़ताल करने की धमकी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । इसी प्रकार दिनांक 13-3-73 को सर्व श्री मूलचन्द सामरिया, हनुमान सहाय व प्रतापसिंह, सदस्य विधान सभा ने गेहूं व चावल के थोक व्यापार के अन्तर्गत गेहूं के भाव कम निर्धारित करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । इन विषयों पर दिनांक 20-3-73 को सदन में खाद्य मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जावेगा । अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(10) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव और उम्मेदीलाल, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 13-3-73 को नागौर जिले की डीडवाना तहसील के अन्तर्गत ललासरी ग्रामवासियों को गत तीन माह से खाद्यान्न का वितरण न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 14-3-73 को टौंक जिले में अकाल के प्रकोप के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । मैं चाहूंगा कि माननीय खाद्य मन्त्री जी खाद्यान्न के वितरण व राज्य में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में कल सदन में जो वक्तव्य देंगे उसमें अन्य प्रस्तावों के साथ इन प्रस्तावों पर भी प्रकाश डालेंगे । अतः मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीकर जिले की जिस घटना का उल्लेख किया था उसमें तारीख देने की भूल रह गई । मौजूदा जो चेयरमैन थे वे 13 तारीख को निजी काम से बाहर चले गये थे । वापिस 13 को लौटे हैं । 7-8-72 के बाद 15-9-72 को फिर वापिस लौटे । तो 65 के जो भी चेयरमैन बिना बोर्ड की इजाजत के रहते हैं वे ओटोमेटिकली हट जाते हैं । इस का क्लेरिफिकेशन मैं देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : एक्ट में है, सब जानते हैं ।

श्री झाबरमल सूंडा : Removal of Chairman :

Leave of absence to Chairman cannot be granted for more than six months.

Absence for a period of more than a month as to enable him to perform his duties. If that happens, he would be automatically removed from his office.

इसके लिए लोकल बाडीज को पहले चिट्ठी भी दी थी ।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें ।

श्री झाबरमल सूंडा : सरकार से मैं चाहता हूं ढिलाई बरतने के कारण वहां दो-

(श्री भादरमलसूंडा)

दो चेयरमैन काम कर रहे हैं। अव्यवस्था फैल रही है। इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी कोई निर्णय करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर): अध्यक्ष महोदय, नवज्योति में, यंग लीडर में जिस समय सगोटरा पंचायत समिति में…

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया है न?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही तो कह रहा हूं वहां पर श्याम सुन्दर ने चाकू निकाल कर घातक हमला करने की कोशिश की। जो आई विटनेस है, उसकी भी रिपोर्ट है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थानेदार ने कहा है, वास्तव में आपके साथ अन्याय हुआ है। अगर, अध्यक्ष महोदय, संवाददाताओं के साथ इस प्रकार होता है तो जो स्वेच्छा से लोगों को विचार प्रकट करने के बारे में, विधान सभा आदि में जाने का जो अधिकार है उसका हनन होगा। इसलिए बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है। सरकार ने क्या कार्यवाही की। इस सम्बन्ध में जानकारी देनी चाहिये।

दूसरी, राजस्थान विधान सभा के सामने लेखाकार धरना दे रहे हैं। प्रारम्भ में तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 16-11-70 को राज्य विधान सभा में घोषणा की थी कि नियम बनाये जायेंगे। राज्य सरकार ने बिना उनकी बात सुनते हुए ऐसे नियम बना दिये हैं कि लेखाकारों में भयंकर असन्तोष है। आज उन्होंने विधान सभा के सामने धरना देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, यह भी बड़े लोक महत्व का प्रश्न है।

सरदारशहर में सरपंच के बारे में जो भूख से मृत्यु हुई है और राज्य सरकार ने उसको निलम्बित कर दिया था और उन्होंने कहा है मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि दो बच्चों की भूख से मृत्यु हुई है। सरकार ने जांच कराई और तथ्य सही पाये गये। श्री भंवरलाल शर्मा को वापिस बहाल कर दिया गया। विधान सभा में यह कहें कि भूख से कोई नहीं मरा है। अकाल पड़ रहा है—अकाल में भूख से आदमी मर सकता है। इसमें सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि वे भूख से मरे हैं और श्री भंवरलाल शर्मा को रि-इन्सटेट किया है तो उसमें संशोधन करना चाहिये। इसमें कोई राजनैतिक दांवपेच लगाने की आवश्यकता नहीं है। विधान सभा में यह कहना कि एक भी बच्चा भूख से नहीं मरा है, एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है, गलत है। मैं समझता हूं खाद्य मन्त्री जी इस बारे में वक्तव्य देने की कृपा करेंगे।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय……

श्री अध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी की बात है। जो अभी माननीय सदस्य जेठाराम सरपंच और दो बच्चों की भूख से मृत्यु बताई है। जो सूचना सरपंच ने दी थी वह मौखिक थी, अखबार में सूचना देने वालों के नाम मृतकों के नाम से छप गये थे। वे आदमी जीवित हैं, मरने वाले तो दूसरे थे…

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो अखबार की कटिंग देखते रहते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ....

(माननीय लूणाराम और माननीय गिरधारीलाल भार्गव के एक साथ बोलने से अश्रव्य) बहाल कर दिया गया है...

श्री लूणाराम : आप सुनने की तो क्षमता रखें । मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी की बात है । अध्यक्ष महोदय, अखबार में सूचना देने वालों के नाम छप गये । वह आदमी जीवित हैं और इस कारण निलम्बित कर दिया गया था । मरने वालों की जो वल्दीयत दी गई थी, वही नाम अखबार में छप गये । जब जांच कराई गई तो वे जीवित थे । सरपंच ने बताया मैंने लिखित में जो रिपोर्ट की है उसमें मरने वालों के नाम हैं, यह तो इनके पिता का नाम छप गया, अतः उसको बाद में बहाल भी कर दिया गया । यह वस्तु स्थिति मैंने आपके सामने रखी है । उनको बहाल कर दिया गया ऐसी कोई बात नहीं थी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : वे मरे नहीं थे इसलिए उनको....

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह यह है कि देश के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है । अमेरिकी साम्राज्यवाद पाकिस्तान को नाना प्रकार के हथियार सप्लाई कर रहा है । उनके इस प्रकार पाकिस्तान को हथियार देने से हमारे यहां ...

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : यह विषय बहुत गम्भीर है लेकिन अपने से सम्बन्धित नहीं है । यह तो पार्लियामेंट से सम्बन्धित है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : राजस्थान का बोर्डर तो लगता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, राजस्थान का सबसे लम्बा बोर्डर है, इसलिये अधिक चिन्ता है ।

श्री केशरीमल : हमारी सीमा बहुत बड़ी लगती है और काफी मिलिट्री पड़ी है । कभी भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से खतरा उत्पन्न हो सकता है । अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्वारा जो पाकिस्तान की मदद की जा रही है उससे सभी लोग चिन्तित हैं ...

एक माननीय सदस्य : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह काला दिसम्बर....

श्री अध्यक्ष : काला दिसम्बर कहां से आ गया ?

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, सदन की यह भावना है कि केन्द्र सरकार तक इस बात को पहुंचा कर निवेदन किया जाय । वे भी उसको....

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा । झाडोल में 11-3-73 को श्री कौशल किशोर जैन, जो अकाल की समस्या को लेकर वहां के किसानों को पिलाई के लिये पानी मिले उस बारे में प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके बाजार में हथकड़ी डालकर घुमाया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार गिरफ्तार करे, कड़ी कड़ी सजा दे और जितना अत्याचार करना चाहे करे, लेकिन प्रश्न यह है, और मैं निवेदन करूंगा कि हथकड़ी डालकर राजनैतिक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कार्यकर्ताओं को घुमाना यह कहां तक उचित है। आजादी के 25 वर्ष बाद समाचार पत्रों में जब पढ़ा गया तो बड़ा दुःख हुआ। तत्कालीन मंत्री श्री मथुरादास माथुर ने घोषणा की थी कि आन्दोलन करने वालों को, प्रदर्शन करने वाले राजनैतिक दलों को, शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों को या इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को हथकड़ियां नहीं पहनाई जायगी। उनके लिये कानून के अनुसार ही कार्यवाही की जायगी। लेकिन जो आफेन्डर है, ऐसे जो खूंखार हो और जिनके भागने का डर हो उनके लिये ऐसा किया जाता है। राजनैतिक पार्टियों से इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। मुझे दुःख है आज डेमोक्रेटिक कहलाने वाले लोग राजनैतिक पार्टियों को अकाल के आन्दोलन के समय हथकड़ी पहना कर घुमाये—चौहटन और बाड़मेर में 12 कार्यकर्ताओं को घुमाया गया। मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय कमला जी मंत्रिया महोदय अपने एक वक्तव्य···

श्री खेतसिंह। यह मंत्रिया महोदय क्या है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्षमा करेंगे मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ संक्षेप में प्रकाश डालें। मैं आग्रह करूंगा पुलिस को निर्देश दिये जायं कि कहीं भी आन्दोलन राजनैतिक रूप ले तो उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना आवश्यक हो तो करें और सब प्रकार की सजा दें लेकिन शहर में इस प्रकार हथकड़ी पहनाकर घुमाना कतई उचित नहीं है। एक अंग्रेजों का जमाना था वह लद चुका, गुजर गया उसको आज के युग में चलाया जाय तो यह न्यायोचित नहीं है।

श्री खेतसिंह : चौसरे पहना कर····

श्री गुमानमल लोढ़ा : चौसरे तो आपके और हमारे सबके ही पड़ते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर चिन्तन करें, मनन करें, हथकड़ी डालकर किसी के विचारों को नहीं रोका जा सकता है। आप लाठी चलाय, गोली चलायें, अश्रु गैस छोड़ें, बन्दूक चलायें, तोप चलायें यह खूनी सरकार है लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इस प्रकार····

श्री यशवन्तसिंह नाहर (साथ बोलने पर अश्रव्य) : माननीय सदस्य ऐसी बातें कैसे करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आप वकील भी हैं और इस तरह की साधारण····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भाषण नहीं भाषण की भाप है।

श्री चतुर्भुज : .... (साथ बोलने पर अश्रव्य) ये तो ऐसे ही भाषण देते हैं आदमी मौजूद है और मरा बताते हैं। जनसंघ झूठी झूठी बातें दे रहा है····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है कि अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं मंत्री महोदय कहा, कहीं मंत्रिया कहा····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप धन्यवाद दीजिए आपको धनवन्तरी नहीं कह दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदया समझ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य ।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था ।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात यहां नहीं होती ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे इसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैंने तथ्य पूछे हैं, जानकारी मांगी है ।

गृह मन्त्री द्वारा वक्तव्य ।

शासकीय वक्तव्य

निवाई, जिला टोंक में एक 5 वर्षीय बालक की हत्या से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवाई, जिला टोंक में 5 वर्षीय बालक की हत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

श्री उमेश पुत्र गोपाल ब्राह्मण सा० चाकसू हाइयर सेकेण्डरी स्कूल निवाई का छात्र राजकीय छात्रावास में रहता था। चूंकि यह छात्र शराब पीकर छात्रावास में लगातार बदमाशी करता था अतः श्री नन्द सिंह गोगावत वार्डन ने उसे 11 मार्च, 73 तक छात्रावास से निकाल दिया । श्री उमेश ने श्री नन्दसिंह से बदला लेने के लिए उसके नाबालिक पुत्र अजय, उम्र 5 साल को 12 मार्च, 73 को प्राथमिक स्कूल से अपने साथ बाजार ले गया और बाजार से उसे मिठाई दिलाई । तत्पश्चात उमेश श्री अजय को अपने साथ निवाई के पहाड़ में ले गया जहां पर उसने चाकू से अजय की हत्या कर दी और फिर अपने गांव चाकसू भाग गया ।

दिनांक 12 मार्च, 73 को श्री नन्दसिंह ने पुलिस थाना, निवाई में एक रिपोर्ट पेश की कि श्री उमेश नाम का छात्र उनके लड़के अजय को फरार करके कहीं ले गया है। इस इत्तला पर थाने में मुकदमा नं० 18 जेर दफा 363/364 ताजीराते हिन्द दर्ज कर फौरन तफतीश शुरू की गई । दौराने तफतीश थानेदार निवाई ने मुलजिम उमेश के गांव चाकसू जाकर उससे पूछताछ की तो उमेश ने थानेदार के सामने श्री अजय की हत्या कर देना स्वीकार किया तथा अपने खून आलूदा कपड़े तथा खून आलूदा चाकू अपने मकान से बरामदगी कराया । तत्पश्चात् मुलजिम की निशादेही से निवाई के पहाड़ के पास मृतक अजय की लाश भी उसी दिन बरामद की जाकर टोंक अस्पताल में बाद पोस्ट मार्टम रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दी गई ।

दिनांक 13 मार्च, 73 को सुबह 9 बजे अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस टोंक मुकदमे की तफतीश की देखरेख हेतु निवाई आये । करीब 3 बजे शाम उन्हें यह सूचना मिली कि निवाई के श्री महावीर महाजन और कुछ लोग छात्रों व जनता के लोगों को मुलजिम उमेश को पुलिस थाने में ही जान से मारने के लिए उकसा रहे हैं ।

करीब 3-30 बजे शाम 200 छात्र और कुछ अध्यापक थाने पर आये और मांग की कि मुलजिम उमेश का काला मुंह कर

(50)

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जुलूस निकालने दिया जावे। भीड़ ने यह भी मांग की कि खून का बदला खून से लेंगे। अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस और थानेदार निवाई ने भीड़ को यह कहकर समझाया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद तफतीश शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही की जावेगी। इस पर भीड़ बाजार की तरफ वापिस चली गई तथा अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस मुलजिम उमेश को अपनी जीप में लेकर टोंक चले गए। कुछ देर बाद थानेदार निवाई को यह सूचना मिली कि कुछ छात्र अध्यापक व अन्य लोग मिलकर निवाई शहर में जबरन दुकानें बन्द करवा रहे हैं। अत: थानेदार कुछ सिपाहियों को साथ लेकर शहर की गश्त के लिए गये।

शाम को करीब 4-30 बजे 1000 आदमी लाठियों व जलती हुई मशालों को लेकर थाने पर आए और पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। भीड़ खून का बदला खून से लेने का नारा लगा रही थी और मुलजिम की मांग कर रही थी। भीड ने खाली ड्रम लगाकर थाने के सामने वाली सड़क को भी रोक लिया। थानेदार निवाई ने भीड़ को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि मुलजिम को रिमाण्ड हेतु टोंक ले जाया गया है और कानूनी कार्यवाही जारी है। भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा और भीड़ थाने में घुस गई। भीड़ ने उग्ररूप धारण कर मुख्य आरक्षक के क्वाटर के आग लगा दी तथा थाने का रिकार्ड जला दिया। थाने में पड़ी सिपाहियों की और मालखाने की साइकिलें भी तोड़फोड़ कर आग में फेंक दी। उग्र भीड़ ने सहायक थानेदार की वर्दी फाड़ कर उससे 90 रुपये 95 पैसे छीन लिए तथा वर्दी को आग लगा दी। उग्र भीड में से कुछ लोग थाने के सामने सरकारी डाक बंगले में घुस गये और वहां का सामान तथा फर्नीचर भी जला दिया। थानेदार द्वारा लगातार वारनिंग देने के बावजूद भी जब भीड़ तितर बितर नहीं हुई तब श्री श्योराजसिंह आरक्षक ने हवा में एक गोली चलाई, लेकिन भीड़ पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। तब आरक्षक ने दूसरी गोली भीड़ पर चलाई जो एक व्यक्ति के लगी और वह गिर गया। भीड़ मे से कुछ लोग उसको उठाकर ले गये जो अब टोंक अस्पताल में भर्ती है। घायल श्री अमीरखां की हालत खतरे से बाहर है। भीड़ का उग्ररूप देखकर थानेदार निवाई और उसके सिपाहियों ने थाने से भागकर करीब 100 गज की दूरी पर स्थित एक शिवालय में शरण ली लेकिन भीड ने उनका पीछा कर शिवालय को भी घेर लिया और पत्थर फेंकने शुरू कर दिये इस वक्त तक टोंक अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस, मय फोर्स के निवाई पहुंच गये और भीड़ को तितर बितर होने की वारनिंग दी जिसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। अत: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अश्रुगैस के तीन गोले छुड़वाये और भीड़ पर लाठी चार्ज भी करवाया। लेकिन भीड़ के मुकाबले में पुलिस की नफरी बहुत थोड़ी होने से इस लाठी चार्ज का कोई असर नहीं हुआ। इस बीच भीड़ के पत्थराव से पृथ्वीसिंह सिपाही घायल और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया तथा थानेदार व उसके सिपाहियों की भी जान खतरे में पड़ गई। इस पर यज्ञनारायण थानेदार बरौनी ने हवा में रिवाल्वर के तीन फायर किये जिससे भीड़ में छंटनी शुरू हो गई तथा थानेदार और उसके सिपाहियों को

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

शिवालय से बचाया जा सका। मौके पर ही 17 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा शेष मुसलमानों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इस घटना में पुलिस थाने की करीब 500 रु० की कीमत की सम्पत्ति नष्ट हो गई तथा डाक बंगले की करीब 2000-3000 कीमत की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा। इस घटना का पुलिस थाना निवाई में मुकदमा नं० 19 जेर दफा 147।332।353।453।336।426।395 ताजीरात हिन्द दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई, जो जारी है। इस घटना में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 3 थानेदार, 1 मुख्य आरक्षक, और 17 आरक्षकों को चोटें आई है।

घटना की सूचना मिलते ही अधीक्षक पुलिस, टोंक और उप जिलाधीश टोंक शाम को करीब 6 बजे निवाई पहुंच गए। शहर में अब भी पुलिस की गश्त जारी है। स्थिति पर निगरानी जारी है।

श्री केसरी मल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिस बच्चे ने मारा है उसके पिता पुलिस के अधिकारी हैं क्या यह सत्य है? यदि यह सत्य है तो पुलिस के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी ही जांच कर रहे हैं तो मुझे पूरा शक है कि वह जांच कभी ठीक तरह से नहीं करेंगे और उस मुकद्दमे को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या इस केस की जांच करवाने के लिए किसी अन्य अधिकारी को या किसी अन्य विभाग से करवाने का मंत्री महोदया विचार रखती हैं? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि यह घटना घटी है इस घटना में ऐसी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गयी हैं? थाने में कुछ लोग आये और जलती हुई मशालें लेकर आये, हो सकता है आये हों लेकिन हो सकता है वह अपनी बात कहने आये हों, प्रदर्शन करने आये हों। यह घटना छोटी है और उस भीड़ को उकसाया गया है क्योंकि यह पुलिस अधिकारी का मसला है इसलिए उनको कहा गया हो कि गोली डंडे चलाओ और उनको भगा दो? क्या यह सारी स्थिति जानकर उत्पन्न नहीं की?

श्री बनवारीलाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे क्षेत्र से सबंधित है इसलिए मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं। जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदया ने सदन के समक्ष दिया है और इसमें जो स्थिति बताई है वह अधिक भीड़ बताई गई है और जिस तरीके की बातें कही गयी हैं वह काफी कम कही गयी हैं। स्थिति इस तरह थी कि दो घन्टे के अन्दर अन्दर पुलिस ने तत्परता के साथ काम करके मुलजिम को पकड़ लिया, चाकू पकड़ लिया और कागजात बरामद कर लिये। 2 बजे और 6 बजे के बीच में सब तैयारियां कर ली गईं और पोस्टमार्टम के लिए लाश को टौंक भेज दिया गया अब चूंकि पोस्टमार्टम रात को नहीं हो सकता था इसलिए रात को लाश नहीं दी जा सकी, सुबह को दी गई। सुबह जब लाश आई तो स्कूल के अन्दर मास्टरों ने, स्टूडेंट्स ने मिल कर, चूंकि एक लड़के की निर्मम हत्या की गई थी, एक कण्डोलेंस मीटिंग की और मीटिंग करके डिस्पर्स हो गए। अब जहां तक मास्टरों का और स्टूडेंट्स का सम्बन्ध

Page No 52

52

(श्री बनवारीलाल)

है वे न उस भीड के अन्दर से और न किसी आन्दोलन में शामिल थे । ये स्टूडेंट सिर्फ थाने के सामने जाकर-गम-गुस्से का इजहार करना चाहते थे जो उन्होंने वहां जाकर किया । उन लड़कों ने मांग की कि इसका 164 का बयान अभी लिया जाए । लेकिन चूंकि विद्यार्थियों को यह पता नहीं था कि 164 का बयान का प्रोसीजर क्या है, जाब्ता क्या है, तरीका क्या है ? उस तरीके को बनाए बिना बयान नहीं लिए जा सकते थे तो थानेदार ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप शहर में जो हुज्जुम करना चाहते हैं वह मत करिए । अगर आप बाजार बन्द करवाना चाहते हैं तो करा लीजिए । उसके बाद आप आयेंगे तो दो तीन लड़कों को वहां पर उससे बात करा देंगे ।...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो राजस्थान नहर जितना लम्बा प्रश्न हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : ब्रीफली कह दें ।

श्री बनवारीलाल : अब जब वे स्टूडेंट बाजार में गए तो वहां पर असामाजिक तत्व उनके साथ थे और उन्होंने यह आइडिया दिया कि मसाल जुलूस निकालना चाहिए और लाठियां लेकर चलना चाहिए और वहां कुछ पत्थर भी ले लेना चाहिए । यह बात भी कही गई कि खून का बदला खून से लेंगे । जब दुबारा लौट कर ये लोग लाठियां और पत्थर लेकर थाने पर आए तो उस समय थाने में चार पांच आदमी ही पुलिस के थे । वे अपना कितना बचाव कर सकते थे ? एडीशनल एस. पी. जो थे, उन्होंने उस मुल्जिम को ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें ।

श्री बनवारीलाल : बहुत संक्षेप में कह रहा हूं । उसको लेकर, मुल्जिम को लेकर एडीशनल एस. पी. पहाड़ों के पीछे से निकले । पहाड़ों के पीछे से इसलिए निकले कि अगर उस भीड में से निकलते तो निश्चित-रूप से भीड़ उनको पकड़ लेती और वहां पर और भी अलग किस्म का नतीजा होता । अब वहां काफी भीड़ बढ़ गई । थानेदार और दूसरे पुलिस के आदमियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन भीड़ ने उनकी सलाह नहीं मान कर थानेदार को मारा । उनको इस तौर तरीके से मारा कि उसको इतनी निर्ममता से मारा कि उसके काफी चोटें आई । अगर उसकी बदनियती होती तो वहां पर ही उसके पास रिवाल्वर था, उसके थाने में बन्दूकें थी, राईफल्स थीं उनको काम में ले सकते थे लेकिन उन्होंने काफी नेकनियती का सबूत दिया और जनता पर गोलीकाण्ड करने की कोशिश नहीं की । उन्होंने इतनी तत्परता से तफ्तीश की कि दो तीन घण्टे में ही मुल्जिम को पकड़ लिया । लेकिन फिर भी भीड़ ने पुलिस को इतना मारा कि एक पृथ्वीसिंह सिपाही का दांत तोड़ कर पटक दिया । वह थाने के बाहर पड़ा रहा । थाने के पास पुलिस क्वार्टर में जो एक जच्चा औरत थी, हेड कांस्टेबल की लड़की के बच्चा हुआ था तीन दिन पहले ही और वह औरत उसके अन्दर थी, उस जगह पर आग लगा दी । यह सारा काण्ड इन असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया जिनकी मंशा वहां पर एक उपद्रव काण्ड खड़ा करने की थी ।

(श्री बनवारीलाल)

निवाई वैसे बहुत शांतिप्रिय कस्बा है, लेकिन उन्होंने शांति की जगह इस प्रकार का दृश्य उपस्थित किया। अब भीड़ मंदिर में घुस गई। तीन हजार आदमी जमा थे जो यह चिल्ला रहे थे कि थानेदार को मार दो, मंदिर को जला दो, थानेदार का कतल कर दो। ऐसी स्थिति के अन्दर वहां पर गोली चलाई तो मेरा कहना यह है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पुलिस जब खेत में चली गई तो भीड़ ने खेत पर भी पथराव किया और वहां पर भी पुलिस वालों को पकड़ लिया।

अब मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने जो उपद्रव किया है और जिन लोगों ने इस प्रकार की आतंकपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है, जो झगड़े कराये हैं, उन लोगों को सजा कराया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : अब एक इधर से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर आप फिर अनुमति दें तो दो मिनिट के लिए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह हत्या हवामहल में नहीं हुई है, निवाई में हुई है।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे सहमत नहीं हूं। कारण कि बहुत ही मामूली बात को जबरदस्त तूल दे दिया गया है। घटना बिल्कुल साधारण थी, जनता की यह मांग थी कि वह लड़का पुलिस से सम्बन्धित है, पुलिस अफसर का लड़का होने से इस बिना पर उनकी मांग थी कि उसका स्टेटमेंट दर्ज कर लिया जाय। बाद में पुलिस उससे नटा दे, और कोई बात हो जाय तो यह सारा का सारा केस खत्म हो जाएगा, इस बिना पर लोग मांग कर रहे थे। इस पर प्रदर्शन किया गया था और मशाल जुलूस निकाला गया था। मशाल जुलूस लेकर जब लोग थाने पर गए तो थानेदार साहब वहां नहीं थे और जो गिरफ्तार कर लड़के को लाए थे उसको भी वहां से हटा दिया गया था। लोगों के दिमाग में कुसूरवार लड़के को वहां से हटा देने की वजह से उत्तेजना पैदा हुई और मांग करती रही। इस बीच में थानेदार रेस्ट हाउस में चला गया। जब भीड़ को यह मालूम हुआ कि थानेदार साहब यहां नहीं है तो भीड़ रेस्ट हाउस पर गई और जब वे पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो उनमें उत्तेजना पैदा हो गई और जो उनके पास मशालें थीं, मशाल जुलूस की उससे आग लग गई और उसके बाद पुलिस ने उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। पुलिस ने जो धक्का मुक्की की इससे लोगों में जोश पैदा हुआ और यह सब कारण बना। वहां के पुलिस ने किवाड़ बन्द कर लिए और पीछे से थानेदार साहब निकल कर मंदिर में चले गए। इसी बीच में पुलिस टोंक से भी आ गई और डी. वाइ. एस. पी. साहब भी आ गए। डी. वाइ. एस. पी. साहब से लोगों ने मांग की तो मांग करने से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया जिसमें दो तीन आदमी घायल हो गए। किसी के एक गोली पैर में लगी। इस प्रकार एक साधारण बात का बतंगड़ बना दिया और यह

(श्री अजीतसिंह)

सारी घटना हो गई। इसके बाद जबरदस्ती लोगों को गिरफ्तार करके परेशान किया जा रहा है और जो कसूरवार हैं उनको छोड़ दिया गया है। छोटे 2 बच्चों की तरफ से, लड़कों की तरफ से यह एजीटेशन था, इसके साथ जबरदस्ती और लोगों को इन्वाल्व्ड किया गया। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब स्थिति शांत हो गई है और इस पर जो कुछ भी हुआ है, निर्णय करके शांति करें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री, गृह।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आशंका यह प्रकट की गई कि अभियुक्त का बाप एक पुलिस अफसर है इसलिए पुलिस के जरिए से इसकी तफतीश की कार्यवाही नहीं कराई जाय अन्यथा इसके ऊपर दूसरा प्रभाव पड़ने की गुंजाइश हो सकती है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि अभियुक्त का जो बाप है वह एक साधारण कर्मचारी है। जो पी. एस. आइ. है और किशनगढ़ में टी. आइ. की ट्रेनिंग पा रहा है। इस समय वह उस इलाके में भी नहीं है। किसी वक्त चाकसू का रहने वाला था और इसलिए वह लड़का निवाई में पढ़ने जाता था। इसलिए यह शंका करना कि पुलिस कर्मचारी का लड़का होने से, जो पुलिस अधिकारी तफतीश कर रहे हैं, वह कार्यवाही प्रभावित हो जाय यह आशंका निर्मूल है। और यह इससे ही जाहिर है कि किस तत्परता से पुलिस ने कार्यवाही की है और रिपोर्ट दर्ज करने के उपरान्त भी ढाई घन्टे के अन्दर ही मुल्जिम को बरामद कर पकड़ लिया। इस प्रकार से मुल्जिम को तत्परता से पकड़ लेना और उसके आगे की तमाम कार्यवाही करना यह सबूत देता है कि पुलिस के इस प्रकार प्रभावित होने वाली बात नहीं है।

दूसरा आपने यह कहा है कि जितनी घटना घटित हुई है और जो जा डवलपमेंट घटना के हुए हैं, उनको यहां जो उल्लिखित किया है, उसमें बहुत अतिशयोक्ति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, जैसा कि निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उनके स्वयं के कथन के अनुसार मैंने कुछ कम ही कहा है, ज्यादा नहीं कहा। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जितना धीरज, जितनी शांति और जिस संयम के साथ में पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ था, उसने रखी उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टाफ इस प्रकार का धीरज रख नहीं सकता था। आखिर में जब जान के ऊपर बन जावे उस वक्त इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ी और वह भी पुलिस पहुंची बाहर की, उसने इसका नोटिस लिया और उसके द्वारा यह कार्यवाही की गई है।

तीसरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों को इसके अन्दर शामिल किया गया है, उपद्रव करने में या इस प्रकार की कार्यवाही करने में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय। मैं समझती हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इससे सहमत नहीं होंगे कि इस प्रकार का उग्ररूप धारण करके भीड़ इस प्रकार की हरकतें करे, सामान जलादे, नष्ट कर दे और नागरिकों को मारने के लिए तैयार हो जावे और इस

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

प्रकार के तत्वों के ऊपर, उनके खिलाफ कार्यवाही न करे, तो मैं समझती हूं कि यह गलत होगा। अगर पुलिस कानून और व्यवस्था की स्थिति को लागू नहीं रखती है तो उस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई कार्यवाही करती है तो यह कहा जाता है कि पुलिस को कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। मैं तो समझती हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को सख्ती के साथ दबाना चाहिए और उसके लिए कार्यवाही करना चाहिए ताकि आइन्दा इस प्रकार के तत्वों को कार्यवाही करने का मौका नहीं मिले।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभियुक्त की आयु क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 16 वर्ष की है।

एक माननीय सदस्य : जब दो बार फायरिंग हुआ तो क्या घटनास्थल पर मजिस्ट्रेट था ? क्या मजिस्ट्रेट ने फायरिंग के लिए इजाजत दी है ?

अनुदान की मांग 26, 27 व 41 अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगें पर विचार-मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र चौधरी :(सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42, बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4 करोड़ 73 लाख 28 हजार रुपए तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 43, सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), 44 सिंचन नौचालन तटबन्धन तथा विकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) 44–सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14 करोड 26 लाख 31 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक), 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35 करोड़ 55 लाख 82 हजार रुपए तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 26,27, 41 पर कटौती प्रस्तुत प्रस्ताव

1. **श्री यशवन्त सिंह नाहर** (बनेड़ा): मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में 400

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

रुपये कम कर दिये जायें (इन योजनाओं में अनावश्यक खर्चों की समाप्ति पर मितव्ययिता) ।

2. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन व वाणिज्य में अधिक व्यय को समाप्त कर लाभप्रद बनाने पर चर्चा के लिये) ।

3. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन अवाणिज्यिक योजनाओं में कम व्यय हो इस पर चर्चा के लिये) ।

4. श्री करणसिंह (डीग) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42 बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी सिंचाई कर वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (सिंचन संयुक्त) स्थापना तथा औजारों पर अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये) ।

6. **श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन) :** मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमाण्ड एरिया में नदी नालों को भूमि भूमिहीनों को आवंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग सं 23, मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवरायपाटन ग्राम प्रतापगढ़ देवपुरा, माइनरों से पानी बहने पर कृषि भूमि के होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये) ।

8. मांग सं० 26– मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल योजना के अधूरे कार्य को अब तक पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग सं० 26, मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहरों से समय पर पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

10. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42- बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में चम्बल की नहरों पर स्थित एक गांव से दूसरे गांव को मिलान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग सं० 26, मुख्य शीर्षक 42- बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में चम्बल की नहर से

Page No 57

(57)

(श्री नन्दलाल बैरवा)

सीपेज एवं रीसान से ग्राम अरनेरा रड़ी चड़ी अढ़िला आदि ग्रामों की हजारों बीघा भूमि ऊसर हो जाने पर चर्चा के लिये)

12. मांग सं० 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में चम्बल नहरों एवं माइनरों से समय पर पानी सप्लाई नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग सं० 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में चम्बल नहर से ग्राम रास्तों पर सिंचाई विभाग द्वारा अब तक पुलिया नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग सं० 41, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवरायपाटन की अधूरी माइनरों को अब तक पूरा न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग सं० 41, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केशवरायपाटन के ग्राम सोहनगर माइनर पर फाल नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

16. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना से भूमि ऊसर हो जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट कोटा को विश्व बैंक द्वारा दिये गए ऋण के उपयोग पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42- बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट कोटा की योजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

19. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना की नहरों को पक्का न करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये) ।

20. श्री रावतराम आर्य (छापर) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिद्धमुख कैनाल (जिला चुरू) की विचाराधीन योजना के बारे में चर्चा के लिये) ।

21. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के लिये चम्बल परियोजना से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम उपलब्ध कराने में विलम्ब होने बावत चर्चा के लिये)

22. श्री चेतराम (टोडाभीम): मांग सं 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महती सिंचाई योजनाओं में सरकार द्वारा लागत का सही उपयोग न होने पर चर्चा के लिये) ।

23. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा सिंचाई (लघु) योजनाओं की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

24. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल के वाटर लागिंग) को समाप्त करने के लिये जो राशि स्वीकृत की गई है वह पर्याप्त नहीं है इस पर चर्चा के लिये) ।

25. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा कैनाल बोर्ड द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को पानी के वितरण पर किये जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये) ।

26. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा सिस्टम पर पानी का सम वितरण न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

27. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चण्डीगढ़ में स्थित हमारे वाटर सेल (water cell) से पंजाब सरकार के दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये) ।

28. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर भाखरा, राजस्थान नहर पर मोगे लगाने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

29. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की राजस्थान नहर के निर्माण के सम्बन्ध में दुर्लक्षपूर्ण नीति रही है क्योंकि राजस्थान नहर के निर्माण के लिये श्री कंवरसेन चीफ इन्जीनियर ने योजना बनाई थी जिसके अनुसार नहर का निर्माण किया जाना चाहिए था न किये जाने के कारण ही नहर नहीं बन पा रही है । अतः उनकी योजना के अनुसार नहर का निर्माण कार्य किये जाने से नीति का अननुमोदन) ।

30. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर पर कार्य कर रहे वर्क चार्ज (work charge) मजदूरों के साथ किये गये अन्याय पर चर्चा के लिये) ।

31. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (सरकार की मोतीराम कमेटी के सम्बन्ध में दुर्लक्षपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये) ।

(श्री चेतराम)

32. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर सिस्टम पर पानी का सम वितरण न होने से पैदा हुई गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

33. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं से जो लाभ प्राप्त होना चाहिये था उसके न होने पर चर्चा के लिये) ।

34. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास परियोजना के निर्माण में हो रही अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिए) ।

35. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों को समय पर पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

36. श्री नानालाल (राजसमन्द) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास नदी पर एनीकट बनाने हेतु चर्चा के लिए) ।

37. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-शीर्षक सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन कार्यों में अधिक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

38. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेकार जाने वाले पानी को बचा कर सिंचाई के लिये उपयोग में लाने पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के निर्माण कार्यों में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये) ।

40. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले में सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

41. श्री भरत लाल (वामनवास): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध मोरेल सागर पूर्वी केनाल को बढ़ाने व उसकी खराब हालत को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

42. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री भरतलाल)

दिया जाय (पंचायत समिति बामनवास सवाई माधोपुर के टूटे हुए तालाबों को ठीक कराने की चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98-बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास नदी को चरपया देह लिफ्ट सिंचाई योजना पर चर्चा के लिये) ।

44. श्री फारुकहसन (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में माइनर इरिगेशन के अभाव पर चर्चा के लिये)।

45. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझनू जिले में नदी तथा बांध के पानी से कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं है इस पर चर्चा के लिये) ।

46. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय झुंझनूं, सीकर, चुरू, अलवर, नागौर आदि जिलों को गंगा नदी के बाढ़ का पानी देने पर चर्चा के लिये) ।

47. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण पर होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझनूं जिले में गंगा नदी के बाढ़ का साप्लस पानी देने के लिये) ।

49. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में बाढ़ के कारण टूटे हुए बान्धों की समय पर मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्वे- अमीन के पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को समय पर ग्रेड परिवर्तन का उचित लाभ नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

51. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की उचित देखरेख के अभाव के कारण नव निर्मित बांधों में पानी रिसने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई कार्य हेतु प्रदान की गई राशि का विभाग द्वारा दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

53. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जाय (छापरवाड़ा बान्ध का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जयपुर जिले में सिचाई हेतु साधन उपलब्ध होते हुए भी उनका उचित सर्वेक्षण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

55. श्री मोहनराज (वाली) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई के बांधों से सिचाई हेतु जल-वितरण व्यवस्था में समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

56 श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छापी नदी पर दहलनपुर बांध का निर्माण कार्य को कार्यरूप में परिणित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

57. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44— सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजाखेड़ा तहसील में लघु सिंचाई के चार बंधों का कार्य पूर्ण न करने पर चर्चा के लिये)।

58. श्री विजयसिंह (मांडल) : मांग संख्या 27, मुख्य शीषक 44- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरे तालाबों से सिचाई न होने के कारण होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले की लघु सिंचाई योजनाओं हेतु वर्ष 72-73 के लिये प्रदत्त धनराशि का उपयोग न कर पाने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माण्डल तहसील में सिचाई के साधनों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

61. श्री शंकरलाल (पाली) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43 सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांव खोड़ के समीप नदी काधोरा के बांध से बीस गांवों को नुकसान पहुंचाने से उसे तुड़ाने हेतु चर्चा केलिये)।

62. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में सोमेसर भादरताड के समीप पहमेर का बांध बनवाने से कई गांवों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

63. श्री ज्ञानसिंह (भादरा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 41- सिचन,

Page No 62

(62)

(श्री ज्ञानसिंह)

नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लागू कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री अजीतसिंह (टौंक) :

64. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में बीसलपुर बांध बनास पर काम शुरू कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

65. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले की लघु सिंचाई योजनायें सरकार हाथ में लेने में असमर्थ रही है इन पर चर्चा के लिये) ।

श्री मीठालाल मीना (लालसोट) :

66. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट कस्बे के पास मायला कुए के खोरा पर बान्ध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

67. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध मोरा सागर, बिनोरी सागर, सवाई माधोपुर, मोरैल सागर, जयपुर की ऊंचाई व मरम्मत कर अधिक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्यामपुरा बांध (चाकसू) को शीघ्र बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

69. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बान्ध उत्तरी सागर व बिनोरी सागर व दक्षिणी सागर तीनों को एक कर निर्माण कार्य कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

70. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील में मोरेल नदी के सुमेल स्थान पर बान्ध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

71. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध मोरेल सागर की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

72. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोरेल सागर (लालसोट) में लिफ्ट सिंचाई योजना चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

73. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 41- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील के खटूसर ग्राम के पास खोरा रोक कर बान्ध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

74. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चांदराना महेश्वरा खुर्द बान्ध के निर्माण कार्य की मन्थर गति के विषय में चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाँदराना महेश्वरा खुर्द बान्ध के निर्माण कराने में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा ए० ई० एन० सिंचाई विभाग द्वारा सरकारी मशीन का व्यक्तिगत उपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचाई, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा के ए० ई० एन० सिंचाई विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियो से घर पर बेगार लेने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा सिंचाई विभाग द्वारा चांदराना सिंचाई योजना में कम सीमेन्ट लगाना व बाकी को बेचने देने बाबत चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए० ई० एन० सिंचाई विभाग दौसा द्वारा सरकारी पेट्रोल, डीजल व आइल का व्यक्तिगत वाहन में उपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

80. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

81. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीमसागर बांध के निर्माण कार्यों में होने वाले घोटालों की जांच न करने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजपुरा, सामरिया, अरणवां आदि की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को पूरा न करने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नदी कालीसिंध भंवरासादेह आदि से किसानों को सिंचाई का पानी समय पर न देने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

84. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीमसागर व हरिश्चन्द्र सागर बांध के कार्य को पूरा न करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री **नाथूराम** (बागीदौरा) :

85. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाना बान्ध से जो जलवृद्धि अनास नदी में होगी उसके फलस्वरूप आवागमन रुकेगा उसके लिये अरथुना चादरवाड़ा के बीच पुल निर्माण के लिये गुजरात सरकार से मुआवजा लेने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाना बान्ध की ऊंचाई 410 फीट से अधिक नहीं बढ़ाने देने पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर जाय (कडाना बांध से प्रभावित नागरिकों को गुजरात में कमाण्ड ऐरिया में अवाप्त की गई भूमि के बजाय भूमि दिलाने की अवाश्यकता पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुजरात में बन रहे कडाना बांध से डूंगरपुर-बांसवाड़ा के प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों के पुनर्वास मुआवजा आदि दिलाये जाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में नदी नालों पर पक्के ऐनीकट बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में अधुरे तालाबों को इस दुष्काल में पूरे करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98-बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाजसागर बांध परियोजना में हाईडल विद्युत् उत्पादन किये जाने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाजसागर बांध के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं व शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री नाथूराम)

दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में नदी नालों पर पक्की लिफ्ट योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(1) श्री नाथूराम (बागीडोरा)
(2) श्री रामचन्द्रसिंह (चौरासी)
(3) श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा)
(4) श्री महेन्द्र कुमार (पावना)

94. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों में उत्पादन के लिये रिटर्न को हटाने पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

95. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के अलॉटमेंट में हुई धांधली पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में बांधों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के पेटे ब्याज की अदायगी स्थगित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माणकार्य की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा व जमना नदी के पानी से राजस्थान की मरुभूमि को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) :

100. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिफ्ट केनाल के आर.डी. 106 या 116 से सिंचित करने हेतु चक हरिजनान, खानीसर, मीठड़िया आदि गांवों की समतल भूमि के सिंचन हेतु उपशाखा निकालने हेतु सर्वे कराने पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मुख्य नहर के आर. डी. 730 (अमरपुरा) के पास जलोत्थान करके बीकानेर, नोखा तहसीलों के गांवों की भूमि को सिंचित करते हुए नागौर जिले की कृषि भूमि के सिंचन हेतु नहर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन)

102. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर की भोमपुरा माइनर को खोदे जाने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूगल ब्रांच (राजस्थान नहर) के सम्पूर्ण करने में विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा की बाढ़ के पानी को राजस्थान के सूखाग्रस्त जिलों तथा भरतपुर सीकर, झुंझुनूं, चूरू, बीकानेर, नागौर, व जालोर की भूमि को सिंचित करने की योजना पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के क्षेत्र में पक्की नालियां बनाने आदि पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल का कार्य शीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के बायें किनारे पर पशुपालकों की कॉलोनीज आबाद करके चरागाह स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :

108. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम करा दिया जाय (सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

श्री जयकिशनलाल तोषावाड़ा (फागी) :

109. मांग सं० 27, मुख्य शीर्षक 44-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी व चाकसू तहसीलों मे रेवेन्यू तालाबों को जो बाढ़ में टूट गये थे, अतिशीघ्र बनवाने के विषय में चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी व चाकसू तहसीलों में सिंचाई हेतु कोई योजना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी तहसील में माही नदी पर जो ग्राम हबुकड़ा के पास पुराना एनीकट जो बाढ़ से टूट गया, उसे पुनः बनवाने हेतु चर्चा के लिए।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

112. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी तहसील में बांडी नदी पर एक एनीकट बनाने पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि की अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूदू तहसील में छापरवाड़ा बांध की सुरक्षा ठीक रखने के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

114. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री मोतीराम, भूतपूर्व चीफ इंजीनियर,सिंचाई विभाग ने लूनी एवं उसकी सहायक नदियों पर पाली जिले में नये बांध न बनाने पर जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी उस पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लेने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की पूर्व योजना, योजना जो भूतपूर्व चीफ इंजीनियर श्री कंवर सेन के समय में बनी थी जो बाड़मेर जिले में होकर कच्छ की खाड़ी तक पहुंचाने की थी उक्त योजना का राज्य सरकार द्वारा बिलकुल पालन न करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा परियोजना एवं राजस्थान नहर परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) :

117. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिंचन, नौचालन,तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। हुकटिया (कागदर बांध, तहसील खेरवाड़ा) जिला उदयपुर को पंचवर्षीय योजना में लेकर निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय हुकटिया (कागदर बांध तहसील खेरवाडा)जिला उदयपुर को पंचवर्षीय योजना में लेकर निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

119. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अमरपुरा सोम पिकअप वेयर, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर,की नहर मोराई तक पक्की करने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूदर तालाब, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर की नहर पक्की कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

Page No 68

(68)

(श्री विद्यासागर)

121. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोमरटघोड़ी तालाब की नहर तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर की नहर पक्की कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र सिंह (चौरासी):

122. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कांकरीजेल बांध तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर को पंचवर्षीय योजना में लेकर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिला में सिंचाई विभाग में लघु योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

124. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयसमन्द फीडर पंचवर्षीय योजना में ली जाकर निर्माण कार्य कराने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयसमन्द फीडर पंचवर्षीय योजना में ली जाकर निर्माण कार्य चालू कराए जाने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाया योजना कोलटी आमली तालाब पंचवर्षीय योजना में लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):

127. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (अलवर जिले के साबी बांध के निर्माण की मंजूरी में होने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

128. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के हरसोरा बांध के लिए 3.65 लाख का सामान खरीदने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के हरसोर बांध के निर्माण में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर):

130. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाचना स्थित कालोनी के निर्माण कार्य में ढिलाई सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

Page No 69

(69)

(श्री भोपालसिंह)

131. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर स्थित उपनिवेशन योजनाओं के तहत आई हुई भूमि पर स्थित गांवों के निवासियों को आबादी पट्टे न देने के सम्बन्ध में उत्पन्न आम निवासियों को भारी संकट पर चर्चा के लिए)।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) :

132. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में सिंचाई के साधनों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में मरु प्रदेशों को गंगा-यमुना का पानी दिलाने पर चर्चा के लिए)।

श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी) :

134. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कानोता प्रोजेक्ट ढूंढ नदी को रोककर बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 98—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के बान्धों की मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषाप्रकाश (बैर) :

136. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंभीरी नदी का पानी बाणगंगा में डालने की योजना पुनर्जीवित करने के क्रम में चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारवान, घुरेरी तथा घोघेरा बांध की योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

138. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में रात का खाल बांध पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :

139. मांगसंख्या 41, मुख्य शीर्षक 98—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा जिला कोटा के पार्वती नदी पर "छबड़ा-गूगोर हाइडल इरिगेशन प्रोजेक्ट" को अभी तक चालू नहीं किए जाने बाबत व आगामी पंचवर्षीय योजना में इसे प्राथमिकता दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा) :

140. मांगसंख्या 41, मुख्य शीर्षक 98—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद)

के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में सिंचाई योजना हेतु कोई प्रावधान नहीं रखने पर चर्चा के लिये) ।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डोन) :

141. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डोन में जगर बांध की नहरों से होने वाले सीपेज के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझूनूं) :

142. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझूनूं जिले मे सिंचाई की व्यवस्था कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

अनुदान की मांग सं० 26, 27 व 41 पर विचार एवं उनका पारण

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती के प्रस्ताव दिए है । मेरा यह निवेदन है कि वाणिज्यिक याने कामर्शियल और नॉन कामर्शियल, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव इरिगेशन में हमने दो अरब रुपया खर्च किया है और इन 21 सालों में कमाया है केवल 34 करोड़ रुपया । अब यह कह दूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स पर खर्चा न किया जाय, जबकि हमारे यहां पर 93 प्रतिशत जनता की आय कृषि पर आधारित है, तो यह एक बड़ा प्रश्न है, और आम-जनता को इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स से बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं । यह हकीकत है, अध्यक्ष महोदय, जब दो केसेज इन विभागों के मैंने लड़े और वह इर्रीगेशन के कान्ट्रैक्टर्स के इनकमटैक्स डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित थे । इनकमटैक्स डिपार्टमेन्ट का इन कान्ट्रैक्टर्स के बारे में यह मानना था कि जब तक 20 पर्सेन्ट अधिकारियों को कन्ट्रैक्टर्स नहीं देगा उसकी टेन्डर नहीं मिल सकते, और 21 पर्सेन्ट वह डिपार्टमेन्ट कान्ट्रैक्टर की इनकम इसमें मानकर चलता है यानी ओवरआल उसकी इनकम 40 पर्सेन्ट मानी गई । यह इनकमटैक्स डिपार्टमेन्ट ने रिटर्न में मानी है । यानी बीस पर्सेन्ट इनकमटैक्स तो इस बात के लिए है कि उन्हें अधिकारियों को दिए बिना टेन्डर नहीं मिल सकता और 20 पर्सेन्ट कम से कम तुम्हारा खुद का प्राफिट है । इसलिए चालीस पर्सेन्ट का प्राइवेट मानकर उनपर इनकमटैक्स लगाया गया और जो फैसला हाईकोर्ट तक बहाल रहा । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े महंगे प्रोजेक्टस बनते हैं जिनका कि आज तक इन्ट्रेस्ट का रिटर्न नहीं हुआ है ।

(12-15 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव । उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एक पर्सेन्ट पर एनम इन्ट्रेस्ट लगावें तो उस हालत में यह देखना पड़ेगा कि इन 23 सालों में यह कितना होता और इन तेईस सालों में यह जो राशि प्रोजेक्ट्स पर लगाई गई है उस पर अनुमान लगा लीजिये

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

40 परसेन्ट के हिसाब से। इतना पैसा तो कान्ट्रैक्टर के पास चला गया। यह जो बात कह रहा हूं वह आपके रेकार्ड से कह रहा हूं।

यह एक जनलेखा समिति की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 5 करोड़ 84 लाख का किसी साल में घाटा है, तो किसी साल में 3 करोड़ 80 लाख का नेट लॉस है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गलती होती है वह गलती होती है कान्ट्रैक्टर के द्वारा काम करने पर। इसमें बहुत आराम से बचा जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कान्ट्रैक्टर न हो और डिपार्टमेंट के द्वारा यह काम हो तो बहुत ही सहज तरीके से करोड़ों रुपया बचाया जा सकता है लेकिन ऐसा करने में आटा गीला नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़ा निर्णय करने की जरूरत है कि इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के काम में कान्ट्रैक्टर्स न रहें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 23 वर्षों की आजादी के बाद भी, इतने अनुभव करने के बाद भी हम कान्ट्रैक्टर्स को क्यों यह काम दे रहे हैं? इसको हटा कर बचत की जा सकती है। मेरा निवेदन है कि ऐसा कर के हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति को कान्ट्रैक्टर्स के हाथों सौंप रहे हैं। यहां पर मैं यह सब रिकार्ड के आधार पर अर्ज कर रहा हूं। यह मैं रिश्वत के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं इसका तो बन्टवारा कर रहे हैं। तब यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम देखते हैं कि कान्ट्रैक्टर्स अधिकारियों के साथ रात-दिन जुड़े रहते हैं। यह जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है उसके आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं। एक साल में यह जो ऑडिट आब्जेक्शन है और यह आब्जेक्शन, जो लोड और लिफ्ट का कान्ट्रैक्ट 1952, 1954 और 1955 में दिए थे, जिनके कन्ट्रैक्ट खतम हो गए थे, जिनको एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और जिनको कुछ नहीं मिल सकता था उनको पता नहीं कैसे बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट पर लाभ दे दिया गया और यह भी दस साल के बाद, 1966, 1967, 1968, 1969 और 1970 लोड और लिफ्ट का पैसा दिया गया। यह रुपया एक साल के अन्दर 12 लाख का है जिसका ऑडिट आब्जेक्शन है। उसका क्या जवाब दिया गया है, यह मुझे पता नहीं है। यह जनलेखा समिति के सामने चीज आई है। कैसी अजीब बात है यह?

उपाध्यक्ष महोदय, जोखम बांध में होल लगाने का ठेका दिया गया। टोटल होल लगाने का ठेका दिया गया। टोटल होल 40-42 हजार लगाने का यह ठेका था। दस-दस हजार का इसको मानकर टेन्डर इन्वाइट किए गये और 7.50 पैसा पर होल यह ठेका दिया गया। यह 69-70 का केस है और 70 की जनवरी में 4.48 पर होल का टेन्डर दिया गया है। यह सब आपकी रिपोर्ट में है, आपके रिकार्ड में है। इसको आपको देखना चाहिए। इस तरह की कई चीजें हैं। एक मिट्टी डालने का ठेका है। इस मिट्टी डालने के ठेके के अंदर आपके अधिकारियों ने क्या कहा है, यह मुझे नहीं मालूम है। यह भी इस रिपोर्ट के अंदर है। यह रिपोर्ट है। अक्टूबर, 1971 तक आपके यहां से कोई जवाब नहीं आया है। पता नहीं है इस केस को आपने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को सौंपा है या नहीं है।

(72)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस इर्रीगेशन की मार्फत राजस्थान का जनजीवन अपना जीवन यापन कर रहा है। यह इर्रीगेशन राजस्थान की इकोनोमी की बेस है। 97 प्रतिशत लोगों का जीवन इस पर चलता है। अगर अब भी इस डिपार्टमेंट को हम कान्ट्रेक्टर्स के हाथों सौंप दें तो मैं समझता हूं कि इससे बुरी दुनियां में और कोई चीज नहीं है। एक दिन वह आएगा कि लोगों को इससे नफरत पैदा हो जायेगी। इसलिए इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को जनता के हित में इस लाभदायक काम को हाथ में लेना चाहिये। कान्ट्रेक्टर्स के हाथों यह काम सौंपने से कितना पैसा खर्च होता है और ये प्रोजेक्ट्स कितने महंगे हो जाते हैं। आज जो इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो कामर्शियल है उनमें सिवाय गंग केनाल को छोड़ कर सब लास में चल रही हैं। उनका इन्ट्रेस्ट भी वसूल नहीं हो रहा है। रनिंग एक्सपेन्सेज में भी लॉस हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बेटर होगा कि हम समय रहते इस सम्बन्ध में जग जायें, सम्हल जायें और भविष्य में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से कान्ट्रेक्टर की यह बुरी प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए। यह जो बेसिक शिड्यूल आफ रेट है और इससे जो कान्ट्रेक्टर हमारे सामने आ जाता है, वह बंद कर देनी चाहिये। इन प्रोजेक्ट्स पर हमको डाइरेक्ट काम करवाना चाहिये। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इन्सपेक्शन कराना होगा। वह हो सकता है। कोई कठिनाई नहीं हो सकती। सिर्फ प्रारम्भ में कोई कठिनाई हो सकती है। जंगलात में ठेका नहीं दे रहे हैं। वहां भी कान्ट्रेक्टर को हटा दिया है। डिपार्टमेंटल काम हो रहा है। फिर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस काम को अपने हाथ में ले रहा है। ऑडिट रिपोर्ट, जनलेखा समिति की रिपोर्ट इस बात को कह रही है कि कान्ट्रेक्टर्स को फिजूल पैसा दिया जा रहा है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन राजस्थान का अधिकारी है, यह सदा स्वामी हैं। राजस्थान की जनता का, सदन में सारी शक्ति केन्द्रित है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मेरे एक प्रश्न पूछने पर गृहमंत्री ने यह कहा था कि जनलेखा समिति की रिपोर्ट को नहीं माना है मन्त्रि-मण्डल ने। चतुर्वेदी साहब को दे दिये 12 हजार रुपये और अगेन्स्ट लॉ दे दिये। जनलेखा समिति इस बात के लिए इर्रीगेशन डिपार्टमेंट पर रोक लगाती आ रही है, जनलेखा समिति तकाजा करती आ रही है इसको बन्द कर दें। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट से जांच करवायें और पैसा ठेकेदार से वसूल करें, लेकिन आज उसकी कोई सुनता नहीं। जो हम यहां बैठे हैं वह केवल वाद-विवाद करके जनता को गुमराह करने के लिए बैठे हैं या दो—चार अधिकारियों को गालियां सुनाकर जनता को गुमराह करने के लिए बैठे हैं। जनतन्त्र को सही रास्ते पर लाना है और लोक-कल्याण के लिए सही रूप से उसको आगे बढ़ाना है लेकिन लोक-कल्याण तो ठेकेदार में चला गया। मैं यह कहूं तो मुझे सदन के माननीय सदस्य माफ करेंगे जो मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि अधिकारियों के हाथ में खेलना सदन कब तक बरदाश्त करेगा? सदन सुप्रीम है। इस सदन के कार्यक्रम को अधिकारियों को और राज्य के मंत्रि-मण्डल को स्वीकार करना पड़ेगा। यह किये बगैर काम नहीं चल सकता है।

Page No 73

(73)

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुप्रीम नहीं है लेकिन सेवक है। स्वामी नहीं है सदन।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह मानता हूं कि राज्य सरकार सेवक है स्वामी हम हैं और मंत्री-मण्डल हमारे प्रति रेस्पांसिबल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पालिया-मेंट ने, लोकसभा ने अपने आपको सेवक ही कहा है। स्वामी हो जायेंगे तो गड़बड़ हो जायगी। सेवक ही रहने दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं नहीं मानता हूं कि सेवक हैं। यह सदन सुप्रीम है और राजस्थान सरकार की एक्जीक्यूटिव सुप्रीम नहीं है इसलिए कि उस पर हमारे चैक्स हैं, क्वश्चन के द्वारा हम चैक करते हैं, समितियों के द्वारा चैक करते हैं। हम यहां पर खाली भाषण देने नहीं आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं सदन का। मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि ठेकेदारी बन्द करने के बाद यह सब काम खत्म हो जायेंगे। भगवान के नाम से बहुत से आनेस्ट आफिसर्स अपने यहां पर बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के हित में, राजस्थान की जनता के हित में, इस दो करोड़ 35 लाख जनता के हित में यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में ठेकेदारों को न रखें। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि ठेकेदारों के मारफत काम कराना बन्द करें। इससे राजस्थान का भला होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करणसिंह।

श्री करणसिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के ऊपर मेरे दो प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव तो यह है कि भरतपुर जिले में जैसा कि सभी माननीय सदस्यों की जानकारी है, बहुत भयंकर बाढ़ आई और कोई बांध नहीं बचा। आबादी को बहुत नुकसान हुआ, किसानों के खेत खराब हुए। उसके बावजूद भी आज उन पर सिंचाई-कर के नोटिस जारी कर दिये गये हैं। जब सिंचाई विभाग से हमने जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि विधिवत् जिन्होंने सिंचाई की है उनसे हम सिंचाई कर लेंगे। बांध टूट गये, दुनियां तबाह हो गई तो विधिवत् सिंचाई कौनसी रह गई, यह मेरी समझ के बाहर है? बाढ़ और अकाल के संबंध में जिस वक्त इस सदन में चर्चा हो रही थी तो माननीय मंत्रीजी ने इस सदन को यह आश्वासन भी दिया था कि जहां पर बाढ़ आई है वहां पर सिंचाई कर नहीं लिया जायेगा। इसके बावजूद भी आज वहां पर सिंचाई के नोटिस जारी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि भरतपुर की बाढ़-पीड़ित जनता के प्रति आप सबों की सहानुभूति होगी और मंत्री महोदय आज फिर उस घोषणा को दोहरायेंगे, लेकिन दोहराने से ही काम नहीं चलेगा पर अमल करवायेंगे कि बाढ़-पीड़ितों से सिंचाई कर नहीं लिया जाय।

दूसरी बात अनावश्यक व्यय की बात है। वैसे सिंचाई के कामों में राजस्थान में काफी प्रगति हुई है और होती रहेगी। यह हमें आशा है। पिछले वर्ष 36.92 करोड़ रुपया सिंचाई के कार्यों में व्यय किया गया,

Page No 74

(74)

(श्री करणसिंह):

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो थोड़ी बहुत मुझको जानकारी मिली है इस विभाग की भूलें की वह मैं इस सदन को जरूर अवगत कराऊंगा। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि इन्द्र देवता के प्रकोप के कारण देश में अकाल पड़ा। एक तरफ तो हम इन्द्र भगवान से आशा करते हैं कि हमें जल दे, दूसरी तरफ इन्द्र भगवान् की कृपा को नापने के लिए हमारे सिंचाई विभाग ने रेनगेज वर्षामापक यन्त्र खरीदे—खरीदे या नहीं खरीदे लेकिन 5 लाख का इस संबंध में खर्चा हुआ। कहां लगाये गये ? चांदी का पात्र लेकर भिक्षा लेने जायेंगे तो कोई भिक्षा नहीं देगा। इसी तरह से इन्द्र भगवान भी सोच सकते हैं कि जो प्रांत 5-6 लाख मेरे दान को नापने में व्यय कर सकता है उन्हें वर्षा की क्या आवश्यकता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह ऐसे अनावश्यक व्ययों में जांच करें।

इसी प्रकार भरतपुर में फ्लड कन्ट्रोल नाम की एक नहर बनाई गई और करोड़ों रुपये व्यय हुए। बड़े बड़े बुल डोजर्स आये और जंगलों में पेट्रोल पम्प लगाये गये, हजारों एकड़ भूमि उस कार्य के लिए किसानों से ली गई, और आज वह नहर अधूरी पड़ी हुई है, किसी काम में नहीं आ रही है। मालूम यह हुआ है कि राजस्थान ने इस स्कीम को कैंसिल कर दिया है। करोड़ों रुपये बरबाद करने के बाद, हजारों एकड़ जमीन बरबाद करने के बाद ऐसी ऐसी स्कीम को बन्द किया जायगा तो भगवान ही मालिक है इस विभाग का।

सवाई माधोपुर डिविजन में दो लाख रुपये की बोरियां खरीदी गई बाढ़ के नाम पर। कहां से खरीदी गई, कब खरीदी गई इसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर पता लगा है कि 2-4 हजार खाली बोरियां खरीदी गई और वह भी नाज भरने के काम में आ रही है बाढ़ से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

नगर पंचायत समिति में आगारेल नाम की नहर जो इस बाढ से खराब हुई है, इस वर्ष सब बांधों की मरम्मत का प्रावधान किया गया है लेकिन उस नहर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब हमने मालूम किया तो बताया गया कि बांधों की मरम्मत का प्रावधान है और नहरों का नहीं है। जब नहरें ही नहीं होंगी तो बांधों के भरने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा ?

अब मैं मंत्री महोदय से अपने क्षेत्र के बांधों के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। भरतपुर जिले में सभी बांध इस बाढ़ से टूटे हैं और मंत्री महोदय को उसके लिए एक अलग डिवीजन कायम करना पड़ा। काम भी वहां पर चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। इस संबंध में सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जून से पहले पहले यदि यह काम पूरा नहीं हुआ तो लाखों रुपये, जो आपने इस संबंध में व्यय किये हैं, वह बेकार जायेंगे। वहां पर जो कच्ची मिट्टी और ताजा मिट्टी पड़ी हुई है उसको बरसात का पानी बहा ले जायगा। इसलिए मंत्री महोदय से आपकी मारफत निवेदन है कि इस काम में प्रगति लाई जाय और उन्हें शीघ्र ही पूरे कराये जायं।

अन्त में मेरी फिर वही मांग मंत्री महोदय से है वे इसकी गवेषणा करें कि बाढ़ से

Page No 75

(75)

(श्री करणी सिंह)

पीड़ित गरीब किसानों से आबयाना किसी भी हालत में नहीं लिया जायगा और सभी बांध मुरत्तिब कर दिये जायेंगे।........

एक माननीय सदस्य : आबयाने का तो पिछले साल भी जवाब दिया था।

श्री करणीसिंह : मुझे आशा है इस संबंध में जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय है, सिंचन, नौचालन, तट बन्धन। सिंचन से भरा हुआ है। तटबंधन, नौचालन तो रहा नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि राजस्थान की इस महान योजना को जन्म दिया गया था तो तटबन्धन, नौचालन भी शामिल था और हरीकेन बांध से लेकर समुद्र तक पहुंच कर बन्दरगाह तक बनाने की बात थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अब वह बात तो है नहीं इसलिये इस प्रकार के भारी भरकम शब्दों को निकाल दें तो अच्छा हो। इनका तो उच्चारण करने में भी कष्ट होता है।

श्री मीठालाल : इसकी जगह पद चालन कर दिया जाये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, जो प्लान अप्रोच है, उससे प्रारम्भ करूंगा। उसके अन्दर स्पष्ट किया गया है; 63 से लेकर 73 तक अकाल स्थिति राजस्थान के अन्दर क्या रही है। लाखों लोग राजस्थान के अन्दर लगातार अकाल से प्रभावित हो रहे हैं। आज तक अगर वर्षों में देखें तो अकाल की विभीषिका अपने क्रम में बढ़ती चली गई है। इसके अनुसार हमें कोई प्लाण्ड इकोनोमी को अपने प्रदेश में करना था, यह आवश्यक था कि उसी अनुपात में हम सिंचाई योजनाओं को दृढ़ करते चले जाते। उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे भारत में सिंचाई की स्थिति में हमारी स्थिति दुर्लक्ष्यपूर्ण है। सारे आंकड़े यदि हम देखें, कितनी सिंचाई, कितने क्षेत्र में हुई है तो जहां पूरे भारत में एवरेज 20% है वो हमारे यहां पर एवरेज 12% है। कई ऐसे राज्य हैं, जो सिंचाई में पिछड़े हुए हैं, जहां तक हमारी स्थिति है हम उन सभी राज्यों से पिछड़े हुए हैं यदि अकाल के आंकड़े देखें तो 159 करोड़ रुपया, जब से आंकड़े दिये गये हैं, हमने खर्च कर दिये हैं। लेकिन नहर योजना पर 80 करोड़ से अधिक खर्च नहीं कर पाये हैं। राजस्थान नहर जो कि केवल राजस्थान ही नहीं सारे भारतवर्ष के लिए वरदान हो सकती थी, उस नहर को इंच बाइ इंच घटाया गया है। गवर्नर के भाषण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम 4 लाख 60 हजार एकड़ सिंचन कर सकें। 4 लाख 85 हजार एकड़ तक इस वर्ष के अन्त तक कर पायेंगे। मैं एक पुस्तक के बारे में निवेदन करूंगा जिसने सारे भारत का ध्यान आकर्षित किया है। जिसका नाम है, डेजर्ट ट्रलोएम इसके कुछ शब्द पढ़कर सुनाता हूं।

Area to be irrigated on the basis of the one inch to one mile spot level sheets, the areas under command of the project work out as below.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(I) Gross commanded area 80.00 lakh acres.

(ii) culturable commanded area-

(a) Flat area (flow) 27.75 lakh acres.

(b) Flat area (Lift) 7.25"

(c) Dune area 32.00 " "

(iii) c. c. area to which it would be possible to provide irrigation facilities-a first stage 16.00 lakh acres (b) Total Project 46.00 lakh acres. Enough water is not available to provide irrigation to the entire culturable area. इस डेजर्ट-ब्लाजम के अन्दर हमारी योजना के अनुसार 450 मील लम्बा नहर है। 134 मील पूरा करने के लिए, मेन कैनाल जिसका प्रसार मील राजस्थान के अन्दर है, इस प्वांइट से 122 मील 1968 तक हमें पूरा कर लेना चाहिए था। 116 में सिंचाई आरम्भ हो जानी चाहिए थी। हम 4 लाख 85 हजार एकड़ में इस वर्ष के अन्त तक कर पायेगें। वैसे मैं इस डिटेल में जाऊं तो उपाध्यक्ष महोदय, सदन का सारा समय समाप्त हो जायेगा। इसमें मैंने सारे भारतवर्ष के आंकड़े एकत्रित किये है। मैं निवेदन करूं, मैंने मिसीसिपी, वोल्गा, इजिप्ट के महान आंकड़े एकत्रित किये हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, मीनाक्षी गंगनहर के आंकड़े पूर्णरूप से मेरे पास है। इन सारे आंकड़ों को देखें, जितनी धनराशि खर्च की गई है। उससे जितनी सिंचाई प्राप्त हुई है, जो धरती वेल्युएबिल हुई है, यह क्या है। यह योजना हिन्दुस्तान ही नहीं सारे विश्व में अपना स्थान रखती है। इससे बड़ी से बड़ी योजना की तुलना नहीं की जा सकती है। दुनियां में ऐसी कोई दूसरी योजना नहीं है। 200 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद मानले कि 110% इण्टेन्सिटी प्राप्त कर लें। आप सारी दुनियां की योजना देख लें अजरबेजान की योजना सारे विश्व में महत्व रखती है। कोलम्बिया की योजना सारे विश्व में महत्व रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 90% धरती इस योजना के अन्दर सरकारी धरती है। जिस पर किसानों को बसा सकते है प्लान अप्रोच में आंकड़े दिये है। 8 लाख ऐसे परिवार हैं, जिनको इस क्षेत्र के अन्दर बसा पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, खेद का विषय है, मुझे राजस्थान सरकार से भी शिकायत है। हालांकि भारत सरकार से भी शिकायत है। हमारे पार्लियामेण्ट में जो लोग गये हैं, उनसे भी शिकायत है। राजस्थान नहर निर्माण के सम्बन्ध में कमजोरी है। राजस्थान कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में नहीं लिया जा सकता है जब कि तुंगभद्रा को नेशनल प्रोजेक्ट में लिया जा सकता है क्योंकि उसके लिए हजारों किसान आन्दोलन करें। लेकिन राजस्थान कैनाल को नहीं लिया जा सकता है। यह बात तो दूसरी बात है कि भारत सरकार यह कह दे और राजस्थान सरकार उसको न माने। हमारे धर साहब ने यह कहा कि 40 पर्सेन्ट केवल पानी का उपयोग होता है और 60 पर्सेन्ट पानी का उपयोग नहीं होता है। भारत सरकार यह कहे भूपेन्द्रसिंह के प्रश्न

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के उत्तर में पार्लियामेंट में कि हम चाहिए जितनी राशि देने के लिए तैयार हैं लेकिन राजस्थान सरकार पैसे का उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं है, राजस्थान सरकार के पास पैसे का उपयोग करने के लिए प्लान नहीं हैं। बी. शिवराम पद्म विभूषण हैं, प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसीडेन्ट हैं, वह यह घोषणा कर दें कि हम चालीस करोड़ रुपया कोलोनाइजेशन के प्रोसेस के लिए देने के लिए तैयार हैं, जब कि राजस्थान सरकार द्वारा केवल 12 करोड़ की स्कीम प्रस्तुत की गई है। यह हो सकता है। इसके साथ साथ कम से कम यह होना चाहिए इस सदन के एक एक सदस्य को ग्रान्दोलन के ग्रन्दर हमारे साथ में होना चाहिए, देश के साथ साथ हमारे राजस्थान के अन्दर से अकाल के भूत को हमेशा के लिए परास्त करने के लिए, राजस्थान की इकोनामी के लिए ही नहीं बल्कि देश की इकोनामी के लिए, इस योजना के सम्बन्ध में आन्दोलन खड़ा करना चाहिए, दृढ़ रुख ग्रपनाना चाहिए ग्रौर मजबूती से एक जूट होकर आगे बढना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अन्य योजनाओं का प्रश्न उधर प्रश्न पैदा कर रहा है, इन प्राविन्सियल प्रश्नों में, चाहे वह भरतपुर की योजनाम्रों के हों, वह ग्रजाना डेम के प्रश्न हों, माही प्रॉजेक्ट के प्रश्न हों, चाहे भाखरा प्रोजेक्ट की योजना हो, या गंग कैनाल की योजना हो, या राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट हो, सारों के ग्रन्दर प्राविन्सियल प्रश्न है। इन प्राविन्सियल प्रश्नों के सम्बन्ध में, मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाये हैं। क्योंकि नहीं कर पाये हैं? हमारा दावा सही है हमारे क्लेम सही है फिर भी हम उनको हल नहीं कर पाये हैं। गंगानगर के ग्रन्दर एक बहुत बड़ा ग्रान्दोलन हुग्रा जिसमें बीस हजार किसान जेलों में गये, उसके परिणामस्वरूप तीन कमेटी बनाई गई, जिसमें एक सिंगल मेम्बर कमेटी थी, मोतीराम कमेटी उस मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई हो या नहीं, इतनी बढ़िया रिपोर्ट है, उसको आज तक छपवाया नहीं गया है जब कि इसी सदन में सरकार ने सैकड़ों बार आश्वासन दिये हैं कि उस मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जायगा। उस वक्त के मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि हम जोइन्ट कंट्रोल सिस्टम लायेंगे लेकिन जाइन्ट कंट्रोल सिस्टम ग्राज भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक सेल चण्डीगढ़ में कायम कर दिया, उसमें एक सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, दो एक्स इ. एन. चण्डीगढ़ में फंक्शन कर रहे हैं। तीन ग्रुप के अन्दर, ग्रुप ए., ग्रुप बी., ग्रुप सी. इन तीन ग्रुप के अन्दर पानी मिलता हैं, लेकिन उन ग्रुप्स के अन्दर हमारा दखल नहीं है, उन ग्रुप्स के फार्मेशन के ग्रन्दर हमारा हाथ नहीं है। स्थिति इतनी गम्भीर है, हमारा सेल चण्डीगढ़ में बैठा है, यदि वह रेगुलर टेलीग्राफिक सिस्टम से राजस्थान से कान्टेक्ट करना चाहें तो उनको टेलिग्राफिक सिस्टम इरिगेशन यूज नहीं करने देते हैं ग्रौर पोस्ट ग्रौर टेलीग्राफ का सिस्टम उन्हें यूज करना पड़ता है। मोतीराम कमेटी ने इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया है कि पंजाब के जो प्रश्न हैं, जैसे कि रीवर सतलज के प्रश्न को ले लीजिये इसके सम्बन्ध में जो ग्रकाउन्ट्स मोतीराम चौधरी ने चैक किये उन ग्रकाउन्ट्स में यह बात स्पष्ट पायी गई, शेरों के वाड़े से रोपड़ का वाटर का रिजनरेशन है, उसके सारे के सारे वाटर का, ओल्ड सतलज के वाटर का क्लेम है, 7200 क्यूसेक पानी का, वह सारे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के सारे पानी का पंजाब सरकार फ्रोड के रूप में इस्तेमाल करती है। पता नहीं कि मंत्रियों की आपस में कान्फ्रेन्स हुई या नहीं, लेकिन 29 जनवरी, 1955 के अन्दर एक इन्टर प्राविन्सियल कान्फ्रेन्स हुई जिसमें कि भारत के सिंचाई मंत्री भी मौजूद थे। उसमें हमारे प्री-पार्टिशन क्लेम के बारे में एक प्रोसीजर तय हो गया लेकिन आज भी पंजाब की सरकार 59 पर्सेन्ट क्लेम उस वाटर के अन्दर करती है, जो प्री पार्टिशन का वाटर है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, रावी, व्यास से लिंक है, जो प्री–पार्टिशन वाटर अवेलेबल होना चाहिए रावी व्यास लिंक से एक छोटा सा लिंक है, बड़ा लिंक नहीं है, वह दिल्ली रीजन में लिंक चलता है, कोई सेण्डी ड्यून्स के अन्दर नहीं चलता है लेकिन पंजाब सरकार 60 प्रतिशत वाटर लोसेज का क्लेम करती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा के अन्दर हमारी स्थिति देखें, और विशेष कर भाखरा के सम्बन्ध में स्थिति देखें। पिछले दिनों भाखरा बोर्ड के चेयरमैन पधारे हुए थे। मोतीराम कमेटी ने इस बात को स्पष्ट कहा था कि भाखरा बोर्ड को भाखरा के अन्दर राजस्थान के वाटर क्लेम को रेफर कर दिया जाय। चेयरमैन साहब के साथ मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चेयरमैन, भाखरा बोर्ड ने स्वीकार किया, उनके साथ भाखरा बोर्ड के सदस्य थे, पांच कान्टेक्ट पाइन्ट्स के ऊपर भाखरा के पानी को हम राजस्थान के अन्दर रिसीव करते हैं, उन पांचों प्वाइंट कान्टेक्ट के अन्दर हमारे पानी की चोरियां होती है। हरियाणा एब्जाप्शन लासेज क्लेम करता है, हमसे 40 पर्सेन्ट जब कि पानी की चोरी होती है। मैंने पूछा, आपने हमारी इस सम्बन्ध में क्या सहायता की? उन्होंने कहा मैंने एक बार इस प्रश्न को भारत सरकार को रेफर किया है और कहा है राजस्थान के वाटर के राइट्स की सुरक्षा होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मुद्दे हैं जो कि हमारे इन प्राविन्सियल सम्बन्धों के मुद्दे हैं, लेकिन ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो मोतीराम कमेटी ने उठाये हैं और जो हमारे ही से सम्बन्ध रखने वाले हैं, राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले हैं, राजस्थान के अकाल से सम्बन्ध रखने वाले हैं। मोतीराम कमेटी ने स्वीकार किया है कि एक कामन लिंक तीनों सिस्टम का कायम होना चाहिए। उन्होंने 1 लाख 80 हजार एकड़ जमीन गंग कैनाल और भाखरा की इरिगेशन करने का भाखरा के पानी से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस बात को कहा कि सारा वाटर सूरतगढ़ ब्रांच में लाया जाय, इसके लिए सूरतगढ़ ब्रांच को गहरा किया जाय, सूरतगढ़ ब्रांच की लाइनिंग की जाय। हमें इस लाइनिंग को आरम्भ कर देना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार और हमारी सरकार के अधिकारीगण बड़ी सरलता से इस बात को कह देते हैं कि हमने मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया है। यदि इस मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के कार्य को गंग कैनाल के सम्बन्ध में लें तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, 27,179 एकड़ जमीन करणीजी से इरिगेट होती है, वह सारी की सारी सूरतगढ़ ब्रांच के वाटर से इरिगेट की जाय। एन० पी० साइड से पैरेनियल 40618 एकड़ जमीन इरिगेट नहीं की जाय, यह सूरतगढ़ ब्रांच के वाटर से इरिगेट की जाय, और एन० पी० साइड चेंज कर ली जाय। एल० एन० पी० और एन० पी० नान पैरेनियल जमीन है, 9706 है और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

2881 एकड़ जमीन है, जिसको राजस्थान कैनाल से इरिगेट किया जा सकता था, बाकी जमीन के लिये कहा कि इसको परेनियल बना लीजिये और वाटर क्वान्टम है, वह 58000 रिड्यूस करके जो गंग कैनाल का नार्मल वाटर पाइन्ट है, उससे इरिगेट कर दीजिये। 1,17,797 एकड़ जमीन है, जो गंग कैनाल से इरिगेट होने वाली है, मोतीराम कमेटी ने यह भी कहा कि गंग कैनाल के 1955 के एण्डरसन एवार्ड से इण्डो-पाक ट्रीटी तक गंग कैनाल की 80 इन्टेन्सिटी कर ली, इण्डो-पाक ट्रीटी के बाद हिस्सा हुआ और गंग कैनाल की इन्टेन्सिटी रिड्यूस हो गई, पीछे हो गई। 469 पानी गंग कैनाल को एक्स्ट्रा देने की बात करें, तो मैं पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में इतनी बड़ी चीज होने वाली है। भाखरा का 60 हजार एकड़ को वाटर मोतीराम ने देने की बात कही है, वह दूसरी बात है, 20,678 एकड़ में राजस्थान कैनाल से इरिगेशन आरम्भ करने वाले हैं तो क्या आपने कोई कार्य आरंभ किया है ? जो सूरतगढ़ ब्रांच है, क्या उसकी लाइनिंग शुरू हो गई है, क्या डीपनिंग शुरू हो गया है। आज गंग कैनाल की स्थिति है कि 2700 क्यूसेक पानी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें जगह जगह बोटल नेक क्रियेट हो गये हैं तो 470 एक्स्ट्रा पानी कैसे डालेंगे। क्या आपके पास में अलाउद्दीन का चिराग है ? क्या आपके पास कोई स्पष्ट योजना है, सतलज माही लिंक 1974 में पूरी हो जायगी, पौंग डेम 1973 में पूरा हो जायगा यह सन् 1973 चल रहा है, मार्च का महीना है। क्या इतने बड़े वर्क्स, सारे आउटलेट्स का रीमोडलिंग, सूरतगढ़ ब्रांच का लाइनिंग, भाखरा सादूल ब्रांच के अन्दर भाखरा करणीजी, गंग कैनाल की कैपेसिटी को इन्क्रीज करना, सारे के सारे काम को आप 8 महीने में पूरा कर लेंगे ? आप पौंग डैम के सारे वाटर सप्लाई को आप कौनसे अल्लादीन के चिराग के जरिए उस वाटर सप्लाई को एब्जार्ब कर लेंगे और अगर आप एब्जार्ब नहीं करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस अकाल-ग्रस्त राजस्थान को करोड़ों रुपये की क्षति होने वाली है। इसके अलावा मैं कुछ और भी

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

गम्भीर प्रश्न कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो भाखरा सिस्टम के लिए मन्त्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि करीब 8 हजार एकड़ से अधिक धरती ऐसी थी जो कि इस भाखरा सिस्टम में कमांड घोषित कर दी गई और उसके बाद इसमें से कुछ धरती जो कि 6 हजार एकड़ से ऊपर है, अनकमांड घोषित कर दी गई और कुछ नई धरती जो 20 हजार से ऊपर है, जो कमांड से अनकमांड घोषित की गई। यह निश्चित तथ्य है कि 60 हजार से ऊपर एकड़ ऐसी धरती है जिसको अनकमांड घोषित किया गया है। कोई खर्चा नहीं आया ? क्या वाटर कोर्सेज नहीं बने ? क्या चैनेल्स नहीं बने ? क्या लैंड रिक्लेम नहीं की गई ? क्या सर्वे नहीं किया गया ? क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम है जादू का सिस्टम है जिससे बिना क्लेम किए इतनी बड़ी धरती कमांड से, अनकमांड घोषित की गई है और आज उस सिस्टम की हालत यह है कि जो धरती कमांड करके बेची थी, उसके बाद अनकमांड घोषित की गई, आज भी आप उससे इरिगेशन चार्जेज

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

ले रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आज जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि धर साहब की 10 प्रतिशत क्लेम को मैं सही नहीं मानता कि 40 प्रतिशत वाटर का उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन यह अवश्य सत्य व तथ्यपूर्ण बात है कि राजस्थान के पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। स्वयं चेयरमैन, राजस्थान कैनाल बोर्ड ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मेरे सामने की लो-लेविलब्रांच और सूरतगढ़ ब्रांच में अब 50 प्रतिशत वर्क्स ऐसे हैं जो कन्सट्रक्टेड नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो गंग कैनाल के लिए 18 डिप्रेशन्स बने हुए हैं, उनके अन्दर 50-60 फीट पानी खारा है और लोगों की हजारों बीघा जमीन डिप्रेशन के नीचे दबी हुई है। आप कहेंगे कि रेन वाटर से था, वह कहां से आ गया? गोविंद सागर डैम में 80 फीट वाटर की कमी थी। पंजाब में बिजली की कटौती हो रही है 33.1/3 प्रतिशत कटौती। हम कहते हैं कि फिर कौन से तरीके से राजस्थान पर बारिश हो गई और डिप्रेशन्स भर दिए गए और फिर घग्धर का नार्मल फ्लो नहीं आया। आज सब से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मोतीराम कहता है कि 1,80,000 एकड़ भाखरा और गंग कैनाल हम सिंचित करें लेकिन जो सिंचन हो रहा है राजस्थान नहर से, वह बेंट पर रख दिया गया है। जिनके क्षेत्र में 10-10 वर्ष से राजस्थान कैनाल से सिंचन हो रहा है, चार एल० सी०, सात एल०सी०, रामसर नदी, मंत्री महोदय ने मुझे लिस्ट दी है। अगर भाखरा और गंग कैनाल के चीफ इन्जीनियर के पास जाय तो वे आर० सी० पी० के चेयरमैन का रास्ता दिखाते हैं। मोतीराम की सिफारिशों को आप क्यों नहीं मानते ? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान कैनाल का जितना सिस्टम दूषण के लिए रह गया है उसको प्राजेक्ट और कन्सट्रक्शन के नीचे मत रहने दें, उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन को दे दें। आप क्यों उस कन्सट्रक्शन वर्क को एक ही प्रोजेक्ट के नीचे रखना चाहते हैं ? यह कौनसा तरीका है ? जितना सिस्टम रेग्यूलरली होना शुरू हो गया है, उस सिस्टम को आप कामन कन्ट्रोल के अन्दर दीजिए, उसके आउटलेट्स के प्रश्न को, कॉमन कन्ट्रोल के नीचे चैनल्स के प्रश्न को, डाल दीजिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री प्रद्युम्नसिंह : कितनी घंटियां बजेंगी ? दूसरी, तीसरी•••

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपको तो 12 घंटियां भी असर नहीं करती लेकिन आप जैसा कोई भद्र आदमी कहना चाहे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम चाहते हैं कि हमारा नम्बर जल्दी आए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं राजस्थान के हित की बात करता हूं। हमदर्दी हो, तो सुनिए। दो मिनट में समाप्त करूंगा।

अंत में, मैं गंभीर समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह हमारे ड्रेनेज और इर्रिगेशन के संबंध में है, जिसके लिए मोतीराम ने स्पष्ट कहा है कि आज रेवेन्यू अथोरिटीज क्लेम करती हैं कि वाटर कोर्सेज और कमांड लैंड या दूसरी लैंड्स के अन्दर हमारा दखल है। इतना ही नहीं,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रेवेन्यू अथोरिटीज और इरिगेशन अथारिटीज का झगड़ा बड़ा अजीब है जिसके अन्दर किसान पिस रहा है। रेवेन्यू अथारिटीज और इरिगेशन अथारिटीज के रेकार्ड के अंदर बहुत बड़ी डिस्क्रेपेन्सी है। एक किसान नहरी जमीन खरीदता है, किश्तें अदा की हैं, अचानक जब गांव के अन्दर सूखी गीली व्यवस्था तय होती है, उनसे कहते हैं कि तेरी जमीन नहीं, कमांड नहीं, नहरी रेकार्ड में कमांड नहीं है. पानी लगता रहा, वह फर्जी लगता रहा। मोतीराम ने स्पष्ट कहा है कि जिस जमीन को लोगों ने अपने पसीने से कमांड कर लिया है, उसको आपको पानी देना होगा लेकिन वह धरती जिसमें 30 साल से पानी लग रहा है. वह एक दिन अनकमांड डिक्लेयर हो जाती है, कभी बैठकर रेकार्ड का तालमेल कायम नहीं किया गया। एस० ई० आर्डर दे तो कलेक्टर वैकेट करे, कलेक्टर आर्डर दे तो एस० ई० वैकेट करे। शटिल काक की तरह किसान एस० ई० और कलेक्टर आफिस में सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है। मेरे पास समय होता तो मैं बताता कि जो पानी हमारे पास है उसका भी वितरण सही नहीं है। इस बात को मोतीराम ने स्वीकार किया कि हमारी ब्रांचेज के अंदर शार्टेज है। आज कोई भी कैनाल को कट करे तो कम्पाउंडेबुल केस है, नान-बेलेबल नहीं है, बड़े आराम से नहर काट दी, 100–200 एकड़ के अन्दर पानी लगाया, नीचे के 10–20 गांव, उनकी फसलें सब तबाह हो गई, पुलिस के अन्दर केस रजिस्टर किया जाए, केस बेलेबल है। कम से कम ऐसे अपराध जो राज्य से ताल्लुक रखते हैं, उनको तो पेनल आफेंस. बनाइए, नान–बेलेबल आफेंस बनाइए, आपका इरिगेशन विभाग कामर्शियल विभाग हैं, रोडवेज कामर्शियल विभाग है, आप पानी बेचते हैं पैसा लेते हैं, आपके अपने मजिस्ट्रेट्स होने चाहिए, समरी ट्रायल होना चाहिए जिससे कम से कम जो हैबीचूअल नहरों के कटर्स, हैं उनको कुछ डर रहे। आप किसी मजिस्ट्रेट के आफिस के आगे चले जायं, मोटे मोटे पाइप्स की लाइन लग जाती है, मैं फोटो लाया था, मुंसिफ मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर के कोर्ट के मुल्जिमान आराम से सैर कर रहे है, कोई तकलीफ नहीं। वहीं पाइप्स का आक्शन होता है कोर्ट के अन्दर और पानी का चोर उन्हीं पाइप्स पर आक्शन में बिड करके उनको ले जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो कि राजस्थान के हित के अन्दर है, जो कि स्पष्ट भी है अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि हमने राजस्थान में जो खर्चा किया है वह किस अनुपात में खर्चा किया है? मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आप मीडियम प्रोजेक्ट्स ले लीजिये उसमें बहुत सी अव्यवस्थायें हैं। जिस उद्देश्य को लेकर हमने उन्हें बनाया था वह उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर सके। हमने जो योजनायें बनायी हैं उसमें हमें पूरा लाभ नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, ये मीडियम प्रोजेक्ट्स, जो हैं उन्हें एक तरह से नेगलैक्टेड किया गया है। लेकिन इनके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनका खुद का सेल्फ जनरेटिंग और एक बड़ा इम्पोरटेन्ट रोल है। इसी प्रकार माईनर प्रोजेक्ट हैं वे भी अपने हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेन्स रखते हैं। अगर हम इन सब का, सारी की सारी योजनाओं की अच्छी तरह से स्टडी करे तो हमें पता

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लगेगा कि हमने फर्स्ट फाइव इयर प्लान में, सैकन्ड फाइव इयर प्लान में, थर्ड फाइव इयर प्लान में और फोर्थ फाईव इयर प्लान में इनका ले आउट ठीक तरह से नहीं किया आज हमारे यहां जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे माईनर इरिगेशन प्रोजेक्टस हों, चाहें मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, उनको ले आउट जो किया गया है वह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत सी डिस्क्रीप्रेन्सीज हैं। उपाध्यक्षजी, उसके नहीं होवे से काफी गड़बड़ियां हुई हैं। आज हमें आवश्यकता है राजस्थान के अन्दर गंगा का पानी लाने की, आज आवश्यक्ता है हमें राजस्थान के अन्दर नर्बदा का पानी लाने की, हमें राजस्थान के अन्दर अकाल और अभाव के लिये जरूरी हैं ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तैयार किये जाने की जिससे कि हम परमानेन्ट सोल्यूशन इस अकाल की समस्या का कर सकें। आज हमने भारत सरकार से इस अकाल के लिये करीब दो सौ करोड़ रुपये लिये हैं। लेकिन हमको आज आवश्यकता है भारत सरकार से संघर्ष करने की जिस प्रकार आसाम में आईल रिफाइनरी लगाने के लिये आसाम के सारे के सारे मन्त्री मन्डल ने रेजिगनेशन दे दिया। अगर आप हमारे यहां पर आइल रिफाइनरी नहीं लगाते हैं तो हम इस्तिफा दे देंगे। और अन्त में भारत सरकार को वहां पर कोई रिफाइनरी रखनी पड़ी। तो उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या को हमेशा के लिये निपटाने के लिये हमारे यहां जरूरत है इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स की। अगर हमारे यहां के इरिगेशन मन्त्री जी रेजिगनेशन दे दें कि या तो हमें आप प्रोजेक्ट पूरे करने के लिये धनराशि दीजिये अन्यथा हम रेजिगनेशन दे देंगे। अगर सिंचाई मन्त्री रेजिगनेशन देने को तैयार हैं तो हम सदन के विधायक भी इसके लिये तैयार हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

बस इतना ही निवेदन मुझे करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में मैंने भी कुछ कटमोशन दिये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आजादी के बाद राजस्थान में कई जगहों पर राजस्थान सरकार द्वारा इरिगेशन के काम हाथ में लिये गए हैं जिससे लाखों लोगों को लाभ मिला है उसका हित हुआ। राजस्थान सरकार ने सन् 1957 में कोटा डिविजन में चम्बल के अन्दर डेम बनाकर सिंचाई के लिये व्यवस्था की। कोटा में चम्बल नदी पर बान्ध बनाने से कोटा डिविजन और बूंदी के इलाकों में करीब कोटा के तो 553 गांव और बून्दी जिले के करीब 312 ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था हुई। कुल मिला कर हम देखें तो करीब 865 गांव इस योजना से लाभान्वित हुए। उपाध्यक्ष महोदय, इन 865 गांवों में सन् 71-72 तक करीब 1 लाख 29 हजार 903 बीघा भूमि का आवन्टन किया गया है। जिस प्रकार इन 865 गांवों में इरिगेशन का काम किया गया है उसी प्रकार अगर इरिगेशन का लक्ष्य रखा जा कर चम्बल नदी के आस पास और चम्बल की रेयन्स में जहां आज लाखों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है वह सिंचाई के काम आ सकती है। लेकिन उस जमीन में सैकड़ों खड्डे

(श्री नन्दलाल बैरवा)

हैं और वह जमीन उबड़ खाबड़ भी है। उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई विभाग ने इन 865 गांवों मे जो इरिगेशन होती है जहां पर बारह मास पानी दिया जाता है, वहां पर तो आप उनसे पैसे सिचाई के पानी का लें तो कोई बात नहीं लेकिन जहां पर इस एरिया में ही पानी नहीं दिया गया है फिर भी राज्य सरकार पैसा वसूल कर रही है। इसके अलावा मैं एक बात आपके माध्यम से यह और निवेदन करना चाहूंगा वह यह कि आज इस एरिया की जमीन को सरकार लाखों रुपयों में बेच रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोटा डिविजन का और उस एरिया का जो किसान है वह गरीब है इसलिए वह इस जमीन को खरीद नहीं सकता है। इसलिए जो पैसे वाले हैं, उन्होंने उस जमीन को खरीदली है। लेकिन उस एरिया में जो किसान हैं वे बेचारे आज बिना जमीन ही बैठे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि जो जमीन आप लाखों रुपये में बेच रहे हैं उसे बेचा नहीं जाकर उसे रोका जाना चाहिए। इसके अलावा जिस जमीन पर आपने अलोटमेन्ट के बाद से आज तक पानी नहीं पहुंचाया फिर भी आप उनसे आज तक उतने ही पैसे ले रहे हैं जितने कि सिंचित जमीन से लेते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाय। इसके अलावा जिन लोगों ने वहां पर नाजायज कब्जा उस जमीन पर कर रखा है और उन्हें वह जमीन अभी तक अलोटमेन्ट नहीं हुई है उसको राज्य सरकार को चाहिये कि उन भूमिहीनों को ही अलोट कर दी जाकर उनको जो कब्जा है उन्हे रेगुलराइज राज्य सरकार के आदेश निकाल कर किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज चम्बल के अन्दर आपने इरिगेटेड लेण्ड तो बतादी है एक लाख और 64 हजार हेक्टर परवास्तव में वहां पर इतनी जमीन से सिंचाई नहीं हो रही है जैसा कि आपने बताया कि एक लाख 61 हजार एकड़ जमीन में ऐसी बहुत कम जमीन है जहां पर कि बारह मास और 24 घन्टे पानी आता हो। अभी वहां पर थोड़े दिन पहले वर्ल्ड बैंक की टीम आयी थी उसने कोटा डिविजन को देखा और ऐसा महसूस किया कि वहां पर अभी हमारी एकड़ जमीन ऐसी है जो कि ऊसर पड़ी हुई है। वहां पर सिचाई नहीं हो रही है। वहां जिस प्रकार वहां का किसान आशा करता था कि इस चम्बल नहर से हमें इतना फायदा होगा वह नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस जमीन को, जो कि वहां ऊसर पड़ी है वहां पर सिचाई की व्यवस्था करके अधिक जमीन लोगो को दी जानी चाहिये। आज कहां पर नहर में सीपेज बहुत होता है। उसे खतम किया जाना चाहिये। इसके अलावा अभी तक वहां पर पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक की जो टीम आयी थी उसने इसके बारे में भी सुझाव दिया था तथा भारत सरकार से भी जो सिंचाई विभाग की कमेटी आयी थी उसने वहां पर कोटा जिलापरिषद में और बून्दी जिला परिषद में वहां के एरिया के जो प्रधान थे उनसे मीटिंग में बातचीत की। और सुझाव दिया कि जब तक आपको उसकी मुख्य नहर और माइनरनहर को पक्का नहीं करेंगे तो उससे जो लोगों को लाभ होने वाला है वह नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हे पक्का किया जाय और जिन एरिया में पानी की पिलाई नहीं हो

(श्री नन्दलाल बैरवा)

रही है वहां पर तुरन्त पानी दिया जाना चाहिये। आज एक तरफ तो अकाल पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ किसान को उसके खेत में देने के लिये आप पानी नहीं दे रहे हैं जिससे किसान बहुत ही परेशान है इसलिये मैं आपको और आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 12 माह तक खेतों की पिलाई नहीं की जाती है और उन से 12 माह की पिलाई के पैसे लिये जाते हैं उनसे कहा जाता है कि आपने और लोगों से पानी ज्यादा लिया। आपको पिलाई देनी चाहिये। इस प्रकार से मुझे नहीं मालूम क्यों सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि एक पिलाई माफ होनी चाहिये, उससे ज्यादा वसूल करते हैं ? जो जमीन ऊसर है उसके लिये काश्तकार क्या करें। जिस जमीन में 24 घंटे और बारह ही महीने पानी भरा रहता है तो उस किसान की हालत क्या होगी ?

तीसरी बात सन् 72, 73 में उस नहर को ठीक करने के लिये या अधूरा कार्य पूरा करने के लिये सिंचाई विभाग ने जो बजट रखा था वह ही इस साल रखा है। 72-73 में जो कार्य किया वही 73-74 में किया जावेगा तो आप ही सोचिये कि उस किसान की हालत क्या रहेगी वह तो उसी पिछड़ी हुई हालत में रहेगा।

जिस जगह से नहर का कार्य शुरू हुआ है, एक गांव से दूसरे गांव जाने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये बड़ी भारी तकलीफात हो गयी है। एक किसान को अपनी फसल को; अपने माल को और पैदल जाने के लिये उसको दस मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। यह मसला सम्बन्धित विभाग के सामने और सेन्ट्रल कमेटी के सामने भी रखा। दस दस मील पर पुलियायें दी हैं एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाने के लिये। वहां के काश्तकारों को बराबर परेशानी है। उदाहरण के लिये केशोराय पाटन में दो गांवों का उल्लेख करूंगा। प्रतापगढ़ और देवपुरा। पानी से किसानों के जमीनों में गड्ढे पड़े हुए हैं। पानी उनमें भरा रहता है उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चाहे वर्षा हो या न हो लेकिन गड्ढे पड़े हुए हैं और लोगों की जमीनें खराब हो गयी हैं। जब सम्बन्धित अधिकारियों से जाकर कहते है कि आप इसकी व्यवस्था कीजिये तो वे कहते हैं कि बजट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ देश का फायदा चाहते हैं, किसानों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और उसकी बात करते हैं लेकिन इस प्रकार पानी से गांव गांव में गड्ढे पड़ जाने से सैकड़ों बीघा जमीन बैठती जा रही है। यदि समय पर ही इन्तजाम नहीं किया तो पूरे प्रतापगढ़ की ही यह हालत हो जावेगी। चार गांवों के बारे में चम्बल कमिश्नर साहब और मंत्री महोदय से निवेदन किया। भूतपूर्व मंत्री महोदय लड्ढा साहब ने जाकर देखा। वे हैं, अरण्ट, चड़ी गडेना और अरन्ट। चारों जगह पर पानी भरा रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे बच्चा हो या कोई हो वहां पर बैठ कर टट्टी नहीं जा सकते हैं। खड़े खड़े जाते हैं। क्योंकि पानी भरा रहता है। सिंचायी विभाग से कहा कि व्यवस्था कीजिये लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिया है। वर्ल्ड बैंक की टीम आयी उसने भी कहा और जो फायदा मिलना चाहिये या चम्बल से इनको

(श्री नन्दलाल बैरवा)

नहीं मिला है। नुकसान हुआ है उल्टा । हजारों बीघा जमीन आज वहां पानी में रहती है। किसान एक एकड़ जमीन का, 15 रुपये खर्च कर रहे है । यह स्थिति चम्बल कमाण्ड में है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कोटा से देहली जाने वाली रेलवे लाइन निकली हुई है। बीस फीट के पास ही नहर है और उधर आगे कच्चा रोड है। एक तरफ नहर, बीच में रेलवे लाइन और दूसरी तरफ कच्चा रोड़ रेलवे लाइन के पास चार चार पांच पांच फीट पानी बारह महीने भरा रहता है। जो मुख्य रेलवे लाइन निकली हुई है वह किसी दिन बैठ सकती है। रेलवे लाईन को नुकसान हो सकता है। वह बैठ सकती है। इसकी शिकायत भारत के रेल मंत्री से, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से लिखित में की हुई है लेकिन इस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम यह मानते हैं कि नहर से फायदा मिलना चाहिये लेकिन दूसरी तरफ उससे नुकसान भी नहीं होना चाहिये।

अन्त में इतना ही निवेदन करूंगा कि आज चम्बल कमान्ड एरिया में जिस प्रकार असुविधायें हैं उसके बारे में समय समय पर राज्य सरकार से निवेदन किया लेकिन गत वर्ष में जितना बजट था उतना ही बजट इस वर्ष भी रखा है। इससे तो किसान को हम यही जाकर कह सकते हैं कि जैसे गये साल थे उससे आगे बढ़ने और जमीन का सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट और।

आज से दस वर्ष पहले से बूंदी जिले में लाखेरी क्षेत्र में चम्बल से एक नहर निकालने की योजना थी। पास में जाओ तो पानी ही पानी भरा है। और एक तरफ पीने को पानी नहीं है दूसरी तरफ पानी भरा है। यदि $3\frac{1}{2}$, 4 करोड़ रुपये का प्रावधान है इसका सही उपयोग करें तो लाभ मिल सकता है। चम्बल नहर में किसानों और दूसरे लोगों की परेशानियां है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने सिफारिश की। भारत सरकार की टीम ने आकर देखा उनको सामने रखते हुए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री किशन मोटवानी।

(अनुपस्थित)

श्री चेतराम।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई बजट पर मुझे आपने टाइम दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। राजस्थान में कई योजनायें सिंचायी के विषय में चालू हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं पर दृष्टिपात करें तो दूसरे शब्दों में मैं कहूं और आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आते हैं। हम देखते है कि बड़ी योजनाओं पर 80 से 90 परसेन्ट, जितना

(श्री चेतराम)

भी सिंचाई का बजट है, वह लगाया गया है। मैं यह नहीं सोचता कि इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन राजस्थान की परिस्थितियां ऐसी हैं, जहां एक तरफ रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी इलाका है और दूसरी तरफ ऐसा इलाका है जहां बाढ़ आ जाती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सोचता हूं कि हमारी सिंचाई योजनायें हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर बनायें तो हर साल बाढ़ और अकाल की परिस्थितियां जो पैदा हो जाती हैं, वह न हों। आश्चर्य तो यह है कि एक तरफ हमारे ऊपर भगवान् का प्रकोप है और भगवान् के दिये हुए प्रकोप को मिटाने के लिये मनुष्य द्वारा, यदि उचित समझ बूझ के साथ कदम उठाये जायं तो, वह मिटाया जा सकता है।

10-11 अगस्त को ऐसी भयंकर बाढ़ आयी कि 36-40 घंटे सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर और अलवर की एक तहसील में, इन चार जिलों में, भयंकर विनाश हुआ। यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकार पुराने बांधों की मरम्मत कराती या अपने कर्मचारियों को सतर्क करती, जो चौकीदार रह कर समय का सदुपयोग करते तो इतना भयंकर नुकसान नहीं होता। हमने मौके पर देखा कि वहां पर जो बांध थे उनका पानी का स्तर इतना रखा जाना चाहिये था जिससे वे टूटे नहीं, परन्तु वहां कर्मचारियों का अभाव तो दूर रहा नाम मात्र को भी वे वहां नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में, मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के पूर्वी इलाके में हर साल बाढ़ें आती रहती हैं उनके सम्बन्ध में एक योजना बनायी थी।

उसमें से बहुत महत्वपूर्ण योजना पचोला बांध (करौली) की थी। इसका सर्वे हो चुका है। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इसकी योजना बना कर स्वीकृति के लिये भी भेज दिया है। पर यह हमारा दुर्भाग्य कहिये या राजस्थान सरकार की नौकरशाही की लापरवाही कहिये कि उस की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। उन्होंने भारत सरकार पर इसे जल्दी पास कर के भेजने के लिये कुछ जोर नहीं डाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस स्कीम को पूरा किया जाता तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि भयंकर बाढ़ जो इस जिले में आई और जिसका असर काफी दूर-दूर तक पड़ा वह पहले तो आती ही नहीं, और अगर आती भी तो इतनी भयंकर नहीं होती। इस योजना से न सिर्फ इतनी भयंकर बाढ़ ही रुक सकती थी, वरन इस इलाके को और भी अनेकों लाभ इससे होते। सिंचाई के लिये नादौती, गंगापुर, टोंक, भीम इन तीन तहसीलों को फायदा होता। भूसंरक्षण भी होता, पौधे भी लगाये जा सकते थे, पेड़ लगाये जा सकते थे।

इस भयंकर बाढ़ से हुई बरबादी देखने के लिये टीमें आईं। मौके पर सारी परिस्थिति का जाकर उन्होंने अध्ययन किया, और इसके लिये घरों को, बांधों को, सड़कों और पुलों को और स्कूल भवनों को और जो भी नुकसान हुआ उनको पूरा करने के लिए उनकी मरम्मत करने और नये बनाने के लिए 7 करोड़ और 55 लाख के करीब

(श्री चेतराम)

का एस्टीमेट भारत सरकार के पास भेजा। भारत सरकार ने इसके लिए लगभग सात करोड़ और कुछ लाख रुपये, लगभग 11 या बारह लाख की स्वीकृति दे दी। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो यह सहायता बाढ़ के प्रकोप से बरबाद हुये कामों के लिए दी गई राज्य सरकार द्वारा उसका सदुपयोग नहीं किया गया जा रहा है। इसके लिए किसी स्टडी दल या कमीशन की नियुक्ति की जावे तो पता लग सकता है। आश्चर्य होगा आप सब को कि ऐसे तथ्य सामने आवेंगे जिसको देख कर भय है कि कहीं केन्द्रीय सरकार के समक्ष हमारा खड़ा होना और जवाब देना मुश्किल न हो जाय केन्द्रीय सरकार अकाल में खर्च की गई रकम के बारे में सशंकित है, अगर उसके सामने इस के तथ्य भी चले गये तो और सशंकित हो सकती है और आगे से इस तरह की दैवी विपत्तियों के वक्त केन्द्र की सहायता के हमारे रास्ते बन्द हो सकते हैं। इस समय जो अकाल पड़ा है उसके लिए मदद मांगते समय भी राज्य सरकार को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर इसके बारे में भी केन्द्रीय सरकार को सही हकीकत मालूम हो गई तो वहां की कानफीडेन्शल फाइल में राजस्थान के लिए रेड लाइन लग जावेगी।

केन्द्रीय सरकार ने जो रकम दी थी उसमें से स्कूल भवनों को छोड़ कर जितना भी पैसा बांधों के लिये सड़कों के लिए मांगा वह उन्होंने दे दिया पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इन बांधों की मरम्मत करने या बनाने में भी भेदभाव बरत रही है। जो सरकार के स्वयं के बांध हैं उनकी मरम्मत तो करवा रही है, पर दूसरे जो प्राइवेट बांध हैं या पंचायत समितियों के हैं उनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र ने सभी बांधों की मरम्मत के लिये पैसा दिया है। पर राज्य सरकार पहले अपने काम करना चाहती है जनता के लिए दिया हुआ रुपयों का फायदा जनता को देना नहीं चाहती। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये सरकार जांच करे और सारे ही बांधों की मरम्मत करावे और सरकार यह देखे कि उस पैसे का वास्तविक सदुपयोग हो रहा है या नहीं।

राज्य सरकार ने अगर समय रहते इस रकम का सदुपयोग नहीं किया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा समय न आ जाय कि जब केन्द्रीय सरकार यह कहे कि आपने जितने पैसे का दुरुपयोग किया है वह सारा पैसा हमें लौटा दो। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो यह एक बड़ी विडम्बना होगी। भविष्य में हमें केन्द्रीय सरकार के सामने सहायता की भीख मांगने जाते समय भी छिपाना पड़ेगा।

आज जो सिंचाई के काम क्रेश प्रोग्राम में हो रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। इस बारे में हमारे सामने कई कठिनाइयां आ रही हैं। एक तो टेक्निकल शिक्षण लिये हुये आदमियों का, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का। जानबूझ कर कभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में देरी की जाती है, जिससे टेक्निकल आदमी आया हुआ दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, और जब वह टेक्निकल आदमी आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं दी जाती। तो मैं निवेदन

(श्री चेतराम)

करूंगा कि मामला चाहे सिंचाई विभाग का हो या पी. डब्ल्यू. डी. का यहां चूंकि विषय सिंचाई का आज चल रहा है, तो इसलिए निवेदन करूंगा कि अगर यह स्थिति है तो इसके लिये स्पेशल आर्डर इश्यू किया जावे और सिंचाई प्रोग्राम, जो क्रेश प्रोग्राम में रखा गया है उसे पूरा किया जावे। इसके लिए बहुत जल्दी सैंक्शन होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ में इस इलाके की भयंकर बरबादी हुई। घरों का नुकसान हुआ, जमीन कट पिट गई। बांध टूट गये। सड़कें नष्ट भ्रष्ट हो गई। भूमि कृषि योग्य नहीं रही। काफी रेत खेतों में बह कर आ गई। रेत के टीले के टीले बन गये सवाई माधोपुर के इलाके में, जो जमीन कटी उसकी रेत बह कर काफी मात्रा में भरतपुर के इलाके में भी गयी। बालू रेत के वहां टीले लग गये। काफी रेत जो खेतों में उपजाऊ के रूप में थी, बालू के रूप में बदल गई। तो काफी खेतों में जहां बालू के टीले लग गये खेतों के योग्य नहीं रह गई। पर राजस्थान सरकार के अधिकारी गण ऐसी जमीन से भी सिंचाई कर वसूल कर रहे हैं।

वैसे नियमानुसार भी यह सिंचाई कर 1 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य, जो सिंचाई के लिये पानी दिया जाता है, उसके लिये लिया जाता है। इस मध्य में वहां बाढ आ गई थी फिर सिंचाई के लिये पानी देने का तो प्रश्न नहीं उठता था। तो यदि समय के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी यह सिंचाई का पैसा वाजिब नहीं ठहरता। जब कि इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों की सरकार एक तरफ तो अनुदान और ऋण आदि मदद कर रही है, वहां दूसरी तरफ यही सरकार गरीब लोगों से, गरीब किसानों से पानी का पैसा वसूल कर रही है। इस बारे में मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया था। उनका यह कहना था कि हम सोच रहे हैं। सोचते सोचते दो तीन महीने हो गये। बरकत साहब से भी मैंने निवेदन किया। उन्होंने यह जवाब दिया कि केबिनेट में हम इन मामलों पर डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस पैसे की वसूली भी शीघ्र रोकी जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यह और निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी योजनाओं पर 80/90 प्रतिशत हमारी योजनाओं का पैसा खर्च हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके साथ ही लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

पूरे राजस्थान के मैप को अगर हम उठाकर देखें तो मालूम होगा कि लघु सिंचाई योजनाओं की सम्भावनाएं उन इलाकों में सबसे अधिक हैं जहां पिछड़े वर्ग के लोग यानि आदिवासी हरिजन अधिक रहते हैं। तो इनके उत्थान के लिये भी इन लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये।

साथ ही यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि कडाना बान्ध बन रहा है। उसकी ऊंचाई के बारे में पिछले साल भी और इस साल भी कई बार सदन में वाद विवाद हुआ है कि उसकी ऊंचाई

(श्री चेतराम)

419 फीट से घटाकर 410 फीट ही रखी जावे। इससे आदिवासी गरीब किसानों की भूमि डूब में नहीं आवेगी। इससे कुछ बस्तियां भी डूब में आने से बचेंगी। तो इसके लिये फिर मैं भी निवेदन करूंगा कि इसका पुनः सर्वे कराया जावे और केवल 9 फीट की ऊंचाई के लालच के खातिर आदिवासी लोगों के जीवन को संकट में न डाला जावे। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमान मल लोढ़ा।

श्री गुमान मल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रेगिस्तान और भौगोलिक स्थिति के कारण से स्वाभाविक रूप से सिंचाई योजनाओं का एक मात्र आशा केन्द्र के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है।

राजस्थान में आजादी प्राप्त करने के बाद इतने सालों तक जो सिंचाई योजनाएं बनाई गई अथवा जिसकी क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया, उसके पश्चात भी आज जिस दुर्दशा में हम हैं, उसे देखकर कम से कम यह निश्चित् रूप से हमें भान होता है कि या तो योजनाओं में कोई न कोई खामी थी जिससे उचित रूप से हम सिंचाई के साधनों का निर्माण नहीं कर सके अथवा योजना को क्रियान्वित करने के अन्दर हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब विश्व के लोग साइन्टिफिक डेवलपमेन्ट के द्वारा दुनिया के अनहोने काम कर रहे हैं, नक्षत्रों और चान्द पर जाने की होड़ लगा रहे हैं, उस समय हम पानी के लिये तरसते रहें, धान नहीं उपजा सकें। रेगिस्तान का बड़ा इलाका खाली का खाली मीलों तक पड़ा रहे। मैं समझता हूं यह वास्तव में हमारे प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इजरायल का एक छोटा सा उदाहरण लें जो हम सबको पता है, बहुत ही छोटा सा देश है और उसने दुनिया के बहुत बड़े रेगिस्तान को नखलिस्तान में परिवर्तन कर दिया।

हम राजस्थान नहर की सन् 58 से बात करते आए हैं। मुझे याद है उस समय के मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने उदयपुर में घोषणा की थी कि राजस्थान के निवासियों, रेगिस्तान के निवासियों, मरुस्थल के निवासियों हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे राजस्थान के अन्दर अबतक तो ऊंट के जहाज चला करते थे पर अब वास्तविक जहाज चलेंगे जिसमें आप आनन्द के साथ सैर कर सकेंगे और सब प्रकार का डवलपमेंट हो जायगा। यह रेगिस्तान नखलिस्तान बन जायगा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सन् 1958 के बाद आज जब हम 73 के अन्दर इस प्रश्न को गंभीरता के साथ विचार करते हैं तो समझ में आता है, वह घोषणायें और वे योजनायें जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, कुछ समय पहले एक वर्ष के अन्दर राजस्थान नहर की प्रगति एक मील होती है।

अब यह प्रगति किस प्रकार आगे बढ़े। माननीय सदस्यों ने कई बार कहा राजस्थान के सब लोग, राजस्थान के सब विधायक, राजस्थान के सारे मंत्री-गण इसको केन्द्र के द्वारा केन्द्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट एमर्जेन्सी के रूप में वार लेवल के ऊपर शीघ्रातिशीघ्र सब प्रकार का अनुदान मिला कर क्रियान्वित करें, लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं किया गया। दुर्भाग्य है, हमारे

(श्री गुमानमल लोढा)

यहां घोषणायें की जाती हैं लेकिन इसको कैसे इम्पलीमेंट करना, केन्द्र पर किस प्रकार दबाव डालना केन्द्र से कैसे राशि लेना और केन्द्र को कैसे मनवाना, न तो हमें इस प्रकार की शिक्षा मिली और न हमारे इस सदन के माननीय मंत्री महोदय गए इस ओर सक्रिय कदम उठाने को तैयार हैं। मुझे दुख है इतनी बड़ी परियोजना हम चाहते हैं रेगिस्तान नखलिस्तान में बदल जाय, अकाल की समस्या, ड्राट की समस्या हमेशा के लिये उसका समाधान हो जाय उसको इग्नोर करते जा रहे हैं और इस कारण जैसा आपने समाचार पत्रों में देखा केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री शिन्दे साहब ने राजस्थान के अकाल राहत कार्यों को, जिस प्रकार का कार्य हो रहा है उससे हम असन्तुष्ट है, हमें सन्तोष नहीं है। केन्द्र के मंत्री इस प्रकार की स्थिति राज्य सरकार पर दे, यह राजस्थान की सरकार की अकर्मण्यता है, राजस्थान सरकार की अदूरदर्शिता है, राजस्थान सरकार की विफलता की पराकाष्ठा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम नहीं है।

(गणाभाव सूचक घन्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

आप प्रारम्भ कीजिये।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में राजस्थान नहर परियोजना को थोड़ा बदल दिया जाय और बदल करके इस योजना के कार्य को जैसा कि हमने बार बार कहा कि जैसलमेर के अन्दर से शुरू किया जाय ··

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री गुमान मल लोढ़ा : एक ओर राजस्थान की ओर गंग नहर बीकानेर की ओर से आ रही हैं। 58 से 73 तक मंथर गति से बढ़ा रहे हैं। अच्छा तो यह होता कि दूसरी ओर से जैसलमेर की ओर से हम टेल एण्ड से प्रारम्भ करें और इस कारण इसमें गति आयेगी। अकाल राहत कार्यों के स्थान पर स्थायी कार्य के रूप के अन्दर वहां के गांव के मजदूरों को और किसानों को काम मिल सकेगा लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। मैं चाहूंगा कि राजस्थान नहर को टेल-एन्ड से प्रारम्भ करके और शीघ्राति-शीघ्र दोनों को गति के साथ समाप्त करके, कम्पलीट करके योजना बनावें और इसको वार लेवल पर करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डालें। राजस्थान की सारी जनता राजस्थान के सारे एम. एल. ए. राजस्थान के सब एम. पी. सबको चाहिये केन्द्र पर दबाव डालें। यह राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का प्रश्न है। अकाल का परमानेन्ट सोल्यूसन है और यह एक जीवन मरण का प्रश्न है मैं समझता हूं इस पर विचार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर को केन्द्रीय परियोजना बनाने में ही असमर्थ नहीं रहे बल्कि इन्टर स्टेट डिसपूट जितने हैं उस सब में राजस्थान ने हमेशा चाहे वह अकर्मण्यता के बारे में हो, चाहे केन्द्र में सुनवाई

(श्री गुमानमल लोढा)

न होने के कारण हो, चाहे केन्द्र के राजस्थान की लोबी कमजोर होने के कारण हो, हमेशा असमर्थ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश से, गुजरात से महाराष्ट्र से हर इश्यू पर हमेशा वहां से केवल एक निर्णय होता है। उससे ऐसा लगता है ये सारे के सारे प्रदेश और केन्द्र में भी ऐसा विचार बन गया है कि राजस्थान का प्रशासन और राजस्थान के मंत्रीगण और मन्त्री मण्डल किसी प्रकार दबाव डाल कर काम करवाने की स्थिति में नहीं है। मैं निवेदन करूंगा भाखरा के हैड वर्क्स रूपकपुर, हलकपुर और सिरोजपुर स्थान यहां से सतलज का पानी दिया जाता है लेकिन यह हमारे कन्ट्रोल में नहीं है, हमारे कन्ट्रोल में नहीं है लेकिन भाखरा का मैनेजमेंट है उसके कन्ट्रोल में भी राजस्थान का हाथ नहीं है। उसका कन्ट्रोल पंजाब का है। पंजाब इसका पूरा फायदा उठाता है। केन्द्र सरकार ने याचना की। प्रार्थना की उन्होंने पंजाब को सलाह दी लेकिन पंजाब फिर भी राजस्थान को पानी नहीं देता है। व्यास नदी का पानी हम ले नहीं सके। पंजाब ने यह पानी पाकिस्तान में जाने दिया लेकिन राजस्थान को नहीं दिया। दिसम्बर, 73 में स्पेशल रिलिज किया गया। इच्छा तो यह है कि बीकानेर विभाग के अन्दर जहां पानी नहीं दिया गया था वहां पानी दिया जाय लेकिन फिर भी पंजाब ने पानी नहीं दिया राजस्थान की जनता राजस्थान के काश्तकार, राजस्थान के किसान जो उस पानी की ओर आशा लगाये बैठे थे उनको निराश होना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सइयन डेम के बारे में भी कहना चाहूंगा। इन्डस वाटर ट्रीटी 1950 में हुई और उसके अनुसार रावी, व्यास और सतलज का पानी हमको मिलना था। रावी के लिए मैन प्रोजेक्ट हमने नहीं बनाया। सइयन डेम के अन्दर हमारा हिस्सा है, उसमें से पानी मिले यह हमारा अधिकार था और एम०ए० एफ० पानी वहां से जो हमें आने को था वह हमें नही मिल सका। हम इसके लिए अपनी योजनाएं पूर्ण करके उसमें से पानी ले नहीं सके और यह पानी हर वर्ष मानसून का पाकिस्तान को जा रहा है और राजस्थान की जनता पानी पानी के लिए तड़फ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 29-1-55 को जो एग्रीमेंट हुआ था इन्टरस्टेट एग्रीमेंट उसके हिसाब से 52 परसेन्ट हमारा अधिकार था सइयन डेम के अन्दर लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकार सशक्त होने के कारण राजस्थान के कम्पेरीजन में उन्होंने अपनी हिस्सा क्लेम किया और राजस्थान आज तक नहीं ले सका और सइयन डेम के अन्दर हम हमारा उचित शेयर लेने में असमर्थ रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा गत अधिवेशन के अन्दर यहां पर एक दिन निश्चित किया हुआ था नान आफिशियल डे और दिन भर विवाद चला पौंग डैम के ऊपर। हमारे यहां के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये पौंग डैम के बारे में। एक संकल्प यहां पर आया था और माननीय मन्त्री महोदय ने बाद में जिस समय सारा विवाद समाप्त हुआ सदन को आश्वासन दिया कि हम सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पौंग डैम के लिए, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार जिस अनावश्यक तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे से रुपया ऐंठना चाहती है, कम्पन्सेशन के नाम से फर्जी रेकार्ड बनवाकर

Page No 92

(92)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

फर्जी क्लेम बनवाकर, फर्जी अवार्ड बना करके। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुःख होता है कि सदन को मिले हुए आज इतना समय हो गया लेकिन आज तक मंत्री महोदय ने सदन को सूचित नहीं किया और उन्होंने दिल्ली में जाकर सदन के द्वारा जो संकल्प यहां पर डिसकस किया गया था और जिस पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की थीं, उसके ठीक विपरीत सेन्टर के सेक्रेटरीज़ के साथ बैठ कर एक एग्रीमेंट कर लिया, जिसके अनुसार यदि मैं यह कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, तो मुझे क्षमा करेंगे मंत्री महोदय, कि सदन की भावनाओं के बिलकुल विपरीत उन्होंने वहां पर हिमाचल प्रदेश को इतनी बड़ी धनराशि देना स्वीकार कर लिया। जिसके लिए सदन के एक एक माननीय सदस्य ने घन्टों तक अपनी बहस के अन्दर इसका दबाव दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यह फिक्टिशस क्लेम्स हैं, फेब्रीकेटेड क्लेम्स हैं और यह इनको नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 करोड़ का बोझा हमारे ऊपर आया और आपको आश्चर्य होगा कि उसके अन्दर पंजाब की सरकार ने जो पहले क्लेम किया था वह 15, 16, या 18 करोड़ का था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसे 45 करोड़ कर दिया, और इतना ही नहीं किया, उसने देखा कि राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत उदार है, वह पैसे ला नहीं सकती, उसमें असफल रहती है लेकिन जहां देने का प्रश्न है वहां न तो किसी प्रकार से अपनी शक्ति लगाती है और न ताकत लगाती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश ने लैण्ड एक्वीजीशन का कम्पन्सेशन या उसको बढ़ाकर 45.6 करोड़ कर दिया और उपाध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर 10 करोड़ रुपया व्याज के और लगा दिये। इतनी बड़ी रकम राजस्थान की सरकार को देनी पड़ी जहां पानी के लिए हम तरसते हैं, पानी के लिए हम तरसते हैं और बार बार हम दिल्ली की ओर अपनी आंखें फैलाकर बैठे रहते हैं, याचिकायें करते हैं, कभी इनसालवेंसी पिटीशन करते हैं, बेगर्स बाउल लेकर जाते हैं लेकिन हमने पौंग डैम के लिए जो ब्लण्डर किया मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय सदन के अन्दर जो संकल्प आया था और उस पर विचार हुआ था और सदन की भावना थी उसके विपरीत उन्होंने दिल्ली में जाकर सेक्रेटरीज़ के साथ क्यों निर्णय ले लिया इसके बारे में स्पष्टीकरण करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि जवाई डेम, जो कि जोधपुर के साथ लिंक है और जहां से जोधपुर का पानी आता है, जवाई डेम से जोधपुर तक जो पानी की नहर बनने वाली है उसको कवर करने का या उसमें बहुत पैसा लगाने की योजना बनाई गई थी, मैं चाहूंगा कि उस योजना को कार्यान्वित किया जाये और उसको शीघ्र से शीघ्र किया जाये ताकि इतने लम्बे फासले के अन्दर जो पानी वेस्ट हो जाता है, जो पानी बेकार जाता है अथवा पानी की चोरी होती है वह रोकी जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सिधमुख कैनाल की ओर। 1968 में राजस्थान सरकार ने सिद्धमुख कैनाल का एस्टीमेट्स बनवाया, डिजाइन्स बनवायें, तखमीना करवाया और पंजाब सरकार को भेजा लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि पंजाब सरकार की आंखें

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आज तक नहीं खुली। पंजाब सरकार के सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री जी की टेबल की वेस्ट पेपर बास्केट में कागज पड़े हुए हैं और हमारी सरकार आज तक इसमें भी सफल नहीं हुई कि किस प्रकार से योजना मे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे इस बात का भी दुख है कि केन्द्रीय मंत्री मण्डल के अन्दर हमारी लाबी कमजोर, हमारे यहां पर प्रशासन कमजोर और हमारे मंत्री महोदय असर्ट नहीं कर सकते। तो चाहे प्रश्न राजस्थान केनाल का हो, चाहे सिद्धमुख कैनाल का हो और चाहे किसी डेम का हो- सब स्थानों के ऊपर हमें पीछे रहना पड़ता है, हमारी आर्थिक हानि होती है और हमें दूसरे राज कार्यों के लिए दिल्ली की ओर देखना पड़ता है। सिद्धमुख कैनाल के बारे में भी यही स्थिति है और आज तक पंजाब सरकार ने उत्तर नहीं भेजा है, 1968 के बाद में और केन्द्र को भी हम प्रयास करके नहीं मना सके कि यह लोकोपयोगी योजना है, जनतंत्र का जमाना है और हम चाहते हैं कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को दाल रोटी कम से कम दे सकें, रेगिस्तान को नकलिस्तान में परिवर्तित करके ग्रीनरी बनाकर, यहां के लोगों को हर साल आकाश की ओर देखने को मजबूर नहीं करें लेकिन असफल नेतृत्व के कारण हमें कुछ नहीं मिल सका।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कडाना डेम की बात बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य हर साल कहते हैं, कडाना डेम की ऊंचाई कम करने के लिए हमने बार बार गुजरात सरकार को निवेदन किया लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के मंत्री महोदय प्रेमपत्र भेजते हैं, प्रेम पत्रों का आदान प्रदान होता है लेकिन उसके पीछे कोई सख्ती नहीं, कोई ताकत नहीं। हम असर्ट नहीं कर सकते और इसके कारण से आज तक कडाना डेम की ऊंचाई को कम करवाने के लिए गुजरात सरकार को हम नहीं मनवा सके और इस मामले में जहां पहले थे वहीं पर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नेशनल वाटर ग्रिड बनाने की बात की। गंगा यमुना लिंक प्रोजेक्ट 750 करोड़ का था और जिसके कारण से जोधपुर, पाली, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर बाड़मेर और जालोर के अन्दर 40 हजार क्यूसेक्स पानी गंगा से यमुना में आकर धोरों की धरती में आने वाला था और जिसके लिए 339 मील का प्रोजेक्ट आज तक कागजों में पड़ा हुआ है। मुझे वास्तव में इस बात का दुख है और खेद है। हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार इन योजनाओं को वास्तव में यदि कार्यान्वित कर दे तो हम समझते हैं कि हमारी अकाल की, हर साल की समस्या बहुत समय के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हल हो जाये। चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या चाहे हरियाणा हो, हम हर स्थान पर इन्टर स्टेट मामलों में असफल रहे हैं। केन्द्र हमें दिलाना चाहता है, हम लेना चाहते हैं लेकिन पंजाब के साथ हम सख्ती करके नहीं ले सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने आपके सामने दिग्दर्शन किया हमारी योजनाओं का और मैं चाहूंगा कि इन सारे मसलों के ऊपर गंभीरता से विचार करके राजस्थान को हराभरा प्रदेश बनाने के लिए

(श्री गुमानमल लोढा) :

बालू के कणों को, धोरों की धरती को लहलहाते हुए खेतों में परिवर्तित कर दें और इसके लिए हम और इधर के माननीय सदस्य सभी मिलकर प्रयास करें और केवल कागजों के ऊपर हम अपने आपकी योजनायें बनाकर या प्रेमपत्र हरियाणा, पंजाब या गुजरात को भेजकर अपने आपको सन्तुष्ट नहीं समझें। हमें कार्यात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी सहमत हूं कि आसाम के अन्दर रिफाइनरी के प्रश्न को लेकर वहां के मंत्रियों ने, जनता ने दल के दलदल को छोड़ा और कंधे से कंधा मिलाकर वह खड़े हो गए, हजारों गिरफ्तारियां हुईं, केन्द्र पर दबाव पड़ा और अन्ततोगत्वा आसाम की जनता की मांग को केन्द्र को मानना पड़ा। क्या कारण है कि आज हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, हमारे मंत्रीगण हमारे साथ में चलें कि इस प्रश्न को सुलझाने के लिए, इस समस्या को हल करने में असफल रहे हैं। यह समस्या हर बार यहां आती है, हर साल हम यहां पर अकाल, अकाल, अकाल चिल्लाते रहते हैं, दुनियां के अन्दर हमारी साख गिरती है, हमारे यहां के भूखे मरते लोगों और बच्चों के फोटो छपते हैं और राजस्थान की दयनीय दशा का चित्र खींचने को बाध्य होना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार ही ललकार कर, शंख नाद कर, बिगुल बजा कर राजस्थान नहर को और अन्य इरींगेशन प्रोजेक्ट को ले, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि हमारे आपस में किसी प्रकार के नीतियों में मतभेद हों, लेकिन राजस्थान के बहुमुखी विकास का और राजस्थान को रेगिस्तान से नखलिस्थान में परिणित करने के लिए, और हम मरुस्थल को धोरों की धरती में परिणित करने के लिए, इस धरती पर हरियाली को लहलहाने के लिए हमें चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए हम तैयार हैं। मेरा विश्वास है कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी इस सदन की इस भावना का आदर करके राजस्थान की सिंचाई योजनाओं और यहां के लोगों के लिए रोटी दाल उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय कदम उठाने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के ऊपर आज चर्चा चल रही है। सिंचाई की जो योजनाएं और उनका जो उद्देश्य सरकार ने रखा है, वह तो स्वीकार्य है लेकिन कुछ बातों पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सरकार सिंचाई पर ध्यान बराबर देती है किन्तु कुछ बातों पर ध्यान नहीं रखती है। उसके कारण जिस जगह सिंचाई की योजना लागू की जाती है वहां की जनता दुःखी हो जाती है। मैं इसके लिए उदाहरण के तौर पर रेलमगरा तहसील का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। रेलमगरा तहसील, उदयपुर जिले में कृषि प्रधान तहसील मानी जाती थी जिसके कारण वहां पर सिंचाई की योजनाएं चालू की गई किन्तु आज उस तहसील की जो हालत है उसके हाल को देखा जाय तो बहुत ही दर्दनाक हालत है। बनास नदी पर बांध बांधा गया। उसके लिए इस योजना को बनाते समय सरकार को सोचना चाहिए था कि कारण, जो कृषि में सिंचाई

(श्री नाना लाल)

के लिए जो योजनाएं उपलब्ध हैं, वे खत्म न हो जावें। तो यह एक स्थिति इस समय यहां पैदा हुई है। मात्रखारा के पास बांध बांधा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि रेलमगरा में जितने कुए थे वे बिल्कुल सूख गए हैं। आज उनमें कहीं पानी नहीं है। आज इस समय जो योजना भेजा फीडर की बनाई गई है उसमें रेलमगरा का सारा पानी भेजा फीडर में ले जाना चाहते हैं। किन्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पहले जिस जगह बांध बांधे जाते हैं तो वहां की कम से कम जनता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जन के इस दुख की ओर ध्यान नहीं रखा जायगा तो अब जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि इसके लिए कुछ आगे कदम उठा सकते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का सौतेला व्यवहार न बरतें।

रेलमगरा तहसील पहले से ही काफी कृषि प्रधान थी किन्तु इस वर्ष जो स्थिति निरन्तर चल रही है, उसको देखने से पता चलेगा कि यह बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय हुआ है।

(विराम)

रेलमगरा तहसील में इसीलिए कुओं का पानी सूख गया है और इसलिए मेरा कटमोशन था कि इस बनास नदी पर एक एनीकट बना दिया जाय तो वहां के लोगों को राहत मिल जाय और कुओं का जल-स्तर भी बढ जायगा। इससे सिंचाई में लोगों को राहत पहुंच जायगी। मैं इसलिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजराम

(अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित)

श्री फारूक हुसैन।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा यह ख्याल था कि झुंझुनूं जिले को कभी नहर का पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा लेकिन हमारे पड़ोस में लुहारू तहसील को देखने के बाद हमें भी यह विश्वास होने लगा है कि झुंझुनूं जिला भी नहर से जुड़ जाएगा। मैंने इस बात की जानकारी की कि गंगा नदी का सरप्लस वाटर जो फ्लड आता है वह पानी यू. पी. और बिहार के लिए भयंकर तूफान बना हुआ है, हैवी फ्लड का कारण बना हुआ है उस पानी को रोक कर एक योजना बनाई जा रही है। उस योजना का नाम गंगा योजना है जो यू. पी. में नरोडा के पास में बनने वाली थी, आगरा के पास में, भरतपुर, अलवर,

(श्री रामनारायण चौधरी)

सीकर, झुंझनूं, चूरू और नागौर जिलों के गांवों को उस नहर से जोड़ने की एक योजना है। मान्यवर, उस योजना के तहत झुंझनूं जिले में सर्वे चल रहा है और वह सर्वे नागौर डिस्ट्रिक्ट तक चला गया है। अब हमें इस बात की जानकारी मिली है कि उस योजना में राजस्थान और हरियाणा को न लेकर वह सरप्लस पानी कावेरी नदी में डालने की योजना बनाई जा रही है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कावेरी योजना एक डिस्प्यूटेड, एक विवादास्पद योजना है जिसके बारे में देश के विख्यात इंजीनियर्स के मत और विमत भी आपने पढ़े होंगे और सुना भी होगा। मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगा का यह पानी जिसके लिए हरियाणा और राजस्थान का अपर हैंड है, हमारी सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए कि वह पानी राजस्थान को मिलना चाहिए बजाय इसके कि कावेरी योजना में डाला जाय।

अभी हाल ही के अन्दर हरियाणा विधान सभा में हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हरियाणा इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि उस योजना में पहले यू. पी. और उसके बाद हरियाणा को शामिल किया जाय। उस योजना का पानी हरियाणा को मिले, उसके साथ ही राजस्थान को भी मिलना चाहिए। राजस्थान के बारे में भी जिक्र था लेकिन राजस्थान के बारे में कहा गया कि उसका हरियाणा के बाद में नम्बर आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में मरुस्थल बढ़ रहा है, सीकर, झुंझनूं, नागौर आदि जिले हैं जो थार डेजर्ट है, जहां पर दिनों दिन रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, इस पानी के द्वारा उस रेगिस्तान को रोका जाय और वहां को हरामरा बनाया जाय। मैंने खास तौर से इस प्रश्न पर एक कटौती का प्रस्ताव दिया है, मैं सिंचाई मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस प्रश्न पर विस्तार से प्रकाश डालें।

मान्यवर, राजस्थान केनाल को शुरुआत हुए आज 15 साल गुजर गए हैं, यह बड़ा अफसोसनाक विषय है कि पांच साल तक भी हम इस योजना को पूरा नहीं कर सके। हम इसमें असफल रहे हैं कि हम इस योजना को राष्ट्रीय योजना नहीं मनवा सके। मैं चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री महोदय इसके बारे में जोर दें। अभी हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसीडेंट और सेक्रेट्रीज की कांफ्रेंस हुई थी और हम लोगों ने खास तौर पर राजस्थान केनाल के प्रश्न को वहां उठाया था और हमें इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे योजना मंत्री श्री डी० पी० धर साहब ने यह आश्वासन दिया कि मैं इस योजना को पांच साल में पूरा कराऊंगा, राजस्थान सरकार को कह दिया जाय कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा चाहिये वह भारत सरकार देगी, मैं चाहे कहीं से पैसा लाऊं यह मेरी जिम्मेवारी होगी कि यह योजना पांच साल में पूरी हो।

सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की पूरी चेष्टा करें कि राजस्थान

(श्री राजनारायण चौधरी)

केनाल, जो राजस्थान का ही प्रोजेक्ट नहीं है, एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने के अन्दर कोई कमी न रखें।

मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझनू जिले के बारे में झुंझनू जिले की उदयपुरवाटी, खेतड़ी दो तहसील हैं, जहां पर छोटे-छोटे बांध बनाए जा रहे हैं। बांधों के द्वारा वहां पर सिंचाई हो सकती है। वहां पर अजीत सागर, एक फीडर है। उसका काम पांच, सात साल से चल रहा है। अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस काम को पूरा कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सिंचाई की मांगों पर आज हम विचार कर रहे हैं। राजस्थान में जल के अभाव का गम्भीर संकट उत्पन्न होता है। इसलिए पानी के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी एक-एक बून्द का हमें सदुपयोग करना चाहिए और इसलिए इस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

राजस्थान में जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, बहुत बड़ी योजनाएं हाथ में ली गई हैं। वे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और उन पर बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च की जा रही है किन्तु यह शोचनीय प्रश्न है कि उनमें से एक भी पूरी तरह से सम्पूर्ण नहीं हुई है, ऐसा जो प्रतिवेदन हमको मिलता है, उसमें उल्लेख मिलता है। इन योजनाओं को बहुत लम्बे समय तक चलाने का संकेत उनमें मिलता है कि यह कार्य लम्बी अवधि में जाकर पूरा होगा। यह एक प्रकार से गलत प्लानिंग है। इसे लम्बी अवधि में ले जाने का एक कारण यह बताया जाता है कि राज्य सरकार के पास धन का अभाव रहता है। यह बात सत्य है कि धन का अभाव है। तो प्राथमिकता के आधार पर सब से बड़ी और महत्वपूर्ण योजना राजस्थान नहर की थी। इसलिये पहले उसको पूरा किया जाता ताकि उससे रिटर्न मिलना शुरू हो जाता और उससे अन्य योजनाएं ली जा सकती थीं और राज्य के ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ता।

इसके साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में बड़ी-बड़ी योजनाओं के ऊपर काफी विचार विमर्श किया जाता है और उन पर पूरा ध्यान भी दिया जाता है किन्तु उसके साथ में जो छोटी योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, उनकी एक तरह से उपेक्षा की जा रही है। क्या यह उचित होगा कि एक जगह हम बड़ा बगीचा लगा रहे हैं और दूसरी जगह जो छोटे बगीचे हैं उनको हम उजाड़ रहे हैं। यह कोई न्यायसंगत, न्यायपूर्ण बात नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अजमेर जिले को आपके सामने रखता हूं। वहां पर छोटे-छोटे बंधे काफी तादाद में बने हुये हैं किन्तु उनके संरक्षण के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, उनके प्रसार और विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रचुर मात्रा में धनराशि का आवंटन नहीं हुआ है। इसके कारण यह जिला एक तरह से रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है। रेगिस्तान के किनारे के ऊपर ही यह स्थित है और मैं यह कह दूं

(श्री प्रतापसिंह)

कि रेगिस्तान का ही एक हिस्सा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो पहाड़ियां हैं उनके जंगल को काट दिए जाने से वे सूख गई हैं और इस कारण यहां पर वर्षा का निरन्तर अभाव होता जा रहा है और इसी कारण, जो वहां पर तालाब है, उनमें पानी नहीं आता है और वे पूरी तरह से भरते नहीं हैं। वहां के जो छोटे छोटे तालाब थे, जिनसे सिंचाई होती थी उनकी व्यवस्था ठीक न होने से पूरी तरह से वहां के काश्तकारों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह जो लघु सिंचाई की योजनाएं हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें और प्रचुर मात्रा में धनराशि का आवंटन कर के जो कुछ भी असेट्स बनी हुई है उनको कायम रखें और उनसे जो रिटर्न मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए राज्य को और जनता को वह पूरी तरह से मिल सके। इसकी व्यवस्था करने के लिए मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा। खासतौर से वहां तालाब की जो मोरियां हैं, उनकी ठीक व्यवस्था नहीं है, जो छोटी छोटी नहरें और नालियां बनी हुई हैं, उनकी भी ठीक तरह से व्यवस्था नहीं है और इस समय मैं समझता हूं, यह अकाल का समय है, अकाल राहत कार्य चल रहे हैं तो उनमें प्राथमिकता के आधार पर इन तालाबों पर कार्य किया जाना चाहिए। खासतौर से जो पंचायत, समितियों के तालाब हैं उनमें अभी भी जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, उनके अन्तर्गत कार्य नहीं चलाया गया है। इन कार्यों में पंचायत समितियों के तालाबों की उपेक्षा की जा रही है। इसका कोई औचित्य नहीं है। पंचायत समितियों के तालाब पर काम किया जाना चाहिए अकाल राहत कार्यों में और इनका भी सही ढंग से टैक्नीकल स्टॉफ के द्वारा एस्टीमेट तुरन्त बनाया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन पर कार्य आरम्भ करवा दिया जाना चाहिए। इन सब तालाबों पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करवाया जाना चाहिए क्योंकि यही अच्छा अवसर आपके पास में है।

इसके साथ ही साथ एक समस्या की ओर निवेदन करना चाहूंगा जो आपके तालाब शहरों के नजदीक हैं उनमें शहर का गंदा पानी बहा दिया जाता है जिसके कारण से वहां की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है बल्कि यह कहूं तो कोई अनुचित नहीं होगा कि इससे जन स्वास्थ्य की भी हानि होती है। ऐसा ही किशनगढ का हमीर तालाब है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वहां पर जो गोंदड़ा तालाब है, वह काफी बड़ी झील है और उससे वहां के कुओं का वाटर लेवल बना रहता है। उसको मरम्मत के अभाव में वह खाली पड़ा रहता है। इसके लिए जो कार्य होना चाहिये वह आवश्यकरूप से कराया जाकर यहां की जो वाटर लेवल है उसको मैन्टेन किया जाना चाहिए ताकि वहां की समस्या का निराकरण हो सके और सिंचाई में जो क्षेत्र बढ़ना चाहिये वह भी बढ़ता रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर जिले के बारे में पुनः निवेदन करूंगा कि अजमेर में जो अन्य महत्वपूर्ण लघु सिंचाई की योजनाएं

(श्री प्रतापसिंह)

हैं, उनकी तरफ भी सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये और इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नहीं तो कम से कम आगामी जो पंचवर्षीय योजना आ रही है उनमें तो इनके लिए पूरा कराने के लिए पूरी धनराशि का प्रावधान होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान धन्यवाद देता हुआ ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल।

श्री भैरूंलाल (इकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रदेश में सभी जिलों में सिंचाई के साधनों का अभाव है, केवल तीन जिलों को छोड़ कर गंगानगर, कोटा और बूंदी। इन तीन जिलों को छोड़ कर सारे प्रदेश के सारे जिलों में सिंचाई के साधनों का अभाव है। उन्हीं में से झालावाड़ जिला ही एक ऐसा जिला है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से घिरा होने के बावजूद उसमें चार पांच नदियां ऐसी हैं जो कि बारह महीने पानी से बहती हैं। ऐसी नदियों के होते हुए भी जिला झालावाड़ में एक भी बांध आज तक सम्पन्न नहीं हुआ है। यह झालावाड़ जिले के लिए दुख की बात है। तहसील खानपुर में पलासिदा, भीमसागर बांध और भीमगर बांध, इन दो बांधों की योजनाएं करीब आठ दस साल से चल रही हैं लेकिन आज तक ये पूरी नहीं हुई हैं। लगभग एक करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और पांच, सात लाख रुपया हर साल खर्च होता है और बारिश में वह काम पूरा का पूरा बह जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इकलेरा तहसील के लिए जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। इकलेरा में तीन नदियां, मेजन, परवन और छापी हैं। इन तीनों नदियों में बारह महीने पानी बहता रहता है और छापी और परवन इन दो नदियों पर बांध की योजनाएं हैं।

लेकिन परवन की तो एक लम्बी चौड़ी योजना है जो लगभग 50, 60 करोड़ की है। सरकार के पास अभी धन का अभाव इसलिए इसको हाथ में नहीं ले सकती है, लेकिन छापी नदी पर देलनपुर के पास बांध की ऐसी योजना है जिसके ऊपर खर्चा कम है। उस योजना से न केवल सिंचाई का काम ही होगा बल्कि उससे बिजली भी पैदा होगी। तहसील इकलेरा में उससे सिंचाई होगी और बिजली राजस्थान को ही नहीं म०प्रदेश को भी मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस नदी पर बान्ध के अलावा 4-5 देह ऐसे हैं कि वहां पर पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई की जाय तो काफी मसला हल हो सकता है, और यह जो समस्या है, अकाल का उस तहसील में जो प्रभाव है, उसका अच्छी तरह से मुकाबला किया जा सकता है।

मैं निवेदन करूंगा कि मेजन नदी पर अमरावदा के पास और परवन नदी के ऊपर पाटन औरमनोहरथाना के पास और छापी नदी के ऊपर पाटन और इकलेरा के पास नल योजना शुरू की जाय,

(श्री भैरूंलाल)

क्योंकि इस क्षेत्र में बिजली पहुंच गई है और यदि यह योजना चालू कर दी जाय तो सिंचाई की काफी समस्या हल हो सकती है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि यह देलनपुर बान्ध जो विचाराधीन उसका सर्वे हो चुका है और काफी काम हो चुका है और काफी दिनों तक वहां पर डेरे रहे हैं तो इसको जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणित किया जाय तो वहां पर कुओं का जल भी ऊपर आयेगा और जनत की काफी समस्या सिंचाई के संबंध में हल हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांगों के संबंध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव राजाखेड़ा तहसील के अन्दर जो लघु सिंचाई के बान्धों का निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको पूरा न किये जाने के सम्बंध में भेजा है। उपाध्यक्ष महोदय, उन सिंचाई बान्धों का फैसला, दो सिंचाई बान्धों का फैसला तो आज से चार वर्ष पूर्व हो चुका है और दो सिंचाई बान्धों का फैसला आज से दो वर्ष पूर्व हो चुका था, और बजट में राज्य सरकार ने धनराशि प्रावधान भी किया था, और उन चारों बान्धों के ऊपर किसी बान्ध पर आठ आना भर और किसी पर बारह आने भर कार्य पूरा होने के बावजूद भी उनको पूरा होने नहीं किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में अधिकारियों को बराबर लिखा, माननीय मंत्रीजी को भी बराबर लिखा लेकिन जब इस बात पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया तो इस अवसर पर मैंने मुनासिब समझा कि कटौती प्रस्ताव के जरिये अपनी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूं ताकि उसके ऊपर कार्य प्रारम्भ हो सके।

इस अवसर पर मैं कुछ और मेरे विचार हैं, मेरे सुझाव हैं जो कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को देना चाहता हूं। राजस्थान कैनाल के बारे में आज चारों तरफ से, क्या विरोधीपक्ष की तरफ से, क्या कांग्रेस की तरफ से, सब तरफ से जोरदार शब्दों में मांग हो रही है कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार हमेशा इस बात को कहती आई है कि आर्थिक हालत के कारण, पैसे की कमी के कारण इस योजना को जल्दी पूरा करने के अन्दर राज्य सरकार असमर्थ है, तो मैं इस बात की यहां मांग कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट माना और इसका पूरा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करे जिससे कि यह प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सके और राजस्थान के अन्दर जो अकाल की स्थिति है उसके ऊपर काबू पाने में काफी लाभ इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक कारण और है जिसके ऊपर मैं और प्रकाश डालना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने जब से इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च किया है और इस योजना के पूरा होने पर राजस्थान के जिन हिस्सों को लाभ

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मिलेगा वह सूबे के दूसरे जिले हैं, उनकी कास्ट के ऊपर है। मैं रीजनेलिज्म की भावना से यह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों के दिल और दिमागों में यह बात जोर पकड़ती जाती है कि राजस्थान कैनाल को फाइनेन्स करने के लिए राज्य सरकार को जो आर्थिक बोझ भुगतना पड़ता है उसके कारण और जिलों के अन्दर जो कार्य शुरू होने चाहिए थे लघु सिंचाई के वह कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यह और भी आवश्यक है बेलेन्स्ड डेवलपमेंट के लिए, हर जिले के बेलेन्स्ड डेवलपमेंट के लिये कि सब जिलों के अन्दर थोड़ा बहुत कार्य हो सके। राजस्थान के अन्दर इस योजना की बात को भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

दूसरी बात माइनर इरिगेशन के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से जिले ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहां पर थोड़ी कीमत के ऊपर, छोटी धनराशि खर्च करके, छोटे छोटे बान्ध बान्धे जा सकते हैं और उनसे काश्तकारों को और जनता को काफी लाभ मिलने की संभावना है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हर जिले को, हर तहसील के मास्टर प्लान तैयार किये जायं कि जहां पर पोटेन्शियल है, जहां पर बरसात का पानी नदियों में बेकार जाता है, अगर उस पानी को रोक सकें, पूरी धनराशि खर्च करके तो कहीं पर पेटे कास्त हो सकती है और जो अन्डरग्राउण्ड वाटर टेबल गिरता जा रहा है उसको भी बढ़ाने के अन्दर इससे बहुत मदद मिलेगी।

तीसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष, मैं पारवती डेम के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने एक करोड़ 20 लाख रुपया खर्च करके पारवती डैम का निर्माण किया है और उससे करीब 35 हजार एकड़ के ऊपर सिंचाई हो रही है वह राजस्थान में इकोनामिक रिटर्न्स के हिसाब राजस्थान में अव्वल दर्जे का बान्ध माना जाता है, लेकिन आज उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके टूटने का डर अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों डाइरेक्टर डिजाइन और अन्य अधिकारियों ने वहां पर जाकर उस बान्ध का निरीक्षण करके उन्होंने सरकार को लिखा है कि इस बान्ध की मरम्मत के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई तो इस बान्ध को खतरा हो सकता है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यदि इस बान्ध को कोई खतरा हुआ तो धौलपुर सब जिले की तीन तहसीलें बिल्कुल बरबाद हो जायेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बात पर तुरन्त गौर किया जाय। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अगर आपने तुरन्त मरम्मत का कार्य इस बान्ध का हाथ में नहीं लिया तो बहुत बड़ी केलेमिटी का आपको सामना करना पड़ेगा। कोयना से भी भयंकर दृश्य उपस्थित होगा, और राजस्थान सरकार की इसके अन्दर बहुत जबरदस्त बदनाम होने वाली है अगर इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया तो।

इसके संबंध में सेकण्ड पारवती बान्ध बनाये जाने के बारे में पहले भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सिंचाई मंत्रीजी को लिखा था और सर्वे के आदेश दिये थे।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पारवती के ऊपर पहले एक बान्ध बना हुआ है उसके अलावा भी इतना सरप्लस वाटर उसमें एवेलेबल है कि दूसरा पारवती डैम आप बना सकते हैं जिसका कि सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें, और पंचम् पंचवर्षीय योजना जो बन रही है उस योजना के तहत यह सैकेण्ड पारवती बान्ध बान्धे जाने का प्रावधान किया जाय।

मैं एक और निवेदन करूंगा कि हमारे धौलपुर के अन्दर चम्बल नदी एक पेरीनियल सोर्स ऑफ वाटर है। बहती रहती है वह नदी और उसमें इतना पानी बहता है कि लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम डालकर सिंचाई करें तो धौलपुर जिले का वह हिस्सा जिसको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और भरतपुर जिले की वह तहसीलें जहां पानी उपलब्ध नहीं हैं, वहां पानी पहुंचा सकेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान में तो स्थिति यह है कि वहां पर पानी नहीं है। और पूर्वी राजस्थान के अन्दर स्थिति यह है कि पानी एवेलेबल है तो एक्स्प्लायट नहीं कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई योजना नहीं बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि चम्बल नदी का पानी बरबाद जा रहा है। यमुना में पानी गिर रहा है। अगर उस पानी को रोकेंगे तो राजस्थान के लोगों को, धौलपुर के लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने पहले भी राज्य सरकार को इसके बारे में लिखा है कि राजाखेड़ा की तहसील का हिस्सा, जो उत्तर प्रदेश से लगता है, वहां पानी एवेलेबल है, सरप्लस वाटर एवेलेबल है, अगर राजस्थान सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में कुछ लिखा-पढ़ी करे तो वहां पर जो जमीन बिना पानी के है उस जमीन के ऊपर वहां के काश्तकार पानी प्राप्त कर सकेंगे।

मैं माननीय मन्त्री महोदय, आपका ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि आप सिंचाई विभाग के अन्दर इस बात का प्रयत्न करें, इस बात की कोशिश करें कि एक कैनाल मजिस्ट्रेट को नियुक्त करें। आज यह हालत हो गई है कि जिस की मर्जी होती है, वही नहर को काट लेता है। लोगों पर मुकद्दमा कर दो तो तीन चारवर्ष तक पड़ा रहता है। दूसरे मजिस्ट्रेटस के पास और कैसेज होते हैं। वहां कोई सुनाई नहीं होती है। लोगों का भय दूर हो गया है। मर्जी होती है वही नहर काट लेता है। उत्तर प्रदेश ने कैनाल मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है। इसी प्रकार से आप भी कैनाल मजिस्ट्रेट को नियुक्त करें। जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। नहर काटना बेलेबिल आफेंस है। बड़ी खेती वाले लोग, जो लाखों रुपया पैदा करते हैं उनको हजार रुपया देना पड़े तो कोई खास बात नहीं है। वह जबरदस्ती अपने खेतों में पानी ले लेते हैं। जो गरीब तबके का आदमी है, शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, जिनके पास बहुत कम खेती है, वह पानी नहीं ले सकते हैं। ऐसे बड़े लोगों के कारण वे डरते हैं। वह बड़े लोग उनको हरेस करते हैं, परेशान करते हैं। पानी नहीं लेने देते हैं। इसलिए आप इतना कड़ा कानून बनाइये जिससे कि किसी की हिम्मत नहीं हो। उत्तर प्रदेश में दो दो हजार, चार चार हजार जुर्माना होता है। वहां के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस प्रकार का कार्य करें।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हमारे यहां कोई भी काट लेता है। आप इस बात की घोषणा कीजिये। आप एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कीजिये।

आखिर में, मैं कडाणा बांध के बारे में जिक्र करूंगा। बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसको उठाया है। भू. पू. मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी ने यह आश्वासन दिया था कि कडाणा बांध की ऊंचाई 410 फीट से ज्यादा नहीं रखी जायेगी। लेकिन इसके बावजूद गुजरात सरकार अड़ी हुई है। उसका कहना है कि इसकी ऊंचाई 419 फीट रखी जाये। 419 फीट रखने से हमारे यहां का काफी इलाका पानी में आ जायेगा। हमारे यहां का नुकसान होगा और गुजरात सरकार को फायदा होगा। जो यहां के डिस्प्लेस्ड परसन्स होंगे उनके लिये गुजरात सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार का एग्रीमेंट राजस्थान सरकार ने किया है। आप पोंग डेम को लीजिये। उनके व्यक्तियों को राजस्थान सरकार बसा रही है। उनको कीमती जमीनें राजस्थान सरकार देने जा रही है। हमारी राजस्थान सरकार इस बात के लिए असफल रही है कि गुजरात सरकार से यह कोई एग्रीमेण्ट नहीं कर पाई है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के उस इलाके में छोटे छोटे काश्तकार हैं। वह लोग अगर महरूम हो जायेंगे तो कितनी परेशानी होगी। उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। आप खुद काश्तकार हैं। नतीजा स्वयं सोच सकते हैं। आप इस सदन की भावनाओं से भारत सरकार को अवगत कराइये। इस बांध की ऊंचाई कम की जाये। या यहां के आउटीज हैं, उनको बसाने की व्यवस्था की जावे।

आखिर में, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान भरतपुर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कि भयंकर बाढ़ आई थी। हमारी सरकार ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को सस्पेण्ड कर दिया है। हमारे यहां बाढ़ के कारण इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, इतना बड़ा काण्ड हो जाता है लेकिन किसी पर भी एक्शन नहीं लिया जाता है। किसी की रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती है। चाहे जो कैलेमिटी हो। वहां पर जो भी काम किये गये हैं, वह सभी सब-स्टेण्डर्ड के हुये। आपके कर्मचारी जिस प्रकार से काम करते हैं, उससे सरकार की बदनामी होती है। जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होता है। मन्त्रीजी तो जनता को राहत देना चाहते हैं लेकिन आपके कर्मचारी आपको बदनाम करते हैं। इसके बावजूद आप एक्शन लेने में समर्थ नहीं होते हैं। बरसात के तीन चार महीने रह गये हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं कि जिस गति से टूटे बांध बनाने का काम हो रहा है, मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि वह अधूरा कार्य पूरा होने वाला नहीं है। यह मेरा चेलेंज है अगर राजस्थान सरकार उसको बरसात से पहले पूरा कर दे। आपके एक्जीक्युटिव इन्जीनियर वहां रहना नहीं चाहते हैं। कोई जाना नहीं चाहता है। ट्रांसफर होता है तो छुट्टी लेकर घर बैठ जाते हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार अकाल से ग्रस्त है दूसरी तरफ जहां लाखों मन गल्ला पैदा होता है, वहां इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। भरतपुर जिले में बाढ़ से टूटे बांधों की मरम्मत का कार्य

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जुलाई से पहले पूरा हो जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपके दिल में दर्द है। आप चीफ इन्जीनियर की रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कीजिये। सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कीजिये। एक्जीक्युटिव इन्जीनियर की रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कीजिये।

अगर यह व्यवस्था की गई तो दूसरा यह कहेगा कि उसने नहीं किया है। डिजायन जाते हैं, वह पड़े रहते हैं। अगर आप रिस्पोन्सिबिलिटी फिक्स कर देते है तो उस आदमी का जवाब तलब कर सकते हैं। इसी प्रकार से भरतपुर के अन्दर लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला है। उनसे भी आप पैसा वसूल कर रहे हैं। लोगों ने बार बार कहा है कि लोगों को पानी नहीं मिला है। बाढ़ के कारण नदियां अपना स्थान छोड़ गई हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लघु सिंचाई के लिए मन्त्री महोदय ने स्वयं पूरा करने का आदेश दिया था। एक बार धौलपुर में जाकर आदेश दे आये थे। लेकिन काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बाजना और जौहरी का बांध 12 आने पूरा हो चुका है। बाकी काम पूरा करने के लिए अगर चौमासे से पहले आदेश दे देते हैं तो पूरा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल। आपकी मीटिंग है। बाद में आ जायं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : पता नहीं, कितनी देर लगेगी। मैं दस मिनिट में बोल देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, इस किस्म की है कि प्रान्त के एक हिस्से में दूसरे तीसरे साल बाढ़ आती है और एक हिस्से में प्रायः अकाल पड़ता रहता है। इसे प्रकृति का प्रकोप समझिये। लेकिन प्रकृति का जो प्रकोप होता है, उससे जनता को बचाने की क्या आपकी योजना है ? इसके अलावा बरसात जब ज्यादा हो जाती है और बाढ़ आ जाती हैं तो उसको रोकने के लिए आपने क्या साधन किये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़ी बड़ी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विशेष ध्यान उन पर दिया जा रहा है। उसके बाद जो मध्यम सिंचाई योजनायें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन छोटी सिंचाई योजनाओं पर जिस प्रकार से जो ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। छोटी सिंचाई योजनाओं से आम किसान को, आम पब्लिक को ज्यादा फायदा हो सकता है। बड़ी सिंचाई योजनाओं से भी हो सकता है लेकिन वह फायदा धीरे धीरे होगा। अगर छोटी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लेंगे तो वह साल, दो साल में सिंचाई के लिए पानी देने लग जायेंगीं, इससे खेती को भी फायदा होगा। और जिन क्षेत्रों में कुओं में पानी नहीं है वहां पर छोटे छोटे बांध और तालाब बना दें तो उससे कुओं में पानी का स्तर ऊंचा होगा और किसानों को खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सकेगा, जिसे वह खेती के लिए उपयोग कर सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप छोटी सिंचाई योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दें। जो 1972-73 की प्रगति रिपोर्ट है, इसमें

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सिंचाई के आंकड़े दे रक्खे हैं इनसे मालूम होता है कि लघु सिंचाई योजनाओं के काम में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। प्रथम योजना में लघु सिंचाई योजनाओं से 22.6 हजार हैक्टर में सिंचाई हुई, वह 1973-74 में 107 करने जा रहे हैं। इसके अनुपात में जो धनराशि है, लघु सिंचाई योजनाओं पर जहां 108 लाख रुपये खर्च करने की योजना है वहां वृहद् योजनाओं पर 1541 लाख खर्च करने की योजना है। धनराशि के व्यय में सिंचाई की योजनाओं में इतना डिफरेन्स है, जब कि जो सिंचाई करने की योजना है, वह 1973-74 में 107 हजार हैक्टर है, वहां वृहद् सिंचाई योजनाओं से 206 हजार हैक्टर में सिंचाई करने की योजना है। जहां सिंचाई करने वाले क्षेत्र में फर्क इतना है, वहां खर्च करने के आंकड़े देखें तो हजारों गुना फर्क है इन आंकड़ों के आधार पर।

इसके अतिरिक्त नये बांध, जो कुछ वर्ष पहले बनाये गये थे, उन पर विस्तृतरूप से ध्यान दे रहे हैं, उनके विकास का काम भी कर रहे हैं जबकि स्टेट टाइम के जो बांध थे, वे ऐसे थे, जिनके लिए आज बड़े बड़े इंजीनियर यह कहते हैं, पता नहीं, वह इंजीनियर किस ढंग के थे, उन्होंने हमारे बाल बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया। वह उनके लिए कहते है कि उन्होंने इस तरह के बांध बना दिये कि उन पर चूने की करनी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन बांधों के ऊपर से दस फीट पानी भी निकल जाय, वह बिल्कुल भर जाय तो भी टूटते नहीं हैं। मेरा निवेदन है, उन बांधों के विकास के लिए आप क्या कर रहे है। जो पुराने बांध है वह सिंचाई के लिए काफी उपयोगी हैं। लेकिन आप उन बांधों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ साल पहले जब बाढ़ आई थी, उस समय यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक बड़े बड़े बांध पर टेलीफोन उपलब्ध करा दिया जायगा, जिससे जब पानी ज्यादा हो या बाढ़ आने की आशंका हो तो समय पर सूचना दी जा सके। मैं समझता हूं कि किसी बांध पर इस समस्या का समाधान करने के लिए कहीं टेलीफोन की व्यवस्था नहीं की है, जब कि सरकार ने निर्णय लिया था। मैं समझता हूं, यह अच्छा निर्णय है, टेलीफोन की सुविधा बांधों पर कर दें जिससे कि वहां जो भी अभियन्ता या कोई आदमी हो— वह समय पर उच्च अधिकारियों को सूचना दे सके और समस्या के समाधान के लिए समय पर व्यवस्था कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह पर अधूरे और टूटे हुए बांध पड़े हैं, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले में कई बांध अधूरे और टूटे हुए पड़े हैं। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा, वह सही है, जिन बांधों की मरम्मत होनी चाहिए, वह नहीं हो सकी और खाना पूर्ति इस ढंग की हुई है कि बांधों पर जितना पैसा भी लगाया है वह बरसात के समय में खराब हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ से जो किसानों की हानि हुई है— वह आपसे छिपी हुई नहीं है और जो सरकार सहायता देती है वह भी आपसे छिपी हुई नहीं है और जो वहां चारे की समस्या बताते हैं वह भी आपसे छिपी हुई नहीं है। 1969-70 में बाढ़

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आई थी उस वक्त सरकार की ओर से कुछ राशि दी गई थी और जन सहयोग से भी कुछ राशि प्राप्त हुई थी लेकिन जन सहयोग से प्राप्त हुई राशि को सरकार द्वारा दी गई राशि में परिवर्तित कर दिया गया। अनाज सैंकड़ों बोरी दिया गया और लाखों रुपये का जन सहयोग प्राप्त हुआ लेकिन जो सरकार ने सहायता दी उसको जन सहयोग से प्राप्त हुई सहायता से फेर बदल करके ज्यादा बता दिया और जन सहयोग को जीरो बता दिया और सारी चीजें सरकारी पैसे से खरीदी हुई दिखा दी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो राहत कार्यों पर पैसा खर्च करते हैं उसके बारे में समय समय पर आप जांच करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कड़ाणा बांध के बारे में चर्चा हुई। कड़ाना बांध के लिए माननीय मंत्रीजी ने कहा कि गुजरात सरकार नहीं मानती है। मैं विश्वास दिलाता हूं और निश्चितरूप से कहता हूं कि 1970 में मैंने पार्लियामेन्ट में यह मामला अल्प सूचना प्रश्न के रूप में उठाया था। मैंने यह प्रश्न उठाया, उसके उत्तर में के. एल. राव ने कहा कि 410 फीट की ऊंचाई को गुजरात सरकार ने माना है। राजस्थान सरकार चाह रही है कि उसकी ऊंचाई 410 फीट से नहीं बढ़े। आप वहां की प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 410 फीट से ऊंचाई ऊपर नहीं होगी। 410 फीट की ऊंचाई करने से गुजरात सरकार को तो लाभ है लेकिन राजस्थान में जो आदिवासी इलाका है, और जहां पर एक देवस्थान है, जहां पर लाखों आदमी मेले में इकट्ठे होते हैं, वह डूब में आयेगा तो उससे वहां पर अशांति फैलने की आशंका है क्योंकि उनकी खेती को नुकसान होगा, वह लोग बेघरबार होंगे, उन्हें घर से हाथ धोना पड़ेगा और आप उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे।

राजस्थान में जो मध्यम श्रेणी के बांध बनाये गये, उनके आंकड़े उठा कर देख लीजिए, कहीं पूर्ण व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को बसाने के लिए व्यवस्था नहीं की है जिन लोगों की जमीन ले ली। उनको मुआवजा नहीं दिया गया है और लगान के ऊपर पेनल्टी ली जा रही है, उल्टे उनसे लगान और वसूल कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण हैं, तीन दिन पहले मैंने उदाहरण दिया था कि पन्द्रह साल हो गये, लोगों को जमीन देना तो दूर रहा, लाखों रुपए का लगान बांध रखा है और उसकी वसूली की जा रही है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम उन लोगों को भले ही मुआवजा न दें, लेकिन उनको बसाने के लिए जमीन दें। यह आपका फर्ज है। आपने इस सदन में आश्वासन भी दे रखा है कि उनको मुआवजा देंगे, जमीन देंगे और पेनल्टी वगैरह नहीं लेंगे। लेकिन उनको दबाया जा रहा है और बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र की दो तीन योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। चाकसू तहसील के अन्दर श्यामपुरा बांध के बारे में घोषणा की थी कि 1973 के जुलाई महीने के पहले पहले बांध को पूर्ण कर देंगे। आज मुझे जानकारी जरूर मिली है कि टेण्डर वगैरह निकाले गये हैं, इसके लिए तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं लेकिन अभी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तक वहां पर काम नहीं हुआ है, एक फावड़ा तक वहां पर नहीं चलाया है, न कोई अधिकारी पहुंचा है। इसलिए मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं, कि जून, जुलाई महीने से पहले इसे पूर्ण कर दें, अन्यथा फिर मैं सदन को गुमराह करने के मामले में आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला रखूंगा।

श्यामपुरा बांध इस ढंग से पड़ा हुआ है कि कुछ साल पहले लाखों रुपया उस पर खर्च कर दिया। फिर कुछ काम नहीं किया। और जो योजना बनाते हैं वह केवल कागजों तक रह जाती है। फिर आपने किस आधार पर कहा है कि इस साल बनवाटेंगे ? मेरा आपसे निवेदन है कि इसे इस साल पूर्ण करें।

कई बांध ऐसे हैं जो कई तहसीलों में आते हैं, दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं और इसलिए दो तीन सहायक अभियन्ता वहां पर बैठे हुए हैं। लालसोट के सवाई माधोपुर लगता है, करौली लगता है। वहां पर एक विनोरी का तालाब है, उसका उत्तरी सागर है और दक्षिणी सागर है। जब सिंचाई अधिकारियों की मीटिंग होती है तो हर जगह अलग अलग मीटिंग होती है। एक मीटिंग में कुछ निर्णय करते हैं और दूसरी में निर्णय दूसरा होता है। इस प्रकार जो दो तीन तहसील में बांट रखा है इससे लोगों को असुविधा होती है। मेरा निवेदन है कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाय जिससे लोगों को सुविधा हो। उससे, मैं सोचता हूं, आपको भी सुविधा होगी।

इसके अतिरिक्त जो पिलाई के मामले में नए बांधों और पुराने बांधों की दरें हैं, उन में बड़ा भारी अन्तर है। 4 रुपये से लेकर 20 रुपये, 3 से 18 रुपए का अन्तर है, उसको कम करने का कष्ट करें। इसके अलावा मोरेल सागर से लिफ्ट सिंचाई की योजना होनी चाहिए। गंगानगर साइड में राजस्थान नहर उधर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू की है लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान नहीं जानता है कि यह लिफ्ट सिंचाई योजना क्या होती है। आपका वाणिज्य विभाग है आपको आमदनी होगी, नुकसान नहीं होगा, मोरेल सागर के अन्दर का इलाका है, उसमें पानी नहीं पहुंच सकता लेकिन लिफ्ट सिंचाई योजना में हजारों की संख्या में भूमि की सिंचाई होगी और आप को आय की दृष्टि से भारी फायदा होगा।

इसी तरह से मैं विनेरी व उत्तरी सागर व दक्षिण सागर तीनों को एक कर बड़ा बांध बनादें लालसोट में तो यह सहायक सिद्ध होगा।

इसके अलावा श्री मूलचन्द सामरिया का कटौती प्रस्ताव है कि दौसा में चांदराना महेश्वरा खुर्द बांध की गति धीमी है। इस कार्य को भी शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का कष्ट करें और जो छोटी योजनाओं के बारे में निवेदन किया था कि बड़ी सिंचाई योजनाओं के बजाय छोटी सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दें और जो कट मोशन्स हमने दिए हैं उस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय दें और कदम उठायें। उपाध्यक्षजी, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह।

श्री विजय सिंह राठौड़ (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए जो मांगें सदन के सामने प्रस्तुत हुई हैं उनमें मेरे तीन

(श्री विजयसिंह राठौड़)

कट मोशन्स हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। यहां की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। इसलिए सिंचाई का जो महत्व है किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर यहां की ग्रामीण जनता जो खेती पर आधारित है, अगर उसको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जायें तो जितने विकास आप चाहते हैं वे अपने आप होते चले जायेंगे। अगर काश्तकार को इस बात की गेरन्टी मिल जाए कि उसकी फसल को उगाने के लिए उसको मानसून पर न छोड़ कर पानी की सुविधा दी जाएगी तो शायद विकास के अन्दर जो धीमी गति है वह तीव्र हो सकती है।

अतः यदि आप चाहते हैं कि किसान का उत्थान हो, उसका जीवन स्तर ऊंचा बढ़े, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े तो आपके पास सिवा इसके दूसरा रास्ता नहीं है कि आप राजस्थान का बजट सबसे ज्यादा इस सिंचाई मद पर रखें और उसके बाद गांवों की हालत का काया-पलट देखेंगे पानी की जो पोटेन्शल्टीज हैं उनके बारे में आपने अब तक क्या किया है। हमारे यहां उल्टा तरीका काम में लाया गया है। जहां कहीं मन्त्री महोदय गए, वहां पर रास्ते में लोगों ने उनकी मोटर रोक ली या जहां फूलों से लाद दिया, वहां तालाब का आर्डर दे दिया और बाद में कहा जाकर देखो पोटेन्शल है या नहीं। उसके बाद बांध बनाया गया, पोटेन्शल्टीज क्रिएट की गई, ऐसे तालाब बनाए गए जिनकी युटीलिटी आज तक पूरी तरह से साबित नहीं हो सकी। तरीका यह होना चाहिए कि पहले सारे प्रांत का सर्वे कराना चाहिए। आपके सामने एक मानचित्र होना चाहिए था जिसमें आप देख सकते थे कि कहां पर ट्यूबवैल्स की जरूरत है, कहां पर ऐसी पोटेन्शल्टीज हैं जहां बड़े तालाब बन सकते है, कहां छोटे तालाब बन सकते है कहां पर केवल कुआ गहरा करने से काम चल जाएगा। ऐसे सर्वेक्षण के आधार पर बाद में चाहे कितनी ही मालायें पहनते, कितने ही भाषण देते, कितने ही उद्घाटन और शिलान्यास करते, कोई बात नहीं थी, आज जो कुछ पैसा आपने लगाया है उसका बहुत सदुपयोग होता। आज आपके पास में हाइड्रोलोजिकल, ज्योलोजिकल सर्वे पूरा नहीं है। ट्यूब वैल्स बन सकते है, मगर आपके पास सर्वेक्षण नहीं है। मेरे पड़ौस में एक गांव है वहां पर किसी ने प्राइवेट ट्यूबवैल खोदा हैं और सफल हो गया और आपने कहा कि यहां रोककास्ट्रेटा ऐसा है जहां ट्यूबवैल बन नहीं सकता और वहां ट्यूबवेल आराम से चल रहा है। इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का सर्वे होना ज्यादा जरूरी है जिससे आपको मालूम हो सके कि कहां पर क्या हो सकता है। जहां तक हो सके हमारे अधूरे कामों को सबसे पहले पूरा करवाना चाहिए। आज अकाल के अन्दर जिलाधीशों के पास में आदेश पहुंचते हैं अकाल राहत कार्यों के लिए। लेकिन उसमें मेनपावर काम्पोनेन्ट और मेटीरियल कम्पोनेन्ट की दिक्कत आती हैं, बजट में मेटीरियल कम्पोनेन्ट के लिये 80 लाख रुपया रखे गए हैं वे अपर्याप्त हैं, कितने ही तालाब अधूरे पड़े हैं, छोटे-2 तालाब हैं, किसी के मोरी नहीं हैं, तालाब भरे रहते हैं, एक ही बरसात में तालाब भर जाते हैं और भरे 2 ही सूख जाते हैं लेकिन पानी निकालने के लिए लूस गेट्स नहीं हैं। जो कुछ

(श्री विजयसिंह राठोड़)

रकम उस पर खर्च हुई बेकार गई। छोटे 2 कामों को अगर सिंचाई विभाग हाथ में लें और पहले उनका सुधार करें। तो जो रकम अकाल राहत के माध्यम से अथवा विभाग के माध्यम से लगी है उसका सदुपयोग हो सकता है। आज अधूरे कामों की हालत यह है कि तालाब बनाया और उसमें से सीपेज है, तो उसको जाकर दुबारा नहीं देखा कि सीपेज रोकने के लिए क्या किया जाए। तालाब भर जाने पर भी बरसात का मौसम खतम होते होते वापस खाली हो जाएगा। मिट्टी का टेस्ट नहीं किया गया कि यह तालाब बनाने के लायक है या नहीं यह सोईल पानी रोक सकेंगी या नहीं, कई बातें हैं जिसके कारण अधूरे काम पड़े हैं, लाखों रुपये जिन पर लगे हुए हैं, उसका फायदा राज्य सरकार नहीं उठा पा रही है। किशनगढ़ के माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार पंचायत समितियों के साथ तालाबों के बारे में सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही हैं जो सही है। जिन तालाबों से 50 एकड़ की सिंचाई हो सकती थी वही पंचायतों के सुपुर्द किए गये थे। पंचायतों के पास मेन्टीनेन्स के लिए पैसा नहीं था, वे तालाब मेंटेन नहीं कर सकती थी। पंचायतें उनसे पूरी आमदनी नहीं कर पाती थी, इससे बड़े तालाबों की हालत और भी बदतर हो गई है। ऐसे तालाब पंचायत समितियों को मिले जिनके पास इस मद में पैसे नहीं होने से रिपेअर नहीं करवा सकीं। आप ऐसे तालाब के एस्टीमेंट्स तैयार करें वहां किस तरह से ठीक करने की बात पंचायत समितियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, एक बार उनको रकम दे दें तो वहां की ग्रामीण जनता को उन तालाबों से बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इस समय पंचायत समितियों के तालाबों के लिए बजट में पैसा नहीं रखा है। जो रखा जाना चाहिये था।

जो बड़े 2 बांध बनाए जाते हैं उनसे जो लाभ होता है वह प्रत्यक्ष है लेकिन जो अप्रत्यक्ष हानि है वह दूसरी तरह की है। जब बहुत बड़ा बांध नदी पर बन जाएगा तो उसके कैचमेंट में कोई तालाब नहीं बनाया जाएगा। नतीजा यह होगा कि जो 50-60 मील तक केचमेंट तक आने वाले हैं, वे जैसे पहली हालत में थे वैसे ही रहेंगे। केचमेंट में तालाबों की गुंजाइश होते हुए भी तालाब नहीं बनाए जायेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा नुक्सान होता है। दूसरा नुकसान जो होता है वह तालाब या बांध के कमांड में होता है नदी के किनारों पर मीलों तक ऐजा सूख जाता है और कुवे सूख जाते है। भीलवाड़ा जिले में खारी बांध के नीचे नदी के किनारों पर मीलों के क्षेत्र में कपास पैदा होता था, अब नहीं होती है उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां कुओं के पानी की हालत यह है कि वे सूख गये हैं। और जो हमारे जिले में काफी गांव इन बड़ी योजनाओं के नीचे आ जाने से कुओं में पानी की बहुत कमी है क्योंकि हमारे इधर, जो छोटे छोटे तालाब बन सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छा तो यह रहेगा कि जहां हमारे इलाके में गुंजाइश हैं वहां पर पानी टेप करके तालाब बनाये जाय तो काफी लाभ उस ऐरिया के लोगों को हो सकता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो मीडियम और माईनर, जो भी इर्रीगेशन की स्कीम्स हैं उनकी भी काफी व्यवस्था खराब है। उसमें काफी गड़बड़ियां हैं। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे भीलवाड़ा के इलाके में 71-72 और 72-73 में जो बजट इन योजनाओं की क्रियान्वित के लिये

(श्री विजयसिंह राठौड़)

राज्य सरकार ने रखा था वह इन योजनाओं के ऊपर खर्च नहीं किया जा सका जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे बजट में जो प्रावधान भीलवाड़ा की ऐसी योजनाओं के लिए रखा हुआ था वह लैप्स हो गया और इस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान राज्य सरकार ने बजट में इन योजनाओं के लिए नहीं रखा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करके जो बजट में प्रावधान नहीं किया गया है इन योजनाओं के लिए उसका वापिस प्रावधान रखाने की कृपा करें ताकि वह योजनायें पूरी हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो सिंचाई विभाग के ओवरसियर्स और इन्जीनियर्स की गलती थी जिसके कारण इन योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा सका। इसके लिए राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से यह पैसा खर्च नहीं हो सका और उसका असर हमारे ऊपर खराब पड़ा। यह गैर वाजिब है। हमारे इलाके से कई बार इस ओर राज्य मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन कोई सुनवायी नहीं हुई। आज उन लोगों की गलती के कारण हमारे इलाके के काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन योजनाओं के लिए जिनका कि पहले साल बजट में प्रावधान था और पैसा खर्च नहीं हो सका उस धनराशि का इस साल के बजट में आवन्टन नहीं किया जाना चाहिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के क्षेत्र में मांडलगढ़ में तीन बान्ध हैं मेजा बान्ध, मानसी बान्ध सरेड़ी और खोरा बान्ध इन बान्धों के बनने से काफी ऐरिया इन बान्धों के केचमेन्ट में आ जाता है जिससे कि हमारी के सारे दूसरे तालाब नहीं बन पा रहे हैं जिससे वहां के काश्तकारों को काफी तकलीफ है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को चाहिए कि इन छोटे छोटे तालाबों को भी बनाने के लिए धनराशि का आवन्टन करे। आज हमारे उधर मेजा फीडर बनने जा रही है जो कि बहुत बड़ी योजना है उसके बन जाने के बाद में जो बांध के केचमेन्ट की दिक्कत नहीं रहेगी इसलिये वहां पर तालाब बनाने देने की मंजूरी होनी चाहिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन छोटे तालाबों की बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है। इसलिए इनके बनाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बड़ी योजनायें होती हैं उतनी ही उसमें अनियमिततायें ज्यादा होती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस ऐरिया में एनीकट्स व छोटे तालाब बन सकते हैं वहां पर बनाये जाने चाहिये। साथ में दूसरी योजनायें तो चलती रहती हैं उसमें समय लगता है लेकिन यह छोटी छोटी योजनायें तुरन्त लाभ देती हैं इनका विकास होना जरूरी है। आजकल हमारे उधर सोइल कनजरवेशन का काम चल रहे हैं, वह मेड़-बन्दी का काम है, उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये तालाबों के केचमेंट में मेड़बंदी के कारण पानी रुकता है इसलिये तालाब खाली पड़े रहेंगे आज जो हमारे उधर एग्जिस्टिंग तालाब हैं उनकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों को अपने अपने क्षेत्र में जो तालाब हैं उनकी व्यवस्था के लिए धनराशि बजट में रखी जानी चाहिए। अगर आप पंचायत समितियों

(श्री विजयसिंह राठौड़)

को इसके लिए बजट में, प्रावधान रखेंगे तो वहां पर तालाबों का निर्माण कराया जायेगा और जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज काश्तकार बेकार बैठे हैं वहां कोई सिंचाई का साधन नहीं है, बड़ी योजनायें पूरी नहीं हो रही हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे पंचायत समितियां अपने क्षेत्र में तालाब बनवा सकें ताकि वह तालाब बन जायेंगे तो उनसे पहले तो काश्तकारों को अभी काम मिल जायेगा बाद में उनके बन जाने से वहां पर काश्त हो सकेगी। अभी तो अकाल राहत काम चल रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब अकाल राहत कार्य समाप्त हो जायेंगे तो वहां पर उन लोगों के पास कोई कार्य नहीं रहेगा। और जो मेटीरियल वहां पड़ा है जैसे चूना पत्थर वगैरह वह वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजट में ऐसा प्रावधान कर दिया जाय उपाध्यक्ष महोदय, कि उनको तालाब बनाने के काम में ले लिया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसके अलावा मैं कुछ ठेकेदारों के बारे भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज ठेकेदार लोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा भारी संकट बने हुए हैं। आज जब टेन्डर्स मांगते हैं तो और प्रकार से मांगे जाते हैं लेकिन बाद में जो पेमेन्ट उन्हें किया जाता है वह और प्रकार से किया जाता है। जिस बात के लिए ठेका दिया जाता है उसको ए. ई. एन. और सिंचाई विभाग के जो आफिसर हैं उनके द्वारा बदल दिया जाता है। और इस प्रकार उन ठेकेदारों को ज्यादा पैसा पेमेन्ट किया जाता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की एक्टीविटीज हैं उन्हें आप रोकिये उन पर चैक लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा थोड़ा मैं सिंचाई विभाग के लेबर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो वहां पर काम की कमी नहीं है फिर भी वहां के आफिसर हैं कि लेबर को काम नहीं देते हैं। अगर काम के लिये कहते हैं तो कहते हैं कि काम नहीं है। इसलिए वहां पर लेबर बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। चूंकि आज स्थिति यह है कि जो लेबर का बन्दोबस्त करेगी वही ऐजेन्सी पेमेन्ट भी करेगी। इसलिये इस एजेन्सी में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें समाप्त करनें की व्यवस्था करें। और जो वहां स्टाफ की कमी है भी

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

तो उसे पूरा किया जाना चाहिये। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के लिए अलग से मन्त्रालय खोला जाय। आज राज्य सरकार को सिंचाई विभाग की

(श्री अजीतसिंह)

ओर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। आज आपने सिंचाई विभाग को राजस्व विभाग के साथ कर दिया है जिससे कि सिंचाई विभाग की पकड़ अपने कार्य के लिए ढीली हो गयी। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि सिंचाई विभाग का काम ग्रिप में आजाय नहीं तो आज इसकी पकड़ ढीली होने से सिंचाई विभाग में बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल गया और बहुत सी अनियमिततायें फैली हुई है। आज इस विभाग में भ्रष्टाचार का यह हाल है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देकर इसका अलग से मन्त्रालय बनाये जिससे कि इस विभाग का काम ग्रिप में आ जाय। इसके अलावा मैं एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टोंक जिले में एक बनास नदी है जो 12 मास बहती है और इसके लिए हमने कई बार राज्य सरकार से यह निवेदन किया कि आप टोंक जिले में बीसलपुर से लेकर बनास नदी पर बान्ध बनाया जाय। इससे उपाध्यक्ष महोदय काफी लोगों को राहत मिलेगी। नहीं तो आज पानी की कमी के कारण हर साल हमारे टोंक जिले में अकाल पड़ता है। और जहां थोड़ा पानी है वह सिर्फ 10 परसेन्ट पानी की पिलाई होती है। और काफी पानी इस नदी का बेकार जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय सन्तुलन के लिए भी यह योजना काफी उपयोगी है। अगर राज्य सरकार की इस बनास योजना को हाथ में ले लेते हैं तो इससे टोंक, जयपुर अजमेर और ब्यावर आदि जो तीन चार जिले हैं वे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा टोंक का जिला है वह पहले से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां आजतक कोई योजना नहीं बनी है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पंचवर्षीय योजना में इस काम को हाथ में लिया जाय तो काफी जिलों के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

इसके साथ ही पहले बजट में मालपुरा तहसील में टोर्डी सागर बहुत बड़ा बांध है, वहां पर ड्राई एनीकट बनाने की बात थी और उससे पानी देने की बात थी। इसको इस वर्ष के बजट में उड़ा दिया है। इस टोर्डी सागर बांध के ड्राई एनीकट को बना दिया जायगा तो इससे काफी सिंचाई होगी और अकाल में राहत मिलेगी। कम पैसों में पूरी होने वाली यह योजना है।

इसके साथ ही लघु सिंचाई योजना की तरफ, छोटे २ बांधों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जागीरदारों के समय में और खालसे में भी छोटे २ बांध थे, माफीदारों के भी बांध थे। उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। उनकी पिलाई की शक्ति को काफी बढ़ा दिया। उनके टूट जाने एवं बार बार निवेदन करने पर भी उनकी ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। उनको वापिस नहीं बनाया जाता है। दूसरी दिक्कत हमारे सामने आ रही है वह यह आ रही है कि अकाल राहत की मीटिंग्स में बात होती है। आपके डिपार्टमेन्ट से सर्वे करके नहीं बताते हैं। मजदूर उन पर इसीलिये नहीं लगाते हैं। जिन बांधों का काम होना जरूरी था वे आज बेकार पड़े हुए हैं यहां से तो पैसा पास हो जाता है लेकिन आपके डिपार्टमेन्ट वाले सर्वे करके नहीं देते हैं इसलिये ये काम बन्द पड़े हुए हैं। इसलिये मजबूरन मजदूरों को सड़क के काम पर लगाना पड़ता है। यदि सर्वे जल्दी

(श्री अजीतसिंह)

करा कर देते तो उन बांधों पर उन लोगों को लगाया जाता जिससे जनता को लाभ मिलता। अभी भी सर्वे बना कर दे दिया जाय और मजदूरों को उन बांधों पर लगा दिया जाय तो जनता को भी लाभ मिलेगा और पैसे का भी सदुपयोग होगा। जितने हमारे टूटे हुए बांध हैं उनका एस्टीमेट बना दें तो उनकी मरम्मत होकर सदुपयोग हो।

पंचायतों के हवाले उन बांधों को कर दिया गया है यह अनुपयुक्त है। वे उनको ठीक नहीं कर सकती हैं। आज हालत यह हो रही है कि उनके पेटे में लोगों ने काश्त करली है। जितना पैसा सरकार ने लगाया है वह बेकार गया है। इस मामले में आप यदि इरींगेशन डिपार्टमेंट को खींचें तो अच्छा होगा। पहले भी सवाल के जवाब में यह वादा किया था कि केबिनेट लेवल पर बात करूंगा। आपने क्या निर्णय लिया है इसका शायद आज जवाब मिलेगा।

तहसील में जो बांध से पानी दिये हैं उनका पटवारियों के द्वारा रिकार्ड लिखवाते हैं कि इतनी पिलायी हुई। ये पटवारी लोग किसी के एक पानी किसी के दो और किसी के तीन पानी लिख देते हैं, किसी के पानी देने पर भी नहीं लिखते, किसी के लिखते हैं और किसी को छोड़ देते हैं। ये तो महान् भ्रष्टाचार के अड्डे खुल गये हैं। जनता इससे बहुत परेशान होती है। इससे कोई उनको लाभ होता नहीं। पटवारी को कुछ दे दिला कर छुड़वा लेते हैं इससे किसी को पानी मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। आपने पटवारी को लिखने के लिये बांध दिया है। इसको वापिस जिलेदारों को दे दिया जाय ताकि पानी का ठीक तरह से वितरण हो।

दूसरा बरसात के दिनों में इन छोटे बांधों पर उनकी देखभाल का माकूल इन्तजाम नहीं होता है। आपका डिपार्टमेन्ट केरोसीन आइल तक खर्च नहीं करता है। लेकिन हिसाब आपके पास आ जाता है। सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है एक आदमी वहां पर लगाने की बात है। इस लिये आप डिपार्टमेन्ट पर अपनी गिरफ्त मजबूत करायें। हजारों लाखों रुपया खर्च होता है। दो चार रुपये के इन्तजाम की वजह से इनकी सम्हाल नहीं हो सकती है और इस कारण आपको और सरकार को और जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। बांध टूट जाते हैं। यदि आदमी रहे तो मौके पर खड़ा रह कर वेस्ट वीयर को काट कर बांध को टूटने से बचाया जा सकता है। हमने इसके लिये कई बार कहा लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होती है और न ही कोई इन्तजाम होता है। एक छोटा बांध टूटता है तो वह बड़े बड़े बांधों को भी ले जाता है। इस कारण सत्यानाश हो जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आयी। एक मामूली बांध को न सम्हालने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। पहले हाउस में निवेदन किया लेकिन आपने हाउस में जवाब दे दिया कि बहुत बड़ा फ्लड आ गया था हम उस एरिया के रहने वाले हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी देख भाल के अभाव में यह हुआ। पिलायी से महरूम रह गये। किसानों को पानी नहीं मिला जमीन में। बहुत बड़ा राज्य को भी नुक्सान हुआ। यदि एक रात में उस बांध को समय पर ही सम्हाल लिया जाता तो इतना नुक्सान नहीं होता। ऐसी मेरी मान्यता है

(श्री अजीतसिंह)

सहोदरा बांध के लिये निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपके डिपार्टमेन्ट ने उस पर गलत सर्वे के कारण पैसा खर्च कर दिया। अन्धा आदमी भी कह सकता है कि वहां का सर्वे बहुत गलत हुआ है। लेकिन कौन माने इसको ? आप बड़ी मुश्किल से तो पैसा देते हो और आप का डिपार्टमेन्ट गलत काम करता है और इस प्रकार लाखों रुपयों का सत्यानाश होता है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्यों गलत सर्वे हुआ ? आप उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते ? जनता के खेत खराब कर दिये, सरकारी पैसा खराब कर दिया। आज उसका दुबारा सर्वे हो रहा है। अब दुबारा गौर करके ठीक तरह से सर्वे करवा कर काम कराया जाय ताकि पैसा जो खर्च हो उसका सदुपयोग हो और जल्दी बांध बने।

दूसरा निवेदन यह है कि कृषि सलाहकार समिति हमारे जिलों में है। इस कृषि सलाहकार समिति के आदेशानुसार बिजली का वितरण होता है। छोटे २ बांधों के विषय में कृषि सलाहकार समिति के द्वारा आपके पास रिकमन्डेड आये, जहां पर इनकी व्यवस्था के सिलसिले में डिस्कशन हो जाय और फिर ये आपके पास पहुंच जाय तो यह उचित होगा। कृषि सलाहकार समिति में एम. एल. ए. प्रधान वगैरा होते हैं। क्षेत्र के बांधों के सम्बन्ध में जो समस्या होगी वह वहां पर डिस्कस होकर रिजनेबली आपके पास जावेगी। इसलिये यदि आपका डिपार्टमेन्ट कृषि सलाहकार समिति में बैठे और विचार हो तो ज्यादा उपयोगी होगी।

कमान्डेड एरिया के लिये निवेदन करूं। चरागाह में नहर आ गयी है और कमान्डेड एरिया ऊपर रह गया जहां जमीन की पिलायी होनी चाहिये वह तो बेकार पड़ी है। नहरों में चरागाह आ गया है। इसकी अदला बदली कर ली जाय तो आपको पिलायी का पैसा मिलेगा और काश्तकारों को भी फायदा होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरा मैं वायरलेस सेट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हर डिस्ट्रिक्ट में वायर लेस सेट के साथ यदि जीप रखी जाय तो किसी बांध के सम्बन्ध में समाचार मिलने पर वहां इमदाद पहुंच सकती है। बांध को बाढ से जो नुक्सान होता है उससे उनको बचाया जा सकता है। उनकी रक्षा के लिये इमरजेन्सी में सूचना मिलने पर भेजा जा सकता है। इसलिये वायरलेस सेट्स की व्यवस्था कर सकें तो अच्छा है।

दूसरा मेरा सुझाव है बनास में लिफ्ट सिचायी योजना का। वहां पर बिजली उपलब्ध है। किनारे किनारे लिफ्ट सिंचायी योजना लगा दी जाय तो काफी उपयोगी हो सकती है उन गांवों के लिये जो कि किनारे पर पड़ते हैं। पहले एंजिन लगाये गये थे न जाने क्यों हटा दिये गये। यदि बिजली की व्यवस्था यहां पर कर दें तो लाभ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के कट

(श्री मती निर्मला कुमारी)

मोशन पर बोलते हुए मैं राजस्थान की, और मुख्य रूप से चित्तौड़ जिले की सिचाई व्यवस्था के बारे में कुछ सुझाव पेश करूंगी।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसका 60 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं ने भी इसे दो भागों में विभक्त कर दिया है। एक तो दक्षिण पूर्वी भाग, जहां पर 100 मि. मी. से भी अधिक वर्षा का औसत है तथा दूसरा भाग उत्तर पश्चिमी, जहां केवल दस मि. मी. से भी कम वर्षा का औसत रहता है। अर्थात् सदियों से यहां अकाल और सूखा पड़ता आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सर्वेक्षण के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि राजस्थान का 90 प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। हमारे यहां के जो निवासी हैं उनका मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। अब यदि सिचाई के साधन काफी बढ़ा दिये जावें तो काफी अधिक समृद्धि यहां आ सकती है। राजस्थान में जो भी भूगर्भ तथा भू प्रवाही जल है उसका इस दृष्टि से पूरा पूरा उपयोग होना चाहिये। तब हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकेंगे तथा राजस्थान में खुशहाली आ सकेगी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं, मध्यम सिचाई योजनाओं दीर्घ सिचाई योजनाओं, लघु सिचाई योजनाओं पर हम कार्य कर रहे हैं। पर यह वास्तव में बहुत मन्द गति से चल रहा है अत: इन कामों में तीव्रता लाना आवश्यक है।

राजस्थान नहर परियोजना का काम जो कि 1958 में शुरू हुआ था वह राजस्थान कैनाल, जिसकी तुलना हम मिश्र की नील नदी से कर सकते हैं, वह राजस्थान कैनाल, जो कि हमारे प्रदेश में एक तरह से गंगा होगी और इस कैनाल का एक एक बूंद पानी इस मरुभूमि को, जो सदियों से प्यासी रही है, हरी भरी कर सकेगा, और हम इस धरती से सोना उगा सकेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि हम इस कार्य में बहुत मन्थर गति से चल रहे हैं और बहुत अधिक प्रगति अभी तक भी नहीं कर सके हैं। क्यों नहीं हम इस योजना को नेशनल प्लान में क्रियान्वित करा सके हैं? इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार से बहुत अधिक प्रयत्न हम नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि राजस्थान कैनाल के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करवाने के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये तथा विश्व बैंक से भी बात चल रही है उसमें तेजी लानी चाहिये, जो बात चल रही है, वह कब तक पूरी होगी इसमें भी तीव्रता आनी जरूरी है।

मध्यम योजनाओं में जाखम, जेतपुरा आदि में काम हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी गोसुंडा में सर्वेक्षण हुआ है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि यदि इस स्थान पर बान्ध बनाया जावे तो इस जिले के निवासियों के लिये खुशहाली आ सकती है। पर दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक राज्य सरकार ने इस ओर कोई कदम इस योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में नहीं उठाया है।

मैं मुख्य मन्त्रीजी से पुरजोर यह प्रार्थना करूंगी कि यदि गोसुंडा के बांध का काम आरम्भ करा दिया जावे तो सम्भव है चित्तौड़ का काफी अधिक एरिया उपजाऊ बन सकता है। यह वैसे भी ऐतिहासिक नगर होने के कारण प्रसिद्ध है। यदि यहां पर इस तरह का बान्ध बनाया जावे और इस प्रकार की

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

सिंचाई की योजनाएं क्रियान्वित कर दी जावें तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का काश्मीर बन सकता है। इस ओर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसे कार्य भी शुरू हुए हैं और इसके साथ ही साथ में यह निवेदन करूंगी की जो भू-प्रवाही जल बह रहा है उसको हम बांध बनाकर रोकें तो संभव हैं हम काफी अधिक आगे बढ़ सकेंगे।

चित्तौड़ जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 9979 वर्ग किलो मीटर है और यहां 9 लाख 44 हजार व्यक्ति निवास करते हैं। चित्तौड़ का जनसंख्या घनत्व 87 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर हैं, जब कि औसत जनसंख्या का घनत्व सारे राजस्थान का केवल 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर है।

तो ऐसी स्थिति में मैं यह चाहूंगी कि यदि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये हम सिंचाई के साधन पूरे कर सकेंगे तो यह अच्छा मौका होगा। यह हो भी आसानी से सकता है, इसमें दिक्कत भी नहीं है क्योंकि यहां औसत वर्षा 75.27 सेन्टी मीटर होती हैं। और यहां पर कृषि योग्य भूमि भी 67 परसेन्ट है जबकि अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं है पर यहां आज केवल 33 परसेन्ट पर कृषि होती है। यदि सिंचाई के ये साधन दे दिये जायं तो यह बहुत उपयुक्त होगा। इस एरिया में इस समय बनास, बेड़च और गम्भीरी नदियां प्रवाहित होती हैं और उन पर सिंचाई के कार्य किये भी जा रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात हैं कि वह सर्वे डिविजन, जो चित्तौड़ में था वहां से तोड़ दिया गया हैं। मैं तो यह कहती हूं कि चित्तौड़, जो इतना अच्छा जिला है कि जहां कई प्रकार के सिंचाई के साधन और सुविधाएं बताई जा सकती हैं फिर वहां से डिविजन तोड़ कर दूसरी जगह क्यों ले जाया गया। क्या वहां पर अन्य प्रकार के सर्वेक्षण के काम नहीं किये जा सकते? क्या वहां सिंचाई की अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं। वहां कई ऐसे स्थान अभी भी बाकी हैं जहां सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। जैसे भदेसर तहसील में गरदाना नामक स्थान है जहां अच्छा बान्ध बनाया जा सकता है। अकोला नामक स्थान पर भी बान्ध बनाया जा सकता है। तो इनका सर्वे कराकर और उसकी सही रिपोर्ट लेकर यहां पर लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत बान्धों के काम करवाये जाने की कृपा करें। फिलहाल तो यही कहूंगी कि अगर इस प्रकार के छोटे छोटे ऐनीकट बना दिये जावें तो इससे भी चित्तौड़ जिले की जनसंख्या को खुशहाल करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिल सकेगी। इनसे एक तो सिंचाई होगी और दूसरी ओर कुओं में पानी का सतह ऊपर उठ जावेगा। इससे अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को भी लाभ होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निस्सन्देह पिछले 25 वर्षों में चित्तौड़ के लिये बहुत कुछ किया गया है। पहले वहां नहर नहीं थी। किसी प्रकार के बान्ध भी नहीं थे। परन्तु इन वर्षों में वहां ये काम भी हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां नहरों की स्थिति अभी सुधरनी बाकी है। वहां नहरों की स्थिति में सुधार होना चाहिये। पिछली बार भी निवेदन किया था और अभी भी निवेदन कर रही हूं कि वहां पर नहरें कच्ची होने के कारण सीपेज अधिक होता है। सीपेज से होने वाली दिक्कतों का

(श्रीमती विमला कुमारी)

उदाहरण हमारे सामने कोटा का है और इस दिक्कत को कृपा करके आप चित्तौड़ में नहीं दोहरावें तो अच्छा होगा। इस प्रकार सीपेज होता रहा तो वहां की भूमि भी ऊसर हो जावेगी जैसे कोटा में काफी सीमा तक हो गई है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि इन नहरों को पक्का करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इनके पक्का नहीं होने से बहुत अधिक पानी दूर तक लोगों को मिल सकता। सीपेज हो जाता है। अभी जो गम्भीरी की दाई बांई नहरें हैं उससे 5250 हैक्टर भूमि में सिंचाई हो रही है और यदि इनको पक्का कर दिया जावेगा तो सम्भव है और भी अधिक सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। नहरों की स्थिति वैसे भी शोचनीय है। इसके बारे में पहले भी निवेदन कर चुकी हूं। पुनः निवेदन कर रही हूं कि वहां पर जो कैचमेन्ट एरिया है उसकी स्थिति खराब है। उसमें मिट्टी आगई है। उसकी सफाई का काम होना चाहिये। रॉक कटिंग भी नहीं हुई है उस कारण भी पानी का प्रवाह तेज नहीं हो पाता, वह भी कराई जानी चाहिये। साथ ही साथ यहां पर ठीक से स्लोप भी नहीं है जिससे पानी इधर उधर बेकार चला जाता है।

आज हम देखते हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। वह पानी इधर उधर नहीं जाकर किसी के खेत में जावेगा तो हरियाली और खुशहाली पैदा कर सकती है। और इधर उधर बिखर कर जो पानी मच्छर पैदा करता है और लाभ के स्थान पर नुकसान पहुंचा रहा है, वही अगर खेती में जावेगा तो खुशहाली पैदा करेगा। इसलिये पुनः निवेदन करूंगी कि नहरों को और खास कर के गम्भीरी नदी के राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल को पक्का बनाना अत्यावश्यक है। मन्त्री महोदय, इस ओर अवश्य ध्यान दें।

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत भी कई सारे कार्य चित्तौड़ जिले में आरम्भ हुए थे परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि अब वे क्यों रुके पड़े हैं। कई बरस पहले ऐसे काम शुरू किये गये थे जैसा मैंने पहले भी बताया, कि बरखेड़ी नामक स्थान पर बांध बना था। हजारों रुपया लग चुका पर अब काम बन्द है और बांध अधूरा पड़ा है। प्रतापगढ़ में बरडिया बांध का काम भी इसी तरह से अधूरा पड़ा है। इस प्रतापगढ़ क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी लोग निवास करते हैं। यदि इस प्रकार हमारा उद्देश्य गरीबी हटाने का है और समाजवाद लाने का है तो ऐसी स्थिति में इनको पूरा कराया जाना चाहिये। निस्सन्देह यहां से रिटर्न अधिक नहीं मिलेगा पर निवेदन करूंगी कि आदिवासी क्षेत्र में कम से कम रिटर्न का नियम है वह हटा देना चाहिये और वहां जो अधूरे काम पड़े हैं, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है, मैं आशा लगाकर चलूंगी कि वे निश्चय ही पूरे कराये जावेंगे।

इसके साथ ही भूगर्भ में स्थित जो जल है उसका भी सर्वेक्षण का काम बहुत अधिक नहीं हुआ है। केवल जोधपुर या उसके आस-पास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य ही हो पाया है बाकी सारा राजस्थान इस सर्वेक्षण में अछूता रहा है। अतः यदि इस प्रकार के सर्वेक्षण के कार्य करा दिये जायं भू-गर्भ जल के तो कई स्थान पर ट्यूबवेल लगाकर या अन्य तरीके से सिंचाई का कार्य कर सकते हैं और राजस्थान की, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, हम खुशहाली ला सकेंगे। क्योंकि हमारी सब कुछ नींव सिंचाई पर है और सिंचाई में अन्य-

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

बजट से अधिक पैसा इसमें व्यय किया जाना चाहिये तभी जाकर हम राजस्थान की गरीबी को दूर कर सकेंगे। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी सिंचाई के संबंध में जिला झालावाड़ के कटौती प्रस्ताव हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जैसे प्रगति रिपोर्ट के आधार पर यह कह सकते हैं कि कोई बजट इसमें नहीं है, गत वर्ष में भी और इस वर्ष में भी झालावाड़ जिले के लिये मध्यम सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना के लिये भी और लिफ्ट इर्रीगेशन के लिये कोई पैसा नहीं रखा गया है और यह मेरे दुर्भाग्य की बात है झालावाड़ जिले में जो दो प्रोजेक्ट-एक हरिश्चन्द्र सागर बांध और एक भीमसागर बांध हैं, वे दोनों ही अधूरे पड़े हुए हैं। 18 साल से इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इसकी जो लागत थी, एस्टीमेट था उससे कई गुना खर्च होने पर भी बांध उसी जगह पर है, जहां पहले था भीमसागर में 40 लाख खर्च हो चुके हैं परन्तु फाउन्डेशन भी मेरे ख्याल से तैयार नहीं हो पाई है और 70-71 में दो साल काम चला था। गत वर्ष बन्द रहा और इस वर्ष भी कोई विशेष बजट नहीं है। केवल 2-3 लाख रुपया दिया गया है।

पहले इसकी लागत 18 लाख की थी पर अब करोड़ों की हो गई है। महंगाई के कारण हुई है या क्या, यह भी समझ में नहीं आता है। पहले साढ़े चार सौ रुपये प्रति एकड़ पर था अब दो हजार रुपया प्रति एकड़ पर पहुंचेगा। अब देख लीजिये पहले कितना खर्चा आता था और अब कितना खर्चा आयेगा। सिंचाई मंत्रीजी से आपके मारफत निवेदन करूंगा, इस योजना को पूरी की जानी चाहिये यह अधूरी पड़ी है। अब यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह कब तैयार होगी। यह हरिश्चन्द्र सागर बांध पहले बन चुका था। दो बार टूट चुका है। अब फिर बनाया है। बताया यह था कि 50 हजार एकड़ की सिंचाई होगी पर बनने पर केवल पांच हजार की सिंचाई कर रहे थे। या तो यह कहिये प्लान गलत था या फिर इनके समझ में नहीं आया। अब भी करोड़ों रुपया लगेगा। इसी प्रकार हमारी लघु सिंचाई योजनाओं का जो अबतक सर्वे हुआ है, किसी में काम तो चालू नहीं हुआ सर्वे तो हो चुका है। उनको चालू करने की ओर अभी तक राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया। सामरिया, अलावा राजपुरा में लिफ्ट इर्रीगेशन का काम है, वह भी अधूरा पड़ा है। राजपुरा में मोटर लग चुकी है लेकिन काम अधूरे पड़े हैं। उसके अन्दर दो चार लाख रुपया दे दिया जाता तो सिंचाई की योजनायें पूरी हो सकती थी। इस साल भी दे दिया जाता तो काम हो जाता, जैसा भीमसागर में 2-4 लाख रखा है तो पांच हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती थी पर वह डवलपमेंट में नहीं आता। इसी भीमसागर में 2-4 लाख सालाना डाल दिया जाता है। वह मेन्टेनेन्स में या इधर उधर में खर्च हो जाता है। वैसे भीमसागर के बारे में जो खर्चा पहले हो चुका है और उसमें जो घोटालों और गोलमाल हुआ है उसका ज्ञापन मैं दे चुका हूं, मुख्य मंत्रीजी को भी दिया था और कहा था कि इसम जबरदस्त घोटाला हुआ है। फर्नीचर की खरीद में, वाटर टेन्कस की खरीद में, सिरकियों की खरीद में और भी सामान है जिसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है लेकिन उसमें जांच नहीं की गई और मुझे

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

ताज्जुब है वहां के अधिकारियों की कमजोरियों को सामने रखा लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। केवल अधिकारियों के तबादले कर देना काफी नहीं होता और यह सुना गया है कि उन अधिकारियों को साल भर यहां रखा और किसी को ट्रेनिंग के लिये भेज दिया, किसी को भरतपुर में भेज दिया और मैं यह कहने को भी तैयार हूं भरतपुर में जाकर वह अधिकारी अब भी गोलमाल और घोटाले कर रहा है।

जो सिरकी तीन रुपये में आती है उसको 7-7 रु. में खरीदा गया है। 70-80 रु. की त्रिपाल की बाजार रेट है उसको 360 रुपये में खरीदा गया है। वाटर टेन्क पांच पांच हजार में खरीदे गये हैं। ऐसे ऐसे घोटाले आपके सिचाई विभाग में है। मैंने ज्ञापन दिया था आपने उसकी तहकीकात की या नहीं की लेकिन मुझे ऐसा लगता है लाखों रुपयों का घोटाला है। मैं तो ऐसा समझता था, ऐसे आदमियों को जेल में जाना चाहिये था बल्कि उनकी तरक्की हुई है और वे लोग आपके सामने बैठे हैं। हजारों बोरियां सीमेंट की वहां से निकालकर बाजार में बेच दी। मैंने खुद ने पकड़ा है और इंजीनियर को कहा आपकी सीमेन्ट की बोरियां बिक रही हैं। मुझे बहुत ही आफसोस है आप हमारे यहां सिचाई के साधन उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, नहीं करें लेकिन राज्य का पैसा अनियमितताओं द्वारा किस तरह जा रहा है, उसकी जांच तो करवा सकते हैं।

झालावाड़ जिले में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कितने एकड़ में आपकी सिचाई हुई ? झालावाड़ स्टेट या कोटा स्टेट में जो छोटे छोटे बांध थे, उनसे जरूर सिचाई होती है, उसका मेन्टिनेन्स करते हैं किन्तु आपकी बनाई हुई योजनाओं में आप समर्थ नहीं हैं कि पांच एकड़ सिचाई के लिये हमारे विकास के लिये कर सके। मुझे ताज्जुब है आपका डिविजन खुल रहा है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़ा भारी स्टॉफ है जब आपकी सिचाई योजना में कोई योजना चाह नहीं है तो फिर सिचाई योजनाओं में कोई काम नहीं है, ऐसी स्थिति में स्टाफ को वहां से उठा दीजिये। आपको डिविजन को तोड़ने से लाभ होगा। अगर इस जनता का पैसा बचाने की कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और करना ही चाहते है तो छोटी छोटी योजनाओं में पैसा देना चाहिये।

लिफ्ट इरिगेशन अधूरी पड़ी है, कुंए अधूरे पड़े हैं। उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देने से राहत मिलती है। मुझे आश्चर्य के साथ निवेदन करना पड़ रहा है गरीबों की गरीबी तो वैसी की वैसी ही रहेगी, गरीबी को आप मिटा नहीं पायेंगे लेकिन गरीब अवश्य मिट जायगा। सिचाई विभाग ने जितने भ्रष्टाचार किये हैं, जितने घोटाले किये हैं शायद दूसरे विभाग ने नहीं किये हैं। 69-70 व 70-71 में आपने जांच नहीं की। मैंने ज्ञापन भी दिया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा जब कभी आप दौरा करेंगे, मौके पर पधारेंगे तो आपके सिचाई विभाग के पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ है, वह बताऊंगा। अन्त में सिचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सिचाई के साधनों में अधिक से अधिक प्राथमिकता दीजिये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई विभाग की मांग के

(श्री फूलचन्द जैन)

सम्बन्ध में हालांकि मैंने कोई कटौती का प्रस्ताव तो प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जो प्रगति का विवरण 1972-73 सिंचाई विभाग की ओर से हमें वितरित किया गया है उसको देखने से यह स्वतः मालूम हो जाता है कि करोड़ों रुपया हमने विभिन्न सिंचाई की योजनाओं के अन्दर खर्च किये हैं। भाखरा के लिए जो रुपया हमने खर्च किया है उसका रिटर्न भी हमको मिलने लग गया है क्योंकि भाखरा का काम 1957 में एक प्रकार से पूरा हो गया था। चम्बल के अन्दर भी काफी काम पूरा हो चुका है और उसके अन्तर्गत सिंचाई हम करने की आज स्थिति में हैं। कुछ हमारी जो बड़ी योजनायें हैं वह अभी चालू हैं। एक तरफ करोड़ों रुपया हमारी इन बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं में लगता है और इसके लिए हमको बहुत मुश्किलातों से अपने रुपये के स्रोतों को ढूंढना भी पड़ता है। जब सिंचाई की योजनाओं पर खर्च करने की बात हमारे सामने आई थी तो उस समय में सभी का यह दृष्टिकोण था कि आज जो करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं, जब वह परियोजनायें चालू हो जायेंगी तो उनसे हमें लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। इस रिपोर्ट के अन्दर सभी प्रकार की सिंचाई की योजनाओं के द्वारा अलग अलग कितने हैक्टर जमीन सिंचाई के लिए काम में आने लगी है उसका उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि जब यह योजनायें बनाई गई थीं उस समय में इनके पूरा हो जाने के बाद में किस वर्ष में कितनी जमीन इसके नीचे सिंचाई में ला सकेंगे, उस समय बनाई गई योजनाओं के आधार पर जो कुछ भी हमने उस समय इसके लिए तय किया था कि इस क्रम के अन्दर योजना पूरी होने से इतनी जमीन के अन्दर सिंचाई पूरी हो जायेगी उसके मुताबिक हमारा एचीवमेंट क्या रहा — यह कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। यह बताने की जरूर कोशिश की गई है कि अलग अलग योजनाओं के अन्तर्गत अलग अलग योजनाओं के इतने हैक्टर जमीन सिंचाई होने लगी है परन्तु प्रत्येक ऐसी योजना का उस समय कितना लक्ष्य रखा गया था कि इतने हैक्टर जमीन सिंचाई में आयेगी और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा इससे हम अन्दाज लगा सकते हैं और हमारी जो योजनायें बनी हैं उनका टारगेट्स हमने एचीव किया है या नहीं।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे कई महत्वपूर्ण बातें सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने कही हैं, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब करोड़ों रुपया हमारा इसके अन्दर लगा है और करोड़ों रुपया ही आज इन्टरेस्ट और दूसरे प्रकार से राजस्थान के ऊपर भार-स्वरूप है तो इन सिंचाई की योजनाओं से कितनी प्राडक्टिविटी है इसकी ओर ध्यान जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं, सिंचाई की जो पद्धति है उसके अन्दर बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हमारी सिंचाई की योजना पूरी होगी उससे हमने पानी लेना शुरू कर दिया और उससे सिंचाई भी शुरू हो गयी, इतना सोचना-मात्र ही काफी नहीं

(121)

(श्री फूलचन्द जैन)

होगा और इस दृष्टि से हमारा जो ग्रेविटी ग्रॉफ इरिगेशन है और उसकी जो इफीशियेन्सी है वह उपाध्यक्ष महोदय, 20 परसेन्ट है और इस सम्बन्ध में जो हमारा सिस्टम ग्राफ इर्रीगेशन है ग्रेविटी का उसकी इफीशियेन्सी 20 परसेन्ट अभी आज है और इसी तरह से अमेरिका, जो सब प्रकार के विज्ञान से, टेक्नोलाजी से और सब प्रकार से आज सम्पन्न है, उसकी जो आइडियल कन्डीशन्स हैं उसमें भी जो इफीशिएन्सी है, वह मैक्सीमम 50 परसेन्ट तक आती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो इफीशियेन्सी है उसके अन्दर, करोड़ों रुपया खर्च करके भी जो प्राडक्टिविटी एचीव कर सकते हैं। वह मैक्सीमम 50% ही एचीव कर सकते है तो इसलिए मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यकता नहीं है कि हमारी जो वाटरटेक्नालोजी है उसके अन्दर कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण परिवर्तन करें और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इफीशियेन्सी का मेजरमेन्ट कितना परसेन्टेज या कितने हैक्टर जमीन में सिंचाई हम कर सकते हैं सिर्फ उसी से नहीं है, हमारी प्राडक्टिविटी क्या है इससे भी हमें उसका नापतोल करना चाहिए कि जितनी जमीन में हम सिंचाई करते हैं उससे हम कितना उत्पादन लेते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी यहां पर वर्ल्ड बैंक कमीशन आया था और जिसके लीडर ए० गोलन थे और जिसमें दो इजराइल के भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने यहां आकर बताया है, उससे उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्राडक्शन है वह आज 2 टन प्रति हैक्टर है और जो हमारा जो प्राडक्शन है उसके आधार पर उनका यह कहना था कि कम से कम 4 टन प्रति हैक्टर होना चाहिए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से हमारी और भी कई प्राबलम्स खड़ी होती हैं। एक तरफ चम्बल के अन्दर वाटर लागिंग की प्राबलम खड़ी हो गयी उसके साल्यूशन के लिए हमारे सामने खर्च करने की समस्या आ गयी। दूसरे बताया कि हमारा जो मापदण्ड है वह प्राडक्टिविटी के हिसाब से चले तब भी आज जो परियोजनायें हमारी चालू हुई हैं, उनसे जितना लाभ हमें मिलना चाहिए उतना लाभ आज हम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो करोड़ों और अरबों रुपया उपाध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के अन्दर हम खर्च करते हैं अल्टीमेटली यह इकानामिकली कहां ले जाकर पहुंचायेगी यह ध्यान हमने नहीं रखा, तो आगे जाकर बहुत मुसीबतों में पड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इर्रीगेशन के अन्दर जब हम आज राजस्थान के अन्दर बड़े इरिगेशन के प्राजेक्ट्स, मीडियम और माइनर इरिगेशन के प्राजेक्ट्स पर करोड़ों और अरबों रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो इरिगेशन के अन्दर हमारी रिसर्च में भी बहुत इफीशियेन्सी होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक राजस्थान गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई रिसर्च की रिपोर्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। दूसरी तरफ जोधपुर एरिड जोन की तरफ से जो रिसर्च की गई है, उसकी जो कुछ भी फाइन्डिंग्स हैं, उनको हो सकता है राज्य सरकार मानने के लिए तैयार नहीं

(श्री फूलचन्द जैन)

हो। एक तरफ उनके एक्सपर्ट्स की जो रिसर्च की फाइन्डिंग्स है उनकी तरफ हम तवज्जाह नहीं देते हैं और हमारी जो रिसर्च है उसकी क्या स्थिति है हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय,, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां इरिगेशन के इतने बड़े प्रजेक्ट्स की ओर हम एक तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं, जो कि आवश्यक है, और जहां हमें इसके अन्दर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है वहां पर इरिगेशन के प्राजेक्ट्स की जो प्राडक्टिविटी है उसकी ओर रिसर्च करके पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया तो इससे जो लाभ हमें मिलना चाहिए उतना लाभ हम नहीं ले सकेंगे। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह भी एक्सपर्ट्स बराबर कहते हैं कि सैकड़ों मीलों से हम पानी लाते हैं और वह पानी जो लाते है उसके बाद में उसको हम इरिगेशन के लिए खेतों तक पहुंचाते हैं, उसके अन्दर हम कैसे इकोनोमी कर सकते है ? एक तरफ जहां यह देखने की बात है वहां पर आज जैसे मैंने अभी कहा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सोचने की आवश्यकता है। तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हम खेती करते हैं उनके तरीकों को बदलने की आवश्यकता है और उसके अन्दर जो एक्सपर्ट्स ने राय दी है उसके मुताबिक हम स्प्रिंग इरिगेशन कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं और ड्यू इरिगेशन कर सकते हैं। इन सब में मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार यह कहेगी कि यह बहुत खर्चीला है। इस तरह की व्यवस्था किसान कैसे कर सकते हैं। पर मै कहता हूं कि करोड़ों और अरबों रुपया लगाकर हम पानी को अपने यहां लाते हैं। तो उस पानी को मैक्सिमम उपयोग से मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कैसे ले सकते हैं, यह भी बहुत गम्भीरता से सोचने का प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। इसलिए पानी एक तरफ उड़े नहीं, दूसरी तरफ में पानी जो है कहीं पर उसका वेस्टेज नहीं हो। तीसरी तरफ पानी जो है मैक्सीमम प्रोडक्शन में उसका उपयोग हो, इन सब दृष्टिकोणों से अगर हम एक तरफ इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ाते हुए चलें और दूसरी तरफ में इन सब मुद्दों पर गम्भीरता से ध्यान देकर और हमने आज जो विश्व के अन्दर, इस मामले में जो नए रिसर्च होकर जो नए मैथड्स सामने आए हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर एफिशियेन्सी हमारी 20 प्रतिशत है वहां पर आज अगर स्प्रिंग से इरिगेशन करते हैं तो मेरी ऐसी मान्यता है कि एक्सपर्ट्स की जो राय है, जो जानकरी हमें मिली है उससे हम अपनी एफिशियेन्सी 80 परसेंट तक बढ़ा सकते हैं। कहां 20 परसेंट और कहां 80 परसेंट। अब यह फोर टाइम ज्यादा एफिशियेन्सी बढ़ती है और उसके अन्दर हमको कुछ खर्चा भी करना पड़े और हमको कुछ नए ढंग से किसानों को तैयार करके अगर उनके मानस को बनाकर, सुविधाएं देकर उनमें हैबिट डालने की आवश्यकता है तो भी देखना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों में खुशहाली आएगी तभी हम उनका अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और इन योजनाओं के अन्दर जितना रुपया खर्च किया है उनका स्टेट गवर्नमेंट को या हमारी

(श्री फूलचन्द जैन)

सेन्ट्रल गवर्नमेंट को, सबको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बाद यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर मैं इस बात को मानता हूं कि जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उनको आपने स्थानीय दृष्टिकोण से बनाया है परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन लघु सिंचाई की योजनाओं के अन्दर भी हमने जितने जो कुछ भी मोटे तौर पर फिगर दिए हैं उनको तो मैंने देखा है और जैसा मैंने कहा कि इन लघु सिंचाई योजनाएं, जो कुछ बनाई, उनके अलग अलग योजनाओं के कितने टार्जेट हैं और उनसे कितनी एकड़ जमीन में सिंचाई होगी उसके मुताबिक हमने कहां तक अचीव किया है यह डिटेल्स अगर माननीय मंत्री देखेंगे तो मुझे विश्वास है वे स्वयं इस बात को सोचेंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट लघु सिंचाई योजनाओं पर हुआ है उसके मुताबिक जो रिटर्न, चाहे वह जमीनों को पानी देने की दृष्टि से हो, चाहे प्रोडेक्टिविटी के हिसाब से हो, जो हमको मिलना चाहिए था वह हमको नहीं मिला है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में, इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक कई जगहों पर हमें आवश्यकता थी वहां के युटिलाइजेशन के हिसाब से हमने लघु सिंचाई योजनाओं को किया है, वहां मेरे ध्यान में ऐसी लघु सिंचाई योजनाएं भी हैं जो सिर्फ रुपया इन्वेस्ट होकर ही रह गया। उस समय टार्जेट सामने रखकर उनका एप्रूवल ले लिया बाद में जाकर वह बांध, वे ऐसे प्रोजेक्ट जो बने वे खाली पड़े रह गए। यह कहा जाता है कि बरसात नहीं हुई तो हम क्या करें। मैं एक जगह पर गया। वहां पर मैंने, जो वहां पर इन्जीनियर्स थे उनको पूछा कि आपने इसके अन्दर इतना रुपया खर्च कर दिया और आप कहते हैं कि बरसात नहीं होती तो हम क्या करें तो आपने उस समय क्या टार्जेट बनाया था, इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया तब। उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां पर 24 इंच वर्षा का टार्जेट एक्सपेक्ट करके प्रोजेक्ट बनाया। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताइये कि पिछले दस वर्षों के अन्दर, 15 या 20 वर्षों में भी यहां पर एवरेज रेनफाल क्या रही वे कहने लगे कि 10 और 15 रहा। तो आपने 24 इंच का टार्जेट कैसे पकड़ लिया तो वे हंसने लगे कि हम क्या हमसे यह कहा गया कि यहां की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, हमने कर दी। इस तरह से जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके अन्दर यह एक तरह से डैड इन्वेस्टमेंट करते हैं वह भी अनुचित है। क्योंकि शुरू-शुरू में जैसी भी स्थिति रही हो पर आज जिन परिस्थितियों के अन्दर हमको इर्रीगेशन प्रोजेक्ट, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके लिए जो धनराशि उपलब्ध होती है उसका मैक्सीमम ठीक उपयोग हम कैसे कर सकें यह बहुत सावधानी से हमें सोचने की आवश्यकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ ही, मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में यह निवेदन कर रहा हूं कि वैसे यहां पर राजस्थान कैनाल के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है परन्तु फिर भी मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि इस सदन की भावना बराबर उनके

(श्री फूलचन्द जैन)

सामने आती रही हैं और उनको इस सदन को पूरी ताकत के साथ में रख कर भारत सरकार से इस बात का दबाव डालना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में मान करके इसमें जितनी तेजी से इस काम को पूरा कर सकें उतना ही जल्दी पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर, केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, हर वर्ष हम आपकी इजाजत से इरिगेशन की डिमाण्ड पर बोलते हैं और मुझे तो तो काफी समय हो गया इस डिमाण्ड पर बोलते हुए। एक बात नई यह कहना चाहता हूं आपकी मार्फत कि आज से तीन साल पहले उस वक्त के सिंचाई मंत्री, भूत-पूर्व सिंचाई मंत्री लड्ढा साहब ने यह घोषणा की थी कि फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के शुरू होने से पहले और सिक्स्थ फाईनेंस कमीशन के कांस्टीट्यूशन से पहले हम लोग राजस्थान का मास्टर प्लान तैयार करके पेश कर देंगे। वह इसलिए कि सेन्टर के सामने कितना पोटेंशियल क्रियेट कर पाये,

4.19 म. प.

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

कितना उनको टैप कर पाए, टैप करने के लिए कितना पैसा प्राप्त कर सके। स्टेट प्रोजेक्ट्स को कितना बना सके और कितना फेज्ड प्रोग्राम बना पाए। आपने मेमोरेन्डम पेश कर दिया सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन को, आपने फिफ्थ फाईव ईयर प्लान का अप्रोच पेपर तैयार कर दिया। मैं ऐसा मानता हूं, मान्यवर, कि राज्य सरकार ने जो अपनी तरफ से मेमोरेंडम में बात कही है उसमें राजस्थान केनाल के बारे में उसकी इम्पोरटेंस को अण्डरमाइन किया है। राज्यपाल के अभिभाषण को, जब हम पढते हैं तो उसमें कहा गया है कि 200 करोड़ रुपये की राजस्थान कमाण्ड एरिया के डवलपमेंट की योजना बना कर हमने वर्ल्ड बैंक को भेजी है। मान्यवर, आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में, जो बैलेंस आफ पावर है, उनमें हमारा क्या रोल है, हिन्दुस्तान की सरकार का जहां तक फोरेन पालिसी का सवाल है मैं उसके फेवर में रहा हूं। देश की सोवरनिटी के लिए, देश की इण्टिग्रिटी के लिए हमारा जो रोल रहा है वह ठीक रहा है। मगर हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक के डेलीवरेशन्स में, वर्ल्ड बैंक की पालिसी को अमेरिकन इन्फ्लूएंस्ड करता है क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट आपको दो सौ करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक की मार्फत आसानी से दे देगी। यह बात नहीं हो सकती। जब हमारे पोलिटिकल रिलेशन्स इण्टरनेशनल वर्ल्ड में ऐसे हैं और उस वक्त राज्यपाल के भाषण में ऐसा कह कर कि हमने मेमोरेंडम दे दिया है वर्ल्ड बैंक को दो सौ करोड़ के लिए, यह नोट देकर मैं समझता हूं कि राजस्थान केनाल की इम्पोरटेंस को हमने अण्डरमाइन किया है।

अभी, मान्यवर, फिफ्थ फाइव इयर प्लान का जो अप्रोच पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम आयंदा पांच सालों में बीस इरीगेशन के मेजर प्रोजेक्ट केन्द्र की सरकार हाथ में लेगी क्या आप उसमें राजस्थान केनाल को शामिल नहीं करवा पाये। यह ठीक है कि पहले हमारी लीडरशिप मजबूत नहीं

(श्री केदारनाथ)

थी, केवल एश्योरेंसेज पर, वेग एश्योरेंसेज के बेसिस पर, नोट आफ कोन्सीसर्स के बेसिस पर अपनी कुर्सी को सेफ करते रहे चाहे आउट स्टेंडिंग प्रोजेक्ट्स का सवाल हो, चाहे गुजरात के साथ का सवाल हो, जितने इण्टर स्टेट डिस्प्यूट रहे हैं हमारी पालिसी सुसाईडिल रहा है, राजस्थान ने अपने इण्ट्रेस्टस को हमेशा सरेन्डर किया है। मैं दोष का भागी आपको नहीं मानता। आप उस समय नहीं थे। मगर राजस्थान कनाल के डवलपमेंट के लिए केवल यह कह कर आप छोड़ दें और केवल यह मान कर चला जाय कि एरिया डवलपमेंट के लिए पैसा मिल जाय तो यह काफी नहीं है। राजस्थान केनाल सारे राजस्थान की रूरल इकोनोमी बदलेगी, यह हम जानते है।

यह हम मानते हैं और दिल्ली की सरकार भी मानती है। आज खेतीबाड़ी में सेल्फ एफीसेन्सी लाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह सब जानते हैं। फोर्थ फाईव इयर प्लान में आखिर तक 108 करोड का खर्चा किया है और 132 करोड और चाहिए। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब भाषण देते हैं जितना धन चाहिए वह दिया जायगा राजस्थान का दौरा करते हैं तो भाषण देते हैं कि फन्ड्स पूरे अवेलेबल कराए जाएंगे। परन्तु मान्यवर, यह नहीं मानते हैं कि राजस्थान केनाल को एक रीजनल आथोरिटी बना कर केन्द्र अपने हाथ में ले ले, यह बात वे नहीं मानते हैं। दोनों में फर्क है। एप्रोच में फर्क है। राजस्थान केनाल को जब तक केन्द्र अपने हाथ में नहीं लेगा तब तक इस केनाल का डवलपमेन्ट नहीं हो पायगा। उसका कन्स्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पायगा। इस इकोनोमी पर जो इस केनाल का असर होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। आप मजबूती के साथ पंचवर्षीय योजना में जो डेलीबरेशन हो रहे हैं उसमें कहिये। आप कह रहे हैं हमने मेमोरेन्डम दे दिया है। आप उस पर रिजोइन्डर पेश कर दें। राजस्थान की बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए यह करना जरूरी है। राजस्थान की इकोनोमी आल इंडिया एवरेज पर लाने के लिए राजस्थान केनाल को, इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल आथोरिटी के रूप में लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मान्यवर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक जो रिसोर्सेज हमारे सामने आए हैं, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आनी चाहिए, वह बुलेटिन के रूप में हम को मिलती है। क्या यह रिपोर्ट एम. एल. ए. और एम. पीज के लायक है? क्या आप दिल्ली में लोगों क्रिएट करना चाहते हैं? इसको पढ़कर डिबेट में कन्टीब्युशन करें ऐसी कोई चीज इसके अन्दर नहीं है। खर्च के क्या टारगेट थे और उसमें कितना एचीव कर लिया है। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के क्या टारगेट थे से कितने एचीव हमने कर लिए हैं और उससे क्या असेट्स हमने क्रिएट की हैं। इसका एक कम्परेटिव स्टेटमेन्ट आना चाहिए। यह ठीक है कि फिफ्थ फाइव इयर प्लान के एप्रोच लेटर में आपने एक कम्परेटिव स्टेटमेन्ट दिया है। दूसरी स्टेट्स के साथ राजस्थान की एक पिक्चर क्या आई है यह क्रिटीकल रिपोर्ट आनी चाहिए। इस प्रकार से क्रिटीकल प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए। आप देखते हैं कि हम यहां पर

(श्री केदारनाथ)

हर वर्ष आफ रिपीटेड बात कहते हैं और आफ रिपीटेड बात कह कर चले जाते हैं। इससे सदन का समय भी खराब होता है। आयन्दा राजस्थान बनने के पहले हमारे यहां पर इर्रीगेशन की पोटेन्शियलिटीज क्या थीं, कितना इन्फ्रा स्ट्रक्चर पैदा की है। सारे प्लान के लिए कितना कर्जा चाहिए और कितना कर्जा हो सकता है इसकी क्रिटीकल रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए तब जाकर हम इसका फायदा उठा सकते है। मान्यवर, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जब हरियाणा, पंजाब दोनों अलग अलग हुवे तो उनमें यह तय हुआ कि जितने हैड वर्क्स हैं वे सारे भाखरा मैनेजमेन्ट को दे दिए जाएं। अब पंजाब इसको नहीं मान रहा है और हमारी सरकार भी उसको नहीं मना पा रही है। पंजाब सरकार यह नहीं मान रही है। कन्ट्रोल उसका होना चाहिए वह यह कह रही है। हम आज उसको चेक नहीं कर सकते है। जबकि हमने भी उसके लिए खर्चा दिया है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनका यह कहना ठीक नहीं है। हमने पैसा दिया है। हमारे साथ बैठकर फैसला हुआ है तब पंजाब सरकार यह जवाब दे तो हमें केन्द्र को कहना चाहिए। हमारे चीफ मिनीस्टर साहब चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में जाते हैं। ईर्रीगेशन मिनीस्टर वहां पर जाते हैं। पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत है। यहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत है। केन्द्र में भी सरकार कांग्रेस की है। फिर झगड़ा किस बात का है? नर्बदा का झगड़ा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को आरबीट्रेटर नियुक्त किया गया। वह आरबीट्रेशन में पहुंचा। आपका भी झगड़ा पंजाब से चल रहा है। पंजाब इसको नहीं मान रहा है। जबकि हमारे शेयर उसमें हैं तब हैड वर्क्स के सारे इन्तजाम और भाखरा मैनेजमेन्ट में हमको होना चाहिए। परन्तु हम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब सेल हमने वहां पर क्रिएट किया है। एक एक्स. ई. एन, दो चार ओवरसीयर, दो चार एल. डी. सी आपने वहां पर लगा दिए हैं। कुल इतना स्टाफ है मान्यवर। यह क्या इसको चैक कर पायेगा? आप देखेंगे, मान्यवर, कि जितना भी वहां पर सुपरवाईजरी स्टाफ है, टैक्नीकल स्टाफ है वह पंजाब के लोगों का है। हमारा कोई स्टाफ उसमें नहीं है। इन्स्पेक्शन के लिए हमारे मुताबिक कोई स्टाफ नहीं है। यह तय हुआ था कि शेयर के मुताबिक कोई स्टाफ नहीं है। यह तय हुआ था कि शेयर के मुताबिक हम अपने स्टाफ को वहां पर लगा सकेंगे। आज कितना अर्सा हो गया है। कितनी वेकेन्सीज वहां पर हुई होगी, कितना स्टाफ वहां से रिटायर हुआ होगा, पंजाब ने हमसे पूछा नहीं। सारा अपाइन्टमेन्ट कर लिया। हम कोई वेकेन्सीज फिल अप नहीं कर पाए। केवल एक सेल नामीनल सेल वहां पर क्रिएट किया है। वह क्या कन्ट्रोल कर पाएगा? जब ज्वाइन्ट कन्ट्रोल आथोरिटी को स्वीकार किया है, तो हमारा सुपरविजन वहां होना चाहिए। एक सेल यह कार्य नहीं कर पायगा। इसके लिए आपका पूरा इन्तजाम होना चाहिए। यह काफी नहीं है।

दूसरी बात मान्यवर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। वह कहता है कि आपका जो 800/850 क्यूसेक पानी है वह सेन्ड एक्जाई

(श्री केदारनाथ)

कर लेती है। यह सब नहीं हो पा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब इस पर चुप हैं। वे जोर नहीं दे पा रहे हैं। कडाणा डेम, पोंग-डेम की बात आपके सामने आती है। हिमाचल प्रदेश से हमारी सरकार ने फैसला किया है। हाइट का फैसला, मुआवजे का फैसला आज तक गुजरात सरकार से तय नहीं हो पा रहा है। अगर आप उसी नार्म पर, उसी पेटर्न पर मुआवजा लें जो हमने हिमाचल प्रदेश को दिया है तब मैं मान सकता हूं कि आप मजबूत हैं। हिमाचल को हमने पैसा दे दिया, मुआवजा भी दे दिया। यह देश में एक अनप्रेसीडेन्टेड एग्जाम्पिल पेश हुई है। आने वाली जेनेरशन इसको पढ़ेगी, कहेगी अपोजीशन भी कमजोर रहा, रूलिंग पार्टी भी कमजोर रही। यह स्युसाइडल पॉलिसी हमारी राजस्थान सरकार की रही है। हमारे इन्टरेस्ट को प्रापरली वह सेफ नहीं कर पायी है। हमने इनको सरेन्डर कर दिया है। पैसा भी दे दिया, जमीन भी दे दी। एक बीघा जमीन के लिए एक मुरब्बा जमीन दे दी और वह जमीन उन्होंने बेच दी। इन्टरमीडिएट्स आ गए। राजस्थान सरकार ने अब उसमें एक सेमी क्लाज ठीक डाल दिया है। अगर कोई जमीन बेच कर जाएगा तो वह राजस्थान सरकार को बेच कर जा पाएगा। यह फैसला आपने ठीक किया है। यह क्लाज आपने अब रखी है। परन्तु उनके चीफ मिनिस्टर मजबूत है। केबिनेट लेविल पर उनके सेक्रेटरी फैसले कर लेते हैं। सेन्ट्रल में उनकी लाबी मजबूत है। हमने पैसा भी दे दिया, 6 करोड़ का 60 करोड़ दे दिया। पांच हजार के बीस, पच्चीस हजार हमने दे दिये। आप गुजरात से इन राइटिंग मुआवजे का फैसला नहीं कर पाये हैं। हाइट के बारे में लगातार तीन साल से यहां पर डिसकशन हो रहा है। काफी बहस इस सदन में हो चुकी है। हमारे जो इन्टरेस्ट हैं उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। गुजरात के सामने हमारा केस प्लीड होना चाहिए। मुआवजा तय नहीं किया गया है। इसका रिटन एग्रीमेन्ट होना चाहिए और उनको याद दिलाया जाए कि हमने हिमाचल प्रदेश के साथ यह एग्रीमेन्ट किया है, यह मुआवजा और जमीन दी है। इस प्रकार से हमने उदारता दिखाई है। अब हमारी उदारता का गुजरात को फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। हरियाणा, पंजाब के मिनिस्टर मजबूत हैं। परन्तु उनके मुकाबले में हमारे चीफ मिनिस्टर, इर्रीगेशन मिनिस्टर दोनों ही कमजोर हैं। अपोजीशन भी कमजोर है। तब राजस्थान का क्या हाल होगा, यह मैं नहीं जानता हूं। ऐसी हालत में आप थोड़ा सा मजबूत रुख अख्तियार कीजिये। जब भी आप वहां पर जाएं मजबूत रुख दिखाइये, वरना पंजाब, हरियाणा आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। हरियाणा से हमारी बात चल रही है, यह कहा जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं आप क्या बात करेंगे। इन्टर स्टेट के मामलों में जिसकी लोबी पार्लियामेंट में, केबिनेट में मजबूत हो, जिसके पास प्लेट फार्म हो, जिसके पास प्रेस हो वहां पर हम ह्यूमेनेटरी ग्राउन्ड्स पर केस नहीं जीत सकते हैं। हमारा कन्विन्सिंग क्लेम है परन्तु वह नहीं माना जा सकता है। हमने जो मेमोरेन्डम पेश किया है वही काफी नहीं है। इसलिये इस बात को मैं इतना ही कह कर छोड़ देता हूं।

दूसरी बात मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक दो

(श्री केदारनाथ)

साल पहले गंगानगर में एक आंदोलन चला था। एक कमेटी, एक कमीशन मुकर्रर किया गया था। उसकी रिपोर्ट आई। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि पैसा आपके पास नहीं है। आपने कहा कि रिकमण्डेशन एग्जामीन कर ली है। मोतीराम कमीशन की रिकमण्डेशन आपने मानली है। उसके लिये कौन से स्टेप्स आप उठाने जा रहे है। कितना इम्पलीमेन्ट कर पाए हैं, किस स्टेज पर है और कितना काम हो जाएगा, इसका पिक्चर आप पेश करें। एक साल पहले इर्रीगेशन चार्जेज आपने बढ़ा दिये। मान्यवर मेरे पास में इसके फैक्टस्, फीगर्स हैं। ट्र टाइम्स, थ्री टाइम्स, हरियाणा और पंजाब से हमारे इर्रीगेशन रेट्स है। यह कहा गया कि 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कर दिया जायेगा। भाखरा में कितना किया है। एक लाख बीस हजार /25 हजार एकड़ गंग केनाल को ट्रान्सफर कर देंगे। भाखरा में 60 हजार एकड़ ट्रान्सफर कर देंगे। यह चीज ठीक है। मगर इस स्टेज पर कितना काम कर पायेंगे कितना पैसा राजस्थान सरकार देगी यह तो अभी आपके महकमे का दिमाग नहीं बन पाया है। तो फिर एजीटेशन आपके सामने आयेगा, लोग झगड़ा करेंगे तो फिर क्या जवाब दें पायेंगे ? जब आपने रिकमन्डेशन मानली और दो साल हो गये, बहुत लेट होगये, हमारा लॉग ओवर ड्यू क्लेम था इसके लिए आप घोषणा करें कि इतने समय में यह काम करा देंगे, एडवान्स सेन्क्शन ले लेंगे और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

एक बात और मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार कहा है कि हमारा जो एक्ट है यह बहुत पहले का है और पंजाब में काफी एमेंडमेंट पेश कर दिये गये हैं, हरियाणा में एमेंडमेंट पेश कर दिये गये, कुछ हमारे यहां पर भी एमेंडमेंट किये गये लेकिन उसमें इन्टरप्रिटेशन आफ ला एण्ड इन्टरप्रिटेशन आफ रूल्स के काफी झगड़े पैदा होते हैं। कोई एक्स. ई. एन. नया वाटरकोर्स दे देता है किसी खातेदार को, किसी चक में तो कलेक्टर को पावर इतना नहीं है कि वह स्टे दे सके और सिविल केस दो साल तक चला करते हैं। अब कितनी परेशानी उसको होगी ? इसलिए यह जो सारा काम है उसको कर दें। अब नहीं तो आयन्दा सेशन होने वाला है उसमें एमेंडमेंट पेश कर दें ताकि इन्टरप्रिटेशन सही हो, वक्त पर सही काम हो जाता है तो उसका इम्पेक्ट ठीक होता है।

इसलिये मैं कह रहा था, आपकी मारफत गंग कैनाल भाखरा कैनाल और राजस्थान कैनाल की बात कह रहा था, और मैंने उस दिन भी कहा था नॉन-आफिशियल डे पर कि राजस्थान कैनाल में आपने कमेटी बनाई है एलाटमेंट के लिए। कुछ एलाटमेंट के रूल्स में तब्दीली होना आवश्यक है। उस कमेटी का फन्क्शन एक बैठक के बाद नहीं हुआ। उसे भी आप इस तरीके से बनाइये अगर आप पीपल्स पार्टीसिपेशन चाहते हैं तो। एलाटमेन्ट के वक्त में, परमेनेन्ट एलाटमेंट के वक्त पर, एलाटमेन्ट जो हर साल रिव्यू होता है उस वक्त पर, हर स्टेज पर हमारा वर्क स्पष्ट होना चाहिए। अगर उसको इसी तरह से रखने हैं तो मुझे एतराज नहीं है मगर इससे असन्तोष होगा। अगर जिसके पास जमीन पर नाजायज कब्जा है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाये, भूमिहीनों की लिस्ट नहीं पेश करपाये, आइडेन्टी फिके-

(श्री केदारनाथ)

शन कार्ड नहीं बना पाये, परमेनेन्ट एलाटमेन्ट का वेरीफिकेशन नहीं कर पाये, तो यह असन्तोष बढ़ता जायेगा। इसका एक ही तरीका है कि गांवों में स्पॉट पर जाकर, जैसा कि आपने तय किया था भूमिहीनों की लिस्ट बन जाय, फोटो उसके साथ में हो, कितने फैमिली के मेम्बर्स हैं वह उसमें हों ताकि डबल एलाटमेन्ट नहीं करा पायें, सही भूमिहीनों को जमीन मिल पाये। तो आज से यह काम शुरू होता है तो सरकार को कम से कम इसमें 6 माह लग जायेंगे।

अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि इरिगेशन के के बारे में चाहे वह मेजर हो या माइनर हो एक मास्टर प्लान तैयार हो जाय। आज ही आप घोषणा कर दें कि फलां तारीख तक यह हो जायेगा। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट अक्टूबर में पेश हो रही और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जुलाई और अगस्त में जाकर फाइनल होगा तो इससे पहले सारे राजस्थान की पिक्चर को स्पष्ट कर दें। राजस्थान कैनाल के बारे में अगर आप सोचते हैं कि यह केवल राजस्थान के बूते की बात है तो राजस्थान की हिम्मत नहीं है मौजूदा हालत में, और आयन्दा भी हिन्दुस्तान की सरकार जो कि 200-250 करोड़ का डेफिसिट लेकर चलती है और यह ख्याल करती है कि बाहर से मिल जायेगा और इतना पैसा अन्य रिसोर्सेज से बन जायेगा, यह राजस्थान की बस की बात नहीं है, वह राजस्थान कैनाल की स्कीम को पूरा कर सकेगी।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय सभापतिजी, आज जो चर्चा हो रही है उसके संबंध में मुझे एक निवेदन करना है कि जो खेती लायक भूमि है उसमें सिंचाई की योजनाएं तो ठीक चल रही हैं, लेकिन उसके साथ में डेजर्ट लगा हुआ है और यह जो रेतीला रेगिस्तान है यह बढ़ रहा है और आगे बढ़ता हुआ हमारे इलाके में चला जा रहा है। राजस्थान नहर की कृषि योजना सरकार ने बनाने की जिम्मेवारी ली, लेकिन जिस धीमी गति से इस योजना को अमल में लाया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि यह 25 साल में भी पूरी नहीं होगी राजस्थान नहर को 15 साल में बनाने की बात की गई थी और 100 करोड़ का तखमीना बनाया गया था, और आज इतने वर्षों में 100 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये हैं जब कि अकाल की अवस्था को दूर करने के लिए 150 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। इस योजना को जल्दी से पूरा करने का प्रयास करते तो यह अकाल का संकट जो उस इलाके में बढ़ता चला जा रहा है उस संकट को इस तरह से रोका जा सकता था। सरकार बड़ी धीमी गति से काम ले रही है। उसमें काम लेने की ताकत नहीं है। जब आप में पूरा करने की क्षमता और हिम्मत नहीं है और केन्द्रीय सरकार से राजस्थान नहर को पूरा कराने के लिए किसी भी प्रकार से वह ताकत के साथ बातचीत नहीं कर पाई है जिससे कि यह योजना जल्दी से अमल में लाई जाती। हम यह देखते हैं कि कभी एक करोड़, कभी दो करोड़ रुपया खर्च किया जाता है और इस योजना पर 200 करोड़ रुपया खर्च करने की बात है। जहां पर 243 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गई हो वहां पर 2–4 करोड़ रुपया खर्च करके योजना को अमल में लाया जायगा तो यह योजना

(श्री केशरीमल)

25-30 साल में पूरी होगी, तो इस तरह से योजना पूरी होगी तो क्या फायदा हो सकेगा। इस पर अगली दफा जब प्राइवेट मेम्बर्स डे था उस दिन काफी चर्चा की थी और आज भी ध्यान इस ओर माननीय मंत्री महोदय का खींचना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार को इस योजना को सम्भलाया जाय या केन्द्रीय सरकार इसमें इतनी मदद करे कि यह 5 साल में पूरी हो जाय, तब तो इस योजना का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। लगातार उस पर खर्चा कर रहे हैं और जितना समय बढ़ेगा यह रोजमर्रा की बढ़ती हुई कीमतें उस योजना को मंहगी करती चली जायगी और यह खर्चा सूर्पणखा के नाक की तरह बढ़ता चला जायगा कि जितना काटो उतना ही बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के कार्य को पूरा कराने के लिए पूरी ताकत लगायें। इस संबंध में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और यही कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से संघर्ष करके, बातचीत के जरिये, अपनी ताकत के जरिये, अपनी समझ-बूझ के जरिये और राजस्थान केबिनेट खुद अपनी ताकत के जरिये केन्द्रीय सरकार को बाध्य करे कि वह इस योजना को पूरा करने के लिए पैसा दे।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : माननीय सदस्य प्रारम्भ करें।

श्री केशरीमल : यह क्षमता हमारी केबिनेट में होना चाहिये, जो कि मुझे नहीं दिखाई देती है। इसी वजह से हमारा बहुत सा काम पिछड़ रहा है और आज लाखों रुपया ब्याज का देने की बात हमारे सामने है। करोड़ों रुपया हर साल ब्याज का देना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार से कहे कि राजस्थान नहर की योजना को पूरा करने के लिए जितना पैसा दे उस पर ब्याज की रकम माफ करे। अभी तक केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए जो सहायता की है वह नाकाफी है और वह भी कर्ज देकर सहायता की है। ब्याज भी ले और फायदा भी न हो तो यह नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्याज माफ कराने की बात होनी चाहिए।

मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि यह जो भूमि के एलाटमेंट के झगड़े बहुत दफा आ चुके हैं भूमि के एलाटमेंट में किस तरह की अनियमितताएं और पक्षपात होता है वह आप जानते हैं। स्थाई-तौर पर भूमि का आवंटन नहीं करते हैं और साल-साल भर का आवंटन किया जाता है। इस तरह की अनिश्चितता को समाप्त करना चाहिए ताकि किसानों में दिलचस्पी पैदा हो और दूसरी धांधलियां दूर हों, तो ज्यादा अच्छा होगा। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जैसी राजस्थान नहर की योजना है वहां पर लगा गंगाजमुना के पानी के बारे में समाचार-पत्रों के जरिये पता लगता है। केन्द्रीय सरकार के सामने हमारा एप्रोच ठीक नहीं है। राजस्थान को इससे अलग रखा जा रहा है। यह अखबारों में आ चुका

(श्री केशरीमल)

है । राजस्थान सरकार इसकी इतनी चर्चा होने के बाद भी जागरूक नहीं है कि गंगा जमुना के पानी को हम किस तरह से अपने इलाके में ला सकते हैं । यह गंगा के पानी का आप अपने इलाके में उपयोग कर सकते हैं, बजाय इसके कि पानी वहकर नष्ट हो । उस पानी से हम अपने इलाके को सरसब्ज कर सकते हैं । इसके लिए राजस्थान सरकार की कोई योजना नहीं है । राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में विशेष तौर से ध्यान देकर इस पानी को लेने की व्यवस्था करे । मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा अजमेर जिला है, उसको शायद राजस्थान सरकार भूल गई है कि वह भी एक जिला है । अजमेर जिले के लिए राजस्थान सरकार ने सिंचाई के लिए वर्षों से कोई योजना नहीं बनाई है । आपने सारी योजनाओं से अजमेर को बाहर कर दिया है, इसका क्या कारण है ? इस इलाके में कोई योजना राजस्थान सरकार ने नहीं बनाई है । 69–70 में कोई योजना बनाई थी । 70–71 के बाद कोई योजना विचाराधीन है, ऐसा नहीं लगता है । ऐसा लगता है कि बिल्कुल नजरन्दाज कर दिया है । अजमेर का विषय ही नजरन्दाज है । अजमेर में जो हमारा इलाका है । जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उस इलाके में ऐसा संकट है, ऐसा भीषण संकट है, जिसका कोई वर्णन नहीं है । जो काम होने चाहिए वह हो नहीं हो रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, अभी दो दिन पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बतलाया है । उस इलाके में सिंचाई की जो योजनाएं थी पिछले अकाल के समय में जो काम हुआ था, उन कामों को अधूरा छोड़ दिया गया है । उनको नजरन्दाज कर दिया गया है ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनट और आवश्यक है । सभापति महोदय, मेरा इलाका प्यासा है । जिले के लिए कोई योजना नहीं है । बराबर नजरन्दाज किया जा रहा है ।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें । आपके दल को काफी समय दिया जा चुका है ।

श्री केशरीमल : मैं निवेदन कर रहा हूं, पानी की योजनाएं बनाई हैं उनको शीघ्र पूरा किया जाये । जो रूपनगर बांध है, जिसका फीडर, देवारी फीडर है, इसको कहते हैं कि ले लिया जायेगा । दो दफा ऐसे अकाल पड़ चुके हैं । वहां खोदे हुए काम पड़े हुए हैं । उनको अधूरा छोड़ दिया गया है । मोमिया, सियाला घाटा, ऐसे कामों को सरकार ने शुरू कराने की कोशिश की थी । वहां पीने के पानी के लिए कोई जरिया नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार एक योजना बनाती है, उसको सरकार स्वीकृति देती है । कैसे उस पर हजारों रुपया खर्च हो गये । फिर कैसे वह समाप्त हो गई । क्या यह राजनैतिक पक्षपात नहीं है । क्या यह क्षेत्रीय भावना नहीं है ? मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल यह क्षेत्रीय भावना है । इसमें पक्षपात की भावना छुपी हुई है । सरकार हमारे इलाके को पानी नहीं देना चाहती है । हमारे यहां जो बांध बन रहे थे, उनको आधा ही छोड़ दिया गया है । इसका मतलब है कि वहां के लोग सरकार की इस नीति के खिलाफ इस

(श्री केशरीमल)

सरकार के खिलाफ जंग करें। इसके कुछ भी परिणाम हों। आज ब्यावर के इलाके में 2 गैलन पानी एक आदमी को पीने के लिए मिल रहा है। आज यह हालत हो गई है कि अगर एक गिलास पानी लुढ़क जाये तो मां बाप अपने बच्चे को पीटते हैं कि तूने एक गिलास पानी फैला दिया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह ज्यादती नहीं है तो और क्या है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजमहल योजना कई वर्षों से पूरा करने की बात चल रही है। देवारी और सिरसकी फीडर और भीमा डेम, इन अधूरे कामों को पूरा किया जाय। यह कहा जाता है कि इन योजनाओं पर काम करने से लाभ नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो 99 योजनाओं में लाभ देने के लिए हो सकता है। एक, ऐसा भी हो सकता है कि लाभ नहीं दे लेकिन अगर आदमी को प्यासा मार दिया जाये, जानवरों को भूखा मार दिया जाये अगर ऐसा है तो सरकार का यह नजरिया बिल्कुल गलत है। सरकार के सोचने का तरीका गलत है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों टांगों पर दौड़ने की कोशिश होनी चाहिए। आप एक टांग पर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी योजनाएं बनानी चाहिए मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन छोटी-छोटी योजनाओं को भी बनाइये। इस टांग से भी चलिये। ऐसे साधन तैयार करें। जहां बड़े साधन नहीं हैं, वहां छोटे साधन अपनाये जा सकते हैं। लोग जिन्दा तो रहें। मैं उम्मीद करता हूं सिरसा फीडर, देवारी फीडर, भीमा बांध और राजमहल योजना पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, सिंचाई की मांगों पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों ने इस बात को बार बार दुहराया है कि राजस्थान नहर को सेण्ट्रल से पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे राजस्थान की इकानामी राजस्थान नहर जैसी बड़ी योजना के खर्च को बरदाश्त नहीं कर सकती है। इससे दूसरी प्रगति रुक जाती है। इसलिए हम सब लोगों का सरकार से यही कहना है कि राजस्थान नहर को भारत सरकार अपने अधीन लेकर पूरा करे ताकि राजस्थान सरकार और दूसरे सैक्टर में पैसा खर्च कर सके। हमारे प्रदेश में सूखा और बाढ़, ये दो समस्याएं बड़ी हैं। तीसरी समस्या राज्य के सामने रेगिस्तान की है। ये तीन समस्याएं राजस्थान लेकर चल रहा है। इन तीन समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्यस्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। इस रेगिस्तान को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता है। आज राजस्थान इस बात का प्रयास कर रहा है कि पानी घर घर दिया जाये। गंग नहर की बाढ़ इन इलाकों को दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह दो समस्याएं हैं जिनके लिए राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम गंगा का पानी कावेरी से लिंक कर दें तो वह इतना उप-

(श्री भीमसेन)

योगी नहीं है, जितना कि सूखे की समस्या को प्रायोरिटी देना। इसको प्रायोरिटी देना नम्बर 1 के समान है। सूखे की समाप्ति के लिए गंगा के फ्लड वाटर को सूखा-ग्रस्त इलाकों में जैसे, सीकर है, झुंझुनूं है, चूरू है, इनको पहुंचाया जा सकता है। फ्लड वाटर लेकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र के अन्दर राजस्थान लिफ्ट केनाल योजना चल रही है। इस योजना का सबसे पहले अन्तिम लक्ष्य अक्टूबर, 1971 तक इस योजना को पूरा करना था। आज इस योजना के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है, जून, 1974 तक इस योजना को पूरा किया जाय। उस इलाके के लोग पानी को बहते हुए देख कर, पाइप के द्वारा पानी मिल रहा है उस पानी को देख कर अधीर हो रही है, जनता चाहती है, लिफ्ट कैनाल की योजना अक्टूबर, 1971 को करनी थी, अब उसे जून, 1974 में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है—इसको और जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है जिससे सूखा-ग्रस्त इलाके के लोगों की पीने के पानी की बड़ी समस्या है इस समस्या का समाधान लोगों के लिए हो सके।

इसी तरह गंग नहर पर टेल पर कुछ इलाके हैं, जहां छःमासी पानी पहुंचता है, खास करके भोमापुरा रायसिंह नगर में हैं, वहां के लोगों को दस साल अकाल का सामना करते हो गये हैं। इसलिए गंग कैनाल की भोमापुरा माइनर को पूरा करने की आवश्यकता है। इसे किसी तरह से पूरा करें।

इसी तरह राजस्थान कैनाल का बाईं तरफ का हिस्सा है, वहां रेगिस्तानी इलाका है। उस इलाके में सिंचाई सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकेंगी क्योंकि इलाका ऊबड़-खाबड़ है। हम चाहते हैं कि उस इलाके में चारागाह काटकर पशुपालकों की कॉलोनी बसाई जाय और उन्हें राजस्थान कैनाल का पानी दिया जाय ताकि बीकानेर, जैसलमेर के इलाके के लोग, पशुपालकों की कॉलोनी आबाद हो जाय। जितनी जल्दी यह कॉलोनी आबाद हो जायगी, पशुपालकों के लिए रोजी का साधन मिल जायगा और अकाल का भी स्थाई हल मिल जायगा। इसके लिए राजस्थान नहर का पानी दिये जाने की आवश्यकता है।

इसी तरह से राजस्थान कैनाल की जो लिफ्ट कैनाल योजना चल रही है। हमारा ऐसा क्षेत्र है, जहां पानी को राजस्थान कैनाल से लिफ्ट करके काफी इलाके के अंदर सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। बीकानेर, नोखा, नागौर का इलाका है, जहां राजस्थान कैनाल का पानी लिफ्ट कर के दे सकते हैं। इससे वहां इलाके के लोगों की अकाल की समस्या है, उसका स्थाई हल कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के लिए पानी बहुत बड़ी आय और आमदनी का साधन है। राजस्थान की बैकवर्ड इकॉनामी है, इस इकॉनामी को बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, उन साधनों को मैग्जिमम युटिलाइज करें। उसके लिए सिंचाई के साधनों का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें। स्प्रिंकल मैथड की तैयारी करनी पड़ेगी। जो वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी उसने सुझाव दिया था, हमारे

(श्री भीमसेन)

यहां कन्वशैन इरिगेशन सिस्टम है, इसको बदला जाकर इरिगेशन सिस्टम इस तरह से करें जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार थोड़े से थोड़े पानी में किया जा सके। उन्होंने यह कहा कि फव्वारे का पानी देने की आवश्यकता है, फील्ड का पानी देने की आवश्यकता नहीं है। यह सिस्टम हमें शुरू करने की आवश्यकता है, इस दिशा में, मैं समझता हूं, राज्य सरकार प्रयास करेगी।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि हमारे राजस्थान के अन्दर इरिगेशन अफीसियेन्सी बहुत कम है। दूसरे यू. पी., पंजाब, हरियाणा के मुकाबले जो हमारा हॉट टैम्प्रेचर है, जो डेजर्ट कन्डीशन्स है उनको देखते हुए पंजाब और यू.पी. से मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इन कन्डीशन्स, जो डैजर्ट की हैं इन कन्डीशन्स को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इसमें राज्य सरकार को डैजर्ट का रीक्लेमेशन करने के लिए, डैजर्ट इरिगेशन के काम को करने के लिए अधिक से अधिक सिंचाई, चाहे लिफ्ट इरिगेशन से करें, चाहे फव्वारे की इरिगेशन से करें-सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि राजस्थान की इकॉनामी को सहारा मिले।

श्री सभापति : निरंजननाथ आचार्य।

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशनलाल तो(साबड़ा) (फागी): आदरणीय सभापति महोदय, आज सिंचाई विभाग के बारे में जो कट मोशन दिया गया है उसके समर्थन में, मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्री मनोहरलाल : कामरेड जोरों से।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : सिंचाई विभाग यदि वास्तव में देखा जाय तो ऐसा विभाग है जो प्रत्येक प्राणी...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, यह भी ऐतिहासिक घटना है, जनसंघ के माननीय सदस्य कामरेड कह रहे हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह तो, माननीय सभापति महोदय, युवकों के साथ शब्द रखा जाता है। यह पार्टीबाजी का सवाल नहीं है, आप बुजुर्ग हो गये हैं, इसलिए आपको पता नहीं है।

इसलिए सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में, मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं सिंचाई विभाग ऐसा विभाग है जो कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन-दान देता है, चाहे वह सांस्कृतिक दृष्टि से समझें, चाहे वह प्राकृतिक दृष्टि से समझें, या समाजिक दृष्टि से समझें, पानी ही एक उपयुक्त वस्तु है जिसके बिना कोई भी प्राणी या प्रकृति का एक अंश भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हमारे समाज के लिए, हमारे प्रान्त के लिए, हमारे देश के लिए और मनुष्य के लिए पानी पहली आवश्यक वस्तु है....

श्री मनोहरलाल : पानी बिन सब सून।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पानी का प्रबन्ध है, उसमें यदि किसी प्रकार की कमी रहे तो इसके अतिरिक्त समाज के साथ क्या दुर्व्यवहार हो सकता है-यह आप स्वयं समझ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, कई

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

सदस्यों ने अपने अपने इलाकों के बारे में सिंचाई के विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के उपलक्ष्य में जो जो विचार रखे हैं वह अत्यन्त माननीय हैं। लेकिन मैं तो मेरे क्षेत्र के बारे में ही कुछ विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर·······

एक माननीय सदस्य : उपलक्ष्य में···

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : आप उपलक्ष्य का अर्थ समझ लेना। मैं बाद में बता दूंगा। इसलिए मेरे क्षेत्र के बारे में·······

श्री खेतसिंह : एक मिनिट। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जब तक यह मांग, जो मांग माननीय सिंचाई मंत्री ने प्रस्तुत की है, पास न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज की प्रस्तुत मांग पूर्ण न होने तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : हमारे क्षेत्र के लिए यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये जायं तो हमारा क्षेत्र इतना उपयोगी है, वहां की भूमि अत्यन्त उपयोगी है, वहां जितना अनाज पैदा होता है उससे चौगुना अनाज हम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र के प्रति पता नहीं क्यों, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैंने गत विधान सभा अधिवेशन में भी यह बात बतलाई कि हमारे क्षेत्र के लिए केवल तीन चीजों की आवश्यकता है, हमें बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है और साथ ही साथ रास्तों की आवश्यकता है। यदि तीनों चीजों की आवश्यकता पूरी करदें तो मेरे इलाके को पूर्ण सुविधा हो सकती है और मेरे इलाके के साथ राजस्थान प्रदेश और हिन्दुस्तान की भी उन्नति हो सकती है। यदि इन साधनों की ठीक तरह से व्यवस्था कर दी जाय। सिंचाई विभाग के उपलक्ष्य में, मैं यह भी विचार व्यक्त कर दूं कि आज जिन जिन सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये, वह इसलिए पूर्ण नहीं होसके क्योंकि विधान सभा में आकर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर देता है, सदस्य के अधिकार में अपने इलाके को सारी समस्याओं को लाकर प्रकट कर देना है, लेकिन वह योजना बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में हैं और बड़े अधिकारी अपनी मनमानी करके किसी इलाके के साथ कैसा व्यवहार करें, वह स्वयं कर सकते हैं। अधिकारीगण यदि आज पूर्णरूप से पक्के दिमाग से सोचकर प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति करने की कोशिश करें तो किसी भी प्रकार की, किसी भी इलाके में कमी नहीं रह सकती।

मैं सिंचाई विभाग के संबंध में विभिन्न प्रकार के जो भ्रष्टाचार हैं, उनके बारे में आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर दूं। चित्तौड़गढ़ के पास भोपालसागर का जो फीडर है, किस प्रकार उस इलाके के साथ, सरकार के साथ वहां के अधिकारियों ने अन्याय किया है। मेरे पास राजस्थान पत्रिका की कटिंग है 21–2–1972 की। उसमें लिखा है:

(श्री जयकिशनलाल तोसवाड़ा)

"भोपालसागर तालाब से 52 सौ एकड़ सिंचाई की आशा–"

चित्तौड़गढ़, 20 फरवरी । चित्तौड़गढ़ डिवीजन के बड़गांव उपखंड में भोपालसागर सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता शीतल प्रसाद रावत ने एक भेंट में बताया कि 55 लाख 47 हजार रुपये की लागत से भूपाल सागर फीडर के बन जाने पर भोपालसागर तालाब से 5 हजार दो सौ एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकेगी।

रावत ने बताया कि 213 चेन की 21 हजार 3 सौ फीट लंबी इस फीडर पर अब तक 33 लाख रुपए सिंचाई विभाग द्वारा खर्च किए जा चुके हैं। रावत ने बताया कि इस फीडर के 60 से 125 चेन तक के किनारे कटकर बह रहे हैं जिनके कटाव को रोकने और ढकने के लिए 28 लाख रुपयों की एक योजना राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये भेज दी गई है जिसकी स्वीकृति आते ही कार्य शुरू कर दिया जायगा। तत्पश्चात इस फीडर के शीघ्र पूर्ण हो जाने की संभावना है। रावत ने कहा कि भोपाल सागर तालाब से वर्तमान में 2960 एकड़ में सिंचाई होती है।

स्मरण रहे कि इस समय में भोपाल सागर तालाब लगभग सूख गया है और गर्मी में भी जानवरों के पीने के पानी की समस्या उठ खड़ी हो सकती है ऐसी संभावना है।

सहायक अभियन्ता रावत ने बताया कि इस फीडर पर 25 चेन की 2500 फीट लंबी फीडर पर अकाल राहत में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

चित्तौड़गढ़ के युवा नेता भगवत भंडारी ने एक वक्तव्य में कहा है कि भोपालसागर फीडर के नहीं बनने से इस क्षेत्र में लगभग 40 से 50 लाख रुपयों की फसल को नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है। यह नुकसान चित्तौड़गढ़ जिले को इसलिए हो रहा है कि भोपालसागर फीडर का जो पहले ही वर तखमीना बनाया गया था उसको सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता ए० पी० सिंघल ने भोपालसागर पंचायत समिति के तत्कालीन प्रधान रामनरेश सिंह के प्रभाव में आकर बदल दिया और इस प्रकार भोपाल सागर फीडर के पूर्ण होने में देरी होती जा रही है। भोपाल सागर फीडर की जो मूल योजना बनाई गई थी वह केवल 14 लाख 60 हजार रुपयों की ही बनी थी किन्तु फीडर के प्लान को बदल दिये जाने से अब सरकार के सिंचाई विभाग को फीडर पूरी करने में लगभग 55 लाख 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस प्रकार सिंचाई विभाग को लगभग 40 लाख 90 हजार रुपए अधिक खर्च करने पड़ेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको जो कुछ कहना है कह सकते हैं, पूरा अखबार पढ़ने के लिए समय नहीं दे सकते।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : दो चार लाइनें पढ़ दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा: "भंडारी ने कहा कि फीडर में गणेशजाट की जमीन को, बचाने के लिए जो सुझाव दिया गया है उससे फीडर को बनाने में सिंचाई विभाग को काफी

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

गहरी खुदाई करनी पड़ रही है और ज्यों-ज्यों खुदाई की जाती है, उसके तत्काल बाद ही किनारे ढह हो जाते है और खोदी गई मिट्टी वापस नहर में गिर जाती है। यदि ओरिजिनल प्लान के अनुसार ही काम किया जाता तो इतनी गहरी खुदाई नहीं करनी पड़ती और न ही इस तरह किनारे ढहते। अब तक फीडर का काम भी पूरा हो गया होता। भंडारी ने कहा कि 60 से 125 चेन तक इस प्रकार किनारे ढह रहे हैं और जिन्हें ढकने के लिए सिचाई विभाग को अनावश्यक रूप से 28 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे।"

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सियापति रामचन्द्र की जय।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : कम्यूनिस्ट कभी भगवान की आराधना नहीं करते, इसके लिए तो उनको धन्यवाद। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार हमारे विभाग में भ्रष्ट अधिकारी बैठे रहने के कारण सिचाई विभाग के जो विचार हैं, जो योजनायें हैं, वह एक नाश की ओर अग्रसर हो रही हैं। इस फीडर को बदलने के अन्दर यह जो ए. पी. सिंघल हैं सुपरिटेंडिंग इंजनीयर का हाथ रहा है और ऐसे गद्दार और चोर अधिकारियों को जब तक इस विभाग में रखा जाएगा, तब तक हमारे सिचाई विभाग की उन्नति नहीं हो सकती। इस प्रकार के जो मैंने आरोप लगाए हैं यदि....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके मुकाबले में चुनाव लड़ेगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यदि मेरे आरोप इस अधिकारी के विरुद्ध सिद्ध हों तो उनको हथकड़ी लगाई जाए, अगर गलत हो तो मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दी जाए। मैं इसे मंजूर करने के लिए तैयार हूं। फिर भी पता नहीं हमारी सरकार, मंत्री महोदय, चीफ इंजिनीयर, इरिगेशन सेक्रेटरी उस अधिकारी के साथ इस प्रकार की सहानुभूति क्यों बरत रहे हैं। बार बार मैं इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप आपके समक्ष व्यक्त करता हूं फिर भी दबाए जाते हैं इसलिए इन ऐलीगेशन्स के संबंध में बता देना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको काफी समय दिया जा चुका है। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : जब तक इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस विभाग से दूर नहीं होगा तब तब सिचाई के बारे में हम कुछ भी कहें, कोई लाभ नहीं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह सिंघल हर 10 दिन 15 दिन के बाद इंजिनीयर-ओवरसियर को बदलता है। मेरे इलाके में दो महीने में 4 ओवरसियर्स बदले हैं। उनको घर बुलाकर 3-3 हजार रूपये मांगता है, बार बार उनके ट्रांसफर किये जाते हैं। मेरी बात गलत निकले तो मैं सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। यदि इस भ्रष्टाचार को हमने नहीं मिटाया तो सिचाई विभाग का भगवान मालिक है। इस प्रकार खुले रूप में चोर बाजारी करना हमारे लिये शर्म की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस समय भगवान राम मालिक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : जब तक इस विभाग में स्वच्छता नहीं लायेंगे

Page No 138

(138)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

तो जो छोटे छोटे अधिकारी हैं वे भी उनके साथ बदनाम होते हैं क्योंकि ऊपर चोर अधिकारी बैठा हुआ है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय जा चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जैकिशन और रामचन्द्र का मुकाबला है।

श्री जयकिशनलाल तोसवाड़ा : जब तक इस भ्रष्ट अधिकारी का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक सिचाई विभाग के बारे में कुछ नहीं सोच सकते, इस प्रकार उन लोगों के घर भरेंगे। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जब तक हमारी सरकार नहीं हटायेगी तब तक इस विभाग में किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)।

श्री विद्यासागर।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं अपने कट मोशन्स मूव करता हूं। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तीनों जिले ऐसे हैं जो ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। जहां जो आज तक तालाब बनाये गये हैं वे बहुत कम हैं। मैं अपनी तहसील का उदाहरण दूं। आज 25 वर्ष बाद भी खेरवाड़ा तहसील में 2436 बीघा जमीन की सिचाई होती है, इससे आप जान सकते हैं कि इन तीन जिलों की तहसीलों की क्या स्थिति हो सकती है। यह सही है कि आये दिन इन तहसीलों में अकाल पड़ते हैं। हम राज्य सरकार से समय-समय पर मांग करते आ रहे हैं कि इन इलाकों में जो रिटर्न की व्यवस्था है, उसको खतम किया जाये। अगर खतम नहीं किया जाता तो तालाब नहीं बन सकेंगे और आदिवासी हमेशा पानी के मोहताज रहेंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इधर जो तहसीलें हैं उसमें करीब 85 परसेन्ट तो आदिवासी लोग रहते हैं अगर आप आदिवासीलोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं तो आप इस रिटर्न की व्यवस्था को हमेशा के लिए खतम कर दें।

हमारे यहां पर बांध के लिए सर्वे हुआ पड़ा है लेकिन रिटर्न की बात को लेकर भाभरी और बरोठी के तलाब में सिर्फ रिटर्न के अभाव में ही वहां पर बांध नहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहां पर कादरसोम बांध है जो कि मेरी तहसील में है उस पर बांध बन सकता है। अगर सभापति महोदय, वह बन जाता है तो उस एरिया की करीब 14 हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसको पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लिया जाना चाहिए जिससे कि उस बांध का निर्माण हो सके। इसी प्रकार सभापति महोदय, हमारे उधर सोन नदी है उस पर अगर बांध बना दिया जाय तो काफी लोगों को लाभ हो सकता है। इस प्रकार हमारे यहां पर तहसीलों में अगर छोटे छोटे एनीकट बना दिये जाय तो वहां पर जो आदिवासी लोग हैं उनको लाभ हो सकता है। हमारे यहां पर पानी हो जायेगा और लोगों को, जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको लाभ होगा और इससे आदिवासी

(श्री विद्यासागर)

लोग और उनके बच्चे सरकार को धन्यवाद देंगे। इसी तरह उदयपुर के पास उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जाखम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था उसमें हर साल बजट में करीब 40 लाख रुपये का प्रावधान रखा जाता था। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस साल सिर्फ उस बांध के लिए 14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उसमें खुदाई का काम शुरू हो गया था, नींवें भी खुद रही हैं लेकिन अब अगर उसमें पूरा रुपया नहीं लगाया जायेगा तो बरसात में पानी आजायेगा और वह सब काम जो आज तक किया हुआ है, वह बेकार हो जायेगा। इसी प्रकार सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जयसमन्द फीडर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जयसमन्द के बांध से फीडर अगर आ जाती है तो हमारे इधर का इलाका व सलुम्बर का इलाका जो है वह पानी से लाभान्वित हो जायेगा। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको बनाने के लिये करीब डेढ़ करोड़ रुपये का खर्च होगा अगर राज्य सरकार इसको पूरा कर लेती है तो उदयपुर और सलूम्बर के इलाके में काफी आदिवासी लोगों को लाभ हो सकता है। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य के वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें और इसे जल्दी ही पूरा बनवाने की कृपा करें। बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : सभापति महोदय, वैसे तो मेरे पहले कई माननीय सदस्य उदयपुर जिले के जो हैं वे बोल चुके हैं, लेकिन मैंने भी इसके लिए कुछ कट-मोशन्स दिए हैं; इसलिए मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके मारफत मंत्री महोदय का ध्यान पहले मेरे क्षेत्र में जो सराड़ा और सलूम्बर का इलाका है, जिससे करीब 40 हजार एकड़ जमीन पीवज में आजायेगा, इसके लिए मैं आपके मारफत यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जयसमन्द का फीडर बन जाता है, जिसका शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जा चुका है और उसमें काफी काम भी शुरू हो चुका था आजकल वह काम बंद है उसमें करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा खर्चा भी नहीं है उसे अगर आप पूरा करा दें तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि करीब 40 हजार एकड़ जमीन पीवल कराने में काम आ सकती है। आज जो आये दिन अकाल उस एरिया में पड़ते हैं वह मिट जायेंगे और हमारे यहां अकाल की स्थिति में इस जयसमन्द फीडर के बन जाने से काफी आदिवासी काश्तकारों को लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान जाखम बांध के बारे में दिलाना चाहूंगा, जैसा कि मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा था, कि इस योजना के लिए करीब 40 लाख रुपये का पहले प्रतिवर्ष प्रावधान रखा जाता था वह अबकी बार सिर्फ बजट में 14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है यह बहुत ही कम प्रावधान है। सभापति महोदय उस बांध की नींव तो भर गई है अगर अब उसे आगे और नहीं बनाया गया तो वर्षा के दिनों में वहां पानी भर जायेगा और वह नींव मिट्टी से भर जायेगी और

(श्री देवीलाल)

फिर सरकार को उस पर दुबारा खर्च करना पड़ेगा । इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और इसमें अधिक रकम का प्रावधान करने की कृपा करें । इसके बन जाने से काफी आदिवासी लोगों को फायदा होगा और करीब 40 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी । इसके अलावा मैं आपको एक और दूसरी योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वह है डाया योजना, उसको भी पूरी कराई जानी चाहिए । यह मेरी तहसील सराड़ा में आती है, उसके लिए पहले सर्वे भी हो चुके हैं और उसका काम चालू कराने का प्रयास किया है । राज्य सरकार को चाहिए कि इस योजना को पहले पूरी किया जाना चाहिए । राज्य सरकार को चाहिए कि इस योजना को पहले हाथ में लिया जाना चाहिए । हमारा आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी लोग ज्यादातर खेती करते हैं । अगर आप इन योजनाओं को शुरु करते हैं तो काफी तादाद में लोगों को राहत मिलेगी ।

सभापति महोदय, यह डाया योजना के बारे में मैंने जिक्र किया है उसमें ज्यादा तादाद में आदिवासी लोगों की जमीनें पड़ती हैं और वहां हर साल अकाल पड़ता है । अगर यह योजना बन जावेगी तो आदिवासी लोगों को आप अकाल से बचा सकेंगे । यह योजना ज्यादा पैसे की नहीं है, सिर्फ चालीस पचास लाख रुपये की है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस योजना को अपने बजट प्रावधान में रखें । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस में रिटर्न नहीं बैठता है तो एस्टीमेट को कमी करके बनाने का प्रयास करेंगे तो ही आप आदिवासी लोगों को फायदा दे सकते हैं अन्यथा आदिवासी लोगों को फायदा नहीं होगा सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार मैंने जो योजनाएं बतायी हैं उनको जल्दी से जल्दी हाथ में लेकर पूरी कराने की व्यवस्था करे । इसी प्रकार हमारे इधर एक देवास सेकिन्ड की योजना है इसका सर्वे भी हो चुका है और एस्टीमेट बनकर सिंचाई विभाग को चले गये हैं उस पर भी आप जरा ध्यान देकर योजना को चालू कर दें तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र, जो आदिवासी लोगों के हैं, उनको इस योजना से काफी राहत पहुंचेगी और काफी सिंचाई वहां पर हो सकेगी । इसी प्रकार सभापति महोदय, हमारे यहां पर उदयसागर तालाब है वहां पर भी अगर आप बांध बनाने की योजना हाथ में लें तो कम पैसों में ही योजना बन जावेगी और इससे आदिवासी काश्तकारों की कृषि भूमि को फायदा होगा । इसके साथ साथ उस उदयसागर बांध से उदयपुर सिटी को भी फायदा होगा कि वहां के लोगों को भी पीने का पानी मिलने की व्यवस्था हो जायगी । इस योजना से सभापति महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बांध की दूसरी योजना को हाथ में लेते हैं तो उदयपुर में जो जावर माइन्स हैं उस पर आधारित कारखाने में काफी मजदूर लोग काम करते हैं, उनको भी पानी की व्यवस्था हो जायगी । इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि देवास की दूसरी योजना को भी मन्त्री जी अगर हाथ में लें तो काफी सुविधाएं आदिवासी काश्तकारों को मिल जायगी । सभापति महोदय, मैं आपको मेरे क्षेत्र की, जो कुछ लघु सिंचाई योजनाएं हैं, उनकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । ये छोटी योजनाएं हैं और उनमें ज्यादा खर्चा

Page No 141

(137)

(श्री देवी लाल)

भी नहीं होगा और आदिवासी क्षेत्र के काफी एरिया के लोगों को इससे सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ पीने के पानी की समस्या का भी हल हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन योजनाओं की ओर ध्यान देकर बजट में धनराशि का प्रावधान करने की कृपा करें ताकि आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को फायदा हो सके।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मेरे इस सम्बन्ध में दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो नाचना के अन्दर, जैसलमेर जिले में, राजस्थान केनाल की कॉलोनी आज से काफी अर्से पहले जिसका निर्माण शुरू कर दिया गया था, वह अभी तक ढ़िलाई में पड़ी हुई है। इस संबंध में मेरा मोशन है कि यदि वह चालू हो जाय तो अकाल राहत में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका काम शुरु कराया जाय। उसमें एक अड़चन आयी है। उसमें एक थाने का निर्माण कर दिया गया है। मंत्री महोदय को पुलिस के मन्त्री महोदय से बात करके निपटारा करके उस कालोनी का निर्माण कार्य शुरु कराना चाहिये। ऐसा भी लगता है कि फलोदी में एक कॉलोनी शुरु हो गई है। मुझे ऐतराज नहीं है फलोदी में दूसरी कॉलोनी शुरु कीजिये लेकिन इसलिए शुरु हो रही है कि नाचना और बीकमकोर में अधिकारियों को रहने के लिए सुविधा नहीं है इसलिए अधिकारी लोग फलोदी में रह सकें, तो फलोदी में तो सूखा रहने वाला है और जब नाचना में राजस्थान केनाल आ जायगी तो अधिकारी पायेंगे कि उनको उस समय फलोदी में नहीं रहना चाहिये। इसलिए इसके दरमियान में भी जो खर्चा T.A व D.A. होगा वह काफी खर्चा होगा जो कि उचित नहीं होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि आम जरुरत हो तो फलोदी में हो वरना नाचना और बीकमकोर में शुरू होना चाहिये और अधिकारी लोग वहां पर रहना शुरू करें।

दूसरी दिक्कत यह आ रही है कि हमारे इलाके में सन् 56 में जब से यह इलाका कमाण्ड एरिया डिक्लेयर किया है, उसके बाद में वहां ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि आबादी की भूमि लोगों को निवास के लिये दी जा सके। सन् 56 से लोग बढ़ते गये हैं। इसमें गरीब आदमियों को बड़ी भारी दिक्कत है। पजेशन कर लेते हैं तो उनसे पैसा भी अधिकारी ले लेते हैं और वह इल्लीगल होने से वे सरकारी खजाने में तो जमा नहीं कराते और वह उनकी जेबों में चला जाता है और लोग भी महरूम रह जाते हैं। इसलिए इस संकट पूर्ण स्थिति को हल करने के लिए कोलोनाइजेशन की ओर से अफसर होना चाहिये या रेवेन्यू की तरफ से होना चाहिये, जो सोच समझ कर तरीका निकाले ताकि नाजायज तरीके से जो कब्जे हो रहे हैं उनको नियमित कर सकें।

राजस्थान केनाल में जो हमारा लेबर गया है उनकी सुविधाओं के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 69 में जब वहां लेबर गया था तो उनकी पेमेन्ट का अच्छा इन्तजाम नहीं था और करीब 1 लाख रुपया उनको अभी तक नहीं मिला है। पेमेन्ट का अरेन्जमेंट अच्छा नहीं था।

(श्री भोपालसिंह)

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, जो रियायतें मिलती है उसमें भी उनको पूरा राशन नहीं मिलता। उनको पेमेन्ट के बारे में, उनके निवास के बारे में और उनको अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में दिक्कतें हैं। मेरा निवेदन है कि अच्छी सुविधायें होनी चाहियें। हर जिले में काम चल रहे हैं। उसमें कन्ट्रोवर्सी है कि सब ही काम युटिलिटि के लिए जाने चाहिये हर साल राजस्थान के किसी न किसी भाग में अकाल पड़ता है। सड़कें मेड़ बन्दी, आदि के जो काम हैं वे कुछ समय बाद सेचुरेशन पोइन्ट पर पहुंच जावेंगे, अगले पांच साल में कोई काम यूटीलीटी का है तो राजस्थान केनाल का है। इसलिए योजना मन्त्री ने संकेत दिया था कि राजस्थान केनाल का लोगों को जाकर काम करना चाहिये और नहर को जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अगर वहाँ व्यवस्था अच्छी है लोगों को भेज सकें तो जाने के लिए तैयार होंगे। पांच हजार पहले गये। दस हजार लोग इस साल जा सकते हैं। बरसात होने पर जो सेमी एम्प्लोयड लोग होते हैं, दीपावली पर काम करने के बाद कार्तिक के बाद चले जाते हैं। यदि आपकी ओर से इस ओर एक्शन हुआ तो इससे काफी लोग लग जावेंगे और यह काम बहुत ही उपयोगी होगा। मजदूरों को उस ओर अच्छी व्यवस्था द्वारा अट्रेक्ट करना चाहिये ताकि उनके काम का भी उपयोग हो सके। केन्द्र ने प्रायोरिटी दी है उसके अनुसार युटिलिटी के वर्क करने चाहिये।

इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य, जो जोधपुर से आने वाले हैं, उन्होंने संकेत दिया था कि अगर इसको टेल की ओर से शुरु कराया जाय तो अच्छा होगा।

श्री नन्दलाल बरवा : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री भोपालसिंह : इसमें मेरी पूरी सहमति है। यदि टेल से शुरु किया गया तो काम शुरु हो जावेगा। सड़कें पहुंची हैं, बिजली भी आने वाली है और पायेलेट चेनल भी आ रही है।

(गणाभाव सूचक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भोपालसिंह : इसलिए टेल की तरफ से अभी से कार्य शुरु हो जाय तो हमारे लोगों को राहत पहुंचेगी। शेरगढ़ के, बाड़मेर के नजदीक के लोग वहां पहुंच कर कार्य कर सकेंगे। इस तरफ मेरा जोर देकर निवेदन है कि इस काम को एक्जामिन किया जाय। दिक्कतें भी है। नहरें खोद दी जायं और पानी जल्दी न आये तो उसमें रेत भर सकती हैं। यह सब एक्सपर्ट्स के सोचने की बात है।

कन्वेन्शनल इरिगेशन के बारे में बात कही गयी। मैं नहीं कह सकता flow इरिगेशन में स्प्रिन्कलिंग, टिकलिंग, tube टू रूट Pipe to plant प्रणाली इनके बारे में शोध होना चाहिये और जहां तक हो सके लाभ के साथ अपनाना चाहिये। ताकि इससे लाभ होगा और इन्टेन्सिव इरिगेशन है वह इकोनोमिक तरीके से हो सकेगा।

श्री सभापति : श्री झाबरमल।

(अनुपस्थित)

श्री मुंशीलाल।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : आदरणीय सभापति महोदय, इरिगेशन के हैड में कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये जो दो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं उस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगी।

जैसा कि हम सब ही महसूस करते हैं कि पानी जीवन है और चाहे हरित क्रान्ति की हम बात करें, चाहे भूख से लड़ने की बात करें, इरिगेशन पोटेन्शियल्स को जितना बढ़ायेंगे उतनी ही हमें ज्यादा सफलता मिलेगी।

भरतपुर की एक खास भौगोलिक परिस्थिति है उस ओर खास तौर से सिंचाई विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया है। उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी परन्तु राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है एक तरफ सूखा पन, पहाड़ी प्रदेश और मैदानी इलाका, इन तीनों के लिये संतुलित विकास योजनाएं और खासकर इरिगेशन योजनाएं हमें बनानी चाहिये। इसके लिये पहले भी मैंने इस सत्र में जोर दिया था।

भरतपुर के पास गंभीरी और बाणगंगा हैं जो नदियां भरतपुर में से गुजरती है। इन दोनों नदियों का कैचमेन्ट एरिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, परन्तु ये दोनों नदियां बार बार उपद्रव करती हैं और इसका सबसे ज्यादा असर शायद भरतपुर पर पड़ता है। वहां की जनता सहन करती है जब यह मार तो वह यह भी चाहती है कि इन दोनों नदियों के लिये एक सम्मिलित सिंचाई योजना सरकार बनावे। इस पर सरकार ने पहले भी सर्वे कराया था और वहां पर योजना है कि गम्भीरी नदी का पानी बाणगंगा में डालकर इससे भरतपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जाय। लोग इस ओर आशाभरी नजर से देख रहे हैं।

पिछले वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था कि इसमें खर्चा चूंकि ज्यादा आता है इसलिये इसे शुरू नहीं किया जा रहा है। मैं पुन: निवेदन करूंगी कि यह योजना इस क्षेत्र के लोगों को जीवन देने वाली है और वहां की प्यासी धरती की प्यास बुझाने वाली है इस पर सरकार पुन: सोचे और इसको पूरा करे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान है, नाहरा। इसके लिये पहले भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था। मैं पुन: निवेदन करूंगी कि इस गांव के नाम से यह न समझा जावे कि वहां नहरों का कोई जाल है। पर अगर वहां बान्ध बना दिया जावेगा तो उसका दोहरा उपयोग होगा। पहाड़ों में इस के तेज बहाव से धरती का जो कटाव है वह रुकेगा और सिंचाई के लिए काफी पानी मिल सकेगा। इसलिये फिर से मैं अपनी मांग को दोहराऊंगी कि इस क्षेत्र के विकास के लिये सरकार इस पर एनीकट या छोटे बांध की योजना बनावे। इस क्षेत्र में बहुत गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं। यह उनके लिये वरदान साबित होगा, नहीं तो वे और भी गरीब और पिछड़े होते जावेंगे।

इसमें एक बन्ध था घुरेटा। वह पिछले बजट एस्टीमेट में आ भी चुका था। और एस्टीमेट के अनुसार काम भी शुरु कर दिया

(श्रीमती उषा प्रकाश)

गया था। 1971-72 में बीस हजार का व्यय इस पर दिखाया गया है। इन दिनों मैं उधर जा नहीं सकी इसलिये कह नहीं सकती कि कितना काम हो गया है और कितना बाकी है। पर इतना जानती हूं कि वह काम एक साल में पूरा नहीं हो सकता। पर इस साल उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अगर इस साल उसे पूरा नहीं किया तो वहां पानी का बहाव तेज है और भूमि कटाव भी तेज है, तो इस तेज बहाव में वह अधूरा काम भी बच पावेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकती। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि इस काम को तो पूरा कराया जावे।

इसी तरह से खरेरी और दूसरे इलाके हैं। इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगी। यह वहां की जनता का जीवन है। वे इसके बिना तड़प रहे हैं। थोड़ा खर्चा भी सरकार कर चुकी है। इस साल के प्लान एक्सपेण्डीचर में इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिये। इस अधूरे काम को पूरा किया जाना चाहिये।

इसी तरह से एक करवां नदी योजना है। उस पर भी कुछ काम हो चुका है। उस पर तीव्र गति से काम नहीं हो रहा है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

जब हमारे आदरणीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भरतपुर बाढ़ के दिनों में पधारे थे तो उनसे यह कहा गया था कि बाढ़ आने पर भी वहां लोगों से इर्रीगेशन का सैस लिया जा रहा है। उस वक्त मन्त्री महोदय ने वचन दिया था कि दुबारा इस तरह का सैस नहीं लिया जावेगा। मैं उनका वचन याद दिलाती हूं। उनके वचन का पालन नहीं हो रहा है। लोगों से इर्रीगेशन सैस लिया जा रहा है। पानी चाहिये था सितम्बर अक्टूबर में पर भगवान् ने ही जब अगस्त में दे दिया तो इसी को इर्रीगेशन मानकर सैस लेना कहां तक न्यायपूर्ण है ?

दूसरी तरफ बाढ़ से जिन खेतों में छः-छः सात-सात और आठ-आठ फीट तक रेत आगई और जिनके तिनका भी खेत में नहीं बचा उन लोगों को राहत देने के लिये सरकार ने अभी तक नहीं सोचा है। एक तरफ तो जो इस तरह से खराब हुआ है उसके लिये कुछ किया नहीं, उल्टे दूसरी तरफ से समय से पहले ही इर्रीगेशन हो गया ऐसा मानकर सैस मांगते हैं। इस पर आप जल्दी ही निर्णय लेंगे ऐसा मेरा नम्र निवेदन है।

बाढ़ के तुरन्त बाद में विधान सभा का जब सैशन हुआ था तब मैंने एक बात की मांग की थी। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि सरकार ने उस तरफ सोचा है और बंध और हैड वर्क्स के नालों पर मैकेनाइज्ड डोअर लगाने की बात सरकार ने मान ली है। मुझे आशा है कि अगली बरसात से पहले पहले यह काम पूरा हो जावेगा।

फ्लड के मामले में, सभापति महोदय, कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं जो मैं निवेदन करना चाहूंगी। अधिकारियों से और मंत्रीजी से भी मेरी अक्सर बातें होती रहती हैं उन पर, पर मैं सदन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहूंगी।

मैकेनाइज्ड शटर्स के साथ में एक दूसरी मांग भी हमने की थी कि जो मेजर डैम्स हैं और उनका जो कैचमेन्ट एरिया है, उनके

(श्रीमती उषा प्रकाश)

बांध में टेलीमोटिव सिस्टम को इवलव करना चाहिये ताकि बाढ़ के दिनों में जन हानि कम से कम बचाई जा सके। एक अलार्मिंग सिस्टम भी वहां स्थापित करना चाहिये या जैसा वैज्ञानिक लोग ठीक समझें वैसा कोई सिस्टम इवाल्व करें तो जनता सरकार का आभार मानेगी।

हमारे यहां कुछ लोगों को यह आशंका है कि सरकार की प्रारम्भ की धीमी गति को देखकर, ये सारे काम सरकार आने वाली बरसात से पहले पहले कर सकेगी भी या नहीं। मैं भी शंकित हूं। और मेरा भी साथ है जनता के इस सुर में। शुरू में किसी के टेण्डर आये तो किसी न किसी वजह से काम देने में देरी होती रही और इस कारण शुरू में रफ्तार बहुत धीमी रही। मुझे उम्मीद है कि शुरू की धीमी गति को अब भी काबू में कर लेंगे। परन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इरिगेशन वर्क्स पर जो स्टाफ लगाया गया था उसको हमने पहले ही छांट छांट कर क्यों नहीं लगाया? उसे बार बार रद्दोबदल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी एक जगह की बात हो, ऐसा नहीं है जगह जगह लोगों के ट्रांसफर वगैरह किये गये। सरकार शांति से इस विचार पर विचार करे कि कितने ट्रांसफर अब तक यहां हुए हैं और क्यों हुए और इससे काम पर कितना अधिक असर हुआ है? मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि अब तो अधिक समय नहीं रहा है, तीन साढ़े तीन महीने का समय बचा है इसमें हम इन बातों को ध्यान में रखकर ज्यादा ट्रांसफर वगैरह नहीं करके स्टेडी मशीनरी के साथ काम की गति को तीव्रता देंगे तो जो चुनौती हमारे सामने है उसका हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेंगे, अन्यथा अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे शंका है कि कहीं हम काम में पीछे नहीं रह जावें और पिछले समय जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये हमें भारत सरकार से याचना करनी पड़ी थी और उसमें जो रकम हमें मिली थी उसको पूरा करने के लिये समय और बढ़ाने की नौबत नहीं आ जावे और दुबारा पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हो जावे।

अन्त में मेरा एक नम्र निवेदन और है। मेरे क्षेत्र में लाडनूं का एक बांध है। उसके आसपास कई गांव हैं, वह तीन ओर से पानी से घिरा है और उन गांवों में जाने के लिए एक ही रास्ता है जो उस बांध की पाल पर से होकर है। उस पर तीन तरफ बांध है। वही एक पाल पर होकर गांवों में जाने का रास्ता है। मैंने सुना है कि वह पाल सरकार कम चौड़ी कर रही है। उसकी चौड़ाई जो है उसे कम कर रही है। गांव वालों ने भी इसे कम चौड़ा करने के लिये ज्ञापन दिया है। मैं अपनी ओर से भी प्रार्थना करूंगी कि अगर इसे कम चौड़ा किया जा रहा है तो यह गलत होगा। इसे कम चौड़ा नहीं किया जाय। वहां के गांव वालों को बहुत परेशानी हो जायगी। मेरा ख्याल है सरकार इसको देखेंगी। थोड़ा बहुत बजट बढ़े तो अवश्य बढ़ाया जाय। ऊपर की पाल जो कम कर रहे हैं वह गांव वालों के साथ अन्याय होगा सरकार ध्यान देगी मेरा नम्र निवेदन है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बहुत महत्वपूर्ण बन्ध है, उसके टूटने से सैकड़ों गांव बरबाद होते हैं। मुझे अभी

(श्रीमती उषा प्रकाश)

परसों ही कहा गया है, मैं टेक्निकल नहीं हूं, टेक्निकल डिटेल्स मैं समझती नहीं हूं परन्तु कामनसेन्स से जो कहती हूं शायद इस तरह लगाने से उतनी मजबूती नहीं होगी जितनी होनी चाहिये। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचती हूं।

एक वैसे तो बहुत बड़ा काम है इरींगेशन का। जनता की मांग भी बहुत है। मैं आज यही आशा करूंगी कि आगे हमारे उस ऐरिया में जहां पुराने डेम्स के अलावा इन वर्षों में कोई महत्वपूर्ण बान्ध नहीं बे पाये हैं। आगे की योजनाओं में सिंचाई के विकास के लिए सरकार ध्यान देगी। इस निवेदन के साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल (धौलपुर)।

(अनुपस्थित)

श्री जगमोहन सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम पहले आ गया था ...

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारी लाल (निवाई) : सभापति महोदय, धौलपुर का बनवारी लाल तो नहीं है, मैं बनवारी लाल हाजिर हूं।

श्री सभापति : नहीं, आप नहीं।

श्री उम्मेदी लाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर लाल।

श्री मनोहर लाल (कामां) : सभापति महोदय मेरे कटौती के प्रस्ताव तो रास्ते में काट दिये गये थे लेकिन मेरा एक नस बन्दी का प्रस्ताव है, उसमें मैं बोलना चाहता हूं। जहां तक काम कराने का सवाल है और काम करने का सवाल है सभापति महोदय यह कोई मांगने से नहीं मिलता है, निवेदन करने से नहीं मिलता है। जनता का पैसा है, जनता की सेवा में खर्च किया जाना चाहिये। हैरानी इस बात की है जलेभियों की रखवालिन कुतिया बन गई है जिससे उसको बचाना मुश्किल हो गया है।

सभापति महोदय, मैं भरतपुर जिले की चर्चा शुरू कर रहा हूं। भरतपुर जिले में यह कहा गया था कि गुड़गांवा केनाल बनाई जायगी लेकिन वह गुड़गांवा केनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। हमें हैरानी होती थी कि गुड़गांवा केनाल पानी बरसात में देगी। हम समझते थे लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमारे यहां बरसात में नहर की क्या जरूरत है लेकिन आज किताब में पढ़ा है। गुड़गांवा केनाल बरसात में सिंचाई के लिये बनाई गई लेकिन उसको रोक दिया गया, क्योंकि हरियाणा की सरकार कहती है बरसात में पानी देने से हमारी जमीन खराब होती है। उस नहर

Page No 147

(147)

(श्री मनोहरलाल)

पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है लेकिन इस नहर के स्थान पर छोटे छोटे बांध नहीं बनाये गये जिसमे हजारों काश्तकारों को लाभ होता। डी० पी० घर सत्यव्रत कहते हैं गुड़गांव का बन्ध खतम करना चाहिये। देहाती लोग उसे खूनी नहर कहते हैं क्योंकि वह अन्डर ग्राऊन्ड है। उसमें कई बच्चे मर गये, कई आदमी मर गये, हजारों एकड़ जमीन उसमें खराब हो गई। जमीन का लोगों को मुआवजा नहीं मिला। रूपवास के लोग मुआवजे को तरस रहे हैं। अब मैं रिश्वत शब्द कहूंगा तो मुख्य मंत्री जी नाराज होने लगेंगे और उनका हार्ट फेल होने लगेगा रिश्वत का नाम बदल कर सुविधा शुल्क रख देता हूं क्योंकि अब रिश्वत, रिश्वत नहीं रही है वह तो सुविधा शुल्क हो गया है। अब सुविधा शुल्क न देने से उनको मुआवजा नहीं मिला। वे सुविधा शुल्क दे देते तो उनको मुआवजा मिल जाता।

कई कुए पाट दिये गये, कई मकान गिरा दिये गये और खोदते खोदते 8 साल हो गये किन्तु अभी तक 1 इन्च जमीन की सिंचाई नहीं हुई। अगर पानी भी आया तो बरसाती पानी आया। इसके अलावा नहर में क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन नहरों को क्यों बनाया जाता है? हर साल पानी आ गया, हर साल पानी चला गया तीन तीन पेमेन्ट एक काम के होते हैं। गुड़गांव केनाल में केफिट्रेन पुल बनाया गया। 9 स्लेब का पेमेन्ट हुआ। इर्रीगेशन विभाग की ओर निवेदन कर दूं, नसबन्दी के कारण मैं अधिकारियों के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के मैं खिलाफ नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता और इसलिए कि मैं अपने को ईमानदार नहीं मानता हूं। जैसी दुनियां है, वैसा मैं भी हूं भ्रष्टाचार मैं नहीं करता लेकिन कोई चोरी करे और फिर सीना जोरी करें। ए० पी० सिंघल साहब को मैं निवेदन कर दूं 12-13-14 अगस्त को भरतपुर में बाढ़ आई। आने जाने का रास्ता नहीं था मैं खुद भी रूपवास से भरतपुर चार दिन में पहुंचा। कोई ट्रक नहीं जा सकता था, वहां मिट्टी के एक लाख बोरे कैसे पहुंच गये। सूखी मिट्टी कहां से मिल गई? चारों तरफ पानी था, मजदूर कहां से मिले, सब मजदूर इधर उधर चले गये थे लेकिन पेमेन्ट हुआ चमचों को मजदूर बनाया गया, उनका धन्धा चलाया गया।

सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं आपके पास क्या रेकार्ड है चारों तरफ पानी था, बन्ध के मोरे नहीं रोक सकते थे यह पेमेन्ट कैसे हुआ? मजदूर नहीं, मिट्टी नहीं, आने जाने के रास्ते बन्द फिर यह लाखों का पेमेन्ट कैसे हो गया। इसके अलावा सभापति महोदय, आप अच्छी तरह परिचित हैं रामकिशन जी से जो पहले यहां विधायक थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा उनका यहां आरोप था ए० पी० सिंघल के खिलाफ। कहां आपका सतर्कता आयोग है? कहां आपका विजिलेन्स है? कहां आपका एन्टीकरप्शन का महकमा है? कहां आपका लोकपाल है और कहां आपका घूंसपाल है? जांच होने के बाद चोर, अब चोर पार्टी ने सी० बी० आई० को एक पार्टी बनाया, बचावो हमने यह काम किया है, हमें बचावो। रिपोर्ट आई उसको दबा लिया।

(श्री मनोहर लाल)

फाटक खरीदे गये सभापति महोदय, फाटक और गेट खरीदे गये उदयपुर से। उन फाटकों और गेटों की कोई जरूरत नहीं थी। जयपुर में प्राप्त नहीं हुये और वे खरीदे गये कहां से? उदयपुर से। 30 रुपये की छोलदारी और 300 रुपये में खरीदी गई। नहर को बचाने के लिये, नहर में पानी नहीं आ जाय। नहर को बचाने के लिये एक टेन्ट खरीदा। एक एक टेन्ट एक एक हजार में खरीदा गया-ब्लाक किया गया पैसों को और चुपचाप जमा किया गया और कमीशन लिया गया। सभापति महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये। मैं निवेदन कर रहा हूं, पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था - सिंघल साहब अच्छी तरह जानते हैं मैं जिस काम को कहता हूं वह काम नहीं होता है। मैं आज यह कह दूं कि भरतपुर में आग लगा दो तो वे जरूर लगा देंगे लेकिन पानी के के लिए कहूंगा तो वे पानी नहीं देंगे। हमेशा मेरे कहने से उल्टा काम करते हैं-पानी को कहूंगा तो आग लगायेंगे, खाने को कहूंगा तो वे कीचड़ की बात कहेंगे। इसलिए मैं कोई निवेदन नहीं करता हूं, कोई मांग नहीं करता हूं।

कामां तहसील में कई ग्राम हैं पल्ला ग्राम, सुन्दरा ग्राम, फेडपुरी ग्राम आदि कई गांवों में छोटे छोटे बान्ध बनाते तो कई ग्राम कवर होते थे। आलियापुर, पल्ला ग्राम, सुन्दरा ग्राम में छोटे बान्धों से सिंचाई काफी बढ़ सकती थी और उनसे इतनी आमदनी हो सकती थी कि गुड़गांव का जो करजा है उसको पूरा चुकाया जा सकता था। दो-तीन लाख का काम है। चार छोटे छोटे बान्ध बनाते और आपको इतनी आमदनी हो सकती थी कि आपका सारा कर्जा गुड़गांव का चुक जाता और 25 गांव कवर हो सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? उसमें पैसा मिल नहीं सकता है...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं जब तक जयपुर में सिंघल साहब बैठते हैं और प्रशासन में हैं, तब तक इस ओर कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है। अनन्तराम जाटव एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का ओवरसियर है उसका एक साल में 8 जगह ट्रान्सफर किया गया, ट्रांसफर क्यों किया गया क्योंकि वह आपको सुविधा शुल्क नहीं दे पाता था। किसी आदमी को गाली देना बड़ा आसान काम है, हम गाली नहीं देते हैं लेकिन मजबूरी में कहा जा रहा है। ईमानदार अधिकारी भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, और जो भले अधिकारी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं।

लेकिन जो अपने आपको तीसमारखां समझे उसके लिए हम साठमारखां हैं, कोई कमजोरी नहीं है हमारे मन में। हमारे पास तर्क होगा, हमारे पास ताकत होगी, हमारा काम होगा तो वह भीख मांगने से नहीं होगा। एक बात निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि अधिकारी लोग और खास करके इरिगेशन के लोग, चूंकि इरिगेशन में इस सिंचाई विभाग में जितनी खिंचाई होती है उतनी किसी में नहीं होती, इसका पैसा धूल में जाता है, इसका पैसा पानी में जाता है और इस डिपार्टमेन्ट में कोई काम नहीं होता। सिंगल पेमेन्ट,

(श्री मनोहरलाल)

डबल पेमेन्ट और ट्रिपल पेमेन्ट, इसका मतलब है सिंगल पेमेन्ट तो सिंगल साहब का, दूसरा डबल पेमेन्ट इनके चमचों का और तीसरे पेमेन्ट में काम होता है वह भी थोड़ा सा। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि सिंघल साहब को लोकपाल बनाया जाये, उनको हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहिए क्योंकि उनकी पाचन शक्ति इतनी हो गयी है कि वह दूसरे लोगों की पाचन शक्ति भी अच्छी कर सकते हैं। उनकी माल पचाने की क्षमता बहुत अच्छी हो गयी है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसों को मंत्री क्यों नहीं बना दिया जाय ?

श्री मनोहरलाल : मैं तो कहता हूं कि मैंने तो रिश्वत शब्द का नाम ही बदल दिया और उसका नाम ही सुविधा शुल्क हो हो गया। सभापति महोदय, भरतपुर में बाढ़ आती नहीं है बल्कि बाढ़ लाई जाती है। अजान बांध कभी नहीं टूट सकता, उसमें 60 मोरियां हैं और अगर खोली जाती तो भरतपुर में बाढ़ नहीं आ सकती थी। अजान बांध नहीं टूट सकता था लेकिन डबल पेमेन्ट लेने के लिए, सिंगल पेमेन्ट लेने के लिए बाढ़ लाई जाती है। बाढ़ लाई जाती है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए और अकाल लाया जाता है मंत्रियों के लिए। मैं सब अधिकारियों के लिए नहीं कहता कि सब ऐसे हैं। कुछ ईमानदार भी हैं और जो ईमानदार हैं उनको चुनौति है कि उनके होते हुए चाहे चीफ इन्जीनीयर हो, चाहे इरींगेशन के सेक्रेट्री हों—उनको चुनौती है कि सिंगल साहब उनके सीने पर बैठे हुए हैं। आपको हम थोड़ी शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार इस इलाके में फैल रहा है। हम गाली देने वाले लोग नहीं है

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा और इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम क्यों नहीं करते हैं। सीकरी बांध के साथ में पुरानी नालियां बनी हुई है उनका रख रखाव नहीं होता। मेरे डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अगराली नहर है उसमें 45 साल से एक पैसा नहीं लगा। अगर वह नहर पक्की हो जाये तो बाढ़ नहीं आ सकती। नगर तहसील में उससे सिंचाई भी हो सकती है लेकिन उसको कोई नहीं देखता। गोपालगढ़ के आस पास की नालियां सिंचाई के काम आती है, ड्रेन. के काम आती है लेकिन उनकी मरम्मत नहीं होती। सीकरी के आसपास मरम्मत नहीं होती और यह सब काम इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें सुविधा शुल्क नहीं मिलता। सिंगल साहब की जेब में पैसा रखा जाये तो काम हो जायेगा। सभापति महोदय, धोलेटा का पानी 5 गांवों के पानी को खारा करता है। धोलेटा के खारी पानी को निकाल दें और नहर में डाल दें तो हम क्या कोई घर का काम कर रहे हैं? जनता की बात यहां कहने आते है, हम भीख मांगने नहीं आ रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत काम होगा, नहीं कहेंगे, लेकिन जनता की शिकायतों को यहां कहेंगे और अच्छी बात की सिफारिश करेंगे, न्याय की सिफारिश करने से कोई नहीं रोक सकता। सिंगल साहब कहते हैं कि यह सिफारिश करते हैं, वो सिफारिश करते हैं तो न्याय की

(श्री मनोहरलाल)

सिफारिश करेंगे और यह सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। शिकायत और सिफारिश हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे बीच में आयेगा, जो हमारी सिफारशों को रोकेगा, जो हमारी शिकायतों को रोकेगा, न्याय के पक्ष में सिफारिश करेंगे और जो रास्ते में आयेगा हम उसको तोड़ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री गौरीशंकर।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं जो आपने अभी सिंगल साहब के लिए कहा उसका विरोध करता हूं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री गौरीशंकर : सभापति महोदय मैं खानपुर पंचायत समिति....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तिवाड़ी जी यह सूखा विरोध तो चलेगा नहीं, इसका तर्क दीजिए।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : यह आरोप बिलकुल सही है। मैं कहता हूं कि यह गलत हों तो आप इस्तीफा दे देना नहीं तो मैं दे दूंगा।

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी : मैं इस्तीफे की बात तो नहीं कहता, मैं लिख कर दे सकता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बोलना चाहें तो आपको स्वतन्त्रता है आप उस पर बोल सकते हैं।

श्री गौरीशंकर

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : माननीय सभापति जी, मैं खानपुर क्षेत्र से चुनकर आया हूं और मुझे सिर्फ खानपुर क्षेत्र के विषय में ही कहना है और खास तौर से भीमसागर बांध के लिए कुछ कहना है, कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना है इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध को शुरू हुए 34 साल हो गये हैं। इस 34 साल में 25 साल तो हमारी सरकार को बने हो गये हैं और 9 साल कोटा दरबार के जमाने में काम शुरू हुआ। इसके अन्दर कोटा दरबार ने काफी पैसा लगाया और उसके बाद हमारी सरकार आ गयी। उसके बाद आज 25 साल में सरकार ने 40 लाख रुपया इस बांध पर लगाया है। मैं कहता हूं कि 25 साल में 40 लाख रुपया याने $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया प्रति साल लगाया है। मैं समझता हूं कि वह पानी में बहने के लिए लगाया था। खैर, जो कुछ हुआ वह ठीक है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस बांध को अगर इसी तरह टाला गया तो घोर अन्याय है भीम सागर व हरिश्चन्द्र बांध पर कम से कम अब तक एक करोड़ रुपया लगा दिया तो उसका कम से कम ब्याज ही 25 हजार रु० महीने का हो जाता है, उसको यह सरकार बर्दाश्त कर रही है परन्तु यदि सरकार इसको पूरा करा देगी तो मैं कहता हूं कि 5 लाख रुपये महीने की इससे आमदनी होगी। मैं गारन्टी से कहता हूं। यह दोनों बांध ऐसी जगह है कि खानपुर क्षेत्र को राजस्थान के अन्दर सरकार ने सबसे फर्स्ट माना है और खानपुर क्षेत्र में दहीखेड़ा गांव है वहां के निवासी को इनाम दिया गया है। राजस्थान के किसी गांव को ईनाम नहीं मिला है जबकि वहां के निवासी को इनाम मिला है। तो ऐसी अच्छी जगह जो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और सबसे ज्यादा फायदा देने

(श्री गौरीशंकर मुनोम)

वाली है, इसके अलावा वहां के गरीब किसानों को अगर इससे फायदा पहुंचता है तो सरकार को भी 5 लाख रुपये का फायदा पहुंचता है। तो मेरा कहना है कि उस काम को पहले करना चाहिए। आपने करोड़ों रुपयों के काम छोड़ रखे है परन्तु भी पूरे नहीं हो रहे है और एक करोड़ रुपया यहां भी लगा दिया है उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है? ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपया इसमें और लगेगा। अगर एक करोड़ रुपया इसमें लगा देंगे तो 5 लाख रु० महीना बचेंगे। पानी जो किसान लोग लेंगे उसका पैसा सरकार लेगी, बिजली का पैसा लेगी, अनाज काफी पैदा होगा और उसमें फायदा होगा, वहां का व्यापार बढ़ेगा और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और उसमें सरकार को भी फायदा होगा। मैं समझता हूं कि ऐसे काम को पहले हाथ में लेना चाहिये जो पूरे हो सके और इतना पैसा काम में लगा दिया उसको भी पूरा नहीं कर सकते और यह भी यों ही पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूं कि आप इस पर ध्यान दें मैंने मंत्री महोदय को कहा कि आपने इस बार 3 लाख रुपया रखा है तो यह तो तनख्वाह में ही चला जायेगा आप क्यों नाम कर रहे हैं इसका? मेरा निवेदन है मंत्री महोदय को और आपसे भी निवेदन करना है कि अगर बांधों को आप शुरू करा देंगे तो इस बांध के पास ही अकाल आपने घोषित किया है, उस अकाल में अगर यह काम शुरू करा देंगे तो गरीब बेचारे लोगों को राहत मिलेगी और यह काम भी हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि सभापति महोदय, यह इसकी स्कीम 60 लाख रुपये की थी, आज उस 60 लाख में से 40 लाख तो खर्च हो चुका है और अब इसमें एक करोड़ का और खर्चा होगा। अगर समय पर पूरा हो जाता तो यह काम 60 लाख में पूरा हो जाता मैं निवेदन करूं कि साल दो साल और इसी तरह निकल गये तो एक करोड की जगह दो करोड़ खर्च होंगे और उसके बाद भी पूरा नहीं किया तो फिर दो करोड़ उस पर और खर्च होंगे और यह राशि दिनों दिन बढ़ती जायेगी। क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है इसी तरह से इसका खर्चा भी बढ़ता जायेगा। और यह ढिलाई का कारण है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ध्यान दीजिये। यह बांध पूरे होने से सरकार का भी फायदा, जनता का फायदा, वहां का काम पूरा हो जायेगा। आप यह धीरे धीरे काम क्यों करते हैं। इससे तो अच्छा है कि छोटे छोटे काम करें ताकि वे पूरे हो जावें और वहां के लोगों को फायदा हो और आपको भी रिटर्न मिलने लगे। आपने अधूरे अधूरे काम सारे राजस्थान में पटक रखे हैं। आप ऐसा काम करते हैं पहाड़ जैसा जिसको आप उठा नहीं सकते, और उनको पूरा नहीं करते। ऐसे कामों को लेने से क्या फायदा। पहले आपको छोटे काम लेने चाहिये जिससे सरकार को फायदा पहुंचे और वहां के लोगों को भी फायदा हो।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आज ही मौका दिया है। मुझे दो तीन मिनट तो और बोलने दीजिये।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गौरीशंकर मुनोम : मैं ही आखिर में हूं।

श्री सभापति : नहीं।

श्री गौरीशंकर मुनीम : और तो सब बोल चुके है हुकुम। इस बांध से बीस हजार एकड़ की जमीन की सिंचाई होगी। आप सोचिये कि जहां बीस हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो और फिर खानपुरा की जमीन ऐसी है कि जिसके मुकाबले की जमीन राजस्थान भर में कहीं नहीं है। हमारे राज्य मंत्रीजी महोदय मौका देख कर आए है, दूसरी जगह ऐसी जमीन नहीं है, बांध कैसे मौके का है। इसलिए निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दीजिये। आपने पांचवीं पचवर्षीय योजना में भीमसागर को तो लिया है, ऐसा मन्त्रीजी ने फर्माया है। मेरा निवेदन है कि अभी चौथी पंचवर्षीय योजना के पूरे होने में एक साल बाकी है तो इसमें भी अगर आप दस पांच लाख रुपया लगा दें तो अभी कम से कम इसकी नींव पूरी हो जायगी और उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना में आप कृपा करके इसको पूरा करवा दीजिए ताकि आपको लाखों रुपयों का फायदा हो और जनता को भी फायदा होगा। दूसरे गरीब लोग जो भूखों मर रहे हैं वे भी काम पर लग जायेंगे।

इसी तरह से हरिश्चन्द्र बांध है उस पर 60 लाख रुपया खर्च कर दिया। हरिश्चन्द्र बांध, यह स्टेट के जमाने में, कोटा स्टेट में शुरू हुआ था, पर यह तो मर्जर हुआ उससे थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ था। उसमें राजस्थान सरकार ने 60 लाख रुपया लगाया है। हमारे बड़े इन्जीनियर साहब उस समस्या को सही तरीके से नहीं रख सके इसलिए जितना रुपया लगाया हर साल बह जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी स्कीमें बना कर देते है कि उनका कोई फायदा नहीं मिलता, गलत स्कीमों की वजह से। क्योंकि फ्लड आया बह गया, फ्लड आया बह गया। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे बड़े-बड़े इन्जीनियर बैठे है, हजारों रुपया तनख्वाह लेते है, उनको चाहिए कि जो कुछ भी स्कीम बनावें वे ऐसी बनावें कि जो कम से कम कायम तो रहे। तो मेरा निवेदन है इस बांध से कम से कम दस पन्द्रह हजार एकड़ की सिंचाई होगी। वह भी खानपुर क्षेत्र में है। यह लाखों रुपयों की आमदनी का साधन है। ऐसे कामों को तो आप हाथ में लेते हैं जिनसे फायदा नहीं होता लेकिन जिनसे जल्दी फायदा होने वाला है उनको हाथ में नहीं लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, कृपा करके आप इस साल ही दस लाख रुपया कम से कम

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

भीमसागर बांध के लिए और दस लाख रुपया हरिश्चन्द्र बांध के लिए इसी साल लगा दीजिए और आयन्दा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन दोनों को पूरा कराइए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गौरीशंकर मुनीम : दो मिनिट और। इन इन्जीनियरों को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है कोई करते है कोई नही करते हैं। सभी जानते हैं और सारा हाउस भी जानता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि बांध तो बना ही नहीं और नहरें पहले ही बना दी जिसमें उनको खूब खाने को मिले। नहरों का यह हाल हो रहा है कि नहरें वापिस भरती जा रही हैं लाखों रुपया बेकार जाएगा, फिर उसको खोदना पड़ेगा और फिर पैसा लगेगा। यह कहां की व्यवस्था है। पहले बांध बना नहीं और नहरें खोद दीं। बड़ी कृपा की। इससे लोगों को विश्वास हो जाय कि नहरें बन

श्री गौरीशंकर मुनीम)

रही है तो जल्दी ही बांध भी बनेगा। लेकिन आपकी नहरें तो भरती जा रही हैं और बांधों का ठिकाना नहीं है। मेरा निवेदन है कि कुछ तो दो। हमारी बनी हुई भरती जा रही हैं मिट्टी से और जिस वक्त नहरें खोदी गई तो वहां के किसानों ने अपनी छाती पर भाटा रख कर अपनी जमीनें दी नहरें खोदने के लिए। वह टाइम ही ऐसा था। पर सभापति महोदय, अब नहरें भर गई तो लोगों ने पीछे खेती करना शुरू कर दिया अब उनको करना पड़ेगा अगर उनको हटाओगे। मेरा निवेदन है कि ध्यान दो, सोचो तो सही क्या स्थिति हो रही है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप फौरन, तुरन्त ध्यान दीजिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक दो मिनिट और।

श्री सभापति : आपको काफी समय दिया जा चुका है। कृपया समाप्त करें।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मंत्री महोदय से मैं पहले भी एक दो बार निवेदन कर चुका हूं और आज फिर निवेदन कर रहा हूं। सीमेंट की बोरियां 57 हजार इरींगेशन की झालावाड़ में पड़ी हुई हैं जिनमें से 20 हजार बोरियां तो पत्थर हो गई हैं पानी से भीग कर। बीस हजार बोरियों का तीन लाख रुपया होता है। सोचो साहब, कौन भुगतेगा इसको। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे गम्भीर मसले पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं और फिर मन्त्री महोदय से नहीं कहें तो किसको कहें। बार-बार कहते हैं तो फिर यह कहा जाता है कि पकड़ाओ। हमने ट्रक के ट्रक भरे हुए दुकानों में भरी हुई इरींगेशन की सीमेंट की बोरियां पकड़ाई पर कुछ नहीं किया जाता। और आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ जैसे दूसरे लोग यहां बोलते हैं ऐसे ही मैं भी बोल लेता हूं। चलो बोल कर अपने मन को राजी कर लो, होने जाने वाला कुछ नहीं। अभी जब इसका प्रस्ताव आयेगा तो यह पास होगा तो हमारी जीव दुखेगा, फिर भी हां तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दो बाकी हम कोई झूंठ नहीं कहते हैं। हम आपके सामने बहुत वाजिब बातें कहते हैं। मेरा निवेदन है कि यह ठीक है कि आज इरींगेशन की बात चल रही है लेकिन मुझे एक भी विभाग बता दो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। सब में भ्रष्टाचार होता है। हम जानते हैं मगर करें क्या, उपाय क्या है हमारे पास। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बहुमत हो गया है इनका इसलिए किसी की ताकत नहीं कि इसको मिटा दे। तो मेरा निवेदन है कि अब ज्यादा न बोल कर यही निवेदन करना है कि उन सीमेंट की बोरियों का क्या किया और कब तक फैसला करोगे। ऐसी चर्चा है कि चोर इन्जीनियर को आपने फॉरन में ट्रेनिंग के वास्ते भेजा है मुझे बड़ा आश्चर्य है। आप सोचें तो सही। उनको देखते तो सही कैसा आदमी है। अगर वह गलत है तो वह कैसे गया। मेरा खयाल है कि दस बीस हजार रुपये दिये होंगे फॉरन जाने के लिए, नहीं तो नहीं जा सकता था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : खेतसिंहजी देख रहे हैं आपकी ओर।

श्री गौरशंकर मुनीम : मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी इनका जवाब देंगे। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री लूणाराम । पांच मिनिट में समाप्त कर देंगे आप ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया हूं जहां पर सिंचाई की तो व्यवस्था क्या पीने के पानी की बड़ी बुरी हालत है । पर नहरों की जब बात आती है तो कुछ न कुछ हमें भी आशा बंधती है कि हमारे यहां भी कुछ होगा ।

हकीकत यह है कि आज भ्रष्टाचार के बारे में कई बातें कही जाती हैं यह एक अलग बात है । सिंचाई के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं यह देखने की बात है । दूसरा मैं यह जरूर कहूंगा कि जिस अधिकारी के बारे में आज नहीं अनेक बार वाद-विवाद उठता है, ऐसे अधिकारी को कम से कम ऐसे क्षेत्र के अन्दर से तो हटा देना चाहिए जहां पर करोड़ों का पैसा लग कर बांध बने और वह टूट जायं । अगर किसी सेनापति की सेना हार जाती है तो उस सेनापति को वहां नहीं रखा जाता है । यही हाल हमारे इन अधिकारियों के बारे में होना चाहिए और जिस क्षेत्र में बांध टूट जाय उसके बारे में जांच जरूर होनी चाहिए ।

इसके साथ-साथ दूसरी बात मैं यह निवेदन करता हूं और वह है राजस्थान नहर के बारे में । आज राजस्थान नहर के अन्दर जिस गति से काम हो रहा है वह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है । हम चाहते हैं कि उस काम को आगे बढ़ाया जाय । काम आगे नहीं बढ़ता है तो हम कितना इंतजार करें, उल्टी भावना होती है और यहां तक लोगों ने कहा कि चौधरी साहब गंगानगर जिले से बाहर ले जाना नहीं चाहते । ऐसी बात नहीं है । वहां पर ऐसी दिक्कतें आती हैं । बड़े-बड़े धोरे है । इनसे एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है । वे सूखे हैं या तो इनको नहर के लिये कणाबन्दी आदि से पानी देने तक के लिये काम रोका जाय । इसकी व्यवस्था को जानी चाहिए अन्यथा बहुत पैसा बर्बाद जाता है ।

इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में लिफ्ट से पानी देने की योजना बनी । परन्तु कोई नहर अभी नहीं आ रही है । चूरू जिले के डूंगरगढ़ और सरदारशहर तहसीलों के 40 गांवों को इसमें शामिल किया गया था । परन्तु न मालूम विभाग ने इन गांवों को क्यों नहीं इस योजना में शामिल किया है । मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा और यह आशा रखूंगा कि हमारे जिले के जिन गांवों को पहले लिया गया था, कम से कम उन गांवों को इसमें वापिस सम्मिलित किया जाये और उनको लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना में दुबारा शामिल किया जाए । लिफ्ट इर्रीगेशन से इन गांवों को पानी दिया जा सकता है और इनको पानी दिया जाना चाहिए ।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, चूरू जिले को पानी देने के लिए एक योजना बनी थी । सिधमुख नहर का नाम सुनते सुनते परेशान हो गए । नाम भी पुराना हो गया । अभी तक चर्चा ही चल रही है । काम होने का कोई जिक्र नहीं है । कम से कम यह तो बताना चाहिए कि सिधमुख नहर में आज तक कितनी प्रगति हुई है । वह किस स्टेज पर है । कम से कम यह हम को बताया जाना चाहिए ।

और सभापति महोदय, बांधों की बात यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने कही है ।

(श्री नूणाराम)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गंग केनाल को चूरू जिले में लाने के लिए जो सर्वे किया जा रहा है उसके काम में तेजी लाई जाए।

कई सदस्यों ने यहां पर यह कहा है कि जो बंधे अधूरे हैं वे बंधे बनाए जाने चाहिएं और उनके काम में तुरन्त तेजी लाई जाए। मेरे क्षेत्र के अन्दर दो तीन जगह ऐसे बंधे हैं जिसके अन्दर भी काम करने की गुंजाइश है। वहां पर ऐसे ताल है जिससे एक हजार बीघा की सिंचाई हो सकती है। इनको बांध कर सिंचाई की जानी चाहिए। दूसरा बेजासर और घड़सर, उदासर चारवास में भी यह काम किया जा सकता है। कम से कम इन तालों पर काम किया जाना चाहिए ताकि दूसरे माननीय सदस्य जब बंधों पर बोलते हैं तो मैं भी इस पर बोलने का हकदार हो जाऊं। हमारे क्षेत्र के अन्दर सभापति महोदय, पीने के पानी की बहुत समस्या है। पानी धरातल में है। पानी बहुत है परन्तु गहरा जरूर है। धरातल में पानी बहुत है। कुओं की जो स्कीम है वह अभी तक कृषि विभाग के पास है। सिंचाई विभाग को ट्यूबवैल का काम अपने हाथ में लेना चाहिए और इनको सिंचाई में शामिल कर लेना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर जैसा दूसरे क्षेत्रों के अन्दर बन्धों का काम होता है, तो हमारे क्षेत्र के अन्दर ट्यूबवैल से पानी निकलता है और सिंचाई भी इसी से हो सकती है। इसलिए कृषि विभाग को यह काम छोड़ कर आप अगर इस काम को सिंचाई विभाग के काम में शामिल कर दें तो अच्छा होगा। ताकि जो ट्यूबवैल हमारे क्षेत्र के अन्दर लगेंगे उनका पूरा उपयोग हो सके।

इसके साथ ही मैं उपनिवेशन विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे पड़ोसी जिला गंगानगर के छोटे किसानों के सामने एक समस्या उपनिवेशन विभाग की है। यह दोहरी समस्या है। एक किसान के ऊपर वहां एक नहीं तीन तीन पटवारी है। सिंचाई का पटवारी अलग है, राजस्व का पटवारी अलग है और उपनिवेशन का पटवारी वहां पर अलग से है। छोटे किसानों को इतने पटवारियों के बीच होकर काम करना पड़ रहा है। इससे जो छोटे आदमी हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है अपना काम करने में। इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। तहसील स्तर पर पटवारी का हल्का बांट देना चाहिए। तीन पटवारी एक तहसील में है तो उस तहसील का एरिया तीन पटवारियों में बांट दिया जाए और एक ही पटवारी राजस्व, सिंचाई और उपनिवेशन का कार्य करे। यह जरूरी नहीं हो कि एक पटवारी एक हल्के या एक तहसील के लिए या एक तहसील के लिए हो। छोटे एरिया के लिए भी पटवारी नियुक्त किया जा सकता है। हो सके तो एक गांव के लिए एक पटवारी हो। तीन पटवारी, जो वहां पर काम करते हैं उनके काम को एक पटवारी में छोटा हल्का बना कर बांट दिया जाए एरिया वाइज। एक ही पटवारी को एक ही एरिया की सारी जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए जिससे उस क्षेत्र के अन्दर काम ठीक ढंग से हो सके और किसानों को कोई तकलीफ न हो।

सभापति महोदय, आज उपनिवेशन विभाग में अलॉटमेंट के नाम पर क्या हो रहा है। उन लोगों को जमीनों का अलॉटमेंट किया जाता है जो कि वास्तव में किसान नहीं हैं। मैं यह बात अनुभव के आधार पर कह रहा

(श्री लूणाराम)

हूं। आज उन लोगों को खेती अलॉट कर रखी है जिनका पेशा खेती करना नहीं है। वे वास्तविक किसान नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार खातेदारी राइट्स जिनके हैं, जो बिस्वेदार हैं उन किसानों को जमीन एलॉट करेगी। आज ये किसान क्या कर रहे हैं। ठेका देते हैं या हिस्से पर उठा देते हैं। इस तरह से ठाकुर बन गए हैं। इसलिए इन नये ठाकुरों को पैदा होने से रोका जाए। वास्तव मे जिनका पेशा खेती करना नहीं है, जिनकी दस दस पीढ़ी तक भूमि रेकार्ड में नहीं है ऐसे लोगों को गंगानगर में जमीन एलॉट की गई है। इससे वास्तविक किसान भूमि से वंचित रह गए हैं। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे किसानों की कम से कम छानबीन की जानी चाहिए। एक अधिकारी को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए कि ऐसे किसान कौन कौन हैं जो अपनी भूमि को हिस्से पर उठाते है? इसको रोकना चाहिए और वास्तविक किसान को भूमि मिलनी चाहिए। इस काम में कई समस्याएं आ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि जो काश्त हो रही है वह बंद हो जाए जिससे उत्पादन में फर्क पड़े। परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उनको जो मियाद हैं वह आगे नहीं बढ़ाई जाए। इससे यह हो सकता है कि हमारे उत्पादन पर असर पड़ेगा। परन्तु एलॉटमेंट को हम नहीं रोके जो ऐलाॅटमेंट हो गया है उसकी छानबीन की जावे और अबतक ऐसे काश्तकारों की छानबीन पूरी न हो जावे तो सार्वजनिक संस्थाओं को, पंचायत समितियों को, सहकारी समितियों को उनकी भूमि एलॉट की जावे ताकि कम से कम यह तो हो सके कि जमीन बेकार न पड़ी रहे और इन किसानों को पूरा पता लगाया जावे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री लूणाराम: सभापति महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग के बारे में थोड़ा सा और निवेदन कर देना चाहता हूं। गंगानगर जिले में खासकर सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में कुछ धोरे हैं वे पूरते जा रहे हैं। इन धोरों को काटा जाए। ये धोरे कहीं कहीं तो ऐसी जमीन के अन्दर हैं जहां कि सिंचाई की जा सकती है, खेती के लिए वह जमीन योग्य है। इस जमीन को निकालना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ऐसे धोरे जो नहरों के बीच में आ गये हैं उन धोरों में वन विभाग द्वारा जंगलात लगाए जाएंगे और जो उपजाऊ जमीन है उसको खतम न किया जाए ताकि उससे पैदा मिल सके। यह योजना बनाई जायगी तो किसानों को, राज्य को लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल यादव।

श्री रामलाल (बाड़ी): सभापति महोदय, सिंचाई किसानों का एक अंग है। इस अंग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बिना किसान परेशान होंगे। जो हमारे यहां पर पार्वती डेम है, उस डेम की मरम्मत नहीं की जा रही है। इससे बहुतेरा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस डेम को जो कैनाल है वह कच्ची है उससे सीपेज इतना बढ़ गया है कि फसलें खराब हो रही हैं। फसलें नष्ट होने से किसानों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन नहरों को पक्का

(श्री रामलाल)

बनाया जाए। यह देखा जाना चाहिए और यह काम किया जाना चाहिए ताकि सीपेज न बढ़े और किसानों की फसलों की बढ़ोतरी हो, वर्ना भुखमरी फैलेगी।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है इसलिए वहां पर छोटे छोटे बांध बनवाए जाएं। जैसे मदनपुरा जो कि सरमथुरा तहसील में है वहां पर बांध बनवाए जाएं। वहां की जनता को पीने को पानी की तकलीफ है। इससे वहां की जनता को पीने का पानी मिल सकेगा। इसके आसपास ही चम्बल नदी है वहां पर आदमी पानी के लिए जाते हैं। इसलिए छोटे-छोटे बंधे बनवाए जाएं। पहाड़ी इलाका है जिससे जनता को पानी मिल सके वरना सारा पानी चम्बल नदी में बह कर चला जाता है। चम्बल नदी पर एक लिफ्ट योजना बनाई जावे ताकि उससे जनता को लाभ मिल सके और जिससे कृषकों के बीच जो भुखमरी है वह दूर हो सके।

दूसरी बात, पहाड़ी इलाका होने के कारण कुओं में पानी नहीं निकलता है। एक बोरिंग मशीन सरकार के द्वारा वहां भेजी जाय उस क्षेत्र में और एक पम्प वहां पर लगाया जाय ताकि कुओं से पानी निकल सके। सरकार वहां पर बिजली लगाये ताकि किसानों के लिए बिजली से सुविधा मिल सके। वहां पर बिजली मध्य भारत से भेजी गयी है, तो मध्यभारत वाले अपना कोटा पूरा कर लेते हैं और किसानों की मोटरें फुंक जाती हैं पॉवर कम आने से, इसलिए सरकार को इसको देखना चाहिए।

दूसरी बात, रामसागर बान्ध है बाड़ी में। उस बन्धे की मरम्मत के लिए पैसा मन्जूर किया जाय। जनता के लिए सिचाई बढ़ायें। पहले सिचाई बढ़ाई तो उसमें पानी पूरा नहीं है। टेल पर पानी पहुंच सके ऐसा करें। नहरों के टूटने से किसानों को बहुत कठिनाई पड़ती है। कर्मचारियों से कहते हैं कि नहरें टूटी पड़ी हैं तो वे कहते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है। थोड़ी बहुत मिट्टी डालते हैं और फरजी मस्टररोल बनाकर पैसे को पूराकर देते हैं। वह नहरें पक्की बनाई जायं। रामसागर को दो फुट और ऊंचा बनाया जाय। टेल वाले काश्तकारों की काश्त सूख रही है। नीचे वाली में सीपेज हो जाता है। ऐसी सूरत में उसको ऊंचा किया जाय तो सदा के लिए ठीक हो जाय।

दूसरी बात, खानपुरा में 6 लाख की फसलें किसानों की बरबाद हो गई, तालाब में पानी कम होने से तो खानपुरा के तालाब को डेढ़ फुट और बढ़ाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

थोड़ा सा....

श्री सभापति: जल्दी समाप्त करें। आपको यह सोचकर कि संक्षेप में कहेंगे मौका दिया गया था।

श्री रामलाल: मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं सरकार। अगर आपकी नाराजगी हो तो बैठ जाऊं।

ऐसी सूरत में कर्मचारी लोग किसानों को पानी नहीं देते हैं और मछली वालों को पानी देते हैं। किसानों की यह गुजारिश है कि किसानों से पैसा आयेगा वह सरकार

(श्री रामलाल)

में जायेगा और मच्छी वालों को देते हैं तो उसका पैसा कर्मचारियों के पास जायेगा। कर्मचारियों की बार-बार शिकायतें आई हैं तो सरकार गौर करे। ऐसे कर्मचारियों के कितने मस्टररोल हैं वह मैं सदन में बताने को तैयार हूं। 10 हजार के मस्टर-रॉल कर्मचारियों ने फर्जी बनाये।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर इतना ही कहकर अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मुन्शीलाल।

श्री मुन्शीलाल महावर (दस्सी) : माननीय सभापति, अनुदान की मांग पर विचार करते हुए सभी सदस्यों के सभी तरह के विचार आये हैं। मैं इस वक्त प्रशासन की बुराई और अच्छाई में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह जरूर कहूंगा कि राजस्थान में गंगनहर, राजस्थान नहर परियोजना, चम्बल परियोजना आदि बड़ी बड़ी योजनाओं का कार्य हुआ है, और इन 25 सालों की सिंचाई की प्रगति से मालूम हो सकता है कि प्रशासन की कुशलता है या अकुशलता है, या भ्रष्टाचारी है, या ईमानदार है। लेकिन मैं कोई बात प्रेजुडिस होकर नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की जनता का आर्थिक विकास सिंचाई के जरिये हो सकता है। सिंचाई की योजना हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी कड़ी है जिसके जरिये खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ सकता है, और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था उस पर निर्भर करती है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां हम राजस्थान की भूमि को कई जोनों में बांटते हैं, चाहे वह डेजर्ट एरिया हो, चाहे वह सेमी-डेजर्ट एरिया हो, चाहे वह फरटाइल एरिया हो, चाहे सेमी-फरटाइल हो। राजस्थान के पूर्वी भाग में पहाड़ी और मैदानी जमीन है तो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है। बड़ी योजनाएं, जैसे कि राजस्थान नहर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और उसके लिए केन्द्रीय सरकार को सारा खर्चा वहन करना चाहिए। राजस्थान प्रदेश की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से जो व्यय होता है वह सारा खर्चा उन योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। राजस्थान में जहां रेगिस्तान हैं, वहां पर लोगों के पास में बड़ी बड़ी जमीनें हैं, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं है इसलिए हमेशा अकाल पड़ता है। अकाल की वजह से आज राजस्थान की जनता परेशान है यह सारे सदन को मालूम है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज जो छोटे नदी-नालों की सर्वे रिपोर्ट है उनके अनुसार अकाल राहत-कार्यों में काम चालू नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग का सर्वे का जो भी विभाग है उसको तेजी से काम करने के लिए पाबन्द किया जाय ताकि जो जिला समन्वय समिति के प्रस्ताव आते हैं उनका सर्वे जल्दी होकर एस्टीमेट बन सकें ताकि अकाल राहत में जल्दी से जल्दी काम हो ताकि लोगों को रोजगार मिले और उससे उत्पादन कार्य भी बढ़े।

इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स में ज्यादे

(श्री चुन्नीलाल महावर)

से ज्यादा तादाद में लागू करना चाहिए, क्योंकि माइनर इरिगेशन स्कीम्स से हमारे यहां उत्पादन ज्यादा बढ़ सकता है। जहां फरटाइल और सेमी फरटाइल भूमि है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले में राजस्थान की राजधानी जयपुर से 9 मील की दूरी पर ढूंढ नदी है।

(6-27 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस पर कालोता प्रोजेक्ट का सर्वे हो चुका है, और माननीय मंत्री महोदय से बारबार निवेदन किया है, और चीफ इन्जीनियर साहब से भी बारबार निवेदन किया है कि कालोता प्रोजेक्ट से हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है और हजारों काश्तकारों का भला हो सकता है और जयपुर शहर की पेय जल की समस्या को भी हल करना चाहें तो एक महीने में पाइप लाइन डाली जा सकती है। जमुआ-रामगढ़ का बन्धा सिंचाई के लिए बनाया गया था। उससे जमुआ-रामगढ़, बस्सी और दौसा तहसीलों में सिंचाई हुआ करती थी और लाखों मन चना और अनाज पैदा हुआ करता था। उससे सिंचाई न होने की वजह से तीन तहसीलों में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कालोता प्रोजेक्ट, जिसका सर्वे हो चुका है और बारबार अनुरोध करने पर भी इस वर्ष के बजट में नहीं लिया गया है, जब कि पिछले बजट के समय यह आश्वासन दिया गया था कि अगले बजट में ले लेंगे, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्रीजी वृद्ध हैं और हम यह समझते हैं कि बड़ी चतुराई से वह जवाब देने वाले हैं और हमको टाल देते हैं; लेकिन मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की जनता और काश्तकार बड़े जागरूक है। वह आपके बंगले पर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह तो हम उन्हें समझा कर रखते हैं कि कांग्रेस सरकार के सामने प्रदर्शन न करें वर्ना वे धरना धर सकते हैं। राजस्थान के काश्तकार परेशान हैं और राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हैं, मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत आते हैं ऐसी योजनाओं को तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा में चान्दराणा का बन्धा है, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाना चाहिए, और एक राधोबास का बन्धा है तो उस राधोबास के बन्धे पर लाखों रुपया खर्च हुआ, लेकिन आज उसका कितना उपयोग हो रहा है। एक तरफ तो उस बन्धे के टूटने से पानी निकल रहा है और काश्तकारों को उससे फायदा नहीं होता है। सिंचाई विभाग इस तरफ ध्यान दें, और जो पानी उस बन्धे में आता है उसका सदुपयोग करें ताकि पूरा काश्तकारों को फायदा हो।

इस तरह से हमारे जिले में जो छोटे मोटे नदी नाले बहते हैं उनका सर्वे किया जाकर उत्पादन कार्यों में उनको योजनाओं को लगाया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहूंगा कि डेमोक्रेसी के युग में, आज के प्रजातान्त्रिक युग में यह होना चाहिए कि स्टेट लेवल पर कुछ एम. एल. एज. की या विधायकों की परामर्शदात्री

(श्री मुन्शीलाल महावर)

समिति होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए और जितने भी लेवल हैं उन पर परामर्शदात्री समिति होना चाहिए ताकि जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं का पता चले कि वहां की जनता क्या चाहती है और कौन से बान्ध बनाना चाहिये।

मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि आप अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करें। जिनसे आपका पैसा बढ़ता है, उनको आप प्राथमिकता के आधार पर करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीसलपुर बांध, बनास नदी को रोककर बनाया जाना चाहिए था। वह अगर बंधवाते हैं तो जयपुर, अजमेर की जो पानी की समस्या है, वह हल हो जाती है। इससे ज्यादा सिंचाई हो सकती है। हजारों मन उत्पादन बढ़ सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपके सिंचाई विभाग की जो भी आलोचना हुई है, उस बारे में मैं कह सकता हूं कि कुछ आदमी प्रेज्युडिस होकर विभाग में जाकर झगड़ा कर लेते हैं फिर यहां पर आकर कहते हैं। इस प्रकार से हमें शासन के अन्दर दखल नहीं करना चाहिए। कोई शिकायत है तो मन्त्री महोदय को कह सकते हैं। जो अधिकारी हमारे इलाके में काम करे वह अगर बेईमान है और यदि कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके लिए एन्टीकरप्शन विभाग है। इस प्रकार से किसी अधिकारी के बारे में व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से पहले सूचना देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में एक नई का नाला बहता है। उसके तीनों तरफ पहाड़ हैं। उसमें बन्ध बना दिया जाय तो सिंचाई का काम हो सकता है। उसमें नारंगी के बगीचे भी लगाए जा सकते हैं उत्पादन भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नई की नदी को लेकर कारगर प्रोजेक्ट तैयार किया जाये। इसके लिए जयपुर का पूर्णरूप से सर्वे होना चाहिए। छोटी छोटी सिंचाई के माध्यम सिंचाई करने के लिए माईनर इरिगेशन स्कीम तैयार होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लागू होनी चाहिए। अगर सिंचाई के साधन बढ़ते हैं तो काश्तकार पनपेगा। काश्तकार पनपता है तो राजस्थान की तरक्की होगी। यदि काश्तकार नहीं पनपा तो राजस्थान की तरक्की नहीं होगी। आज कृषि पर 75% जनसंख्या का दबाव है। हमें ऐसे साधन अपनाने चाहिए जिससे कि हम इस समस्या का हल कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इस प्रकार का बजट होना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके। हमारे यहां के काश्तकारों को सिंचाई के साधन हो सकें। खाद्य का उत्पादन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सिंचाई मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री बनवारी लाल (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बहुत जरूरी है?

श्री बनवारीलाल : कुछ शब्द निवेदन करना है।

(श्री बनवारीलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोंक जिले की निवाई तहसील से आया हूं। वह क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित रहा है।

एक माननीय सदस्य : वहां के तो होम मिनिस्टर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल : निवाई तहसील में मासी बांध हैं। अभी दो साल पहले अतिवृष्टि हो गई जिससे उसमें क्षति हो गई। काफी नुकसान हुआ। अब दुबारा मरम्मत कराने के लिए एक रोज माननीय मन्त्री महोदय ने बताया। उसकी मरम्मत होना बाकी है। मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध को निवाई तहसील में बनाया गया और जब यह बांध टूटा तो निवाई के गांवों को ही ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बावजूद उससे निवाई तहसील में सिचाई नहीं हुई। तो क्या कोई ऐसी योजना नहीं हो सकती है कि निवाई तहसील की सिंचाई हो सके। वहां की जमीन की सिचाई हो सके। दूसरा निवेदन यह है कि अगर यह किसी तरीके से सम्भव न हो तो मैंने एक दूसरा सुझाव दिया था, माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन किया था। एक पट्टी चानना गांव से लेकर लडवानी गांव के पास जो नाला बहता है, यदि वह बांध दिया जावे तो 30,35 गांवों की सिंचाई हो सकती है। इतना सिचाई का पानी हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवाई तहसील रेतीला इलाका है। पानी हो जाये तो निश्चितरूप से उपजाऊ हो जायेगा। तो मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय फरमायेंगे तो यह योजना बनाने की कृपा करेंगे। अभी एक माननीय सदस्य ने बीसलपुर योजना के बारे में कहा है। राजमहल के पास में दो पहाड़ों के बीच से बनास नदी निकलती है। 20 साल से यह चर्चा चल रही है कि यहां पर बांध बनाया जा रहा है। कई बार यह हुआ है। एक बार तो यह सुना कि प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। काम चालू होने वाला है। लेकिन पता नहीं हमारी क्या बदकिस्मती है क्योंकि टोंक जिले की सिंचाई का वह बहुत बड़ा साधन है। वैसे तहसील में दो छोटे छोटे बांध हैं। लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं। हमें जो जानकारी होती है, उससे एक बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि इसमें रेता बहकर आता है। तो क्या उसके लिए कोई सोल्युशन नहीं निकाल सकते हैं। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए। इससे अजमेर और जयपुर को पानी दिया जा सकता है। हमारे टोंक जिले को मैं अनउपजाऊ क्षेत्र मानता हूं। वहां के लोगों को इससे राहत मिल सकेगी। इसी सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना था। मुमकिन हो सके और कोई खास बाधा नहीं हो तो माननीय मन्त्री जी इस पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई विभाग की मांग पर करीब सौ कट मोशन्स आये हैं और तीस से ज्यादा माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

राजस्थान में 6 करोड़ 62 लाख बीघा जमीन ऐसी है जिसमें खेती हो सकती है,

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उसमें से 3 करोड़ 75 लाख बीघा में खेती होती है। इसमें से 30 लाख बीघा में इस वक्त सिचाई हो रही है। जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी उस वक्त सारे राजस्थान में 10 लाख एकड़ जमीन में सिचाई होती थी और आज 30 लाख एकड़ में सिचाई हो रही है। तो बीस साल में 20 लाख एकड़ में पानी की सुविधा प्राप्त कराई गई है तो यह भी अपने आपमें एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, लेकिन जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये कि हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं और खास करके राजस्थान केनाल, उसमें जिस प्रगति से बढ़ना चाहिए था वह हम प्रगति नहीं कर पाये। यह बात ठीक है, जब सन् 1958 में इस प्राजेक्ट को शुरू किया गया, उस वक्त यह शिड्यूल था कि 1968-69 सन् में पहुंच कर पहली स्टेज, जो है उसको हम पूरा कर देंगे और करीब 10 लाख या 16 लाख एकड़ के आस पास जमीन सिंचाई में आ जायगी। लेकिन आप सबको मालूम है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हमको प्लान होली डे करना पड़ा क्योंकि वित्तीय साधन ऐसे नहीं रहे कि हम उसमें बढ़ पाते और साधन नहीं होने के कारण जितनी प्रगति इस नहर में होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। जैसे आज कई साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये, यानि आज का जो वातावरण मैंने देखा, चाहे कोई अपोजीशन का बोला हो, चाहे कोई हमारी पार्टी का बोला हो, सबने एकमत से यह इच्छा जरूर व्यक्त की है कि राजस्थान केनाल की एक देश-व्यापी महत्ता है और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। लेकिन यह भाव मुझे ऐसा लगता है कि पांच सात साल पहले कुछ हमारे मेम्बरान में नहीं रहे और उन्होंने ऐसा चाहा, ऐसा मुझे लगता है कि राजस्थान केनाल में पैसा लगा कर दूसरे राजस्थान के हिस्से हैं उनको स्टार्व किया जा रहा है-ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी भावना के कारण, मैं ऐसा सोचता हूं, मेम्बर्स की भावना के कारण 1967-68 में तो तीन करोड़ से नीचे इसका खर्चा बैठ गया जिसमें इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा काम है, उसमें मेरे ख्याल से तीन करोड़ खर्च कर देना मेन्टेनेन्स के लिए काफी नहीं था, काम होने का तो सवाल ही नहीं रहा। तो पिछले चार पांच साल के आंकड़े देखने को मिलेंगे, कभी पांच करोड़, कभी सात करोड़-इससे ज्यादा इसमें पैसा नहीं दिया गया। इसलिए इसमें जो प्रगति कर सकते थे वह रुक गई लेकिन खुशकिस्मती से पिछली साल भी हमको कोई साढ़े नौ करोड़ के आस पास मिले, वह सारे खर्च हुए। इस साल भी साढे सात करोड़ भारत सरकार की असिस्टेन्स के मिले वह भी खर्च किये गये। तो वापिस हम उसी प्रगति की राह में आ गये हैं। खुश किस्मती से सारे भारतवर्ष के एम. पी. और सेन्टर के प्लानिंग मिनिस्टर भी सोचते हैं कि इस नहर को इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए और जैसा अभी हमारे रामनारायण जी ने कहा जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी हैं आल इंडिया के, उनकी दिल्ली में मीटिंग बुला कर की गई। उसमें धर साहब ने विचार व्यक्त किया, इसमें बीस करोड़ पच्चीस करोड़ खर्च होगा तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए देंगे। लेकिन हम चाहते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले २ इसे खत्म किया जाय। हम भी इस तैयारी में है, अगर इस तरह

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

प्रावधान किया गया, हमें पूरा पैसा मिला तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले पहले हम इस योजना को खत्म कर दें....

श्री फूलचन्द्र जैन: 'अगर' मत लगाइये अब कहिये, इतना रुपया लगेगा और पूरा करेंगे। जब सदन की भावना सामने आ गई है, आपने कह दिया है तो फिर दिक्कत क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब अगर का सवाल नहीं है। अब पुख्ता चीज बन गई है। सारे सदन की आज भावना है, मैंने जैसा पहले जिक्र किया, पांच छः साल पहले वह नहीं थी, इसलिए दिक्कत आयी....

श्री गुमानमल लोढा: भूत को छोडिये, वर्तमान की बात कीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वर्तमान की बात कर रहा हूं। आपके रुख से मैं प्रसन्न हुआ। आपने सब डिफरेंसेज को भुला कर यह चाहा है इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करें। मैं विश्वास दिला सकता हूं, आप लोगों का इसी प्रकार का सहयोग रहा और भारत सरकार हमारे ऊपर प्रसन्न रही तो हम पांचवीं योजना से पहले खत्म करेंगे, पीछे नहीं करेंगे।

अब इसमें एक अभी मौजूद नहीं हैं, जैसलमेर से आने वाले साथी भोपाल सिंह ने कहा, ऐसा न हो, या पानी पहले पहले बांट दिया जाय और उधर तक पहुंचे नहीं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आपका यह सन्देह निर्मूल है क्योंकि इसमें जो पानी की इंटेन्सिटी रखी गई है, इर्रीगेशन की इंटेन्सिटी रखी गई है वह 110 पर्सेंट है। अगर भाखरा नहर, गंग नहर की 60 पर्सेंट इंटेन्सिटी से इलाके को इतना उन्नत कर सकते हैं तो इसको 90 पर्सेंट कर देंगे तो उससे ड्योढ़ी होगी। कोई फर्क पडने वाला नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं, नोखा तहसील, नागौर के जिस इलाके में समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, अच्छी भूमि है उनको लिफ्ट से पानी दें....

श्री मोहर सिंह : चूरू को न भूलें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : चूरू तो है ही।

श्री मीठा लाल : केन्द्रीय सरकार के प्रसन्न होने की सम्भावना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिल्कुल।

इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं, फलौदी के एरिया में जो पहले स्कीम थी, उस एरिया में लिफ्ट इर्रीगेशन से पानी दें। इसके अलावा यह भी चाहते हैं, लिफ्ट इर्रीगेशन से बाडमेर में जितना पानी दे सकते हैं वह दें। उसकी इंटेन्सिटी दस पर्सेंट कम करने से हमको दूसरे इलाके में पानी लगाने को मिलता है तो वहां के काश्तकारों की हालत सुधारना चाहेंगे। यह बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस में यह आसानी से किया जा सकता है। इस लिए जो भ्रम उनको हो रहा है — ऐसी बात नहीं है। दस पर्सेंट, बीस पर्सेंट इंटेन्सिटी कम करेंगे तो 31 लाख एकड़ सिंचाई में आने वाली है वह 40 लाख, 45 लाख एकड़ हो सकती है। इन्टेन्सिटी कम करने से जहां सिंचाई हो सकती है उसकी हम सर्वे कर रहे हैं। हम रेगिस्तानी इलाके के दुर्भिक्ष को दूर कर सकें— उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले इस केनाल को ठेठ कांडला तक ले जाने की योजना थी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कांडला तक ले जाने की योजना थी, मैंने लेकिन पहले जैसा निवेदन किया, रामगढ़ तक ले जाने में वह समझते हैं कि पानी खत्म हो जायगा तो कांडला तक ले जाने की स्कीम नहीं है। पहले यह था नेवीगेशन स्कीम बनायें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता था इसलिए ड्राप कर दिया....

श्री रघुनाथ विश्नोई: नौचालन हटा दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह हटा हुआ है पहले ही।

श्री केदारनाथ : रघुनाथ जी के इलाके में पहुंच जायगी।

श्री मीठालाल : यदि केन्द्रीय सरकार प्रसन्न रही तो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके अलावा जैसा मैंने अभी निवेदन किया, यहां पर 30 लाख एकड अपने पास नहर से सिंचाई का है, अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्कीम पूरी करते हैं तो राजस्थान की सिंचाई जो नदी घाटी योजनाओं से है वह 30 लाख से 60 लाख एकड पर पहुंच जायगी। यह अचीवमेंट बड़ा होगा हमारे सामने। हम यह जानते हैं कि बड़ी बड़ी योजना हैं उनको बनाने में दस पंद्रह साल लगते हैं, बीस साल लगते हैं, जैसे जैसे उनका फायदा हो, वह बाद में आना शुरू होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें, इसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है।

एक बात जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और भी कई भाइयों ने कही है और रामनारायण जी ने भी जिक्र किया था कि हमारे यहां गंगा फ्लड्स का पानी लाने की स्कीम थी, ऐसा लगता है, वह स्कीम ड्राप हो गई है। वह स्कीम ड्राप नहीं हुई है, उसमें एक कारण अपना है कि राजस्थान में तो कोई भी बांध नहीं है, यानि एक चम्बल नदी अपने राजस्थान में बहती है जिसे पेरेनियल कह सकते हैं किसी हद तक उसका बांध भी मध्य प्रदेश में है, जो गांधी सागर है, और दो सो मील तक बोर्डर में लाने में दूसरे इलाकों में चलना पड़ता है। तो राजस्थान में ऐसी कोई पानी की योजना नहीं जिसको आसानी से जान सकें इसलिए हमें भी बहुत सी दिक्कतें सामने आती हैं लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि कावेरी का पानी वे ले जायेंगे तो गंग कैनाल का सारा पानी ले जायेंगे। हमने उनसे कहा कि जैसे भरतपुर से आगरा मथुरा के इलाके से जो पानी फ्लड्स का जमुना के जरिए गंगा में जाता है उसके अलीगढ़ के पास, बराज लगाकर, हरियाणा और राजस्थान को लिफ्ट इर्रीगेशन की सुविधा दी जाए और इस बात को वे मान चुके हैं कि अब जितनी भी गंग कन्ट्रोल फ्लड्स की मीटिंग्स होती है, उसमें वे हमेशा अपनी सरकार को इन्वाइट करते हैं, और वे हमारा हक नहीं मानते हैं तब तो बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें वे हिस्सेदार नहीं मानते। हमारा पूरा हक है लेकिन लिफ्ट इर्रीगेशन में कितना खर्चा होगा उसका सर्वे करवा रहे हैं, कई जगह करवा चुके हैं, नक्शे बनवा रहे हैं और पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। जब कभी हरियाणा को पानी मिलेगा तो हमें भी मिलेगा।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

झुंझुंनू का जिक्र किया गया। अब उन्होंने लिफ्ट स्कीम्स बनाई हैं। 3-4 बाकी स्कीम्स हैं तो बनकर पानी लगना शुरू हो गया उनके इलाके में। उसके लिए भी हरियाणा ने फैसला किया है कि जितनी पानी की स्कीम्स बन चुकी, धीरे धीरे हमारी जमीन पर उस पानी से इरिगेशन होता जाएगा। एक बड़ी स्कीम है जवाहर के नाम से वह बाकी है, उसमें हमने शुरू से कहा है कि हमारा हिस्सा उसमें होना चाहिए और 300 क्यूसेक्स पानी अपने को देना तय किया है, जिस झुझुंनू इलाके में करीब डेढ लाख एकड़ जमीन इरिगेशन में आएगी, वह हम जल्दी शुरू करने वाले हैं....

श्री केदार नाथ : झुंझुंनू में शावर्स आ जायेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह जल्दी आ जाएगी क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा तीन साल लग सकते हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : गंगा का पानी कितने जिलों में जाएगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : झुंझुंनू सीकर और कुछ हिस्से चूरू और नागौर के।

श्री गुमानमल लोढा : जोधपुर, बाड़मेर भी हैं।

एक माननीय सदस्य : बीकानेर ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बीकानेर में राजस्थान लिफ्ट इरिगेशन से आ रहा है, उधर नोखा की तरफ दूसरी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, उसका सर्वे करा रहे हैं। बीकानेर में चारों तरफ पानी हो जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : डेढ़ लाख एकड़ बता रहे हैं आप कि गंगा का पानी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह दूसरी है। जवाहर लिफ्ट स्कीम है हरियाणा की, इसको वे शुरू कर रहे हैं जिसका 300 क्यूसेक्स पानी वे हमें देंगे।

श्री रामनरायण चौधरी : लोहारू से ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं।

श्री दिनेशराय डांगी : गंगा का पानी आएगा तो आपका नाम भागीरथ हो जाएगा।

श्री केदार नाथ : यु० एन० ओ० की टीम आ रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस तरह से राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का भविष्य अब उज्ज्वल नजर आता है।

दूसरी बात, चंबल के बारे में कई कटौती प्रस्ताव आए हैं। चंबल में वैसे काम खत्म हो चुका लेकिन जैसे सीपेज की समस्या हो गई। एक तो कुछ जमीन वहां ऐसी है कि उसमें से पानी रिसता रहता है। मैं गया था सारे चंबल एरिया को देखा। बड़ा कारण मैंने पाया कि वहां का किसान, वर्षा ज्यादा होती है तो उस इलाके में रात को पानी नहीं लगाते हैं, जो पेरिनियल कैनाल है वह तो चलेगी ही लेकिन जैसे ही शाम हुई जहां पर पानी चल रहा है, उसको छोड़कर घर आ जाता है। अब नहर बन्द नहीं होगी रात भर पानी चलकर उसके खेत

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

में पड़ता है, पास पास में खड्डे पड़ जाते हैं। तो सारे रास्ते नष्ट, खेत नष्ट और सीपेज होकर नीचे जमीन में आ गया और जमीन को बेकार कर दिया। उसमें कुछ पैदावार नहीं हो सकती तो उसमें किसान का भी कुसूर है क्योंकि पानी को छोड़कर किसान घर आ जाए, मेरी समझ में नहीं आता। रेगिस्तान में जो आदमी रहता है, उसको मालूम है पानी की कद्र है। यहां पर वर्षा ज्यादा होती है इसलिए यह होता है। यह मध्यप्रदेश में भी होता है इसलिए सभी जगह वाटर लॉगिंग और सीपेज की समस्या हो गई। पिछले साल वाटर लॉगिंग की समस्या हमारे सामने आई थी उसको दूर करने के लिए 10 करोड़ रुपये की स्कीम थी। मैंने कहा, जो अपनी आर्थिक स्थिति है, उसमें 10 करोड़ हम कहां से लायें, बड़ी समस्या थी। मैंने कहा भारत सरकार को मूव कर रखा है। लेकिन अभी प्रोफेसर केदार जैसे कह रहे थे यु० एस० एस० की इमदाद शायद न मिले। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक की टीम पहले आई और उसको हिन्दुस्तान में 12 प्रोजेक्ट्स को देखना था और देखकर तीन को वर्ल्ड बैंक की मदद करनी थी, उन तीन में उन्होंने राजस्थान केनाल को पसन्द किया क्योंकि वहां का टेरेन जब देखा तो वे समझते हैं कि डिफीकल्ट टेरेन हैं, सैंडी एरिया हैं, धूल से भरी हुई, बड़ी लेवलिंग की जरूरत है। फिर वाटरलॉगिंग और सीपेज चंबल का देखा। दोनों को ही उन्होंने विश्व बैंक से मदद देनी चाही और उसी के एवज में विश्व बैंक की टीम आ गई। कोटा गई, उसके बाद बीकानेर राजस्थान केनाल पर गई। इसलिए हम 99 प्रतिशत स्योर हैं कि हमें पूरी मदद मिलेगी, 100 करोड़ के आसपास। पहले 5 साल राजस्थान केनाल पर मिलेगी जिससे वहां अब डवलपमेंट होगा, मंडियां बनेंगी, सड़कें निकलेंगी और जितने भी विकास के काम होंगे, उनके जरिए होंगे। सारी जमीन की लेवलिंग करानी होगी, उसके बाद ही लेंगे और इसी तरह से जिसका भविष्य गत वर्ष अन्धकारमय नजर आता था उससे काफी भविष्य अच्छा है। 127 करोड़ की स्कीम्स हैं जिनमें 28,91,00,000) इसमें इर्रीगेशन पर खर्च होंगे जिनमें से 11,53,00,000) नहरों को पक्का बनाने में, 13:65 करोड़ ड्रेनेज वर्क्स में और 3:61 करोड़ नहरों को रिमोडिल करने पर, इस तरह से 28:91 करोड़ अपने को विश्व बैंक की सहायता से मिलेंगे। इस समय इस पर चंबल केनाल में कठिनाइयां नजर आती हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे।

श्री केदारनाथ : इसको एश्योर्ड फाइनेन्सेज मत मानिए। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसलिए मैंने 99 प्रतिशत कहा। एक प्रतिशत छोड़ा है लेकिन पूरी आशा है। कई माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट क्यों नहीं ट्रीट किया जाता।

श्री केदारनाथ : इसके लिए पांचवीं योजना में केन्द्रीय सरकार ने 20 नेशनल इम्पार्टेन्स के मेजर प्रोजेक्ट्स खोलने की बात की थी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम भी चाहते थे कि इसको अगर नेशनल प्रोजेक्ट मान

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

लिया जाए तो राजस्थान को बहुत बड़ी मदद होती हैं, क्योंकि हम फिर प्लान्स का पैसा दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरी भी शर्तें हैं। अगर राजस्थान केनाल सेन्टर को देते हैं और नेशनल प्रोजेक्ट बनता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आगे आगे 90 प्रतिशत जमीन सरकार की है तो राज्य सरकार भारत सरकार को स्कीम देती है तो फिर उस जमीन पर वे किसी को भी बतावें उनका हक है, राज्य सरकार का ही हक नहीं रहेगा कि यहां के भूमिहीनों को वह जमीन दें।

इसलिए इस स्कीम को हम नेशनल प्रोजेक्ट में देने को तैयार नहीं हैं। अगर हम उसको नेशनल प्रोजेक्ट में दे देते हैं तो फिर हम उस जमीन पर हमारे जो लैंड लैस हैं उनको नहीं बसा सकेंगे। हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार इस भूमि पर दूसरे प्रान्तों के लोगों को लाकर बसा सकती है। यह सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने इससे आ सकती है। अब चूंकि यह प्रोजेक्ट इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बन जायेगा। इसका कारण यह है कि हमें चारों तरफ से एश्योरेन्सेज मिल रहे हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने भी हमें एश्योरेन्स दिया है कि इससे जितना पैसा चाहिएगा हम देंगे आप इसे जल्दी से जल्दी तैयार करें। चूंकि यह काफी तो तैयार हो गया है अब इस स्टेज पर इसे नेशनल प्रोजेक्ट बनाना हमारे लिए हितकर नहीं है।

श्री केदारनाथ : अभी आपने यह बताया कि नेशनल प्रोजेक्ट बनायेंगे तो भारत सरकार दूसरे प्रान्तों के लोगों को लाकर बसा देगी तो भारत सरकार ने हमारे राजस्थान के कितने लैण्डलैस को दूसरे एरिया में बसाया है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नेशनल प्रोजेक्टस में यह बात भारत सरकार के हाथ में होती है वह चाहे तो दूसरे प्रांत के लोगों को लैण्ड अलोट कर सकते हैं चाहे पंजाब के हों, चाहे मैसूर के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों। वहां के लोगों को लैंड अलोट कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि हमारे यहां इस राजस्थान केनाल की जो जमीन है वह 90 परसेन्ट हमारी है और उसमें हमने हमारे यहां के इलाके के काफी लोगों को लैंड अलोट की जा चुकी है और की भी जायेगी। इसलिए सोशियल ओबजेक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री केदारनाथ: यह तो सोशियल ओबजेक्ट राजस्थान के उल्टा पड़ेगा नेशनल प्रोजेक्ट बनाने में।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो है क्योंकि वे कहेंगे हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है इसलिए हम जिसको चाहेंगे बसायेंगे। हमारे इस प्रकार जो बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार हुए है उसमें पहला गंग केनाल तैयार हो गया है, भाखरा केनाल भी तैयार हो गई है और तीसरा चम्बल प्रोजेक्ट भी पूरा तैयार हो चुका है जिससे कि खेती हो रही है। यह चौथा प्रोजेक्ट है जिसे हम तैयार कर रहे है जो जल्दी ही पूरा कर दिया जायेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा केन्द्रीय सरकार भी इसके लिए धनराशि देने को तैयार है और जो अभी वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी उसने भी हमें एश्योरेन्स दिया है कि इसको तैयार

Page No 168

(168)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

करने में हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इसके अलावा जो योजना हमारे यहां है वह माही डेम की माही बजाजसागर डेम, जिससे कि करीब एक लाख 15 हजार एकड़ जमीन सिंचाई होगी।

कडाणा बांध से फिलहाल हमें कोई सिंचाई का पानी नहीं मिलने वाला है। कड़ाणा का पानी पहले गुजरात को मिलेगा। हमें नरबदा के पानी से काफी फायदा होगा अगर वह तय हो जाता है तो हमें करीब 5 मिलियन पानी मिल सकता है। यह चारों प्रांतों के लिये है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान चारों को पानी दिया जायेगा। इसके लिए एग्रीमेंट तो हो चुका है। पहले तो इसमें 25 की ही व्यवस्था थी पर अब वहां 5 मिलियन के लिये तय हो गया है। इस कड़ाणा के बांध से हमारी अभी तो नहीं लेकिन बाद में, करीब 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसका पानी आगे गुजरात में नौगांव से निकलने के बाद हमें कड़ाणा के बांध से पानी मिलने की गुन्जायश हो जायगी। जो कि हमारे जालोर, बाड़मेर जिले को टच करेगा। इसमें ऐसा है कि नवगांव नहर बन जाने के बाद कड़ाणा का पानी जो कि अब राजस्थान को नहीं मिलने वाला है वह बाद में जब जालोर बाड़मेर के इलाके की करीब सात लाख एकड़ राजस्थान की इससे सिंचाई में आ जायेगी। इस प्रकार कुल 14–15 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई हो जायेगी। अभी नर्बदा विवाद पर राजस्थान को प्रधान मन्त्री के फैसले की प्रतीक्षा है। हमारा बाड़मेर, जालोर का इलाका इससे सरसब्ज हो जायेगा और हर साल पशु इस इलाके के दूसरी जगह जाते हैं और कुछ आते वक्त और कुछ जाते वक्त बीच में जो पशु मर जाते हैं और सिर्फ वन फोर्थ वापिस लौटते हैं वह बन्द हो जायेंगे। नर्बदा से पानी की हाइट करीब 300 फीट से उपर से पानी निकलेगा जिससे उसको करीब 80-85 लाख एकड़ जमीन गुजरात की सिंचित होगी। लेकिन वह पानी आगे गुजरात के बोर्डर से निकल कर हमें हमारे राजस्थान के कुछ जिलों में मिलेगा। वहां से हम जो यह गुजरात का कडाणा बांध का पानी आता है उसे ले लेंगे जो कि हमारे, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि जालोर, बाड़मेर क्षेत्र के पास होगा। इस प्रकार हम 14–15 लाख एकड़ जमीन की सिचाई कर सकेंगे। इस कडाणा का जो कि नर्बदा के पानी से लिंक होकर…

श्री केदारनाथ : इसके लिए भारत सरकार से बातचीत हो गई आपकी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नर्बदा का पानी हमें मिलने की उम्मीद है। इधर राजस्थान केनाल के पूरी हो जाने से आपके यह जैसलमेर का इलाका, जो कि रामगढ़ तक है, इससे सरसब्ज हो जायेगा। इस प्रकार जैसा कि मैंने निवेदन किया कि करीब 14–15 लाख एकड़ जमीन से सिचाई हो जायेगी। अब हमें सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है और मैं समझता हूं कि बाद में राजस्थान देश का एक ग्रेनरी हो जायेगा। हम देश के अन्न के भण्डार हो जायेंगे।

श्री केदारनाथ : इसका मतलब आप एक्सपोर्ट करने लग जायेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम इस पोजीशन में आ गये थे लेकिन इस साल कैतसाला

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

की वजह से और दूसरे हमने जो बंगला देश के आठ दस करोड़ लोग, उनको ग्रेन एक्सपोर्ट किया था इसलिये हमारे यहां कमी आ गयी। और अगर हम नहीं देते तो उन्हें यू० एस० ए० और चीन दे देता। इसलिये हमने बंगला देश की जो जनता है उनकी मदद की। इसके अलावा हमारा एक मामला जो है वह है कडाणा बांध का। उसमें ऐसा है कि कडाणा बांध की ऊंचाई के बारे में झगड़ा है। हम कडाणा बांध की ऊंचाई 410 फीट चाहते और गुजरात वाले उसकी ऊंचाई 419 फीट की रखना चाहते हैं। हम अगर 419 फीट की ऊंचाई रखते हैं तो हमारे इलाके की करीब 6 हजार एकड़ जमीन उसकी डूब में आ जावेगी। मगर अन्त में तो यह नहर आ जाने पर अपने को भी फायदा होगा। अब यह भारत सरकार के पास है वह क्या फैसला करती है उस पर निर्भर करता है। हमने एक एग्रीमेंट सन् 65-66 में गुजरात सरकार से कर लिया था कि वे 419 फीट की ऊंचाई रख सकते हैं। लेकिन बाद में हमने इसके लिए मना कर दिया। हम यह चाहते हैं कि यह 410 फीट की ऊंचाई ही रहे। लेकिन अगर इसकी हाइट अभी ज्यादा रहती है तो बाद में नर्बदा के पानी से यह लिंक होगा तो हमारे प्रान्त को इससे फायदा ही है।

श्री केदारनाथ : इसका मतलब यह अपने लिये ब्लैसिंग इन डिसगाइज है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब जैसा कि माननीय सदस्य चाहेंगे वैसा होगा। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में करीब 432 माइनर इरिगेशन की स्कीम्स पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने करीब साढ़े तेरह करोड़ रुपये का खर्चा आज तक किया है। लेकिन मैं अब एक बात निवेदन करूंगा कि अब हमने यह तय किया है कि जब तक पहले वाली माइनर इरिगेशन स्कीम्स पूरी नहीं हो जाय तब तक दूसरी स्कीम्स हाथ में नहीं ली जावेगी। होता क्या है कि चुनावों के दिनों में कई लोग आते हैं और अपने क्षेत्र में कई माइनर स्कीम्स सेंक्शन करवा लेते हैं और उसमें एक एक में दस 2 हजार बीस 2 हजार रुपये खर्च करवा देते हैं जिससे वहां पर काम तो खुल जाता है लेकिन बाद में वह धनाभाव के कारण पूरी नहीं होती है और अधूरी पड़ी रहती है। इससे हमें काफी नुकसान होता है। इसलिये अब हमने यह तय कर लिया है कि पहले जो ऑलरेडी सेक्शन माइनर स्कीम्स हैं उन्हें पूरा किया जायगा।

श्री लूणाराम : मैं मन्त्री महोदय यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर माइनर इरिगेशन स्कीम्स नहीं है वहां खोलने का विचार है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बदकिस्मती से चूरू जिले में एक भी माइनर स्कीम्स नहीं खुलने वाली है क्योंकि आपके वहां पानी नहीं है।

अब हमारे पास करीब 153 माइनर स्कीम्स है जिन्हें पूरा करके फिर दूसरी स्कीम्स को हाथ में लिया जायेगा। तो इस साल में और अगले साल में, ऐसा हमारा अन्दाज है ऐसा ठीक मिल गया तो, हम 100 स्कीम पूरी कर देंगे। 53 जो माइनर

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

बाकी रह जावेगी और बाकी स्कीम्स होंगी अगली पंचवर्षीय योजना में, ऐसा अन्दाज है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से डबल हो जावेगा।

झालावाड़ से आने वाले मुनीमजी और दूसरे साथियों ने कहा था कि भीमसागर स्कीम है, बहुत अच्छी है। 20 हजार एकड़ सिंचाई हो सकती है तो 1 करोड़ रुपया खर्च करना बुरा नहीं है। बहुत अच्छी स्कीम है। भीमसागर और हरिश्चन्द्र सागर, उसमें 40 हजार रुपया लग चुका है। हम चाहते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में इसको पूरा करें। तीन लाख रुपया इस साल देते लेकिन ऐसी रकम में कुछ होता नहीं। इसलिये हम चाहते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में लेकर इसको पूरा करें।

माइनर स्कीम्स में बहुत से साथियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये। अलग अलग स्कीम्स का ब्योरा तो मैं नहीं दे सकता। जो जो बातें बतायी हैं और विचार प्रकट किये हैं उनका लिखित में जवाब भेज देंगे कि कितना काम कर सकेंगे। अभी नहीं कर सके तो पंचवर्षीय योजना में करेंगे।

श्री विद्यासागर : एक बात जानना चाहता हूं कि आदिवासी एरिया के लिये सरकार अभी क्या सोचती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 57 में पचास एकड़ के जो बड़े तालाब थे वे पंचायत समितियों में दिये गये थे।

श्री लूणाराम : आपने आश्वासन दिया था....

श्री रामचन्द्र चौधरी : न तो उनको वे लोग मैन्टेन कर सके और न ही इर्रीगेशन रेट्स ले सके। वे ज्यादा तादाद में बरबाद हुए। पंचायत समिति से रिकमन्ड करके भेजे

श्री विद्यासागर : नदियों के तालाब हैं, रिटर्न नहीं बैठ रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिसका रिटर्न है उनको भी लेते हैं और जिनका रिटर्न नहीं मिलता है उनको भी लेते हैं। यह तो नहीं सोचना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री विद्यासागर के पुनः खड़े होने पर) बीच में न बोलें। माननीय सदस्य आप तशरीफ रखिये। आप कह चुके हैं। सिवाय मंत्रीजी के और कोई न बोलें।

(पुनः व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र : मैं चाहूंगा कि सबके सब जवाब लिखित में भेज दूं अतः मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आप लोगों ने सहयोग दिया है दोनों पक्षों ने उसी प्रकार सहयोग देंगे इस मांग को स्वीकार कराने में।

श्री देवीलाल : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री देवीलाल : देवास योजना, जो स्थगित योजना है उसके लिये कह दें ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था कि ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां फ्लड

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

का एरिया है, वहां हमने काफी काम दिया है। 153 तो मैंने अभी आपको बताये और सैकड़ों इरिगेशन के काम और दिये हैं। छोटे काम हैं उनको मैं करूं यह हम चाहते हैं। मेटिरियल कम्पोनेन्ट की वजह से अधूरे हैं। उनको भी पूरा कर दिया जाय। जितना भी हो सकेगा पूरा करायेंगे।

श्री मुन्शीलाल : कानोता प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री अजीतसिंह : बनास के सम्बन्ध में तो बताते।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। तशरीफ रखिये।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 42 बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,73, 28, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 26 स्वीकार की गयी।

(विराम)

—प्रश्न यह है कि……

श्री मीठालाल : और ज्यादा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का तो ध्यान रखें। आसन पैरों पर खड़ा है। बीच में आप विघ्न डालना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 43 सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

44–सिंचन नौचालन तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

44–सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14, 26, 31,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 98 बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

99. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

100. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35, 55, 82,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 16 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 7.18 बजे शुक्रवार दिनांक 16 मार्च, 73 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न सं. 532 की सूची)

शहरीय	आबादी सन् 1971 की जनगणना के अनुसार
श्री करणपुर	11,538
रायसिंह नगर	10,977
संगरिया मंडी	13,000
भादरा	14,080
नोहर	16,704
हनुमानगढ़ मंडी	32,520
गंगानगर	90,042 (यह योजना नगरपरिषद गंगानगर द्वारा चलाई जा रही है) ।

ग्रामीण	आबादी सन् 1961 की जनगणना के अनुसार
पांडूसर	601
मक्कासर	942
रावतसर	6409
दीगढ़	942

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

टेलीफोन पर खर्च

543. श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल गंगापुर क्या मुख्य-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर, जिलाधीश के रेजीडेन्स व कलेक्टरी में लगे टेलीफोन का 1 अप्रेल, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक का अलग-अलग कितने रुपये का पेमेन्ट किया गया है ?

(2) कितने टेलीफोन निजी कार्य से और कितनी सरकारी कार्य से किये गये ?

(3) इसी पीरियड के पिछले पांच सालों में कितना कितना खर्चा टेलीफोन पर हुआ ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिलाधीश के रेजीडेन्स व कलेक्टरी में लगे टेलीफोन का, अप्रेल 72 से 31, जनवरी 73 तक निम्न प्रकार भुगतान किया गया

कार्यालय	आवास
2043-55	1489-70

(2)

सरकारी कार्य	निजी कार्य
458 कॉल्स	2 कॉल्स

(3) विगत पांच वर्षों में इसी अवधि में निम्न प्रकार भुगतान किया गया :—

	कार्यालय		आवास	
अवधि	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
4/67 से 1/68	3038-90	—	974-15	---
4/68 से 1/69	2246-60	—	323-00	12-50
4/69 से 1/70	3875-10	28-00	556-56	9-50
4/70 से 1/71	4139-90	—	1220-70	27-50
4/71 से 1/72	1420-70	19-50	340-00	—

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल

544. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल का गठन कब हुआ व वर्तमान में इसके कौन पदाधिकारी एवं सदस्य हैं ? इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 1972 तक कुल कितनी धनराशि किस किस रूप में किस किस वर्ष में और किस कार्य हेतु दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिसमें यह उल्लेख हो कि उक्त धनराशि जिस कार्य के लिये दी गई थी वह उस कार्य में ली गई कि नहीं ? यदि ली गई तो कितनी ? यदि नहीं ली गई तो कितनी व उस राशि का क्या हुआ ?

(3) इस मण्डल का ऑडिट कौन कौन से वर्षों का नहीं हुआ ? यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं ? जिन वर्षों का आडिट हो चुका है उक्त ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) राज्य सरकार द्वारा किस किस वर्ष में बिना आडिट रिपोर्ट प्राप्त किये कितना कितना अनुदान दिया गया ?

(5) आडिट समय पर हो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कभी मण्डल को निर्देश दिये ? यदि हां, तो कब कब ?

(स्थगित किया गया)

बांगड़ महाविद्यालय पाली

545. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पाली बांगड़ महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ करने की मांग पर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मांग की पूर्ति आगामी शिक्षा वर्ष से पूरी हो सकेगी अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

अगले सत्र में किसी भी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ करने का कोई भी प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोलने के लिये काफी व्यय करना पड़ता है। अतः नये विषय इस स्तर पर खोलना अभी संभव नहीं है।

बाड़ी क्षेत्र में चोरी व डकैतियां

546. श्री रामलाल (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्र बाडी में हर रोज डकैतियां और चोरी होती हैं जबकि वहां पर पुलिस थाना व ए. ई. ओ. कार्यालय भी स्थित है ? यदि हां, तो चोरी होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि चोरी डेमपुरा में हुई और उसका माल सरमथुरा में बरामद हुआ ? यदि हां. तो क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

राहत कार्य

547. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में कितनी जनसंख्या अकाल से प्रभावित है कृपया जिलेवार आंकड़े बतावें ।

(2) प्रत्येक जिले में माह दिसम्बर, 1972 और जनवरी 1973 के अन्त तक कितने राहत कार्य खोले गये और उन पर कितने लोगों को मजदूरी पर लगाया गया? कृपया जिलेवार आंकड़े बतावें ।

उत्तर

(1) इस वर्ष 1.34 करोड़ जनसंख्या अकाल से प्रभावित है । जिलेवार आंकड़े तालिका में दिये गये हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) आंकड़े तालिका में दिये गये हैं जो सदन की मेज पर रखदी गई है।

: तालिका :

क्र०सं०	नाम जिला	प्रभावित (लाखों में) जन संख्या	माह दिसम्बर के अन्त तक		जनवरी 73 के अन्त तक	
			कार्यों की सं०	श्रमिकों की संख्या	कार्यों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
1	अजमेर	7-23	39	10,326	116	36,962
2	अलवर	0-50	—	—	—	—
3	बाड़मेर	5-15	—	—	2	379
4	बून्दी	1-50	—	—	—	—
5	बांसवाड़ा	6-55	—	—	112	600
6	भरतपुर	—	—	—	—	—
7	भीलवाड़ा	7-62	31	4,950	109	19,248
8	बीकानेर	3-79	—	—	4	2,256
9	चुरू	7-01	75	17,540	110	43,200
10	चितौड़गढ	1-63	—	—	14	1,388
11	डूंगरपुर	5-24	—	—	36	4,214

: तालिका :

क०सं०	नाम जिला	प्रभावित (लाखों में) जन संख्या	माह दिसम्बर के अन्त तक		जनवरी 72 के अन्त तक	
			कार्यों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	कार्यों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
12	गंगानगर	1-44	25	5,832	37	7,732
13	जयपुर	9-25	4	1,014	6	2,475
14	जोधपुर	7-50	34	18,042	33	27,864
15	जैसलमेर	1-66	18	2,566	22	5,507
16	जालोर	5-97	15	1,217	31	6,605
17	झुंझुनूं	8-27	—	—	80	7,454
18	झालावाड़	1-03	—	—	—	—
19	कोटा	2-12	—	—	—	—
20	नागौर	11-04	18	2,575	53	9,100
21	पाली	7-50	20	2,750	52	11,609
22	सीकर	9-43	4	1,000	11	1,029
23	सवाई माधोपुर	0-65	—	—	—	—
24	सिरोही	3-75	18	2,702	18	2,702
25	टोंक	3-44	—	—	31	4,000
26	उदयपुर	14-25	85	14,226	237	47,610

राजस्थान नहर के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध

548. **श्री जयकिशन लाल तोषावड़ा (फागी)** । क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र छतरगढ़ से सूरतगढ़ तक राजस्थान नहर के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि कोई प्रबन्ध है तो कितनी कितनी दूरी पर है ?

(2) इस क्षेत्र में पाठशाला भवनों की क्या दशा है ? कितनी पाठशालाओं के भवन पूरे हैं और कितनी पाठशालाओं के भवन अधूरे हैं, इन्हें कब तक पूरे करवाने की योजना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में कितनी प्राथमिक शालाएं चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त क्षेत्र में यदि अब तक प्राथमिक शालाएं नहीं चलाई गई है तो अब कब तक और कितनी प्राथमिक शालाएं खोली जावेंगी?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। राजस्थान नहर परियोजना की सूरतगढ़ से छत्तरगढ़ तक स्थित विभिन्न कोलोनियों में प्राथमिक शिक्षा से लगाकर उच्च शिक्षा तक के लिये जो विद्यालय हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ज्यादातर पाठशालाओं के लिये कोई भवन नहीं है वे केवल गांव वालों द्वारा दिये गये कच्चे कमरों में चल रही है।

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में 95 प्राथमिक शालायें चल रही हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) आयुक्त, क्षेत्रीय विकास राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर से प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम टीम द्वारा पर्यटन विकास संबंधी रिपोर्ट

549. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पर्यटन विकास सम्बन्धी युनाइटेड नेशन्स डवलपमेन्ट प्रोग्राम टीम ने राजस्थान में किस किस स्थान का कब कब दौरा किया?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को भारत सरकार के माध्यम से उक्त टीम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राज्य सरकार ने प्राप्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) युनाइटेड नेशनल डवलपमेन्ट प्रोग्राम टीम राजस्थान में नवम्बर, 1970 में जयपुर व उदयपुर का दौरा किया था।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी का भुगतान

550. श्री नानालाल (राजसमन्द): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजसमंद क्षेत्र में गत 1971-72 के अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत धनी नाथद्वारा से रेल मगरा सड़क के कार्य पर कई फर्जी मस्टर-रोल पकड़े गये थे? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(श्री नानालाल)

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का भुगतान अभी तक मजदूरों को नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बडेरिया की शिकायत की जाँच करने के पश्चात् यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजा गया था। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इसे पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया जहां से इस मामले पर अभी तक रेलमगरा में मुकदमा नं 28/71 जेरदफा 420/468 आइ. पी. सी. के तहत तफतीश जरूरी होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(2) जी हां, मजदूरी की कुछ राशि का चुकारा किया जाना बाकी है। राशि बकाया रह जाने के निम्न कारण हैं:—

1— कुछ मजदूर भुगतान के लिये स्थान एवं समय निर्धारित करने के पश्चात् भी बकाया मजदूरी का चुकारा लेने के लिये उपस्थित नहीं हुए।

2— मस्टररोल जो संबंधित अभिकरणों में बनाये थे उनमें मजदूरों के वल्दियत तथा ग्राम आदि का उल्लेख नहीं था।

छापर कस्बे की जल प्रदाय योजना

551. श्री रावतराम (छापर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा छापर, जिला चूरू की जल प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो इस कस्बे का पानी कहां से दिया जायगा और कार्य की प्रगति क्या है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कस्बे को पानी लाडनूं से दिया जाना तय हुआ है? यदि हां तो लाडनूं और छापर के किन किन गांवों को पानी देने की योजना है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पानी कब तक दे दिया जायेगा और जब तक पानी उपलब्ध नहीं हो तब तक आगामी गर्मियों में छापर और चाडवास को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

(1) जी हां, इस कस्बे को पानी लाडनूं से दिया जावेगा।

नल-कूप व स्वच्छ जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लाडनूं से छापर तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

टंकी के निर्माण के लिये निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(2) जी हां, लाडनू और छापर के बीच पड़ने वाले ग्रामों की सूची जो जल प्रदाय योजना में शामिल है, सदन की मेज पर रख दी गई है?

(3) योजना का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण किये जाने की संभावना है और तत्पश्चात् ही पानी दिया जा सकेगा, तब तक सन् 1969-70 में अकाल

(श्री जन वास्थ्य मंत्री)

राहत के अन्तर्गत लाडनूं नल-कूपों से पानी लिया जाकर अन्तरिम योजना बनाई गई थी उससे छापर को सन् 1970 से पानी दिया जा रहा है। ग्राम चाडवास को अन्तरिम जल प्रदाय योजना से इस गर्मी में पानी देना सम्भव नहीं है, आवश्यक राहत का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा सकता है।

1. चाड़वास
2. बिर छापर
3. रामपुरा
4. दिवानी
5. दूनकर
6. रुपेली
7. बलेरा
8. गुलेरिया
9. गनेडा
10. सोडावास
11. गोपालपुरा
12. डूंगरास

कैदियों की खुराक

552. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कैदियों की खुराक की धनराशि में आजादी के पच्चीस वर्ष बीत जाने पर भी कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि महंगाई कई गुनी बढ़ गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जेल अधिकारियों ने कैदियों को एक समय चाय दिये जाने की सिफारिश की थी जिसे राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया ?

(3) क्या यह सही है कि जेलों में सुधार के लिये अब तक दो कमेटियां गठित हुई और उनकी किसी भी सिफारिश को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया ?

(4) क्या सरकार कैदियों की खुराक की धनराशि में वृद्धि, गर्मियों के दिनों में कैदियों के बैरकों से बाहर सोने (रिफोर्म्स कमेटी की सिफारिश के अनुसार) तथा जेल में गटर के शौचालय जैसी मांगों को औचित्यपूर्ण नहीं मानती ?

उत्तर

(1) कारागार विभाग में बंदियों के लिये खुराक के पैसे निर्धारित नहीं किये हुए हैं अपितु उन्हें निर्धारित स्केल (वजन) के अनुसार खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं। महंगाई के अनुसार धनराशि अपने आप बढ़ती रहती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्ष 1962 में राज्य सरकार द्वारा जेलों में सुधार करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी जिसने मार्च, 1964 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की थी। राजस्थान जेल सुधार आयोग द्वारा की गई जिन सिफारिशों को स्वीकार करके क्रियान्वित किया गया वह विचाराधीन है। उनकी सूची संलग्न है।

(4) कैदियों की खुराक व्यय किये जाने वाली राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर से स्पष्ट है।

गर्मियों के दिनों में अच्छे आचरण वाले कैदियों को बैरक बाहर से खुले में सोने की सुविधा कारागृहों में प्रदान की हुई है।

कारागृहों के शौचालयों को शनैः शनैः गटर के शौचालयों में परिणत किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

47 कारागृहों के शौचालयों को गटर के शौचालयों में परिणत किया जा चुका है। 5 कारागृहों में परिणत किये जा रहे हैं और 31 कारागृहों में बाकी है।

(180)

सूची

जेल सुधार आयोग की सिफारिशें जो क्रियान्वित हो चुकी हैं :—

1. अध्याय– 2 (राजस्थान के कारागृह)
   सिफारिश सं० 4, 5, एवं 22

2. अध्याय– 4 (महिला सुधारगृह)
   सिफारिश सं० 7, 8, 9, 10, 16, 18 व 19

3. अध्याय– 6 (खुले शिविर)
   सिफारिश सं० 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 व 17

4. अध्याय– 7 (पुनर्वास)
   सिफारिश सं० 2, 4, 5, 6, 12 व 13

5. अध्याय 11 (दण्ड व पुरस्कार)
   सिफारिश सं० 3, 5, 6 व 7

6. अध्याय– 13 (प्रशासन)
   सिफारिश सं० 6. 7, 8, व 12

7. अध्याय– 16 (पंचायत व सहकारिता)
   सिफारिश सं० 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 व 12

राजस्थान जेल सुधार आयोग की निम्नांकित सिफारिशें विचाराधीन हैं :—

1. अध्याय– 5 (ज्यूवेनाइल रिफोर्मेटरी)
   सिफारिश सं० 2, 3, 5, 6, 10, 11 व 14

2. अध्याय– 4 (महिला सुधार गृह)
   सिफारिश सं० 6

जिला अकाल राहत सलाहकार समिति भीलवाड़ा

553. श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला अकाल राहत सलाहाकार समिति भीलवाड़ा ने मांडल तहसील में अकाल राहत कार्यों पर फरवरी माह में मजदूर बढ़ाकर 7,000 करने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला अकाल राहत सलाहकार समिति के निर्णय के विपरीत मजदूर बढ़ाने के बजाय पहले से कार्यरत मजदूरों में से 1,500 और कम कर दिये है ? यदि हां, तो कहां कहां कम किये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त जिलाधीश जो उस समय जिलाधीश का कार्य कर रहे थे, जानबूझ कर मजदूर कम किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नियमानुसार अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ? यदि हां, तो मांडल तहसील में अब तक यह सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है तथा सरकार अब कब तक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दिनांक 9-2-73 को तहसील मांडल के 5559 श्रमिक सहायता कार्यों पर कार्यरत थे। इस समय श्रमिक संख्या 6116 है। इस प्रकार श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं।

(3) यह सही नहीं है। तथ्यों के आधार पर श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

(4) अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था करने हेतु निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण आदेश जारी किये जा चुके हैं। इनके तहत समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

नागौर जिले को आवंटित बाजरा

554. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो माह में नागौर जिले में कितना बाजरा आवंटित हुआ तथा नावां तहसील में कितना बाजरा आवंटित किया गया और उसमें से कितना वितरण हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि नावां तहसील में बाजरा आवंटित व वितरित नहीं हुआ तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गत 2 माह में नागौर जिले के लिये 500 टन बाजरा आवंटित हुआ जिसमें से 55 टन बाजरा नावां तहसील के लिये

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

आवंटित किया गया, किन्तु खाद्य निगम के गोदामों में बाजरा न मिलने के कारण नावां तहसील को आवंटित बाजरा नहीं मिल पाया अतः वितरण की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं रहता है।

(2) जी नहीं। नावां तहसील को 55 टन बाजरा आवंटित किया गया था किन्तु खाद्य निगम के डिपो में बाजरा उपलब्ध न होने के कारण नहीं दिया जा सका।

(3) इसके लिये कोई दोषी नहीं है अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

अनिवार्य सेवा निवृत्त अधिकारी

555. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा सन् 1972-73 में किन किन अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु कोई समिति नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन थे ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में समिति को कोई निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या ?

(4) राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिये क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने इस समिति के सुझावों का पूर्णतया पालन नहीं किया और कुछ ऐसे अधिकारियों को सेवा निवृत्त नहीं किया गया जिनके संबंध में समिति ने सुझाव दिये थे ? यदि हां, तो क्यों और किन किन मामलों में ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सन् 1972-73 में अभी तक जिन विभिन्न राज्य सेवा अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी गई है उनकी सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज्य सेवाओं के लिये जो समिति नियुक्त की गई है उसका गठन निम्न प्रकार है:—

अध्यक्ष-राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा मनोनीत आयोग का एक सदस्य।

सदस्य- (I) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राजस्व-मण्डल का एक सदस्य।

(II) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जो डिवीजनल कमिश्नर के पद के अनुरूप पद धारण करता हो।

सदस्य सचिव (अ) विभिन्न राज्य सेवाओं (आर० ए० एस०) आर० एस० एस० को छोड़कर) के लिये शासन सचिव क्रमशः अपने अपने अधीन राज्य सेवा अधिकारियों के लिये।

(ब) आर० ए० एस०, आर० एस० एस० व तहसीलदार सेवाओं के लिये विशिष्ट शासन सचिव, कार्मिक विभाग।

Page No 183

(183)

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

नोट:- आर० जे० एस०, राजस्थान लोक सेवा आयोग, व विधान सभा सचिवालय के राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में क्रमशः मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, व अध्यक्ष विधान सभा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही के लिये परामर्श देंगे।

(3) जी हां, निर्देशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) मुख्य तौर पर अधिकारी के पूर्ण सेवा अभिलेख एवं उसके गोपनीय प्रतिवेदन की जांच कर उक्त समिति सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर व उन पर गौर करके निर्णय लेती है कि अधिकारी अब राज्य सेवा के योग्य रह गया है अथवा नहीं। राज्य सरकार समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए व उन सम्बन्धित अधिकारियों के सेवा अभिलेखों की जांच कर अन्तिम निर्णय लेती है।

(5) राज्य सरकार ने सामान्यत: विभिन्न सेवाओं के लिये गठित समितियों की सिफारिशों को माना है और इस संबंध में उचित आदेश भी प्रसारित कर दिये हैं।

केवल ऐसे मामलों में जहां अधिकारी की 25 वर्ष की क्वालीफाइंग सेवा की पूर्ण पुष्टि महालेखाकार राजस्थान द्वारा नहीं की गई थी, अथवा राज्य सरकार अभी उस अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना उचित नहीं समझती, में राज्य सरकार द्वारा समितियों की सिफारिशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

राजस्थान प्रशासनिक- दो अधिकारी सेवा

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सांचोर में कृषि विकास कार्यक्रम के तहत ऋण

556. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांचोर में कृषि विकास कार्यक्रम के तहत कोई खास ऋण सुविधा दिलवाने का प्रोजेक्ट अभी मन्जूर नहीं किया गया है जैसा कि जसवन्तपुरा एवं भीनमाल तहसीलों में किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सांचोर तहसील में काफी स्कोप विद्यमान है? अगर हां तो सरकार क्या विस्तृत सर्वेक्षण करवाना उचित समझेगी?

(3) उपरोक्त विषयक ऋण प्रोजेक्ट कृषि विकास कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति सांचोर में कब तक मंजूर करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में अभी कुछ कह सकना कठिन है। सर्वेक्षण के पश्चात् ही इस बारे में विस्तृत ज्ञान हो सकेगा। सन् 1973-74 में पंचायत समिति सांचोर का अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण कराने का कार्यक्रम है।

(उत्तर)

(3) सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकेगा।

राज्य सरकार के कृषि फार्म

557. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा कितने कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं तथा प्रत्येक का कितना रकबा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त फार्मों में कितने लाभ में और कितने घाटे में चल रहे हैं जो फार्म घाटे में चल रहे हैं क्या सरकार उन्हें बन्द करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सरकार द्वारा 37 बीजगुणन फार्म व 8 अनुसंधान फार्म चलाये जा रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त फार्मों में 22 बीजगुणन फार्म लाभ में चल रहे हैं और 15 फार्म हानि में हैं। जो फार्म हानि में चल रहे हैं उनको प्रशासनिक खर्चे में कमी तथा अधिक उत्पादन की सुविधायें प्रदान कर लाभ में लाने की कार्यवाही जारी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांसवाड़ा जिले के व्यक्तियों को दिये गये ट्रैक्टर

558. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा 1 अगस्त, 1969 से 31 दिसम्बर, 1972 तक कितने कितने ट्रैक्टर किस-किस को कब-कब दिए गए ? उनके नाम, पते व व्यवसाय सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ट्रैक्टर के लिये प्राप्त इन प्रार्थना-पत्रों पर सक्षम अधिकारियों के प्रमाण-पत्र नहीं थे ? यदि हां, तो एलाटमेन्ट कैसे हुआ ? यदि नहीं, तो किस किस प्रार्थना-पत्र को कब प्रमाणित किया गया ? प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम व पद क्या था ?

(3) क्या यह सत्य है कि आवंटित ट्रैक्टर उन व्यक्तियों के पास नहीं है और बांसवाड़ा जिले में भी कृषि के काम नहीं आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो जिले के रजिस्ट्रेशन अधिकारी से प्राप्त सूचना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) पिछले वर्ष जो इस बारे में शिकायतें हुई थी, उनकी जांच का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) सूची (परिशिष्ट) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक प्रमाण-पत्र को प्रमाणित करने वाले अधिकारी का पद एवं

(कृषि मंत्री)

(उत्तर)

प्रमाणित करने की तारीख आदि की सूची परिशिष्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसके पूरे नाम का पता नहीं लगता है।

(3) इस संबंध में निगम के पास कोई सूचना नहीं है। जिले के रजिस्ट्रेशन अधिकारी से यह सूचना मंगवाई जा रही है।

(4) पिछले वर्ष की शिकायतों की सूचना निगम के पास नहीं है। इसलिए जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आर्मड पुलिस में पदोन्नतियां

559. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान की आर्मड पुलिस में मुख्य आरक्षकों के उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का आधार क्या है ?

(2) क्या पदोन्नति वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है ? यदि हां, तो क्या इस नियम का पालन होता है और नहीं तो क्यों ? वर्ष 1965 से अब तक मुख्य आरक्षकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कुछ आरक्षकों को पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो किन किन को और किस आधार पर ? कृपया इस अवधि में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन मुख्य आरक्षकों को वरिष्ठता सूची की अवहेलना कर उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है क्या उनको पदावनत कर वरिष्ठता सूची की प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति करने का सरकार का विचार है ?

(स्थगित किया गया)

गांधीनगर में विद्युत कार्य

560. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगर विकास न्यास द्वारा गांधीनगर उप नगर में विद्युत का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो कब कब और कहां कहां ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

केवल ट्यूब लाइट्स विद्युत विभाग को दी गई है।

लाइट्स कब कब और कहां कहां लगाई गई, इसका सम्बन्ध विद्युत विभाग से है।

छबड़ा कस्बे की जल प्रदाय योजना

561 श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा कस्बे की जल प्रदाय योजना का कार्य विभागीय रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण हो चुका है ?

(श्री जगमोहनसिंह)

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस योजना के पूरी हो जाने के बाद भी इस कस्बे की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और योजना नाकामयाब साबित हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

(3) इस योजना की कमियों को दूर करने के लिये विभाग क्या कोई कार्यवाही कर रहा है जिससे इस कस्बे को पीने के पानी की समस्या का स्थाई हल निकल सके ?

उत्तर

(1) जी हां, कार्य लगभग पूरा किया जाकर वितरण शुरू किया जा चुका है। किन्तु अभी तक प्रर्याप्त जल नहीं मिल पाया है।

(2) जी हां, योजना प्रतिदिन 2,20,000 गैलन जल वितरण करने के लिये बनाई गई थी। किन्तु वर्तमान में उपलब्ध श्रोतों से केवल 20,000 गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध हो पा रहा है। योजना बनाते समय यह आशा थी कि छबड़ा में कुओं के जरिये प्रर्याप्त जल उपलब्ध हो जावेगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ व इसके लिये किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

3. उपयुक्त जल श्रोत हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है तथा उपयुक्त श्रोत मिलने पर पुनंगठन योजना बनाई जावेगी।

सूराठ व कोठरी में पुलिस स्टेशन की स्थापना

562. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में सूरोठ व कोठरी कस्बे डकैत क्षेत्रों में आबाद है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां भारी चोरियां होती रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि सूरोठ व कोठरी में पुलिस स्टेशन की विशेष आवश्यकता है ?

(4) क्या यह सही है कि इन कस्बों में पुलिस स्टेशन नहीं खोले है जबकि सलेमपुर गांव में जहां 1000 की आबादी है पुलिस स्टेशन खोला गया है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त कस्बों में पुलिस स्टेशन कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में इस क्षेत्र में डकैतों की आम दरपत नहीं है ?

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सूराठ ग्राम में पहले से ही पुलिस चौकी कायम है और कोठरी गांव पुलिस थाना हिन्डोन से करीब 15 मील की दूरी पर है जहां पर अलग से थाना बनाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है ?

(4) इन दोनों में भी पुलिस थाना नहीं है और सलेमपुर में भी कोई पुलिस थाना नहीं खोला गया हैं। वहां केवल पुलिस चौकी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है ?

Page No 187

187

भीलवाड़ा जिले के ट्यूबवैल्स

563. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा जिले में कहां कहां किस किस तारीख को ट्यूबवैल्स खुद कर तैयार हुए तथा इन ट्यूबवैल्स के निर्माण में कितनी राशि लगी है ? ये बन्द पड़े हैं या चालू हैं ? यदि बन्द पड़े हैं तो क्यों और अब कब चालू किये जा रहे हैं ?

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में जहां जहां जिस जिस वर्ष में ट्यूब वेल खुदकर तैयार हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । इन ट्यूब वेल के निर्माण में अनुमानतः 1.25 लाख रुपये व्यय हुये है । ये नल कूप बन्द पड़े हैं क्योंकि इनका निर्माण मूलतः अनुसन्धान के लिए किया गया था । जो नल कूप अप्लाइड न्यूटेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाये गये थे उनमें भी पम्प लगाये जाने का कार्य अब भी शेष है । इनको चालू करने के लिए राज्य सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

क्रमांक	नाम जहां बने हैं	वर्ष	
1-	खेजड़ी-1	1970-71	
2-	खेजड़ी-2	"	
3-	हुरड़ा-1	"	
4-	हुरड़ा-2	"	
5-	गुढा	"	
6-	गेगाखेड़ा-1	"	
7-	गेगाखेड़ा-2	"	
8-	हमीरगढ़-1	"	
9-	" -2	"	
10-	ढोलीखेड़ा-1	"	
11-	" -2	"	
12-	डेनाली-1	"	
13-	" -2	"	
14-	बीगोद-1	"	
15-	" -2	"	
16-	जमालपुरा-1	"	
17-	" -2	"	
18-	भीलवाड़ा-1	1971-72	निजी
19-	" -2	"	"
20-	बनेड़ा	"	
21-	चमनपुरा-1	"	
22-	" -2	"	
23-	हसवारियां खेड़ा (शाहपुरा)	"	
24-	कनेछन फार्म	"	
25-	गणेशपुरा	"	

Page No 188

(188)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-3-73)

गर्डर्स, जी. पी. शीट्स, एंगल्स व राउन्डस का कोटा

221. **श्री मूलचन्द समरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को 1972-73 में एम.एस. बी. पी. शीट्स 10 गेज का कितना कोटा मिला तथा इसका वितरण किस किस उद्योग को कितना कितना किया गया और उस माल का उपयोग वांछित उत्पादन हेतु ही हुआ या नहीं, इसकी क्या जानकारी है ?

(2) गर्डर्स, जी. पी. शीट्स, एंगल्स व राउण्ड्स का 1972-73 में कितना कोटा मिला तथा किस किस उद्योग को कितना कितना अलॉट किया गया ?

(3) क्या फर्नीचर बनाने में 8 से 16 गेज की गर्डर्स काम आती है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्होंने फर्नीचर हेतु 8 से 16 गेज के गर्डर्स प्राप्त किये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 में राज्य सरकार को एम. एस. बी. पी. शीट्स 10 गेज का कोई कोटा प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) 1-4-72 से 25-8-72 तक प्राप्त गर्डर्स, जी. पी. शीट्स एंगल्स व राउन्ड्स के कोटे का आवंटन तालिका में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

25-8-72 के पश्चात् आवंटन का सारा कार्य जिला स्तर पर जिला वितरण समितियां द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा किये गये वितरण की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

(3) किसी भी उद्योग को 8 से 16 गेज के गर्डर्स का आवंटन नहीं किया गया अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न सं. 535 की सूची)

S. No.	Name of unit	Allotment in Tons	Material in lifted Tones	Production in Rs. for the period 1-4-71 to 31-12-72
1	2	3	4	5
1.	M/s. Alladita Rahim Bux Station Road, Jaipur.	0.965	0.965	Rs. 137000 00
2.	„ Amolak Iron & Steel Mfg. Co. Jhotwara, Jaipur.	49.000	44.984	Rs. 629000.00
3.	„ Agarwal Metal Industries, Surajpole Bazar, Jaipur.	11.000	3.025	Being collected
4.	„ Bapu Metal Industries, Ind. Estate, Jaipur.	69.000	50.220	Rs. 400000.00
5.	„ Delite Agency, New Colony, Jaipur.	36.000	—	Rs. 148681.00
6.	„ Goodage Mfg. Co. Industrial Estate, Jaipur.	64.000	54.'29	Rs. 450000.00
7.	„ Garg Metal Industries Thakur Pachewar Ka Rasta, Jaipur.	17.000	17.255	Rs. 76155.00
8.	„ Gem Industrial Works, Sharma Building M.I. Road, Jaipur.	36.000	17.884	Rs. 176419.00
9.	„ Hanut Industries I. E. Jaipur	43.000	26.768	Rs. 497402.00

1	2	3	4	5
10.	M/s. Harish Kutir Udyog Diggi House, Jaipur.	18.000	1.530	Rs. 269000.00
11.	,, Hari Ballabh Engg. Works, Chomu House, Jaipur.	2 005	2.205	Rs. 190000.00
12.	,, Indian Engineering Works, Sansar Chandra Road, Jaipur.	15.330	15.330	Rs. 400000.00
13.	,, Ispat Udyog, Sansar Chandra Road, Jaipur.	23.000	3.016	Being collected
14.	,, Jai Industrial Works, I. E. Jaipur.	56.000	26.835	Rs. 512997.00
15.	,, Juneja Safe Co. I. E. Jaipur.	49.500	10.570	Rs. 110000.00
16.	,, Jai Hind Steel Works, Ind. Estate, Jaipur.	36.00	22.498	Being collected
17.	,, Jai Shiv Metal Industries, Gangori Bazar, Jaipur.	20.000	23.250	Rs. 40000.00
18.	,, Juneja Trading Corporation, Industrial Estate, Jaipur.	1.510	1.510	Rs. 170000.00
19.	,, K. K. Agro Industries Tripolia Bazar, Jaipur.	20.000	4.024	Rs. 24694.00
20.	,, K.B. Steel Industries, Jhalaniyo ka Rasta, Jaipur.	7.500	4.860	Being collected
21.	,, Metalica Industrial Co-operative Society, Ind. Estate, Jaipur.	32.800	27.550	Rs. 100000.00 (Started in April 72)
22.	,, Newage Industrial Corporation Tripolia Bazar, Jaipur.	27.000	6.985	Being collected

1	2	3	4	5
23.	M/s. National Iron & Steel Works, Tonk Road, Sanganer.	18,500	—	No furniture was Manufactured.
24.	,, Plasto Steel Fabrication Industrial Estate, Jaipur.	1 000	—	Figures not given by the party
25.	,, Premier Iron Industries, Adarsh Nagar, Jaipur.	13,000	3,520	Party out
26.	,, Pratap Iron Works, Govind Rajiyon ka Rasta, Jaipur.	4,400	—	Party out
27.	,, Rajasthan Trunk Works, Jaipur.	36,000	36,005	Being collected
28.	,, Shiv Engineering M. I. Road, Jaipur.	63,000	13,080	Rs. 291088.00
29.	,, Veer Metal. Deena Nathji ki gali Chandpole, Jaipur.	18,000	—	Party was not present.
30.	, Shallendra Industrial Works, Jaipur.	1	—	Started production in January, 1973
31.	,, Standard Industries IA Jhotwara 36 M. T.		27,752	Rs. 454800.00

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची)

वर्ष 1969-70 से 71-72 तक कोटा जिले के ग्रामों में बिजली लगाने के लिये विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति की सूची ।

वर्ष		नाम ग्राम	स्वीकृत राशि
1969-70	1.	घीसवाली	13,150
,,	2.	खेडलीगंज (पंचायत समिति अटरू)	19,700
1970-71	1.	अन्ता	7,990
,,	2.	छीपाबडोद	3,280
,,	3.	बांसोर (पंचायत समिति, सांगोद)	5,530
,,	4.	मोहोकला (पंचायत समिति, सांगोद)	7,290
1971-72	1.	इटावा	7,050

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 238 की सूची)

जयपुर दुग्ध वितरण योजना जयपुर में अवशीतन

मालपुरा यन्त्र योजना

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत न्यूजीलैंड से प्राप्त अवशीतन यन्त्र स्थापित करने हेतु आस पास के सभी क्षेत्रों का सर्वे कराया गया व नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड आनन्द की टीम, जिसने योजना के कार्य का मूल्यांकन सन् 1970 में किया, ने भी इस पर जांच कर अपनी रिपोर्ट दी। दोनों ही सूत्रों से मालपुरा क्षेत्र में अवशीतन यन्त्र स्थापना करने की सिफारिश की गई जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया। इस यन्त्र की स्थापना हेतु आयोजना वजट से इस वर्ष एक लाख रुपया भवन आदि निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए व पी.डब्लू.डी द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर है। आशा है लगभग 6 महीने में यह कार्य पूरा होकर नवम्बर 1973 से दूध एकत्र करना आरम्भ कर दिया जावेगा।

194

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 244 की सूची)

प्रश्न 2—की सूची

ग्राम की सूची	जन संख्या सन् 1961 की जन गणना के आधार पर
सोलियासर	1,10)
घोलिया	230
उदरासर	847
लादुड़ा	131
जालबसर	466
बीरमसर	176
लाखासर	256
जैतसर	621
ठकुरियासर	1106
जैमलसर	386
	5,319

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची)

सूची पुलिस कर्मचारियों की जिन्हें बीमारी के कारण सन् 67 से माह फरवरी 73 तक बीमारी के कारण अनिवार्य रिटायरमेन्ट दिया गया।

1.	जिला अलवर	10
2.	जिला झुंझुनूं	9
3.	जिला सीकर	3
4.	सवाई माधोपुर	16
5.	जिला टोंक	19
6.	जिला कोटा	12
7.	जिला झालावाड़	4
8.	जिला जोधपुर	9
9.	जिला जालोर	4
10.	जिला नागौर	8
11.	जिला पाली	4
12.	जिला जैसलमेर	2
13.	जिला सिरोही	11
14.	जिला गंगानगर	31
15.	जिला चूरू	17
16.	जिला उदयपुर	14
17.	जिला भीलवाड़ा	14
18.	जिला बांसवाड़ा	9
19.	जिला चित्तौड़गढ़	21
20.	जिला बाडमेर	5
21.	जिला दूसरी बटालियन आर. ए. सी. जयपुर	1
22.	प्रथम बटालियन आर. ए. सी. जयपुर	3
23.	चौथी बटालियन आर. ए. सी बीकानेर	6
24.	तीसरी बटालियन आर. ए. सी. धोलपुर	7
	कुल योग :—	239

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची)

STATEMENT SHOWING POSTING OF R.A.C. PERSONNEL DETAILED DURING ACHARYA TULSI AGITATION AT CHURU FROM TIME TO TIME

Personnel of 4th Bn. RAC Bikaner			Personnel of 10th Bn. IR RAC Bikaner			Personnel of 4th Bn. RAC Jaipur			Personnel of 9th Bn. RAC Jaipur		
No.	From	To	No.	From	To	No.	From	To	No.	From	To
17	15.7.72	24.7.72	115	22.7.72	8.8.72	106	21.7.72	7.8.72	70	16.8.72	28.8.72
34	14.7.72	24.7.72	114	22.7.72	26.7.72	15	22.8.72	28.8.72			
14	20.7.72	23.7.72	78	22.7.72	26.7.72						
53	20.7.72	24.7.72	120	22.7.72	2.8.72						
26	31.7.72	8.8.72	114	31.7.72	28.8.72						
54	31.7.72	8.8.72	111	1.8.72	26.8.72						
54	2.8.72	18.8.72	33	1.8.72	18.8.72						
17	2.8.72	18.8.72	106	1.8.72	28.8.72						
			106	1.8.72	28.8.72						

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 15 मार्च, 1973)

स्तम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
2	ऊपर से 4	इस	उस
3	,, 4	दीडाक्टर्स	दो डाक्टर्स
3	नीचे से 11	वर्ना	वरना
7	ऊपर से 12	श्री भानूकुमार शास्त्री	श्री भानुकुमार शास्त्री
8	,, 15	य़ादि	यदि
11	,, 1	श्रीगिरधारीलालभार्गव	श्री गिरधारीलाल भार्गव
13	,, 8	से	—
16	,, 5	के	से
,,	,, 16	कोथी	की थी
17	,, 5-24-27	टाट्ंयु अस	टाचुं अस
18	,, 6	,,	,,
27	,, 3	को दी	को थी
,,	,, 14	श्री बद्रीसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
29	,, 5	प्रतष्ठा	प्रतिष्ठा
,,	नीचे से 1	साप्ताहक	साप्ताहिक
33	ऊपर से 1	श्री चदनमल बैद	श्री चन्दनमल बैद
35	शीर्ष	तां ा कित प्रश्नोंत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
39	ऊपर से 13	भिडगी	भिड़ेगी
40	,, 12	किर्लासिकर	किर्लोस्कर
42	नीचे से 9	लिया	लिखा
47	,, 16	श्रामती कमलाबेनीवाल	श्रीमती कमला बेनीवाल
79-85	शीर्ष	स्थगित प्रश्न	अतारांकित प्रश्नोत्तर
110	ऊपर से 1	(श्रीयशपन्तसिंह नाहर)	(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
128	नीचे से 15	श्रीकेशरीमल	श्री केसरीमल
138	,, 6	प्रोडक्टिय	प्रोडक्टिव
,,	,, 5	खर्च	खर्च
141	,, 3	जबाब	जवाब

198

1	2	3	4
149	नीचे से 7	ब्लोएम	ब्लोसम
152	,, 6	प्राविन्सियल	प्रोविन्शियल
154	ऊपर से 1	फोड	फांड
165	नीचे से 12	हाजारी	हजारों
180	,, 13	पहलेशा	पहले था
182	,, 4	शत्त	शक्ति
266	ऊपर से 2	कन्वशैन	कन्वेंशनल
266	नीचे से 8	निरंजननथ	निरंजननाथ
300	ऊपर से 7	परन्तु भी	परन्तु वह भी
305	नीचे से 15	जब	अब
,,	,, 3	श्री गौरशंकर	श्री गौरीशंकर
306	ऊपर से 12	सिडाई	सिचाई
311	,, 5	मोदय	महोदय
314	शीर्ष	5 मार्च	15 मार्च
,,	नीचे से 10	ईमानदार	ईमानदारी
315	ऊपर से 7	जैस	जैसा
316	,, 8	ढूढो	ढुंढ
351	,, 1	तासावड़ा	तोसावड़ा
159	,, 1	अधिकारीगण आदेश	अधिकारीगण को आदेश
364	,, 12	——	(कृषि मन्त्री)